राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या : 8

बुधवार,

11 मार्च, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपने आज उधर नमस्कार किया नहीं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा यूं। आज इधर कोई था नहीं। नमस्ते बेकार नहीं जाना चाहिए।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): खाली सीटें हैं, इसलिए आज अध्यक्ष महोदय ने इधर से शुरुआत की।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। श्री राव राजेन्द्र सिंह।

प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों द्वारा उपभोक्ता प्रभार की वसूली

116. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2012 में प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों द्वारा विद्युत बिलों में उपभोक्ता प्रभार सफाई शुल्क के नाम पर वसूल की गई राशि नियमानुसार है?

(2) क्या यह भी सही है कि निगम को उपभोक्ता से बिलों में अन्य प्रयोजनार्थ शुल्क वसूल करने का अधिकार प्राप्त है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री पुष्पेन्द्र सिंह): (1) जी हां। स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र:एफ.55( )पीए/एसई/डीएलबी/2012/

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

SWM/5281 दिनांक 25.7.2012 की अनुपालना में जयपुर व जोधपुर शहर के विद्युत उपभोक्ताओं पर माह सितम्बर, 2012 से माह मार्च, 2013 तक यूजर चार्ज की राशि वसूल की गई है। आदेश की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, मैं आपसे एक तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि यूजर चार्जेज अब विथड्रा हो चुके हैं। जिस समय ये लागू हुए, उस वक्त कितने यूजर चार्जेज की कितनी रकम किन-किन निगमों से आपने इकट्ठी की और उसकी राशि का टोटल कितना है? वह राशि क्या आपने स्थानांतरित कर दी उन निगमों को? अगर स्थानांतरित कर दी, तो सम्पूर्ण कर दी या उसमें से कुछ शेष है आपके पास में? अगर आपके पास में है तो किस लैजर हैड पर आपने वह राशि रखी हुई है? दूसरा, जो अध्यादेश आपने जारी किया, वह अध्यादेश क्या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को अमेंड करके उसके अन्दर अमेंडमेंट क्लॉज डाला? क्या उस क्लाज को डालकर, फिर आपने यह अध्यादेश जारी करके जे वी वी एन एल को यह राशि इकट्ठी करने के लिए आपने आदेश दिया?

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो ऐसी राशियां हैं जो कि डिस्काम अपने काम के अलावा इकट्ठी कर रही हैं, एक तो कर रही हैं, लेवी आफ अरबन सेस और दूसरा कर रही हैं, लेवी आफ वाटर कन्जर्वेशन सेस। इन दोनों का आप 2003 के एक्ट में अमेंडमेंट लेकर आयें और उसमें आपने अमेंडमेंट किया, लेकिन अब इन यूजर चार्जेज को इकट्ठा करने के लिए गजट नोटिफिकेशन तो आपने यू डी एच का पास करवाया है, यू डी एच मंत्रालय का पास कराया है। वह गजट नोटिफिकेशन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पर प्रभावी नहीं होता है जब तक कि आप 2003 के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रोविजन में चेंज नहीं करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा, डिस्काम्स कम्पनी ला से गवर्ड है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और कम्पनी ला में फर्क है। उनका कम्पनी ला का एक कास्टि्टयूशन है और इन कम्पनीज के और एक्ट के बीच में एक रेग्यूलेटरी कमीशन है। इन तीनों का जब तक आप अमेंडेड फार्म के अन्दर कोई सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक किस हैसियत से तो आपने ये चार्जेज इकट्ठे कर लिये? अगर चार्जेज इकट्ठे कर लिये, तो क्या यह असंवैधानिक कृत्य नहीं था उस समय? और इस असंवैधानिक कृत्य के लिए कौन जिम्मेदार हैं?

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा, अगर आपने ऐसा काम किया तो आपने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जो गवर्नमेंट आफ इंडिया के सर्विस टैक्स की डोमेन में आती है। क्या यह सही है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के सर्विस टैक्स अंडर प्रोविजन आफ फाइनेंस एक्ट, 1994 यह कृत्य आता है? तो फिर आपने 'डिन' नम्बर लिया या नहीं लिया? 'डिन' नम्बर नहीं लिया तो इसमें आपने सर्विस टैक्स काटकर के गवर्नमेंट आफ इंडिया को दिया या नहीं दिया?

अगर यह सब कुछ नहीं हुआ तो क्या, मंत्री महोदय, आपकी यह मानसिकता है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच कराकर, अगर इसमें त्रुटि हुई है तो त्रुटि के लिए जो-जो भी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि किन-किन निगमों से आपने कितना-कितना पैसा लिया? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मात्र जयपुर और जोधपुर में ही हमने यह शुरुआत की थी, जिसमें 1,397 लाख रुपये हमने जयपुर डिस्काम से इक्ट्ठे किये और जोधपुर से हमने 502 लाख रुपये एकत्र किये। कुल मिलाकर 19 करोड़ रुपए हमने एकत्र किये। नगर निगम, जयपुर को हमने लगभग 10 करोड़ रुपए दे दिये और ढाई करोड़ रुपए हमने नगर निगम, जोधपुर को दे दिये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 104 जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, 'नगरपालिका ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के लिए ऐसी रीति से और ऐसी दरों पर जो समय-समय पर उसके द्वारा राज्य सरकार के पूर्ण अनुमोदन से अवधारित की जाएं, उपभोक्ता प्रभार उद्ग्रहीत कर सकेगी'। मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम जो 2009 में लागू हुआ, उसमें राज्य सरकार को पूरी अपनी पावर अधिकृत की है कि राज्य सरकार अपने मंत्रिमंडल के फैसले के तहत किसी को भी अधिकृत कर सकती है। हमारे डिस्काम्स को इन्होंने अधिकृत किया है कि यूजर्स चार्ज आप वसूल कर सकते हैं। उसके तहत हमने सितम्बर से लेकर के मार्च तक, 6 महीने यह पैसा वसूल किया है।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तर्ज पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो 1962 में इस हाउस से पास हुआ था, उसके तहत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्जेज भी डिस्काम्स ले रही हैं; उसके साथ अरबन सेस भी ले रही हैं; वाटर कन्जर्वेशन सेस भी हम वसूल करते हैं। इसके लिए सरकार ने हमको अधिकृत कर रखा है। फाइनेंस ने बिल लाकर के हमको अधिकृत किया है। इसी प्रकार हम यह यूजर चार्ज भी वसूल कर रहे थे। सरकार ने मंत्रिमंडल का फैसला लेकर के हमें अधिकृत किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह भी कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई नियम, अधिसूचना आपकी जानकारी में है, तो मैं उसका परीक्षण करवाकर उचित कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दो।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं, मंत्री महोदय, सिर्फ आपसे दो प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने स्तर पर इसकी जांच करवा लें। जहां तक मेरी जानकारी है और मेरी जनरल नालेज के हिसाब से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जे वी वी एन एल कम्पनी इन्कोरपोरेटेड है कम्पनीज एक्ट, 1956 के हिसाब से और आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003, आपने वाटर सेस, वगैरह के बाकायदा अमेंडमेंट करवाये हैं। जब तक आप अमेंडमेंट नहीं करें, तब तक कम्पनी के कम्पोजिशन के कास्टिट्यूशन को चेंज करने का अधिकार आपको प्राप्त नहीं है। आप मंत्री हैं, लेकिन वह कम्पनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। उस कम्पनी से इस प्रकार का कार्य कराने का औचित्य तब आता है जब नियमों में और वैधानिक रूप से आप उसके कास्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें, 2003 के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अन्दर प्रोविजिन डालें और फिर उसको अधिकृत करें कि आप किसी और इकाई के लिए यह कार्य कर रहे हैं। ना तो इसमें बिजली उत्पादन का कोई काम है, ना बिजली संचारण का कोई काम है, ना ही बिजली के प्रसारण का कोई काम है। यह अन्य काम है जो किसी और इकाई के लिए आप कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं तो उसको वैधानिक स्वरूप में स्वीकृति प्राप्त कराने का जो संवैधानिक अधिनियम है, उसके आधार पर लाना पड़ेगा।

ये दो चीजे हैं कि क्या JVVNL as a Company incorporated under the provisions of Companies Act 1956, having the object of distribution of electricity; by collecting user charges, is it acting as an agent of the Nagar Nigam? सबसे पहले, जैसे ही आप यह कार्य करेंगे, आप नगर निगम के एक एजेंट की

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

तरह काम कर रहे हैं। दूसरा मेरा यह है कि how a company governed under the Electricity Act 2003 can do other business which has no relation ship with the electricity? ये दो चीजे हैं और इन दोनों चीजों के प्रोविजन्स वैधानिक रूप से नहीं आये मेरे ध्यान में। यह कृपया करके आप अपने स्तर पर पूरी जांच करवा लें।

दूसरा, जो बची हुई राशि है, इस राशि को आपने किस मद में डाल रखा है? और आपका अकाउंट, लैजर, आडिट में किस मद में दिखा रहा है? अगर आपने पूरी राशि स्थानांतरित नहीं की है तो वह आपके यहां क्या कर रही है और किस मद में कर रही है? मेरा आपसे यह निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सेस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के तहत नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट, 1962 के तहत, और 2003 में तो इसमें संशोधन, अमेंडमेंट बिल लाये थे, उसके तहत हम आपके अरबन सेस और वाटर यूजर चार्जेज सेस वसूलते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान अरबन अधिनियम जो आया है, धारा 104 के तहत राज्य सरकार को उन्होंने पावर दी है, मंत्रिमण्डल की बैठक में मिले आदेश के अनुसार अधिकृत किया कि हम इस पैसे को वसूल करें। फिर भी मैं इसकी पूरी जानकारी लेकर इसकी पूरी पालना करूंगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं आपको एक गाइड कर लूं। आपने जो बात फरमाई, वह बात सीधी सी है कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट, 1962 की धारा 3 (बी) के अन्तर्गत आपने यह डिफाइन किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के डिस्काम्स का वह कृत्य वैधानिक था? वैधानिक था तो आपने सर्विस टैक्स के लिए एप्लाई किया क्या? आपने गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के टैक्सेज एक्ट का उल्लंघन किया है। एक सरकारी उपक्रम से आपने वह काम कराया जो संविधान का उल्लंघन है और टैक्स की चोरी है। अगर आपका यह कृत्य वैधानिक है तो वह कृत्य आपको वैधानिक रूप से 'डिन' नम्बर लेना चाहिए था। आपने नहीं लिया, वह असंवैधानिक है और अगर यह असंवैधानिक है और ये दोनों असंवैधानिक हैं, दोनों की आप जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष: सुझाव आ गया है, अब जांच करा लेंगे। पूरक प्रश्न। श्री गोतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): यह उपभोक्ता से सम्बन्धित प्रश्न है मेरा कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में डूंगला और बड़ी सादड़ी में अभी जो कनेक्शन हैं, उनका लोड आटोमेटिक बढ़ा दिया, पांच से साढ़े सात कर दिया, साढ़े सात था उसको दस कर दिया। जबकि उन लोगों की मोटरें अभी तक तीन हार्स पावर की हैं और उनके दस-दस के कनेक्शन हो गए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि वापस उसकी जांच करवाकर जो जितने मौके पर, जांच करवाकर जिसका जितना लोड है, तीन एच पी की काम ले रहा है तो उसको तीन एच पी का बिल मिले और जो पांच एच पी की काम में ले रहा है उसको पांच एच पी का मिले और जो साढ़े सात एच पी की काम में ले रहा है उसको साढ़े सात एच पी का मिले। जो साढ़े सात एच पी की मोटर काम में ले रहा है उसको पन्द्रह एच पी का बिल मिल रहा है, जो पांच की काम में ले रहा है उसको दस का बिल मिल रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसकी जांच करवा कर इसको कंसिडर किया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): चित्तौड़गढ़ जिले के कई माननीय सदस्यों ने मेरा इस ओर ध्यान आकर्षित कर रखा है, मैं इसका परीक्षण करवा रहा हूं और मैं इस पर उचित कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री नवीन पिलानिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो कृषि नीति 2003, संशोधित 2007 थी, उसमें विद्युत भार में बीस प्रतिशत भार बढ़ा हुआ नहीं माना जाएगा, यह अंकित है। दूसरी बात यह है कि जो गलत वी सी आर भरी गई थीं, इस सरकार ने वह पैसा भी उपभोक्ताओं को वापस किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह सवाल ही नहीं है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय मंत्री महोदय, यह सवाल वही है, फिक्स चार्जेज का सवाल है, डिस्काम्स के चार्जेज का सवाल है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वक्त भी हर किसान के कुएं पर लोड बढ़ोत्तरी के नाम पर चैकिंग की जा रही है। जब यह स्पष्ट है कमीशन के द्वारा, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, ''After the issue of last tariff order dt. 8.8.2012, it came to the notice of the Commission that the DISCOM while issuing tariff booklet inserted a similar provision in that and the Commission vide its order dt. 21.11.2012 clarified that fixed charges for the flat rate consumers would be

(श्री नवीन पिलानिया)

charged on the basis of sanctioned connected load only. In view of the said clarification the proposal of the DISCOM is not being considered by the Commission."

जब यह क्लीयर हो चुका है कि किसी भी किसान का जो सैंक्शन्ड कनेक्टेड लोड है, अगर उसमें दस एच पी का कनेक्शन लिया है, आपने डिमाण्ड नोटिस दस एच पी का निकाला, उसने 'एल' फार्म भरकर दिया, दस एच पी की वह मोटर लेकर आता है, तो फिर किस बात की चैकिंग करवा रहे हैं आप? साफ लिखा हुआ है, 'सैंक्शन्ड कनेक्टेड लोड,' यह कमीशन का आर्डर मैं पढ़कर बता रहा हूं, इसको आप कब रोकेंगे? और किसानों पर यह जो आप जुल्म कर रहे हैं, हर रोज रात-दिन अधिकारी, डिस्काम के अधिकारी लोड चैकिंग के नाम पर जाकर, किसानों की नाक में दम कर रखा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई किसान दस हार्स पावर का कनेक्शन ले चुका है तो दस का अगर पन्द्रह हार्स पावर होगा तो उसकी वीसीआर हमको भरनी पड़ेगी। सरकार ने इसको बीस परसेंट तक उसको छूट कर रखी है। उससे पहले हमने जो भी वी सी आर भरीं और जो बीस परसेंट के अन्दर है, उनको वापस हमने रिएम्बर्स कर रखा है, हमने लोगों को वापस, किसानों को वापस बिलों के अन्दर रिएम्बर्स का कर रखा है। अगर दस हार्स पावर की मोटर है, और दस हार्स पावर का कनेक्शन है। और उसके पन्द्रह हार्स पावर का एम्पीयर उठता है, तो निश्चित रूप से हमको वी सी आर भरनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री रामहेत सिंह।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, जो फिक्स चार्जेज हैं, वे बिल के अन्दर आ रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस वक्त हो रहा है, मौजूदा।

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब दिलवा देंगे इस प्रश्न के साथ ही। इसके बाद कोई पूरक प्रश्न नहीं होगा।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिसका जितने पावर का कनेक्शन है, सात का, पांच का, पन्द्रह का, बीस का,

(श्री रामहेत सिंह यादव)

पच्चीस का, आपने क्या कोई जनरल आर्डर जारी कर दिया कि जिसका है तो वह आटोमेटिक ही बढ़ जाएगा? उसका बिल आटोमेटिक, जैसे साढ़े सात का कनेक्शन ले रखा है तो दस का बिल जारी हो गया। बिजली विभाग के अधिकारी से बात करते हैं कि मैंने लोड बढ़वाया नहीं है, मेरा लोड पर्याप्त है, तो वे कहते हैं कि आगे बिलों में एडजस्ट कर देंगे इस राशि को। तो अगर यह बात है तो यह ठीक नहीं है। जो एप्लाई करे, उसी का लोड बढ़ना चाहिए। अलग-अलग परिस्थिति है अलग-अलग इलाके की जहां पांच में मोटर चल जाती है, कई जगह दस की भी नहीं चलती और कई जगह ऐसी हैं जहां पच्चीस का कनेक्शन लेना पड़ता है। लेकिन जहां पर्याप्त पानी है, पांच की पावर का कनेक्शन ले रखा है, उसके पास पांच एच पी की मोटर भी है तो उसको साढ़े सात के लिए या दस के लिए कम्पेल नहीं किया जाए। जो बिल जारी हुए हैं उनको संशोधित कराया जाए। यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आप जवाब दे दीजिए दोनों का। फिर अगला प्रश्न लेंगे।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात की है, अगर वह बीस परसेंट के अन्दर है तो निश्चित रूप से हम उसका रिएम्बर्समेंट करवा लेंगे, जिस पर हम फैसला ले चुके हैं।

जो आपने बात बताई है चित्तौड़गढ़ जिले से भी, अन्य माननीय सदस्यों ने भी बताया है कि पांच होर्स पावर की मोटर का कनेक्शन है और उन्होंने बैठे-बैठे ही साढ़े सात कर लिया है तो मैं उसका परीक्षण करवा रहा हूं और अगर उन्होंने गलत वी सी आर काटी है तो वापस का निस्तारण करवा दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती शिमला बावरी।

ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर क्रमोन्नति से वंचित माध्यमिक विद्यालय

117. श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती शिमला बावरी)

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर क्रमोन्नत होने से वंचित रहे माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार क्रमोन्नत विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी) : (1) जी नहीं। प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रदेश में किसी भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया गया है।

(2) वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा संख्या 153 के अनुसार राज्य की कुल 9,177 ग्राम पंचायतों में से जिन ग्राम पंचायतों में राजकीय/निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, उनमें निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में 5,000 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिया गया है। इस प्रकार, 9,177 ग्राम पंचायतों में से 9,165 ग्राम पंचायतों में राजकीय/निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जा चुके हैं। शेष 12 ग्राम पंचायतों में वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तर का ही विद्यालय स्थापित होने के कारण इनको उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया जा सका है।

(3) जी हां । माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत नव क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 5,000 प्रधानाध्यापकों के पदों को प्रधानाचार्यों के पदों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं शेष पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पद सृजन पश्चात् राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर एवं विभागीय पदोन्नति समिति से पदोन्नति होने पर इन पदों को भरा जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्रीमती शिमला बावरी)

माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि वर्तमान में अभी जो विभाग द्वारा गणित विषय की डी पी सी हुई थी उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर गणित विषय के रिक्त पद होते हुए उन अध्यापकों को मेरे जिले से बाहर लगा दिया गया। ऐसा क्यों? उन्होंने परिवेदना भी की, फिर भी नहीं सुना गया। उन अधिकारियों ने जिले से बाहर उन अध्यापकों को बाहर लगा दिया। क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय विधायक महोदया ने जो प्रश्न पूछा है, साधारणतया अध्यापक का पद जिले का पद होता है; जो सब्जेक्ट टीचर या वरिष्ठ अध्यापक का पद होता है वह मण्डल का होता है, वे विधान सभा क्षेत्र अनुसार नहीं होते हैं। फिर भी हमारी सरकार ने पिछले दिनों में 21,900 पदों को पदस्थापित किया है। जो पिछली सरकार से हमें विरासत में मिला, उसमें 47 परसेंट सब्जेक्ट टीचर के पद खाली थे, जिनको भरकर अब केवल 12 परसेंट पद खाली बचे हैं, जिनको भी हम आगामी दिनों में भरने जा रहे हैं जिससे राजस्थान के अन्दर आगामी सत्र से पहले एक भी विषयाध्यापक का पद खाली नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दो।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से एक प्रश्न और पूछना चाहती हूं। विद्यालयों के अन्दर सैकण्डरी स्कूल व सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में एल डी सी होते हैं, वे कितने पद खाली हैं और बाबू के कितने पद खाली हैं? कृपया उनका जवाब दें।

साथ में, मंत्रीजी, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सैकण्ड्री व सीनियर सैकण्डरी स्कूल के अन्दर बड़ी मुश्किल से 4-4, 5-5 अध्यापक हैं, उनका सारा समय बच्चों को पढ़ाने की बजाय डाक तैयार करना, पोशाक तैयार करना, और छोटे-छोटे अन्य कामों में उनका सारा वक्त खराब हो जाता है। इसलिए एल डी सी और बाबू के कितने पद हैं और वे कब तक भरे जाएंगे? कृपया जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदया ने जो चिन्ता प्रकट की है, वह सही है। हमको विरासत में शिक्षा का पूरा ढांचा चरमराया हुआ मिला, जिसके कारण से यह स्थिति बनी। आजादी के बाद 60 वर्षों के अन्दर उच्च माध्यमिक विद्यालय, केवल 4,400 थे, लेकिन हमारी माननीया यशस्वी मुख्य मंत्री के कारण एक ही

(श्री वासुदेव देवनानी)

वर्ष में हम 5 हजार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक फैसला है।

आपने कहा कि अध्यापकों की कमी है; आपने जैसा वरिष्ठ अध्यापकों के बारे में बताया, लेक्चरर्स के पद खाली हैं। पिछले 5 वर्षों में कोई प्रयत्न नहीं किया गया। स्कूल खोलते गये, स्कूल में बच्चे नहीं हैं, फिर भी अध्यापक वहां रहते रहे। इस कारण से उसका रेशनलाइजेशन किया और रेशनलाइजेशन में हमने 15,057 स्कूलों को एकीकृत करके कक्षा एक से लेकर 12 तक किया। उसके कारण ध्यान में आया कि कक्षा एक से पांचवीं तक बालक जाता था, फिर पांचवीं से आठवीं तक उसको दूसरी स्कूल में जाना पड़ता था, फिर नवीं से बारहवीं तक तीसरे स्कूल में जाना पड़ता था। यह सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया कि हम हर ग्राम पंचायत में कक्षा एक से लेकर बारहवीं तक एक ही स्कूल में बच्चे की व्यवस्था करेंगे। उसमें जहां तक अध्यापकों की बात है, लेक्चरर्स के पदों की, निश्चित रूप से खाली हैं। विषय अध्यापक के बाद लेक्चरर्स के पदों की हमने डी पी सी करानी शुरू की है, इसी महीने के अन्तर्गत 8,400 पदों की डी पी सी हो रही है और 4,010 पद, आर पी एस सी रिजल्ट इसी महीने घोषित कर रही है, इसलिए 12 हजार से अधिक व्याख्याताओं को हम पदस्थापित कर देंगे। बाकी जो कोई पद खाली रहेंगे, उनके लिए भी प्रक्रिया जारी है। एक अप्रैल के बाद जब 2015-16 की डी पी सी करेंगे, उसमें भी बाकी पद भरेंगे। मुझे लगता है कि व्याख्याताओं के पद भी हम काफी हद तक चरणबद्ध ढंग से इसको पूरा कर पाएंगे।

जहां तक आपने एल डी सी और बाकी का कहा, सरकार की प्रायोरिटी है कि पहले शिक्षकों के पद भरे जाय। धीरे-धीरे, शिक्षकों के पद भरने के साथ में इन पदों पर भी हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह ऐतिहासिक है, पहली बार माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इन पदों को भरने की स्वीकृति दी है और हम लगातार...। वरिष्ठ अध्यापक, लेक्चरर, प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं। हालत बिलकुल खस्ता हाल में मिली है, इस महीने के अंत तक हम 1,700 प्रिंसिपल्स की भी डी पी सी करके उनको भी पदस्थापित कर रहे हैं। मैं माननीय विधायक महोदया को एक जानकारी देना चाहूंगा कि 5 हजार जो नये स्कूल क्रमोन्नत किये हैं, उनके लिए 5 हजार प्रिंसिपल के पद भी सृजित कर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री बाबूसिंह। (व्यवधान) हो गया।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां 8 एस एम एक ग्राम पंचायत है, वहां सीनियर स्कूल है, आज वहां धरना चल रहा है। टीचर्स की कमी है। वहां सिर्फ दो ही टीचर हैं।

श्री अध्यक्ष: अब वह पूर्ति कर देंगे।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के ऐतिहासिक फैसले पहले भी होते रहे हैं। उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय भाजपा के शासन में 3,108 शेष रहे पंचायत मुख्यालयों पर कांग्रेस के शासन में दसवीं के स्कूल हो गये। उन सारे पंचायत मुख्यालयों की स्कूलों को आप बारहवीं कर रहे हैं। क्या क्रमोन्नत करने से ही हमारे राजस्थान के बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि जो स्कूलें आप क्रमोन्नत कर रहे हैं, उनमें सारे पद सृजित करके, स्वीकृत करके, पद भरकर, उनको पूरे संसाधन देने के बाद, बच्चों को नामांकित करने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): इससे हमारी शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ये सारे पद भरने के बाद उनको नामांकित करें। ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखते हैं या नहीं? यह बताएं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सत्य है कि केवल क्रमोन्नत होने से शिक्षा का विस्तार और गुणवत्ता नहीं होती। इसीलिए मैंने पहले खण्ड में कहा कि इस बार हम किसी स्कूल को, नये स्कूल को, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय को हम नहीं बनाने जा रहे हैं लेकिन जो हम सैकण्डरी कर रहे हैं इसके लिए पदों के सृजन की व्यवस्था हमने की है। जैसा मैंने कहा कि प्रिंसिपल के पद तो सृजित कर दिये हैं और बाकी के लिए हमने कमेटी बनायी है कि कक्षा एक से बारह तक के स्कूल में कितने पदों की आवश्यकता होगी, उसमें भी नोर्म्स तय किये हैं कि इतने विद्यार्थी होने पर इतने अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक देंगे, इतने थर्ड ग्रेड देंगे, इतने हम फर्स्ट ग्रेड के देंगे, इतने व्याख्याता देंगे। हमने सब तय किया है। वह तय होने पर, अगले जून से पहले हम रेशनलाइजेशन करेंगे और विद्यार्थियों के अनुपात में हम अध्यापकों को जब वहां भेजेंगे तो मुझे लगता है कि हम काफी बड़ी मात्रा में इन कमियों को दूर करने की स्थिति में होंगे।

शैक्षिक व्यवस्था, जैसा माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा, हम चरणबद्ध ढंग से इसको ठीक करने जा रहे हैं। अगले तीन सालों में राजस्थान की शिक्षा

(श्री वासुदेव देवनानी)

का स्तर, देश के पहले 10 राज्यों में हम स्थान प्राप्त करेंगे और शिक्षा का स्तर सुधारेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा। (व्यवधान) नहीं, मैं तीन से ज्यादा नहीं लूंगा। 20 नाम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। शिक्षा पर जब चर्चा हो, तब सब अपने विचार रखना। बाकी मैं असमर्थ हूं। रामलालजी के बाद मानसिंह जी करेंगे। फिर अगला प्रश्न ले लूंगा। रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि आपने 2013-14 के अन्दर जो हैडमास्टर की भर्ती की थी, ट्राइबल बेल्ट में एक परसेंट हैडमास्टर्स की पोस्ट वेकेंट हैं और जयपुर व अलवर जिले के अन्दर 40 परसेंट से अधिक हैडमास्टर्स की पोस्ट वेकेंट हैं, उसके बावजूद भी आपने उन क्षेत्रों के अन्दर यहां के रहने वाले लोगों को लगा दिया। क्या इस असमानता को दूर करने का आप विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्री महोदय, जवाब दीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि हम सारे पदों का विद्यार्थियों के अनुपात में रेशनलाइजेशन कर रहे हैं और जो भी विसंगतियां हैं, इनको निश्चित रूप से दूर करने की हम मंशा रखते हैं और हम दूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री मानसिंह। तीसरा पूरक प्रश्न। (व्यवधान) विराजिए। नहीं, मानसिंहजी के बाद कोई पूरक प्रश्न नहीं होगा।

श्री मान सिंह (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से मेरा अनुरोध है कि सरकार ने जो माध्यमिक स्कूल से उच्च माध्यमिक स्कूल किये हैं, उनमें जहां प्राइवेट स्कूल हैं वहां आपने नहीं किया है। वहां की पंचायत का आदमी यह महसूस कर रहा है कि हमारे साथ में, जो शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए था, वह ठगा महसूस कर रहा है। मेरा अनुरोध है कि सरकार वहां भी सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल करने का श्रम करे। इस पर आपसे अनुरोध चाहता हूं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की पहली प्राथमिकता है कि मेरे हर पंचायत के पढ़ने वाले विद्यार्थी को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो। पहले चरण में हमने जहां पर निजी नहीं हैं, वहां पर प्रारम्भ किये हैं। आगे की प्रक्रिया, जब ये सारे सुव्यवस्थित हो जाएंगे, तब इन पर भी विचार किया जा सकेगा। अभी

(श्री वासुदेव देवनानी)

तो परसों माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में, 718 नवगठित पंचायतें हैं, उनको भी चरणबद्ध रूप से, हम वहां भी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने जा रहे हैं। पहले यह व्यवस्था हो जाय, उसके बाद। पहले मेरे बालक को अवसर तो मिले, इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मानिक चन्द सुराना। अगला प्रश्न। शिक्षा के बजट पर आप सब बोलें। 20-25 नाम रजिस्टर्ड हैं। (व्यवधान) मैं अलाउ नहीं कर सकता। श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): प्रश्न संख्या 118 ।

श्री अध्यक्ष: विराजिए आप। शिक्षा पर बहस हो, तब यह सवाल कीजिए। (व्यवधान) श्री मानिक चन्द सुराना। (व्यवधान) नहीं, नहीं, डिस्टर्ब मत कीजिए। तीन पूरक प्रश्न हो गये। विराजिए। विराजिए। माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक सैकण्ड, सर। एक सैकण्ड, सर। एक सेकण्ड।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। 15-20 मिनट हो गये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा ज्वलंत है।

श्री अध्यक्ष: मैं नहीं दे सकता। कपासन से आने वाले माननीय विधायक, विराजिए। कपासन से आने वाले माननीय विधायक, विराजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अध्यक्ष महोदय, उन बच्चों की फीस कौन देगा? जो गरीब बच्चे उस ग्राम पंचायत में निवास करते हैं उनकी फीस कौन देगा?(व्यवधान) प्रश्न यह है कि उनकी फीस कौन देगा? उन गरीब बच्चों की फीस कौन देगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शिक्षा पर बहस होगी, उस समय सब बातें बोल लेना। मैं अभी अलाउ नहीं करूंगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): उन गरीब बच्चों की फीस कौन देगा? अध्यक्षजी, फीस कौन देगा, यह बताओ आप।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आर टी ई एक्ट में भी सरकार ने 3-3 साल तक बच्चों की फीस...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): उन गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए फीस कौन देगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, अभी अलाउ नहीं करूंगा। आप विराजिये। यह तरीका ठीक नहीं है। आप विराजिये। (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): उन गरीब बच्चों की फीस का प्रश्न है कि उनकी फीस कौन देगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय चिकित्सा मंत्रीजी। आप बैठिये। मैं जवाब नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। आप बैठिये। (व्यवधान) मिस्टर न्यांगली, बैठिये आप। (व्यवधान) यह तरीका ठीक नहीं है। तीन पूरक प्रश्न हो गये। आप बैठिये, यह तरीका ठीक नहीं है। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है। मैं कह रहा हूं कि आप बैठिये। माननीय मंत्री महोदय।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूलों में हालत खराब है। आप देखिये कि कितना जबरदस्त असंतोष माननीय सदस्यों में है। मंत्रीजी का संतोषजनक जवाब आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, शिक्षा पर बहस होगी, उस समय यह सब बोल लेंगे और उस समय विस्तार से जवाब आ जाएगा। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ...तब भी जवाब स्पेसिफिक नहीं आएगा। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अध्यक्ष महोदय, उन गरीब बच्चों का क्या होगा? उन गरीब बच्चों की फीस के मैटर का क्या होगा? उन गरीब बच्चों की फीस कौन दिलायेगा?

श्री अध्यक्ष: नहीं, जवाब देने की जरूरत नहीं है। श्री मानिक चन्द सुराना।

प्रदेश में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्य योजना

118. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा करीब तीन माह पूर्व प्रदेश में 74 हजार रिक्त पदों पर वाक-इन-इन्टरव्यू से चार माह के भीतर भर्ती की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक कितनी भर्तियां की गई हैं? पदवार व जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि घोषणा के अनुसार अब तक अत्यधिक कम भर्तियां की गई हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, (1) जी नहीं। चिकित्सा महाविद्यालयों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में अर्जेंट टेम्परेरी आधार पर नियत मानदेय पर दी गई नियुक्तियों की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

चिकित्सा विभाग द्वारा अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर वाक-इन-इंटरव्यू से दिनांक 16 फरवरी, 2015 तक 366 चिकित्सकों को नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

चिकित्सा विभाग के द्वारा अराजपत्रित संवर्ग के पदों की पिछले चार माह में अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर वाक-इन-इन्टरव्यू से किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं की गई है।

(2) विभाग द्वारा अर्जेंट टेम्परेरी आधार पर नियत मानदेय पर 121 सहायक आचार्य, 145 वरिष्ठ प्रदर्शक, 366 चिकित्सक, 3 बायोकेमिस्ट एवं 3,150 नर्स ग्रेड-द्वितीय को नियुक्तियां दी गई हैं। एस एम एस चिकित्सालय, जयपुर में विजिट बेसिस पर 18 लैब टेक्निशियन एवं 13 रेडियोग्राफर लगाये गये हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के संघटक कालेजों में 5 आचार्य, 6 सीनियर रेजिडेंट एवं 12 जूनियर रेजिडेंट आवश्यक अस्थायी आधार पर लगाये गये हैं।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के माध्यम से 1,115 चिकित्सा अधिकारी एवं 80 चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के पदों पर नियमित नियुक्तियां दी गई हैं। विभाग में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों को भरने हेतु जारी विज्ञप्ति में अभ्यर्थियों को बोनस अंक देने के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका दिनांक 5 जनवरी, 2015 को राज्य सरकार द्वारा विथड्रा की जा चुकी है। रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूचना व सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक, मानिकजी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ये कुल वैकेंसीज जो अभी आपने अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर भरी हैं, उनकी संख्या साढ़े चार हजार से ऊपर नहीं है। राजस्थान में आपने कुछ डाक्टर्स को नियमित नियुक्तियां दी हैं, कुछ ए.एन.एम्स. की जो भर्ती की है, उसके लिए आपने यह कहा है कि उनको

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मेरिट के आधार पर लगाया गया है। ए.एन.एम्स. को जो मेरिट के आधार पर चयनित किया गया है तो फिर आपने उनको नियमित नियुक्ति क्यों नहीं दी है? उनको मेरिट के आधार पर चयनित होते हुए भी खाली टेम्परेरी नियुक्ति क्यों दी गई है? मेरा पहला प्रश्न यह है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं और रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने अलग-अलग अवसर पर अपनी मंशा भी जाहिर की है। अध्यक्ष महोदय, इस वक्त हमारे सीनियर स्पेशलिस्ट से लेकर अगर चिकित्सा अधिकारी तक की वैकेंसी की मैं बात करूं तो लगभग 30 प्रतिशत पद, 3034 पद रिक्त हैं। हमारे मेडिकल साइड में असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर तक की यदि मैं बात करूं, तो 2,240 पद, लगभग 43 प्रतिशत पद रिक्त हैं। अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर जो पैरा-मेडिकल हैं, जिनका जिक्र आपने किया, उनमें निश्चित तौर पर इस वक्त 31686 पद रिक्त हैं।

अध्यक्ष महोदय, इन रिक्त पदों को भरने के लिए पूर्व में एक विज्ञप्ति जारी की गई थी 26.2.2013 और 1.7.2013 को। इन 46,020 पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई और ये सारी प्रक्रियाएं राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के नियम 19 के अन्तर्गत की गईं, जिनमें बोनस अंक का भी प्रावधान रखा गया। एक वर्ष के लिए 10 अंक, 2 वर्ष के लिए 20 अंक और 3 वर्ष के लिए 30 अंक का प्रावधान रखा गया। इनके विरुद्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर हुई और उस रिट याचिका को सिंगल बेंच ने 2.9.2013 को लार्जर बेंच को रेफर कर दिया। लार्चर बेंच ने 25.9.2013 को एक फैसला दिया कि बोनस अंक एक वर्ष के दस, दो वर्ष के बीस और तीन वर्ष के तीस देना अवैधानिक हैं और इनको अधिकतम 15 दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह सब चिंता व्यक्त की गई और जब हमारी सरकार आई, तब हमने इसको विथड्रा करने के लिए 22.8.2014 को जो एस एल पी पिछली सरकार ने दायर की थी, उसके पीछे मंशा क्या रही होगी, वह होगी कि एक सब्जबाग दिखा दें कि हमने इतनी वैकेंसी निकाल दीं, भर्ती कर रहे हैं, हमने एस एल पी दायर कर दी, एस एल पी दायर होते ही ये सारी वैकेंसी रूक गयीं; हमने विशेष अनुमति याचिका करके सुप्रीम कोर्ट से अनुमति ली। हमने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह 22.8.2014 को दायर की थी जिसकी हमें 5.1.2015 को अनुमति मिली है। अध्यक्ष महोदय, उसके अन्तर्गत हमने यह सारी भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है।

आप जो यह कह रहे हैं कि जिन नर्सिंग कर्मियों को हमने मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी, तो मेरिट के आधार पर जिनको नियुक्ति दी है उनका प्रोबेशन पीरियड पूरा होते ही स्थायीकरण होगा। ये वाक-इन-इंटरव्यू से नहीं हुए; इनकी एप्लीकेशंस, पहले ये एस एम एस मेडिकल कालेज में हुए हैं, जिनकी पहले एप्लीकेशंस इन्वाइट की जा चुकी थी, विज्ञप्ति जारी की जा चुकी थी, उसके आधार पर इन सब लोगों की नियुक्ति हुई है और इनका ज्यों ही प्रोबेशन पीरियड पूरा होगा, ये सारी नियुक्तियां नियमित नियुक्तियों में सम्मिलित हो जाएंगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्षजी, ए.एन.एम्स. के बारे में आपने कहा कि इनका प्रोबेशन पीरियड पूरा होने पर इनकी नियमित नियुक्तियां दे दी जाएंगी। मेरा प्रश्न यह है कि चाहे आपने सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. वापस ले ली है, डी.बी. के निर्णय के अनुसार जो भी वैकेंसीज हैं और जिनमें आपने पहले टेम्परेरी अपाइंटमेंट किये हैं, उनमें कितनी तो वैकेंसीज हैं मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की, वह अलग-अलग बतायें और उनकी नियमित नियुक्तियों में इस सरकार को कितना वक्त लगेगा और उनकी प्रक्रिया आप कब से शुरू करेंगे? इस बात का सदन को संतोषप्रद जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पैरा, मेडिकल में नर्स ग्रेड फर्स्ट से लेकर नर्सिंग ट्यूटर तक, इन सब संवर्गों का नाम लूंगा तो लम्बा समय लगेगा, कुल 31,686 वैकेंसीज इस वक्त हैं। इन वैकेंसीज में, इनकी भर्ती करने के लिए 10,265 को तो डी.पी.सी. के द्वारा जो डी.पी.सी. पूरी की है, उसमें 30.4.2015 तक डी.पी.सी. करके जो पदोन्नति से भरे जाने वाले पद हैं, जिनमें नर्सिंग अधीक्षक फर्स्ट, नर्सिंग अधीक्षक सेकण्ड, नर्स फर्स्ट, एल.एच.वी., सीनियर रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर और सीनियर लैब टेक्निशियन, इनकी डी.पी.सी. का काम हमने पूरा कर लिया है और इन पदों को हम 30.4.2015 तक भर देंगे। अध्यक्ष महोदय, इनके अलावा जो 20,082 पद हैं, इनकी चयन सूची हमने तैयार कर ली है और इन सभी पदों को 24

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मार्च, मैं स्पेसिफिक तारीख बता रहा हूं, यह पहले कभी हुआ नहीं, लम्बे समय तक पद रिक्त रहे; माननीय सदस्य, आपको धन्यवाद देना चाहिए कि हम 24 मार्च तक इन 20,082 पदों पर नियुक्ति पूरी कर लेंगे। इस प्रकार, हम आने वाले दो महीने के अन्दर, जहां 24 मार्च तक तो हम 20,082 पदों को भर लेंगे, डी.पी.सी. वाले हम कर ही रहे हैं, तो हम 30,347 पदों पर नियमित भर्ती जो पिछले पांच वर्ष से रुकी हुई थी, इस भर्ती की प्रक्रिया को प्रारम्भ करके, हम आने वाले 24 मार्च तक तो 20,082 पदों पर और आगामी दो महीनों में इन सारी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा कर लेंगे।

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं में जिस प्रकार का विस्तार किया गया है और विस्तार भी आनन-फानन में सिर्फ एक वर्ष में, पिछला वर्ष चुनावी वर्ष जब था, उस समय इतना विस्तार कर गये और उसके बाद पदों का सृजन नहीं हुआ। अगर पदों का सृजन हुआ तो वह न्यायालय के परिवीक्षण में आ गया। अब हम उन सारी चीजों को, हमने एस एल पी वापस की है, हम इसको समय पर निश्चित तौर पर पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब तक जो डाक्टर्स की नियुक्ति की बात थी, माननीय सदस्य भी काफी चिंतित हैं, हमने कुल मिलाकर 1,115 हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के माध्यम से स्थायी नियुक्तियां दी हैं। और अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य यह है कि अब यह सेवा का क्षेत्र नहीं रहा, व्यवसाय का क्षेत्र हो गया है, आज इनमें से सिर्फ 533 लोगों ने जोइन किया है, परन्तु फिर भी हम इसी महीने के अन्दर-अन्दर इन 1,015 पदों पर नियमित नियुक्तियां दे रहे हैं। कई जगह पर कई स्थान रिक्त हैं, उनको पूरा करेंगे। हमने 80 डेंटल डाक्टर्स की नियुक्तियां दे दी हैं और अर्जेन्ट टेम्परेरी के आधार पर हमने 121 असिस्टेंट प्रोफेसर और 145 सीनियर डेमोंस्टट्रेर और मेडिकल कालेज के अन्दर 3,150 नर्स ग्रेड सेकण्ड की भर्ती हमने कर ली है। हम इन सारी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे।

इसीलिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने मेडिकल क्षेत्र के लिए इस बार हमें कहा कि यह कंसोलिडेशन का वर्ष है। इस वितीय वर्ष में जो संस्थाएं पहले खुली हैं, उनको कंसोलिडेट करके और उनमें पदों का सृजन करके, उनको फंक्शनल बनाने का काम इस बार विभाग करेगा। अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो ए एन एम और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती होती है, इसमें जिन जिलों की लिट्रेसी कम है, जैसे शिक्षा विभाग में ये डार्क जोन जिले हैं, वहां पर भर्ती होने वाले अध्यापकों को वापस बाहर उनके गृह जिलों में जाने के लिए पाबंदी है, वैसे ही नर्सिंग स्टाफ में, आज आप हमारे यहां लगा देते हैं क्योंकि हमारे जालौर जिले के लोग नहीं हैं, पूरे उत्तर राजस्थान से आते हैं, अब आते ही, एक साल होते ही, परमानेंट होते ही वापस कोई सिफारिश करवाकर चले जाते हैं। जालौर जिला ऐसा का ऐसा खाली रहता है। इसलिए नर्सिंग स्टाफ की भर्ती के लिए कम से कम आठ वर्ष या दस वर्ष, आप उनको बाउंड करने की मंशा रखते हैं क्या जिससे जिन जिलों की लिट्रेसी कम है, जिन जिलों में स्टाफ कम है, उनमें रह सकें?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भर्ती प्रक्रिया में निश्चित तौर पर यह प्रयास किया जा रहा है, जिन पदों में ज्यादा पद रिक्त हैं, उन पदों को उसी अनुपात में; अध्यक्ष महोदय, इस बार जो भर्ती हुई है, हो क्या रहा है कि भर्ती होने के पश्चात् भी, चूंकि निजी क्षेत्र में चिकित्सा संस्थान खुले हैं, अगर इनको वांछित, अपनी इच्छानुसार जगह नहीं मिलती है तो ये फिर उस नौकरी को छोड़कर निजी क्षेत्र में, जहां इनको सैलेरी ठीक-ठाक मिलती है, वहां चले जाते हैं। हमने कोशिश की है, हमने हरेक से विकल्प लिया है, आनलाइन विकल्प ले रहे हैं, तीन-तीन विकल्प वे बतायें, उन विकल्पों के अनुसार हम नियुक्ति देने का काम कर रहे हैं। पर फिर भी माननीय सदस्य ने जो चिंता की है, निश्चित तौर पर उस चिंता के अनुसार हम काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, चूंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारे स्पेशलिस्ट पदों की रिक्तियां हैं, हम उनको भी भरने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। डा. फूलचन्द भिण्डा। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यहां पर डाक्टर किरोड़ी लालजी बैठे हैं, क्या उनको भी नियुक्ति देंगे चिकित्सा मंत्रीजी?

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। आप डाक्टर हैं, मैं आपको अवसर दूंगा। पहले मैंने उनको पुकार लिया है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मेरे जैसों को भी नियुक्ति मिल जायेगी क्या?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी डी पी सी की बात कही गई, एक रोज अख़बार में छपा कि 4,510 फर्स्ट ग्रेड नर्स लगाये जा रहे हैं, पदोन्नत किये जा रहे हैं और उसमें डी पी सी तत्काल की गई चार मार्च को और उसमें नीचे लिख दिया गया, 4,500 में से 1,900 को डेफर किया जाता है क्योंकि उनकी ए सी आर नहीं हैं, और वह भी आठ साल की ए सी आर नहीं हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि 250 के लगभग तो ब्लाक सी एम एच ओ हैं और 33 से भी ज्यादा सी एम एच ओ हैं और पर्सनल डिपार्टमेंट हैं, डिप्टी डाइरेक्टर हैं, जोइंट डाइरेक्टर हैं। ये आठ साल की एसीआर नहीं मंगवा सके। आज जब प्रमोशन का मौका आया तो उनको यह कहकर डेफर किया जाता है। एक मिलीभगत से जो वर्षों से वहां बैठे हैं, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या उनकी इन्क्वायरी करेंगे; दोषी अधिकारी जो हैं, उनको नोटिस देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? 1,900 लोगों को डेफर किया गया है। क्या व्यवस्था सुधरेगी। डिपार्टमेंट तहस-नहस हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: मैं जवाब दिलवा रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय, जवाब दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि नर्स ग्रेड प्रथम के ही पदोन्नति के अन्दर 1,910 ऐसे मामले डेफर हुए, जिनकी ए सी आर नहीं आईं। अब अध्यक्ष महोदय, मैंने विभाग को निर्देश दिये हैं कि जितने भी डेफर्ड प्रकरण हैं, इनके संतोषप्रद सेवा का प्रमाण पत्र मंगाया जा रहा है और 31 मार्च तक, पहले-पहले इन सबका हम निस्तारण कर देंगे। इनमें 40 के खिलाफ विभागीय जांच थीं, उनको अलग रखते हुए बाकी सब का करेंगे और इसमें जो बैकलोग भी बचा है, उसकी भी शिकायत आई है, उसको भी हम निश्चित तौर पर पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, विभाग ने इन चिकित्सकों की और विशेष तौर पर विशेषज्ञों की भर्ती के लिए हमने वन यीआर पी जी सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ किया है और अभी हमने इसके लिए 267 चिकित्सक, जो राजकीय सेवा में हैं, इनको 10 वर्ष फेसेलिटी जिनके अन्दर हमारे 335 पद रिक्त हैं, जिनमें एनेस्थेसिया, गायनोकोलोजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, आर्थोनोलोजी, आर्थोपेडिक्स सर्जरी, रेडियोलोजी, ई एन टी, पैथोलोजी, और मेडिसन। ये पद ऐसे हैं, 1,400 से ज्यादा जे एस के पद खाली हैं, 200 एसएस के पद खाली हैं। हम ये लायें कहां से? इसलिए विभाग ने पहली बार एक अभिनव प्रयोग चालू किया है, इन-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सर्विस डाक्टर्स को हमने यह मौका दिया, उनको वन यीअर पी जी सर्टिफिकेट कोर्स हम करवायेंगे राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा, उनको एक इन्क्रीमेंट देंगे और इसके अन्दर हमें अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं।

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, पहली बार चूंकि सरकारी मेडिकल कालेज में एक छात्र भर्ती होता है और जब वह बाहर निकलता है, एक सरकारी मेडिकल कालेज में एक छात्र पर सरकार का 22-23 लाख रुपये खर्च होता है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने बांड भराने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की है। एम बी बी एस में जो छात्र प्रवेश लेगा, उसको सरकारी सेवा दो वर्ष तक करनी पड़ेगी, वरना पांच लाख रुपये का बांड भरेगा, जिसको हम जब्त करेंगे; जो पी जी करेगा, उसको पांच वर्ष तक सरकारी सेवा करनी पड़ेगी और 15 लाख रुपये का उससे बांड भरवायेंगे; और इन-सर्विस डाक्टर पीजी करते हैं और जो पीजी करने के बाद चले जाते हैं, उनसे भी हम 50 लाख रुपये का बांड ले रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यह सारा हो।

अध्यक्ष महोदय, हमारे जो हाई प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें हमारे 13 जिले हैं, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, डूंगरपुर, राजसमन्द, उदयपुर, बांसवाड़ा, करौली, धौलपुर, बूंदी, बारां, सिरोही और प्रतापगढ़, इनमें पहली बार जो चिकित्सक काम करेगा, उसको उसकी सैलेरी के अलावा, जो हमारा चिकित्साधिकारी हैं, उसको 25,000 से लेकर 12,500 रुपये तक अतिरिक्त पैसा, वेतन का प्रति माह देने का भी हमने प्रारम्भ किया है और जो विशेषज्ञ हैं, उनको 30,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक, अलग-अलग श्रेणी इसमें हैं। पैरा-मेडिकल स्टाफ को भी हमने किया है। यह इंसेंटिव देकर, हमारे जो माननीय सदस्य चिंता कर रहे हैं कि हमारे जिलों के अन्दर कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें चिकित्सक और पैरा-मेडिकल स्टाफ जाता नहीं है, उनमें उनको प्रति माह, वेतन के अलावा, सरकार यह अतिरिक्त पैसा देगी ताकि उनका ठहराव सुनिश्चित हो।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री छोटू सिंह।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जैसलमेर, सीमावर्ती क्षेत्र से हूं, निवेदन यह करना चाहता हूं कि अभी 15 डाक्टर्स का अपाइंटमेंट आया और उनमें से केवल दो डाक्टर्स ने जोइन किया है और डेट भी उनकी खतम हो गयी है। तो क्या मंत्रीजी जिन डाक्टर्स ने जोइन नहीं किया है, उनको बाध्य करेंगे? उसके साथ में दूसरा और निवेदन है कि 70

(श्री छोटू सिंह)

प्रतिशत फीमेल और मेल के नर्सेज के पद खाली हैं और जैसलमेर जिले के अन्दर, सीमावर्ती क्षेत्र में ऐसे लोग रहना नहीं चाहते हैं। क्या उनको अलग से बोर्डर अलाउंस देकर वहां रहने के लिए बाध्य करेंगे या नहीं करेंगे? इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्री महोदय। नहीं, अब तीन हो चुके हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिला हमारे उन 13 जिलों में है जहां हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ठहराव की है। जैसलमेर जिले में जो भी चिकित्साधिकारी जायेगा, उसको उसके वेतन के अलावा, उसमें हमने अलग-अलग तीन कैटेगरी बनाई हैं, बी-3, बी-2 और बी-1, जो ज्यादा दूर है, जहां आधारभूत संरचनाएं कम हैं, उनको बी-3 में लिया है। जो शहर के नजदीक हैं, उनको बी-2 में; और जो शहर की पेरिफरी में हैं उनको बी-1 में लिया है। तो, अध्यक्ष महोदय, हमने इन चिकित्सकों को 25,000 रुपया प्रति महीने अलग देने का तय किया है, पैरा मेडिकल स्टाफ को 10,000 रुपये, ए एन एम को 5,000 रुपये। यह सारा इसलिए किया है कि उनका ठहराव हो जाये। जिन चिकित्सकों को हमने नियुक्ति दी है और जिन चिकित्सकों ने नियुक्ति नहीं ली है, उनकी सेवाएं हम समाप्त करेंगे। उनके नीचे की मेरिट लिस्ट वालों को हम मौका देकर जोइन करवायेंगे।

पूरा प्रयास है। अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बस की नहीं रहती हैं। अब क्या करें? अध्यक्ष महोदय, चिकित्सक आज निजी क्षेत्र के अन्दर ज्यादा भाग रहा है, उसके सामने सिवाय व्यवसाय के दूसरा नहीं बचा, पर फिर भी हम इंसेंटिव की स्कीम को चालू कर रहे हैं। हमने वन यीअर पी जी सर्टिफिकेट कोर्स चालू किया है, हमन बांड भराना चालू कर रहे हैं ताकि चिकित्सकों का ठहराव भी रहे और हमें चिकित्सक भी मिलें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संदीप शर्मा।

शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट हाकर्स के लिए स्थान आरक्षित करने की योजना

119. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पटरी वालों, रेहड़ी वाले एवं स्ट्रीट

(श्री संदीप शर्मा)

हाकर्स को संरक्षित करने के उद्देश्य से स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू किया गया था? यदि हां, तो उक्त एक्ट के अन्तर्गत बनाये गये नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार स्ट्रीट हाकर्स को संरक्षित करने के लिए शहरों में स्थान आरक्षित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राजपाल सिंह शेखावत): (1) जी हां। राज्य में दी राजस्थान अरबन स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन आफ लाइवलीहुड एंड रेग्यूलेशन आफ स्ट्रीट वेंडिंग) अधिनियम, 2011 दिनांक 1.4.2012 से लागू किया था। उक्त अधिनियम के तहत नियम नहीं बनाये गये हैं।

(2) जी हां। दी राजस्थान अरबन स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन आफ लाइवलीहुड एंड रेग्यूलेशन आफ स्ट्रीट वेंडिंग) अधिनियम, 2011 की धारा 4 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक नगरीय निकाय में नगर विक्रय समिति (टाउन वेंडिंग कमेटी) गठन हेतु आदेश दिनांक 21.8.2014 जारी किये गये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। अब भारत सरकार द्वारा दी राजस्थान अरबन स्ट्रीट वेंड (प्रोटेक्शन आफ लाइवलीहुड एंड रेग्यूलेशन आफ स्ट्रीट वेंडिंग) अधिनियम, 2014 लाया गया है। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारों के लिए माडल नियम बनाने की अग्रिम कार्यवाही शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत सभी जिला मुख्यालयों एवं एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल 40 शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे किया जाकर, आन-लाइन फीडिंग कर, स्ट्रीट वेंडर्स को बसाने हेतु योजना (वेंडिंग प्लान) बनाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न एक।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, क्या सरकार दी राजस्थान अरबन स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम, 2011 के तहत शीघ्र नियम बनाकर इसे प्रभावी रूप से लागू करने की मंशा रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

माननीय अध्यक्ष महोदय, दी राजस्थान अरबन स्ट्रीट वेंडर्स

(श्री संदीप शर्मा)
अधिनियम, 2011 की धारा 4 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक नगरीय निकाय में नगर विक्रय समिति के गठन हेतु आदेश जारी किये गये थे। इसकी अनुपालना में किन-किन निकायों में नगर विक्रय समिति का गठन किया जा चुका है? इस अधिनियम के तहत क्या व्यवसायों के रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारम्भ हो चुका है? यदि हां, तो कोटा शहर में अब तक कितने व्यवसायों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय। आप विराजिए, पहले पूरक प्रश्न का जवाब आने दो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दरअसल 2009 में एक टाउन वेंडिंग पालिसी बनी थी, उससे पहले वेंडिंग के बारे में किसी प्रकार की कोई नीति नहीं थी, कोई कानून नहीं था। 2011 में राजस्थान में एक्ट आया जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं और यह 01.04.2012 से एनफोर्स हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अधिनियम के तहत टाउन वेंडिंग कमेटियां बननी चाहिए थीं लेकिन दुर्भाग्य से नहीं बनीं। टाउन वेंडिंग कमेटियां इसलिए नहीं बन पाईं कि टाउन वेंडिंग कमेटी के अन्दर कलेक्टर्स के दो नोमिनी होते हैं। सरकार ने दो-तीन बार लिखा कलेक्टर्स को कि नोमिनी बनाएं जाएं लेकिन उन्होंने नोमिनी का नाम नहीं भेजा। इसीलिए गत सरकार के अन्दर वेंडिंग कमेटी का कांस्टिट्यूशन हो नहीं पाया।

आपने कहा कि नियम क्यों नहीं बने? नियम इसलिए नहीं बने, इसी अधिनियम की धारा 24 में टाउन वेंडिंग कमेटी के परामर्श से नियम बनाये जाने का प्रावधान है, जब टाउन वेंडिंग कमेटी बनी ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उसके परामर्श से नियम बनने का सवाल उठता ही नहीं था। इसलिए गत राज में केवल अधिनियम आया; अधिनियम के तहत न तो टाउन वेंडिंग कमेटियां बनीं और टाउन वेंडिंग कमेटियां नहीं बनीं, इसलिए नियम नहीं बन पाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में है। 2011-12 में जब यह कानून लागू हुआ, उसके बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और निर्णय में डायरेक्शन दिया सेन्ट्रल गवर्नमेंट को कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उन्हें कानून लाना चाहिए। हमने तो उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तुरन्त बाद ही, जिसकी चर्चा आपने की है, इस टाउन वेंडिंग कमेटी के कांस्टिट्यूट करने के लिए लिख दिया, लेकिन 2014 में दिल्ली सरकार का अधिनियम आ

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

गया और दिल्ली सरकार के अधिनियम में इन-बिल्ट है कि नियम बनाएंगे, वे खुद नियम बनाएंगे और उन्हीं के जो माडल नियम हैं उन माडल नियम के आधार पर उन्हीं माडल नियमों को हम स्टेट के अन्दर लागू करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस एक्ट के तहत माडल नियम बनाने के लिए इंडिया इंस्टिट्यूट आफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को उन्होंने यह काम दिया। उन्होंने अभी ड्राफ्ट माडल कानून बनाकर राजस्थान सरकार को भेजे हैं और 24 फरवरी, 2015 को हमें प्राप्त हुआ है। हमसे सजेशन मांगे गए हैं और हम इस हफ़्ते में ही सजेशन दे देंगे और सजेशन देने के बाद जो माडल एक्ट दिल्ली की सरकार लागू करेगी। वह राज्य सरकार को भेजेगी और निश्चित रूप से राजस्थान के अन्दर माडल एक्ट लागू कर देंगे।

लेकिन इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत हमने इस दिशा में काम किया है। उसका हमने इंतजार नहीं किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की सरकार का माडल एक्ट आएगा, माडल नियम बनकर के आएंगे, माडल नियम बनने के बाद राजस्थान की सरकार जगेगी, काम करेगी, हमने ऐसा नहीं किया। हमने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जिसके अन्दर यह कहा गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने वेंडर्स का सर्वे करना राजस्थान में शुरू कर दिया है। वेंडर्स के सर्वे करने के लिए हमने रिक्वेस्ट-फोर-प्रपोजल जारी किये। राजस्थान के अन्दर जितने भी एक लाख और एक लाख से बड़े शहर हैं उन सारे शहरों के लिए हमने रिक्वेस्ट-फोर-प्रपोजल जारी कर दिये। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि 40 शहरों में से 22 की रिक्वेस्ट-फोर-प्रपोजल्स आ चुके हैं और बाकी बचे हुए जितने शहर हैं उनके लिए 26 मार्च तक सारे रिक्वेस्ट-फोर-प्रपोजल आ जाएंगे। और रिक्वेस्ट-फोर-प्रपोजल आ जाने के बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सर्वे के माध्यम से जिसकी निविदाएं हमने आमंत्रित की हैं, 28 शहरों की निविदाएं कल तक आ चुकी हैं, उनका प्रोसेस करने के बाद हम एक सर्वे करेंगे जिसमें वेंडर्स का सोशल इकोनोमिक सर्वे करेंगे। उनकी सोशल इकोनोमिक कंडीशन कैसी है, उनका हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे; उनको हम बायोमेट्रिक्स आई डी कार्डस देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके साथ ही आनलाइन सारों की डैटा एन्ट्री करने वाले हैं। इस प्रकार से काम्प्रीहेंसिव हम वेंडर्स का सिटी लेवल का प्लान तैयार करेंगे। उसके बाद यह तय किया जाएगा कमेटी के द्वारा और इस कानून के नियम के तहत, जो दिल्ली में कानून बनकर आएंगे, कि कौन से तो वेंडर्स के रेस्ट्रिक्टेड एरिया होने

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

चाहिए और कहां पर रेस्ट्रिक्शन-फ्री वेंडर्स जोन होने चाहिए और कहां पर पार्शली रेस्ट्रिक्टेड जोन होने चाहिए।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह सर्वे का काम पूरा होने के साथ ही और इसी बीच में ये नियम बनकर आ जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान एक माडल स्टेट के रूप में सामने आएगा, जब वेंडर्स के स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड एरिया, नान-रेस्ट्रिक्टेड एरिया, पार्शली रेस्ट्रिक्टेड एरिया होगा। इस प्रकार की कार्यवाही हम शुरू कर चुके हैं और बहुत जल्दी इस कार्यवाही को हम पूरा कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दो। आप करना चाहते हैं? नहीं। श्री प्रतापसिंह, पूरक प्रश्न।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि अक्सर शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जहां पर भी उनको जगह मिल जाती है, वहां पर खड़े हो जाते हैं, या पटरी पर अपना सामान बिछाकर दुकानदारी चालू कर देते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि पुलिस और नगर निगम या नगरपालिका उनको वहां से हटा देती है। हटाने के बाद, वे आनन-फानन में पुलिस को देखकर या नगर निगम के या नगरपालिका के दस्ते को देखकर इधर-उधर भागते हैं और उनके सामान का काफी नुकसान होता है। इसलिए मेरा माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन है कि जब तक यह कानून नहीं बन जाता है, इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर देते, तब तक वे स्ट्रीट वेंडर्स वहीं पर बैठे रहें, उनकी रोजी-रोटी का इंतजाम होता रहे और वे अपना कमाकर अपने परिवार को पालते रहें, इसलिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, यह सुझाव है, आप इसका जवाब देंगे? अगला प्रश्न और ले लें क्या, संजना आगरी का? इसलिए आप जल्दी जवाब दे दें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सुझाव है, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समस्या की ओर इन्होंने ध्यान इंगित किया है, वही सबसे बड़ा कारण बना है इस वेंडिंग के मामले में अधिनियम लाने का। वेंडर्स कई प्रकार के हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई कियोस्क लगाकर बैठा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही इस समस्या का निदान हो जाएगा। जिन समस्याओं की चर्चा आपने की है, उन समस्याओं के निदान के लिए उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती संजना आगरी।

आशा सहयोगिनी/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की कार्य योजना

120. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कितनी आशा सहयोगिनी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं? आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आशा सहयोगिनियों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के गत दो वर्ष से मानदेय (वेतन) बकाया हैं? यदि हां, तो किस-किसका? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बकाया मानदेय (वेतन) का भुगतान करने व मानदेय में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती अनिता भदेल) : (1) विधान सभा क्षेत्र, सोजत के अन्तर्गत आने वाली परियोजना, सोजत सिटी, रायपुर में 253 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 241 पद आशा सहयोगिनी के स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध 249 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 226 आशा सहयोगिनी कार्यरत हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी का आंगनबाड़ीवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सोजत की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी का मानदेय दो वर्षों से बकाया नहीं है। सोजत विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली परियोजना सोजत सिटी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय का भुगतान माह जनवरी, 2015 तक का उनके बैंक खाते में जमा करवाया जा चुका है एवं माह फरवरी, 2015 के मानदेय बिल तैयार कर कोषालय में भिजवाने की कार्यवाही जारी है। आशा सहयोगिनी का मानदेय माह नवम्बर, 2014 तक का मानदेय उनके खाते में जमा करवा दिया गया है एवं माह दिसम्बर 2014, जनवरी 2015 एवं फरवरी 2015 के मानदेय बिल तैयार कर कोषालय हेतु भिजवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सोजत विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना रायपुर में माह दिसम्बर, 2014 तक का मानदेय (वेतन) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी

(श्रीमती अनिता भदेल)

के बचत खाते में जमा करवा दिया गया है। माह जनवरी, 2015 के मानदेय के बिल कोषालय भिजवाये जा चुके हैं। माह फरवरी, 2015 के बिल बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) सोजत विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली परियोजना, सोजत सिटी में माह दिसम्बर, 2014 तक मानदेय का भुगतान किया जा चुका है।

सोजत विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली परियोजना रायपुर में माह दिसम्बर, 2014 तक का मानदेय जमा करवा दिया गया है।

राज्य स्तर पर वर्तमान में मानदेय बढोत्तरी का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मानदेय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। क्वेश्चन आवर समाप्त। आ गया उनका जवाब।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है:-

म. रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से राज्य में किसानों पर तकनीक का बोझ लादने तथा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री रणधीर सिंह भीण्डर को अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से जिला जोधपुर में आवारा व पागल कुत्तों द्वारा व्यक्तियों को काटने की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा वर्ष 2013 में आयोजित कांस्टेबल खनिज संरक्षण बल की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन शीघ्रातिशीघ्र करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से भीम के ए आर टी ओ कार्यालय को आर टी ओ कार्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री नवनीत लाल, सदस्य की ओर से जिला प्रतापगढ़ की तहसील पीपलखूंट के कतिपय गांवों को लिफ्ट द्वारा पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के राजपुरा गांव स्थित श्री सुन्धा माता मंदिर को पर्यटन नक्शे में शामिल करने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती अलका सिंह, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई शहर के स्ववित्त-पोषित महिला महाविद्यालय को सरकारी महाविद्यालय बनाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से जिला मुख्यालय बाड़मेर में बने केन्द्रीय बस स्टैंड से बसों का संचालन करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के रूपनगर उपखण्ड की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती अमृता मेघवाल, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र जालौर के राजकीय महिला महाविद्यालय में भूगोल संकाय प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ऐतिहासिक दुर्ग अण किलो का जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(11) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के बत्तीसा नाले का पानी गुजरात जाने से रोकने के लिए विशेष योजना बनाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री विद्याशंकर नन्दवाना, सदस्य की ओर से हाड़ौती सम्भाग में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देय बोनस राशि दो सौ रुपये प्रति क्विंटल करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

आज दिनांक 11 मार्च, 2015 को शून्य काल में बोलने हेतु 26 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं जो निम्नलिखित हैं:-

(1) श्री कैलाश भंसाली- जोधपुर नगर निगम एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण की खराब आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में। वैसे इस बारे में जोगाराम जी बहुत पर्याप्त बोल चुके हैं, फिर भी उनको समय दूंगा;

(2) श्री सुशील कटारा- पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए जन-प्रतिनिधियों को बजट एवं अधिकार देने के सम्बन्ध में;

(3) श्री राजेन्द्र सिंह भादू- सूरतगढ़ राजस्व तहसील व आस-पास के क्षेत्र में सेम की समस्या के सम्बन्ध में; एवं

(4) श्री शंकर सिंह- ब्यावर में बन रहे फोर-लेन रोड की पुलिया जालिया-प्रथम के पास सर्विस रोड नहीं होने से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

माननीय श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

अनुरोध एवं मांग

कांग्रेस दल द्वारा सदन की कार्यवाही के बहिष्कार को समाप्त करने का अनुरोध

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाह रहा था। कल आपके वेश्म में कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग के दौरान प्रतिपक्ष ने एक आग्रह किया था कि कथित लाठीचार्ज की फुटेज वे दिखाएं, गृह मंत्री जी उन्हें दिखाएं और उसके बाद वे सारे लाठीचार्ज के फुटेज को देखकर, वीडियोज को देखकर, उसके बाद वे आकर कहेंगे और वापस सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको सूचित करते हुए तकलीफ है कि आज सवा नौ बजे से लेकर साढ़े दस बजे तक माननीय प्रतिपक्ष के नेता, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय प्रद्युम्न सिंहजी और बांसवाड़ा से आने वाले माननीय महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, इन्होंने तीन फुटेज, जो-जो इन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि पुलिस की वीडियो के अलावा 'आज तक' की वीडियोग्राफी जो चैनल ने की, वह मंगवाओ, आप दूसरे की मंगवाओ। सारी वीडियोग्राफी देखने के पश्चात् हमने उनसे आग्रह किया कि सब चीज जो आपने हमसे मांग की थी, हम चाहते हैं कि प्रतिपक्ष सदन की कार्यवाही में भाग ले हमने एक-एक उस बात को आपके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सामने रखा है, आप कृपया सदन में आयें और सदन की कार्यवाही में भाग लें। पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, न जाने क्यों, और जान-बूझकर वे सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले रहे हैं और सत्ता पक्ष को बाहर जाकर दूरदर्शन में यह कहने की कोशिश करते हैं, आरोप लगाने की कोशिश करते हैं कि सत्ता पक्ष ने हमें आमंत्रित नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि आपकी आज्ञा के अनुसार हमने वे सारे स्टेप्स जो आपने कल कार्य सलाहकार समिति की बैठक के दरमियान हमें सिर्फ एक सुझाव के तौर पर कहे थे, हमने आपके सुझाव को आज्ञा मानते हुए उन सारे स्टेप्स को लिया और आज भी प्रतिपक्ष यहां सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले रहा है, क्योंकि इनकी आपस की फूट। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहीं तर्क-वितर्क होने लग गये। प्रतिपक्ष के नेता कुछ कह रहे थे, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कुछ कह रहे थे। इनकी फूट की वजह से राजस्थान की अवाम के सामने यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सत्ता पक्ष हठधर्मिता पर है। हम अब भी चाहते हैं और आपके माध्यम से फिर अनुनय-विनय कर रहे हैं कि प्रतिपक्ष ने सारी चीजें देख लीं, उसके बाद उनको सदन की कार्यवाही में भाग लेना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो गृह मंत्री जी भी उस बारे में, अभी जो सारी बातें हुईं, उनके बारे में आपको अवगत करा दें, ताकि आम अवाम को मालूम तो पड़े कि प्रतिपक्ष अपना कर्तव्य और अपना वैधानिक दायित्व कितना निभा रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके वेश्म में जो बात हुई मैंने उसको अक्षरशः आपके सामने स्वीकार किया और मैंने जो विभिन्न जो टीवी चैनल हैं उनके फुटेज मंगवाये। उसमें 'आज तक' का भी है, 'जी टीवी' का है, 'ई टीवी' का है और उसके अलावा, कांग्रेस के पास स्वयं के पास भी एक छोटी सी क्लिप है, जिस समय हमने वाटर कैनन चलाया, उस समय की वो मैंने सारी की सारी देखी हैं और देखने के बाद, मैं सोचता हूं, उनको कोई शंका-समाधान जैसा विषय नहीं रहा। ऐसा कहीं भी, कोई भी, जिसके लिए वो बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष पर लाठी चली, जो कुछ मैंने देखे, यह सब उसमें कहीं भी उनको लाठी लगती हुई

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

नहीं है। भीड़ में जरूर गुत्थमगुत्था जब चल रही थी, तब लाठी तो पुलिस के हाथ में थी, लेकिन कहीं भी लाठी उठा कर के मारी हो, ऐसा कुछ नहीं है। भीड़ में कहीं दबाव के कारण से आयी हो और कुछ उसका असर हुआ...।

तो मैं सोचता हूं, उस फुटेज को देखने के बाद मैं पूर्ण आश्वस्त हूं कि पुलिस ने जिस धैर्यता से इस सारे के सारे एजिटेशन को फेस किया इससे अधिक तो शायद पुलिस कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमने जिन्दगी भर तक आंदोलन ही आंदोलन किये और लाठियां ही लाठियां खाई हैं। मैं सोचता हूं कि पुलिस ने आधे घंटे तक और विशेष कर के जो महिला पुलिस बीच में आ गई तो उसमें सात महिला पुलिसकर्मी घायल हुईं उसके बाद भी संयम रखा और लास्ट के समय में जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि लास्ट के एक मिनट का भी आधा मिनट, उस समय जरूर उन्होंने डंडे फटकारे। उस समय वे भागने शुरू हुए। इतना दृश्य है।

उसके बाद भी अगर कोई संदेह है, तो आप जिसको भी चाहें, इनके दो लोग बुला लें और हमारे दो लोग, आप स्वयं बैठ जाएं और देखने के बाद जो चाहें, जो निर्णय आप करेंगे, हम उसे स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का बदन बड़ा नाजुक है और मैंने देखा, उस वीडियो में भी उनके चारों तरफ महिलाएं थीं। ऐसे नाजुक बदन पर कुछ छोटा-सा हो भी गया हो, पहली बात तो हुआ नहीं, तो उसको काहे को इन्होंने प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है। आकर हमें हमारी कमियां बताओ न।

श्री अध्यक्ष: नाजुक और गैर-नाजुक की मेडिकल परिभाषा क्या है, यह भी स्पष्ट कर दो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, घनश्यामजी के बैठे हुए इस परिभाषा पर मैं कुछ बोलूं तो ठीक नहीं। कौन नाजुक, कौन गैर-नाजुक, घनश्यामजी बता सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। म. रणधीर सिंह जी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय डा. किरोड़ी लालजी बता देंगे।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): डा. किरोड़ी लालजी ज्यादा समझते हैं इस मामले में।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): जोगारामजी का बदन नाजुक है और धर्मपालजी का ना-नाजुक है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, यह है फर्क।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का क्या है?

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने कहा कि इसकी व्याख्या घनश्यामजी करेंगे। जितनी गहराई में ये उतरे हैं, उतनी गहराई में मैं नहीं उतर पाया।

श्री अध्यक्ष: माननीय म. रणधीर सिंहजी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

किसानों को उपज का उचित मूल्य मिलने में आने वाली बाधाएं

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि भारत और राजस्थान कृषि प्रधान हैं। राजस्थान में भी हम लोग ज्यादातर कृषक हैं। चुनाव के समय व चुनाव के बाद हम इस किसान को अन्नदाता कहते हैं और उसकी स्थिति सुधारने के हम बहुत बड़े-बड़े वादे भी करते हैं, लेकिन आजादी के 67 वर्ष हो जाने के बाद भी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम तो अन्नदाता आपको कहते हैं।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): हमारे जमाने गये, हुकुम। तो 67 साल हमारी आजादी को हो गये लेकिन आज भी हम किसान को वह अनुकूल माहौल नहीं दे पाये जो किसान को खेती के लिए चाहिए। अध्यक्ष महोदय, देश में करीब 75 करोड़ लोग कृषि से आजीविका कमाते हैं और उनकी प्रति व्यक्ति आय 18,266 रुपये ही है। जबकि गैर-कृषिगत कार्य हैं, उनमें आमदनी दस गुणा यानी कि 1 लाख 74 हजार रुपये की आमद होती है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, भारत में क्षेत्रवार रोजगार देखें तो 47.7 प्रतिशत कृषि में, 32.2 प्रतिशत उद्योग में और सेवा क्षेत्र में 19.1 प्रतिशत है। हम देख सकते हैं कि कृषि पर ज्यादा लोग निर्भर हैं लेकिन कृषि अब इतना लाभदायक नहीं रहा। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता भी कम होती जा रही है। 1950-51 में जहां 0.34 हैक्टेयर थी, वह 2000 में 0.17 हैक्टेयर हो गया और पिछले दशक में यह घटकर 0.12 हैक्टेयर रह गयी। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 2003-04 में भारत में 183.19 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी, जो 2008-09 में घटकर 3 लाख कम हो गई और वह गैर-कृषिगत कार्यों में जा चुकी है।

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, हम किसान पर तकनीक का बोझ लादते जा रहे हैं। पिछले 50 वर्षों में कृषि में रासायनिक खाद, उन्नत बीज, मशीनों, आदि की लागत कितनी बढ़ गई होगी, लेकिन पिछले बीस सालों में किसानों को उपज बेचकर मिलने वाले दाम, मुद्रा स्फीति के समायोजन के बाद स्थिर होकर रह गये हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकारें न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती हैं जिससे किसानों की उत्पादन लागत भी नहीं मिलती। अभी कुछ दिनों पूर्व लोक सभा में हमारे ही एक सदस्य ओम बिडला ने मामला उठाया, उन्होंने बताया कि न्यूनतम मूल्य हर समय लागत से 20-30 प्रतिशत कम मिलता है। जैसे गेहूं पर उत्पादन की लागत 1,750 रुपये आती है लेकिन समर्थन मूल्य 1,450 हैं, यानी 200-300 रुपये घाटे में किसानों को खेती करनी पड़ती है।

किसानों पर वैट की मार पड़ रही है। जो औजार किसानों के काम आते हैं, उन पर पंजाब, हरियाणा में तो वैट 4-5 प्रतिशत ही है लेकिन हमारे यहां वैट 12 प्रतिशत है। किसानों को कुएं में सबमर्सिबल पम्प डालने से पूर्व इलेक्ट्रिक पैनल लगाना पड़ता है जिसमें स्विच/गीयर काम आते हैं,

(12.13 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

इसकी कीमत दस हजार से लेकर एक लाख रुपये तक होती है। स्विच/गीयर में मेन स्विच चेंजओवर्स, स्विच रिवर्स, फार्वर्ड स्विच, किटकैट फ्यूज, एम्पीयर वोल्ट मीटर, एम सी बी कन्ट्रोल पैनल व पुर्जे शामिल हैं। गुजरात में यह चार प्रतिशत है, हरियाणा में 5.25 प्रतिशत है, दिल्ली में 4 प्रतिशत है लेकिन राजस्थान में इस पर 14 प्रतिशत वैट वसूला जाता है। सभापति महोदय, इसके कारण हमारे यहां पर इसके उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। हमारे यहां पर पम्पसेट भी टैक्सेबल है जबकि अन्य राज्यों में यह फ्री है।

सबसे बड़ी मार जो किसान पर पड़ रही है, वह बिजली की मार है। जैसे-तैसे पैसे इकट्ठे करके किसान बिजली का कनेक्शन लेने के लिए फाइल लगाता है लेकिन बड़े दु:ख की बात है कि पिछले पांच सालों में जो सरकार थी, उसने एक भी बिजली का कृषि कनेक्शन जारी नहीं किया। इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछले साल से कुछ कनेक्शन देना चालू किया है और इस साल भी घोषणा हुई है कि हम लोग कृषि कनेक्शन देंगे।

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

कांग्रेस सरकार ने एक और जुल्म बिजली के हिसाब से ढाया है, वह है सिविल लाइबिलिटी क्लाज। सिविल लाइबिलिटी क्लाज एण्ड करने से पिछले वसुन्धरा राजे कार्यकाल में जहां किसानों को वी सी आर पर दो हजार रुपये हार्स पावर भरने पड़ते थे, सिविल लाइबिलिटी क्लाज लगाने के बाद दस हजार रुपये हार्स पावर के भरने पड़ते हैं, यानी कि 50-55 हजार रुपये, अगर पांच हार्सपावर मोटर वाला कोई किसान है तो उसको भरना पड़ता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसमें विधेयक लाकर सिविल लाइबिलिटी क्लाज को वापस हटाया जाए, ताकि गरीब किसान अपनी खेती कर सके।

सभापति महोदय, हमारे यहां राजस्व मुद्दों में किसान अटका हुआ है। राजस्व मुद्दे इतने इकट्ठे हो गये हैं, एस डी ओ, तहसीलदार को तो फुर्सत नहीं है, या तो वे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में लगे हुए होते हैं या चुनावों में लगे हुए होते हैं और राजस्व केस इकट्ठे होते जा रहे हैं। हमारे रेवेन्यू बोर्ड में डेढ़ लाख रेवेन्यू केसेज अटके हुए हैं, उसका कारण है कि वहां 30 सदस्य होने चाहिए लेकिन वहां 10 सदस्य ही नियुक्त हैं। जो रेवेन्यू की अलग-अलग जिलों में बेंचेज लगती थीं, वे भी कई वर्षों से बंद हो चुकी हैं क्योंकि रेवेन्यू में सदस्य नहीं हैं।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय...

श्री सभापति: सभापति महोदय।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माफ कीजिए, सभापति महोदय।

श्री सभापति: कर दिया।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): मौसम में अचानक आये बदलाव के कारण किसानों को जो पीड़ा होती है...

श्री सभापति: मैं मौसम के बदलाव से यहां नहीं आया हूं, मैं तो अध्यक्ष की पर्ची से आया हूं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय सभापतिजी, मौसम आपके अनुकूल नहीं है। बहुत लम्बे समय से आप प्रतिकूल मौसम को झेल रहे हो।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): यह प्रतिकूल का कारण क्या है, यह भी बताएं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मेरी रोग निरोधक क्षमता बहुत ज्यादा है, डाक्टर साहब, चिंता मत करो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): रोग प्रतिरोधक क्षमता कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: अगर मैं चिकित्सा मंत्री होता तो आपको भी सिखा देता, ताकि यह स्वाइन फ्लू का काम होता ही नहीं।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): सभापति महोदय, मौसम से जो बदलाव आता है और किसानों को जो नुकसान होता है, उसके लिए जो रिलीफ मिलती है वह आप और हम सब जानते हैं। उस कानून को बदलने की आवश्यकता है। हमको विधान सभा से ऐसे प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने चाहिए ताकि आपदा राहत में उस किसान को और ज्यादा राहत मिल सके। मैं इस सरकार के प्रति बहुत आशावान हूं क्योंकि इसी सरकार के भैरोंसिंहजी शेखावत थे जिन्होंने किसान...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आप सरकार के प्रति आशावान हैं, सरकार के प्रति आप बहुत आशावान हैं, एक बार आप वापस रिपीट करें।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): इस सरकार के प्रति मैं आशावान हूं क्योंकि इसी के नेता थे भैरोसिंहजी शेखावत जिन्होंने ...

श्री सभापति: इस सरकार में मेवाड़ का बहुत बड़ा योगदान है। (व्यवधान) बोलिए।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): सभापति महोदय, मेवाड़ का योगदान...

श्री सभापति: शेखावाटी का नहीं, मेवाड़ का ज्यादा है, भई।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): मेवाड़ का योगदान तो इस राजस्थान की स्वतंत्रता पर भी है।

श्री सभापति: है, साहब।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): महाराणा भोपाल ने ही सबसे पहले अपना राज्य दिया था।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मेवाड़ तो हमेशा ही आशावादी, वीरता और शौर्य का प्रतीक रहा है।

श्री सभापति: मेवाड़ गर्व का है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मेवाड़ आन, बान व शान का रहा हमेशा।

श्री सभापति: सारे देश के लिए गर्व है मेवाड़ तो।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): भैरोंसिंहजी शेखावत ने सबसे पहले बारानी जमीन का लगान माफ किया था।

अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान क्रेडिट कार्ड चालू किया, फसल बीमा योजना चालू की, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी अब एजेंटों के हथकण्डे में आ गई है। आज बैंक मैनेजर किसी एजेंट के द्वारा अपने ही किये किसान क्रेडिट कार्ड को जारी करता है, बाकी तो किसान चक्कर लगाता रहता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

वसुन्धरा राजेजी पिछली बार जब सरकार में आईं, तब हम लोग इस बात को बार-बार उठाते थे कि बिजली का डिमांड पत्र बहुत आता है, डेढ़ लाख, दो लाख रुपये बिजली के डिमांड के आते थे, उन्होंने हिम्मत करके ढाई हजार रुपये हार्स पावर किसानों को बिजली देने के लिए किया। आम किसान भी बिजली का कनेक्शन लेने के लिए तैयार हो गया क्योंकि इतने पैसे वह भर सकता है। इसी तरह नहरों की सफाई और मरम्मत का काम वसुन्धरा राजेजी ने किया, आबियाना माफ वसुन्धरा राजे ने किया; किसानों को निरंतर बिजली मिले इसके लिए एफ आर पी भी लाई, यह सब कुछ हुआ।

मुझे आशा है कि यह सरकार कुछ न कुछ करेगी, लेकिन मेरा सुझाव है कि किसानों से सम्बन्धित जितने भी विभाग है, उन सबको एक साथ बैठकर, किसान की इस हालत पर चिंतन करना चाहिए और ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे किसानों को लाभ मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत श्री जोगाराम पटेल आवारा कुत्तों के बारे में बोलेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या करें, संयोग की बात है।

श्री सभापति: संयोग क्या, आपने लिखा ही यही है। मैं क्या करता?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): क्या करें संयोग की बात है, कुत्तों पर भी बोलना पड़ रहा है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): यह बता दें, जोधपुर में आवारा कुत्ते कितने हैं ?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वह इसमें लिखा है मैंने।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलिए आप।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जोधपुर जिले में आवारा व पागल कुत्तों द्वारा काटे जाने की समस्या का समाधान

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत निवेदन है कि जोधपुर जिले में पिछले 4 सालों में आवारा व पागल कुत्तों द्वारा अनेक व्यक्तियों को काटने की घटनाएं हुई हैं व दिनों-दिन बढ़ रही हैं, और करीब 10 गुणा तक बढ़ गई हैं। जहां वर्ष 2011 में 757 मामले कुत्ते काटने (डाग बाइट) के आये थे, वहीं अब यह आंकड़ा 8,000 से पार हो गया है। पिछले 4 सालों में इन मामलों की संख्या 9,970 पहुंच चुकी है। इसमें अधिकतर मामले ग्रामीण क्षेत्र से हैं।

श्री सभापति: इनमें आवारा और पालतू का अलग-अलग नहीं है क्या? पालतू भी काटते हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): पालतू ज्यादा काटते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मुख्य सचेतक महोदय को इसका ज्यादा अनुभव है।

श्री सभापति: हां। बोलिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पिछले 4 सालों के आंकड़ों की तरफ ध्यान देवें तो स्पष्ट है कि वर्ष 2011 में 757, वर्ष 2012 में 4,824, वर्ष 2013 में 5,867 एवं वर्ष 2014 में 8,522 प्रकरण अस्पतालों में दर्ज हुए हैं।

आवारा या पागल कुत्ते द्वारा काटने पर मनुष्य को दोनों हाथों में एंटी रैबीज इंजेक्शन लगते हैं जो पहले, तीसरे, सातवें व 28वें दिन लगते हैं। पहले एन्टा मस्कुलर इंजेक्शन दोनों हाथों में 10 बार लगाये जाते थे, जबकि 15 अगस्त, 2013 के बाद एन्टा ड्रमल, यानी चमड़ी में ही एन्टी रैबीज इंजेक्शन लगाये जाते हैं। इनकी रोकथाम हेतु तुरन्त प्रभाव से प्रभावी व्यवस्था की जानी आवश्यक है, अन्यथा यह बीमारी महामारी की तरह फैल सकती है। इसे रोकना अति आवश्यक है, और यह लोक कल्याणकारी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।

पश्चिमी राजस्थान व विशेषकर जोधपुर में आवारा व पागल कुत्तों के काटने की अनेक घटनाएं हो रही हैं और ऐसी स्थिति में ऐसी भयंकर समस्या का तुरन्त प्रभाव से समाधान किया जाना आवश्यक है और जोधपुर की जनता को तबाही से बचाना आवश्यक है। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री मनोज कुमार।

कांस्टेबल खनिज संरक्षण बल, 2013 की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत निवेदन है कि खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर द्वारा वर्ष 2013 में आयोजित की गई कांस्टेबल खनिज संरक्षण बल (पुलिस विभाग में आर.ए.सी. की 14वीं बटालियन के रूप में समायोजित) सीधी भर्ती के सम्बन्ध में लिखित परीक्षा 15.9.2013 को आयोजित की गई थी तथा लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 29.9.2013 को घोषित किया गया था। उक्त लिखित परीक्षा के परिणाम के पश्चात् विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन करवाया जाना था, जिसके लिए सभी प्रार्थीगण द्वारा उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी बड़े जोर-शोर से की जा रही है। राज्य सरकार के कार्यालय पत्रांक: एफ.26(क)(6)गृह-2/2014 दिनांक 22/12/2014 के द्वारा उक्त 1,000 कांस्टेबलों के पदों को पुलिस विभाग में आर.ए.सी. की 14वीं बटालियन के रूप में समायोजित किया गया है।

उक्त भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के आयोजन के मात्र 14 दिवस पश्चात् ही लिखित परीक्षा परिणाम घोषित करने के इतने समय पश्चात् भी आज दिनांक तक विभाग की ओर से उक्त भर्ती से सम्बन्धित शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है, जिससे हजारों परीक्षार्थियों का अमूल्य समय व्यर्थ एवं असमंजस की स्थिति में व्यतीत हो रहा है। एकाग्रता के अभाव के कारण वे किसी अन्य परीक्षा की तैयारी एवं कार्य नहीं कर पा रहे हैं तथा काफी संख्या में अभ्यर्थी ओवर-एज हो चुके हैं, जिनके लिए इस भर्ती का अंतिम अवसर है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा 24 दिसम्बर, 2014 को 14वीं बटालियन आर.ए.सी. मुख्यालय भवन का शिलान्यास किया जा चुका है। राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा खान विभाग पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया को भी आर.ए.सी. में शामिल करने की घोषणा हो चुकी है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उक्त भर्ती प्रक्रिया की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन शीघ्रातिशीघ्र करवाने के आदेश दिलवाकर राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरिसिंह रावत। (व्यवधान) माननीय सदस्य कानाफूसी कर सकते हैं, जोर से बातचीत नहीं कर सकते।

भीम के ए.आर.टी.ओ. कार्यालय का क्रमोन्नयन

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपके माध्यम से यातायात मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र भीम मेरे जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी वजह से मेरे क्षेत्र के वाहन धारकों को रजिस्ट्रेशन, फिटनेस टैस्ट और टैक्स सम्बन्धी कोई भी कार्य के लिए 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और कई बार वहां पहुंचने के बाद भी डी.टी.ओ. उपलब्ध नहीं होने की वजह से अथवा वहां समय पर कार्य सम्पूर्ण नहीं होने की वजह से वाहन धारकों को एक-एक व दो-दो दिन तक रुकना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको समय व आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके साथ-साथ ही दो पहिया छोटे वाहन के पासिंग के लिए इतना दूर जाना वाहन मालिक के लिए उचित नहीं रहता है। कारण, कई वाहन मालिक नये-नये होते हैं, जिसकी वजह से कई बार एक्सिडेंट होने से अकाल मृत्यु के आगोश में चले जाते हैं, जिससे जन व धन की हानि होती है।

उक्त कार्यालय हेतु जमीन का आबंटन भी हो चुका है, लेकिन भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति नहीं होने की वजह से उक्त कार्यालय किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है। विभाग अधिकारी द्वारा ज्ञात हुआ है कि इस कार्यालय के किराये का समय से भुगतान भी नहीं हो पा रहा है।

अतः, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा दी गई वेदना पर ध्यान आकर्षित कर, तत्काल उचित कार्यवाही कर, मेरे क्षेत्र की जनता को आये दिन होने वाली असुविधा से निजात दिलायें। इसके लिए मैं और मेरे क्षेत्र की जनता सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिये। श्री नवनीत लालजी नीनामा।

पीपलखूंट तहसील की सूखी जमीन के लिए लिफ्ट द्वारा पानी की व्यवस्था

श्री नवनीत लाल (घाटोल): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत निवेदन है कि तहसील पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ में गांव, 1. नायनबाड़ी, 2. गोटड़ा, 3. बावड़ी, 4. मांडनी, 5. सालीया, 6. परतीपुरा, 7. खडियावाणी, 8. खरवाड़ा, 9. वड़ली खेड़ा व 10. पीपलदा – योग 10 गांवों की 12,966 बीघा जमीन आदिवासी किसानों

(श्री नवनीत लाल)

की माही डैम के बैकवाटर से सटी हुई है। उक्त गांवों के आदिवासी किसान अपने खेतों की सूखी जमीन को अपने वाटर पम्पों द्वारा पानी पिला कर थोड़ी सी रबी फसल में मक्का, चना, गेहूं पैदा कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

अत: मुझे क्षेत्रीय विधायक का नियम 295 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि माही डैम के बैकवाटर से लगे हुए गांवों की जमीन का सर्वे स्थानीय किसानों को साथ लेकर करें। माही डैम के नजदीक लगे हुए गांव सालीया में कालका माता का स्थान बैकवाटर किनारे लिफ्ट लगाने योग्य है। उस स्थान पर लिफ्ट लगाई जाकर, नायन में ऊंची टेकरी पर बड़ी टंकी बनाई जाने योग्य स्थान है। उस स्थान को आदिवासी किसान थामली माता के नाम से पुकारते हैं।

अत: बैकवाटर कालका माता से थामली माता तक एक किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन बिछाई जाकर, थामली माता स्थान पर टंकी में पानी भराव कर, उक्त वर्णित गांव – नायनबाड़ी, गोटड़ा, बावड़ी, मांडनी, सालीया, परतीपुरा, खडीयाखाणी, खरवाड़ा, वड़ली खेड़ा व पीपलदा, योग 10 गांवों की 12966 बीघा सूखी जमीन को पानी पिलाया जाकर, रबी मौसम की फसल पैदा कर, आदिवासी किसानों को राहत दिलाई जावे। इसी आशा और विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री नारायण सिंह देवल।

सुन्धा माता मंदिर का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि जालौर जिला अरावली पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है, जिसमें विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा भी बसा हुआ है। विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के राजपुरा गांव की पर्वत श्रृंखला में स्थित पहाड़ी की चोटी, जिसका नाम 'सुन्धा' है, तलहटी से 300 फीट ऊंची 'सुन्धा' चोटी पर प्राचीन चामुण्डा माता का मंदिर स्थित है जिसे श्री सुन्धा माता मंदिर कहते हैं।

श्री सुन्धा माता (चामुण्डा) मंदिर का 800 से 900 वर्ष पुराना इतिहास तो मिलता है। जालौर के शासक चाशिकदेव चौहान ने विक्रम संवत् 1913 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर पुन: प्राण प्रतिष्ठा की, जिसको 158 साल हो गये हैं। मंदिर के विकास एवं संचालन हेतु श्री सुन्धा माताजी ट्रस्ट का गठन 1976 में किया गया; जो इस क्षेत्र को निरन्तर विकास की ओर

(श्री नारायण सिंह देवल)

अग्रसर किये हुए है। वर्तमान में 4 से 5 लाख तीर्थ-यात्री प्रति माह इस स्थान पर आते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में प्राचीन कोड़ेश्वर महादेव मंदिर, कालका माता, भगवान विष्णु, श्री महादेव एवं श्री हनुमान के मंदिर भी हैं, जो प्राचीन हैं।

मंदिर तक आने-जाने हेतु 500 सीढ़ियां हैं मगर सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान का पहला रोप-वे इस स्थान पर 2007 में लगाया गया, जिसकी लम्बाई 700 मीटर है।

मंदिर में प्राकृतिक आश्चर्यजनक देखने की बात यह है कि रेत और पहाड़ का संगम है। जहां एक तरफ सुन्धा पर्वत है तो उसी के समानांतर रेत का टीबा स्थित है, जिनके मध्य दूसरे मंदिर एवं विभिन्न समाजों की आवास की व्यवस्था के लिए निर्मित धर्मशालाएं हैं।

इस मंदिर में राजस्थान के अलावा गुजरात राज्य से भी लाखों पर्यटक दर्शनार्थ एवं घूमने आते हैं। गुजरात राज्य का विश्वविख्यात श्री अम्बा माता जी का मंदिर इस श्री सुन्धा माता मंदिर से 107 किलोमीटर दूर स्थित है।

श्री सुन्धा माता मंदिर, राजपुरा, जसवंतपुरा, जालौर में आने वाले पर्यटकों एवं प्राकृतिक स्थल को देखते हुए, इसको पर्यटन के मानचित्र में शामिल किया जाकर, केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत विकास/विस्तार एवं पर्यटन सुविधाओं को विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस प्राकृतिक छटा के लिए इस पर्वतीय स्थल श्री सुन्धा माता मंदिर को पर्यटन के नक्शे में शामिल कर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की पर्यटन विकास/विस्तार की योजना से लाभान्वित कराएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्रीमती अलका सिंह।

बांदीकुई के स्व-वित्त पोषित महिला महाविद्यालय का सरकारीकरण

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में बालिकाओं के लिए कोई सरकारी महाविद्यालय नहीं है। बांदीकुई शहर में बालिकाओं के लिए एक स्व-वित्त पोषित महिला महाविद्यालय वर्ष 2005 से संचालित है। इसमें

(श्रीमती अलका सिंह)

750 बालिकाएं अध्ययनरत हैं व महाविद्यालय का सम्पूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस क्षेत्र में एक मात्र महिला महाविद्यालय होने से सभी वर्गों की बालिकाएं यहां शिक्षा ग्रहण करने आती हैं। महाविद्यालय स्व-वित्त पोषित होने के कारण इसका फीस स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा है। निम्न व मध्यम वर्ग की बालिकाएं कई बार शिक्षा बीच में ही छोड़ जाती हैं क्योंकि वे फीस नहीं भर पाती हैं।

अत: माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस स्व-वित्त पोषित महिला महाविद्यालय का सरकारीकरण किया जाए ताकि बालिकाएं शिक्षा से वंचित नहीं रहें। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री मेवाराम जैन। श्री मेवाराम जैन।

(अनुपस्थित)

श्री सुरेश सिंह रावत।

रूपनगढ़ उप खण्ड (पुष्कर) में पेयजल समस्या का समाधान

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के रूपनगढ़ उप खण्ड में पेयजल की भयंकर समस्या व्याप्त है। रूपनगढ़ उप खण्ड मुख्यालय पर भी पानी 5-6 दिन तक नहीं आता है। रूपनगढ़, पनेर, जाजोता, नोसल, भीलावट, काठोदा, पालड़ी, सिनोदिया, झाग, गुढा, आऊ, बकरावलिया, भेरवाई, शिवनगर, करडाला, कोटड़ी, जाखोलाई, भदूण, ऊजोली, खाजपुरा, मानपुरा, रामनगर, निटूटी, दड्डन, नुआं, रामगढ़, कल्याणीपुरा, रघुनाथपुरा, बासड़ा, थल, सिंगला, सींगारा, केरयों की ढाणी, करकेड़ी, पारासोली, पडंगा, अमरपुरा, रोडावास, तेतियारी, पींगलोद, आदि गांवों में पानी की भयंकर समस्या है। 17 करोड़ रुपये की लागत से बीसलपुर परियोजना चालू की है और इस परियोजना में 39 गांव, 115 ढाणियों को सम्मिलित किया गया है और प्रति दिन 15 लाख लीटर पानी देने की योजना बनाई है लेकिन सरकार के 17 करोड़ रुपये लगने के बाद भी पानी की समस्या जस की तस है।

अत: किशनगढ़ और रूपनगढ़ के बीच अलग से रूपनगढ़ उप खण्ड के लिए पानी का स्टोरेज टैंक बनाकर तथा उप खण्ड क्षेत्र का पुन: सर्वे करवा कर योजना को सुचारु रूप से चालू करने की अति आवश्यकता है। साथ ही, जहां बीसलपुर का पानी नहीं पहुंच सकता, उन गांव-ढाणियों में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्रीमती अमृता मेघवाल।

जालौर के श्री राजेन्द्र सूरी जैन राजकीय महिला महाविद्यालय में भूगोल विषय का प्रारम्भ

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहती हूं कि मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं वह क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। पूरे जिले में एक मात्र महाविद्यालय है जो श्री राजेन्द्र सूरी जैन, राजकीय महाविद्यालय के नाम से है लेकिन इस महाविद्यालय के कला संकाय में भूगोल विषय नहीं होने के कारण छात्राएं भूगोल विषय पढ़ने से वंचित रह रही हैं। वर्ष 2014-2015 के प्रथम वर्ष कला वर्ग में कुल 160 छात्राओं ने प्रवेश लिया जिनमें से 60 छात्राओं के सीनियर सैकण्डरी में ऐच्छिक विषय भूगोल था, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, इस महिला महाविद्यालय में सम्बन्धित विषय नहीं होने के कारण कई छात्राओं को महिला महाविद्यालय में प्रवेश लेने से वंचित रहना पड़ा। जिन छात्राओं को भूगोल विषय में पढ़ने की ज्यादा रूचि थी, उन्हें दूसरे (छात्रों के) राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा, जहां उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अत: आपसे अनुरोध है कि मेरे एक महिला विधायक होने एवं छात्राओं की रुचि व पर्याप्त नामांकन संख्या को देखते हुए आगामी सत्र 2015-2016 में इस महिला महाविद्यालय में भूगोल विषय प्रारम्भ करने के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अनुग्रहित कराएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री हमीरसिंह घायल। भायल। (व्यवधान) हां-हां, भायल। घायल नहीं, भायल।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): जी। (व्यवधान)

श्री सभापति: घायल तो इधर हैं, भैया, उधर भायल हैं।

सिवाना के दुर्ग अण किलो का जीर्णोद्धार

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जिस विधान सभा क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, सिवाना का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। इतिहास के पन्नों में विशेष गौरव हासिल करने के साथ ही, धार्मिक

(श्री हमीरसिंह भायल)

एवं जन-उपयोगी साधनों से किसी जमाने में सम्पन्न रहा यह क्षेत्र आज धरोहरों के संरक्षण के लिए मोहताज है।

उपेक्षा का शिकार होने के कारण, परमार वंशजों द्वारा निर्मित सिवाना का ऐतिहासिक दुर्ग, जिसे अण किलो के नाम से जाना जाता है, उसकी भव्यता दुर्ग की त्रिपोल, राजमहल, त्रिकलश, प्रासर एवं राणियों के कवाक्षों को देखते ही बनती थी लेकिन वर्तमान में वह जर्जर अवस्था में है। इसी प्रकार, हल्देश्वर की पहाड़ियों में वीर दुर्गादास की पोल, वहां का बारूद खाना पूरी तरह से बिखर चुका है। किसी जमाने में कई गांवों की प्यास बुझाने वाली मोकलसर की पौराणिक बावड़ियां देखभाल के अभाव में अब कूड़ा-दान बन चुकी हैं। इसी प्रकार, महाभारत-काल का भीमगौड़ा का प्राचीन मंदिर, सिवाना में स्थित पौराणिक चारभुजा मंदिर, हल्देश्वर मेदिर, हिंगलाज माता मंदिर, सिवाना में संतों एवं तपस्वियों की समाधियां, छतरियां एवं ऐतिहासिक स्मारकों की स्थिति बहुत ही खराब है। राजनैतिक इच्छा-शक्ति के अभाव, सरकारी विभागों की उदासीनता एवं कमजोर पैरवी के कारण ऐसा हुआ है।

मेरा सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया, पर्यटन मंत्री एवं देवस्थान विभाग मंत्रीजी से विशेष निवेदन है कि राजस्थान के प्राचीनतम एवं प्रथम दुर्ग के गौरव प्राप्त सिवाना दुर्ग के जीर्णोद्धार करवाये जाने से उसकी छटा में चार चांद लगेंगे, साथ ही उसे संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जा सकेगा। इसके साथ ही संग्रहालय रखा जाना भी उचित रहेगा। इन कार्यों से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वीर दुर्गादास पोल, सिवाना की ऐतिहासिक छतरियों एवं स्मारकों की मरम्मत करवाने एवं उनके संरक्षण हेतु देवस्थान विभाग में उन्हें पंजीकृत किया जावें। इस हेतु बजट का आबंटन इनकी सुरक्षा हेतु किसी संस्था को जिम्मेवारी सौंपी जावे तो इन ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण हो पायेगा, जिससे भावी पीढ़ी को अपने पुराने इतिहास की जानकारी रहेगी।

मेरा आग्रह है कि उक्त दुर्ग पर, प्रशासन की देखरेख में, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राव कला रायमलोत के बलिदान दिवस पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जावे। साथ ही, उपखण्ड स्तर पर स्वतन्त्रता एवं गणतंत्र दिवस पर भव्य कार्यक्रमों को दुर्ग के प्रांगण में मनाये जाने हेतु प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किये जावें तो इन धरोहरों की देखभाल भी होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री समारामजी गरासिया।

पिण्डवाड़ा आबू में बत्तीसा नाले के पानी को रोकने के लिये विशेष योजना

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में बारिश के दिनों में बत्तीसा नाले का पानी गुजरात में बह जाता है। इस पानी को रोकने के लिए कोई विशेष योजना बनाई जावे।

माननीय सभापति महोदय, बारिश के मौसम से दीपावली तक पानी बहता रहता है एवं वह पानी गुजरात सीमा तक चला जाता है। यदि उक्त पानी को रोककर इसका उपयोग किया जाता है तो इससे दो-तीन तहसीलों को सिंचाई का पानी एवं पीने के पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है।

अत: माननीय जलदाय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त गम्भीर विषय को देखते हुए इस पर विचार कर कोई कारगर योजना बनाई जावे।

श्री सभापति: धन्यवाद, समारामजी। श्री विद्याशंकरजी नन्दवाना।

हाड़ौती में गेहूं के समर्थन मूल्य पर बोनस में वृद्धि

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख में किसानों को लागत से कम मिल रहे समर्थन मूल्य के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, गत वर्ष राजस्थान में हाड़ौती में सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 1,400 रुपये प्रति क्विंटल एवं उस पर 150 रुपये बोनस राशि तय की गयी थी। कोटा जिले में उक्त समर्थन मूल्य पर एफ.सी.आई. के माध्यम से 15,99,260 क्विंटल गेहूं, तिलम संघ के माध्यम से 5,27,966.95 क्विंटल गेहूं व राजफैड के माध्यम से 4,21,900 क्विंटल गेहूं की किसानों से खरीद की गयी। इस प्रकार, तीनों संस्थाओं द्वारा 25,49,126 क्विंटल गेहूं खरीदा गया।

महोदय, इस वर्ष जिले में गेहूं की लगभग 20 प्रतिशत बुआई अधिक हुई है। गत वर्ष यह देखने में आया कि सामान्य रूप से तीनों संस्थाओं द्वारा गेहूं की खरीद में काफी बड़ी संख्या में समस्या हुई। कहीं समय पर कांटे नहीं लग पाये, कहीं समय पर बारदाने की कमी रही और कहीं समय पर किसानों को भुगतान भी नहीं दिया गया। क्या सरकार इन अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए अभी से प्रयास करेगी?

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

मध्य प्रदेश प्रान्त में जहां मोबाइल पर किसानों को समय पर सूचना देकर गेहूं की खरीद के लिए खरीद केन्द्रों तक बुलाया जाता है और तौल के बाद तुरन्त भुगतान किया जाता है। ऐसी कोई व्यवस्था सरकार राजस्थान में प्रारम्भ करने का विचार रखती है? सभी सहकारी समितियों पर तोल की व्यवस्था की जावे तो केन्द्र पर लगने वाली भीड़ से भी बचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, गेहूं के उत्पादन हेतु कराये गये आंकलन में प्रति क्विंटल लागत 1,750 आ रही है, जबकि सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य इस वर्ष 1,450 रुपये निर्धारित किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि गेहूं उत्पादक किसान अपनी लागत से भी हानि उठाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने को विवश होगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण अपनाये गये मापदण्ड, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अन्तरराष्ट्रीय मूल्य, महंगाई दर, उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर होता है। इन मापदण्डों के कारण, निर्धारित किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को लाभ पहुंचाने के स्थान पर घाटे का सौदा साबित हो रहे हैं।

इस बार सरकार द्वारा 1,450/- समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। गत वर्ष सरकार द्वारा 150/- बोनस दिया गया था। यदि सरकार 200/- प्रति क्विंटल बोनस देती है तो किसान को उसकी लागत पूंजी का लाभ मिल सकता है। सरकार द्वारा गत वर्ष गेहूं खरीद के बाद वही गेहूं 1,700/- रुपये प्रति क्विंटल तक बेचा गया था, जबकि किसानों की यह पीड़ा रही है कि स्वयं की भूमि पर फसल करने के बाद भी गेहूं पर उसको 1,000 से 1,200 रुपये प्रति क्विंटल तक खर्चा आता है। यदि सरकार 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने की इच्छा रखती है तो इन किसानों के साथ न्याय होगा। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। पर्ची के द्वारा चर्चा। श्री कैलाश भंसाली।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जोधपुर शहर की सड़कों की अत्यधिक खराब हालत

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मान्यवर सभापति महोदय जी, मैं जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र की एक ऐसी समस्या के बारे में आज सदन

(श्री कैलाश भंसाली)

का आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर की सड़कें चलने लायक नहीं हैं, गटर जगह-जगह खुले पड़े हैं, सीवरेज का पानी सड़कों पर आता है। इतने मंदिर हैं, सब जगह गंदा पानी आ रहा है। तीनों मुख्य अस्पताल मेरे एरिया में हैं, उम्मेद अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल तथा मथुरादास माथुर अस्पताल, तीनों के बाहर हमेशा गटर लाइनें बहती रहती हैं। सड़कें बिलकुल टूटी हुई हैं। नेहरू पार्क, एक बड़ी पॉश कालोनी है शास्त्री नगर, वहां भी सारी सड़कें टूटी हुई हैं। छह-छह इंच के गड्ढे, मेरे घर के बाहर एक फुट का गड्ढ़ा है, उससे कितने ही एक्सिडेंट हो गये हैं, परन्तु कोई परवाह नहीं है। नगर निगम कहता है जे.डी.ए. करेगा और जे.डी.ए. कहता है हमारे पास पैसा नहीं है।

डेढ़ साल हो गया है, जे.डी.ए. के पास एक पैसा नहीं है। इस कारण से वे कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं। बिलकुल निकम्मा साबित हो रहा है। कल हाई कोर्ट ने कहा था, जोधपुर नगर निगम की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिये। इस तरह के नागरिक अधिकारों पर हाई कोर्ट की टिप्पणी बहुत ही वजूद रखती है।

मैं निवेदन करता हूं, इन सब सड़कों का मैंने माननीय गृह मंत्री गुलाब चन्दजी कटारिया, श्री अरुणजी चतुर्वेदी, हमारे जिला प्रभारी गजेन्द्र सिंह जी शेखावत एवं अन्य सभी लोगों को मार्ग दिखाये हैं, उन सबने कहा है कि हम अनुशंसा करेंगे कि जोधपुर की सड़कें ठीक करने का काम होना चाहिये और गटर लाइनों का जो काम अधूरा पड़ा है, वह पूरा होना चाहिये, परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे भी एक बार आवें और देखें जोधपुर की हालत। लोग कहते हैं कब अच्छे दिन आ रहे हैं, विधायक जी? गुस्सा आता है लोगों को और हमको शर्मिन्दा होना पड़ता है। हम कहते हैं, करवायेंगे, कोशिश कर रहे हैं। परन्तु नगर निगम के चुनाव नवम्बर में हो गये थे, आज तक सड़कों का कोई काम नहीं हुआ। जे.डी.ए. के पास कोई पैसा नहीं है और सारा शहर सड़ रहा है। जहां भी जाओ वहीं सड़ रहा है।

हाई कोर्ट के जज, प्रकाश टाटिया के घर के बाहर सिंवाची गेट से लेकर झुम्मनलाल आसोपा तक, जहां उम्मेद अस्पताल, प्रसूताओं की तीन डिलिवरियां हो गयी हैं, गड्ढे में टैक्सी पड़ गयी। इतनी शर्मनाक बात हुई है जिसके लिए मैं बयान नहीं कर सकता हूं।

(श्री कैलाश भंसाली)

सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं कि तीनों अस्पतालों के पास में सड़कें बहुत खराब हैं और इतना बड़ा ट्यूरिस्ट सेंटर है। सम्भाग के आने वाले हजारों यात्री जोधपुर में आते हैं अपने व्यापार के लिए, यहां हस्तशिल्प का बहुत बड़ा उद्योग है, टैक्सटाइल का बहुत बड़ा उद्योग है, अन्तरराष्ट्रीय उद्योगों में जोधपुर का नाम आता है; जोधपुर में हस्तशिल्प का 1,500 करोड़ का काम है। कल जोगाराम जी ने भी यह बात बताई थी।

मैं आपके मार्फत निवेदन करता हूं सरकार से, मुख्य मंत्रीजी से तथा स्वायत्त शासन मंत्रीजी से, मैंने बहुत बार कहा है, कम से कम 3 करोड़ रुपये हमको सड़कों की मरम्मत के लिए दिये जाएं, पैचिंग करवा दी जाए, परन्तु वह कुछ काम नहीं हो रहा है; मेरा फिर निवेदन है इस सदन के मार्फत से सरकार से, माननीय मुख्य मंत्रीजी से, कि इस काम को वरीयता से लें और हमें राहत दिलायें। जोधपुर की जनता आपको धन्यवाद देगी। धन्यवाद।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह माननीय विधायक की पीड़ा नहीं है, यह पूरे जोधपुर शहर की पीड़ा है। अब इसमें गम्भीर हो जाएं, मंत्री महोदय। यह बहुत गम्भीर है। इसमें कुछ करें, खाली गम्भीर होने से कुछ नहीं है। खाली गम्भीर नहीं होना है।

श्री सभापति: मंत्री महोदय बोल रहे हैं। आपका स्थान कौनसा है? (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पर्ची पर है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, अभी जोधपुर शहर से आये हुए माननीय विधायक ने अपनी पीड़ा कही है, पीड़ा सही है मगर मेरे एक और पीड़ा यह है कि एम.एल.ए. लैड का काम है वह भी वहां के अधिकारी नहीं करते हैं। 14 महीने हो गये एम.एल.ए. लैड का एक पैसे का काम नहीं किया और वहां के अधिकारी यहां तक कह देते हैं कि हम सोचेंगे। अब इससे ज्यादा और शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती।

वास्तव में यही हालत सड़कों की है। सीवर लाइन का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आया हुआ था और यहां का कोई भी पैसा नहीं मिला है। सारा काम चौपट पड़ा है। यह बात सही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी रेस्पोंड कर रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं यह चाहूंगी, मंत्री महोदय, हम इस बात को बहुत गम्भीरता से लें और जो अधिकारी उसके ऊपर नाकामयाब हुआ है, उसको सज़ा देवें। मेरी ऐसी मान्यता है, माननीय सभापति महोदय।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): सौतेला व्यवहार जोधपुर के साथ ही क्यों हो रहा है?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। क्या करें?

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, कल लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी जोधपुर नगर निगम की बिगड़ी हुई आर्थिक हालत की चर्चा की थी और तब भी मैंने बड़े विस्तृत रूप से बताया था कि जोधपुर नगर निगम की इस वर्तमान स्थिति के कारण क्या हैं और उनको अब किस प्रकार से हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है और मुझे तो कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि गये दो-तीन साल के अन्दर चाहे जोधपुर नगर निगम हो, चाहे जोधपुर...

श्री सभापति: महा काली, महा लक्ष्मी और महा सरस्वती; मंत्रीजी बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं, महा काली, महा लक्ष्मी और महा सरस्वती, तीनों देवियां एक जगह विराजमान हो गयी हैं। (व्यवधान) तीन महा देवी हैं, तीनों एक साथ। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, अभी तो तीन ही हैं लेकिन बाकी सारी आ गयीं तो नौ दुर्गा हो जायेंगी।

श्री सभापति: चलिये, माननीय मंत्रीजी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, गये दो-तीन सालों में, इस सरकार के आने से पहले लगातार दो-तीन साल पहले तक जोधपुर के अन्दर जोधपुर डवलपमेंट अथोरिटी और जोधपुर नगर निगम में जितने काम सैंक्शन किये गये, वह अपने आप में इतिहास में एक कीर्तिमान हैं। इतने कामों को सैंक्शन करके और दोनों को कर्ज में डुबोने के बाद भी अगर जोधपुर की सड़कों की हालत यह है तो निश्चित रूप से जो ए.सी.बी. में केस दर्ज हुआ है, जोधपुर डवलपमेंट अथोरिटी की कुछ उन्होंने इंक्वायरी की है, वह निश्चित रूप से सही दिशा में है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर नगर निगम के अन्दर अभी 125 करोड़ से ऊपर की देनदारी है। अभी लोगों को 22 करोड़ रुपये का बैंक के द्वारा और कुछ और संस्थाओं के द्वारा कर्ज दिलाया गया है, जिस कर्ज के माध्यम से उनके केवल वेतन का भुगतान हुआ है।

जोधपुर डवलपमेंट अथोरिटी की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। गये तीन साल, इस सरकार के आने से पहले तीन साल तक 1,712 करोड़ रुपये की ए एण्ड एफ सैंक्शंस हुईं और इनकम उनकी थी 856 करोड़ रुपये। इन वर्षों में, गये तीन सालों में, इस सरकार के आने से पहले के तीन सालों में जोधपुर डवलपमेंट अथोरिटी की इनकम थी 856 करोड़ रुपये और ए एण्ड एफ सैंक्शन जारी हुई 1,712 करोड़ रुपये। सभापति महोदय, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसकी इनकम 856 करोड़ रुपये हुई हो तीन साल में और जिसके ए एण्ड एफ सैंक्शन हुई हों 1,712 करोड़ रुपये, उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की हो सकती है।

इस सरकार के आने के बाद हमने उस आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। आज भी हमको 600 करोड़ रुपये, इम्प्रूव की है, कुछ पेमेंट्स हमने किये, पेमेंट्स करने के बाद भी आज 600 करोड़ रुपये की स्टैंडिंग लायबिलिटी जोधपुर डवलपमेंट अथोरिटी के सामने है।

लेकिन, सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से निवेदन करना चाहता हूं कि गये तीन-चार महीने से हम लगातार जोधपुर डवलपमेंट अथोरिटी की आर्थिक हालत को ठीक करने के प्रयास गम्भीरतापूर्वक कर रहे हैं। अभी हमने गेरू गांव की खसरा नम्बर 812 की जमीन राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को दिलायी है। इसके पेटे 154 करोड़ रुपये जोधपुर डवलपमेंट अथोरिटी को मिलेंगे, 50 करोड़ रुपया मिल चुका है। इसी प्रकार से, आंगणवा में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की कृषि उपज मण्डी की 300 बीघा जमीन को भी, उनका आबंटन कर रहे हैं। इससे हमें तकरीबन 100 करोड़ रुपये की आय होगी। इसी प्रकार, गो-पालकों को भूखण्ड आबंटन करने से 60 करोड़ रुपये की आय होगी और तिवरी के अन्दर रीको को जमीन अलाटमेंट करने से हमको 36 करोड़ रुपये की आय होगी। ट्रांसपोर्ट नगर की योजना हम शुरू कर रहे हैं, उससे हम सोचते हैं, 90 करोड़ के आसपास आय होगी। इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूं, माननीय सभापति महोदय, आने वाले दो-तीन महीनों में जो जोधपुर डवलपमेंट

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

अथोरिटी की 600 करोड़ रुपये की हमारी लायबिलिटी है, उसको लगभग एट-पार लाते हुए उन सब इलाकों में काम करने की कोशिश करेंगे जिन इलाकों में अभी तक काम नहीं हुआ है।

जहां तक आपने निवेदन किया है, मुख्य सड़कों की बात है, मैं इससे बचना नहीं चाहता, इस 600 करोड़ की लायबिलिटी के कारण दो-तीन सड़कों पर भी काम नहीं हो, यह स्थिति निश्चित रूप से सराहनीय नहीं हो सकती।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी, जोधपुर डवलपमेंट अथोरिटी के माध्यम से काम कराया जाए या जोधपुर नगर निगम के माध्यम से काम किया जाए, जो दो-तीन प्रमुख सड़कों की चर्चा आपने की है, उस पर निश्चित रूप से रिपेयर करा दी जायेगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

इसके साथ ही, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर के अन्दर दो प्रकार का काम है। एक तो जोधपुर का प्लाण्ड एरिया है एक उसके बाहर का इलाका है। माननीय सभापति महोदय, वहां मास्टर प्लान पास नहीं हुआ है, इसलिए हम कुछ नयी योजनाएं नहीं ला पा रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम वहां का मास्टर प्लान पास करेंगे। इस मास्टर प्लान के पास करने के बाद, चूंकि इलाका लैण्ड यूज के हिसाब से ईयरमार्क हो जायेगा, तय हो जायेगा, उससे नयी योजनाएं लाने के साथ ही हम इस दिशा में काम करेंगे।

आपने मुझे कहा है कि एम.एल.ए. फण्ड का पैसा भी यूज नहीं किया जा रहा, वह पैसा भी नहीं लग रहा है, यह निश्चित रूप से गम्भीर है। मैं इसकी निश्चित रूप से इंक्वायरी कराऊंगा और कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन जिम्मेदार अधिकारी को उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। जल्दी से जल्दी आपने जो एम.एल.ए. लैड फण्ड से पैसा दिया है और जिस काम के लिए पैसा दिया है, उस काम के लिए जल्दी से जल्दी उपयोग में आ जायेगा। मैं आपके मार्फत उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): सभापति महोदय, एक।

श्री सभापति: नहीं, यह जनरल डिस्कशन नहीं हो रहा है। विराजिये। विराजिये।

श्री सुशील कटारा।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मेरा एक निवेदन है।

श्री सभापति: मंत्रीजी ने बता दिया।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): नहीं, बात नहीं है, मैं तो सिर्फ... (व्यवधान) रोड की बात कर रहा हूं।उनको जल्दी से जल्दी कराएं। (व्यवधान).

श्री सभापति: यह कह दिया है न कि तीनों करा देंगे आपकी। यह मंत्रीजी ने कहा है अभी।

श्री सुशील कटारा जी।

पंचायती राज संस्थाओं के जन-प्रतिनिधियों को बजट एवं अधिकार

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाह रहा हूं, निवेदन भी करना चाह रहा हूं कि हाल ही में पंचायती राज के चुनाव हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य को किसी प्रकार का कोई बजट आबंटन नहीं है। मैं भी 2009 से 2013 तक जिला परिषद का सदस्य रहा, जिला परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहा पर एक हैण्डपम्प का ठूंटा भी नहीं लगा पाया क्योंकि मेरे पास बजट नहीं था। पिछले 2003 और 2008 के कार्यकाल में मैं विधायक था ...

श्री सभापति: कुछ बजट तो चुनाव में मिला ही होगा। बोलिये। बोलिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): 2003 से 2008 की विधान सभा में मैं विधान सभा का सदस्य था, हमारे माननीय मुख्य सचेतकजी उस समय पंचायती राज मंत्री थे और मैंने 2006 में भी यह प्रश्न 295 के माध्यम से उठाया था। इस बार हमारे भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस प्रश्न को 295 के माध्यम से उठाया।

तो हमेशा हम यह कहते आ रहे हैं कि उनको बहुत सारे अधिकार ग्रामीण क्षेत्रों में दे रखे हैं, वे पंचायतों में जाएं, जिला परिषद की बैठक में जाएं, पंचायत समितियों की बैठक में जाएं और अपनी बात को वहां रखें। सरपंच को अधिकार है, प्रधान को अधिकार है, जिला प्रमुख को अधिकार है पर पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। वे जिला परिषद की तीन माह में एक बार बैठक में जाते हैं, चाय पीते हैं, चिप्स खाते हैं, समोसा खाकर राम-राम करके वापस आ जाते हैं।

मेरा निवेदन है, इस बार तो देश के इतिहास में राजस्थान ने पहली

(श्री सुशील कटारा)

बार ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन किया है कि हर किसी को, दसवीं पास को पंचायत राज में चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है और पढ़े-लिखे लोग, एम.ए., एम.एससी., बी.एससी. किये हुए डिग्रीधारी लोग पंचायती राज के क्षेत्र में जीत कर आये हैं। देश के कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आन्ध्र प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था है जहां पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों को, जिला परिषद को कम से कम 25 लाख और पंचायत समिति को 10 लाख रुपये का बजट आबंटन करें तो वे अपने गांव में नाली या अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो भी छोटा-मोटा काम है वह करवा सकते हैं।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह पूरे राजस्थान की ही बात है और पूरे राजस्थान में पढ़े-लिखे लोग जीत कर आये हैं, तो आप आश्वासित करें कि इन नये पढ़े-लिखे लोगों को भी, अपने क्षेत्र में कह तो सकें। कई सारे कालेज के मेरे साथी हैं जो इस बार जिला परिषद सदस्य जीत कर आये हैं और पंचायत समिति के सदस्य जीत कर आये हैं तो जीत कर आने के बाद में वे कहते हैं कि साहब, यह हैण्डपम्प हम करा देंगे, यह पुलिया बना देंगे, यह रोड बना देंगे, तो मुझे मन में हंसी आती है। पांच साल मैं भी जिला परिषद सदस्य रहा था तो एक रोड या एक पुलिया नहीं करवा पाया था क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा बजट नहीं था। अधिकारी के माध्यम से, जरूर है, काम करवाये थे।

(13.00 बजे)

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ बजट जिला परिषद और पंचायत राज सदस्यों को मिले, जो अनुशंसा करें और उनके माध्यम से काम हो। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं, अभी जैसा इन्होंने कहा कि पंचायती राज के चुनाव हुए हैं और उनको बजट आबंटन करने के बारे में जिक्र किया, मेरा इनसे निवेदन है कि जिला परिषदों, पंचायत समितियों में और पंचायतों में विकास के लिए सीधा पैसा एस एफ सी, टी एफ सी और निर्बन्ध राशि योजना के तहत पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को भेजा जाता है। इसमें 3 परसेंट जिला परिषद को, 12 परसेंट पंचायत समिति में और 85 परसेंट सीधा पंचायतों में सरपंच को जाता है। यह

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

पैसा उनकी सहमति से ही खर्च होता है। इसलिए अलग से 25 लाख और 50 लाख देने की जरूरत नहीं है, यह पैसा आपसी सहमति से ही खर्च होता है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि इन पैसों का सदुपयोग करें और पंचायतों को सुदृढ़ करें, पंचायती राज को सुदृढ़ करें। धन्यवाद।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी ने बड़े सीधे तौर पर जवाब दे दिया कि एस एफ सी, टीएफसी और निर्बन्ध योजना का पैसा पंचायत समिति और जिला परिषद को मिलता है और वहां पर उनकी सहमति से खर्च होता है। जहां किसी एक पक्ष का प्रमुख या प्रधान होता है उनके सदस्यों को पूछकर या अनुशंसा पर कर देते हैं। बाकी, विपक्ष के सदस्यों को 5 साल में कोई पूछता ही नहीं है। वह 5 साल सदस्य रहे ऐसा भी उनको आभास तक नहीं होता है। हर बार पंचायत राज चुनाव में परिवर्तन होता आ रहा है, कभी महिला, कभी पुरुष, कभी ओ बी सी, कभी जनरल। इसलिए उनको पूछा ही नहीं जाता है जिला प्रमुख या प्रधान द्वारा कि यह प्रस्ताव आप लाओ, हम करवायेंगे।

श्री सभापति: मंत्रीजी ने आपकी बात सुन ली। आपको समझा भी दिया, 3 परसेंट, 12 परसेंट और 85 परसेंट। उसमें से देख लो, कोई बैठता हो, तो। आपकी अभिशंसा भी चलेगी उसमें, एम एल एज के अलावा जो जिला परिषद के मेम्बर हैं।

श्री राजेन्द्र सिंहजी भादू।

सूरतगढ़ तहसील सहित इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में लम्बे समय से जारी सेम की समस्या

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के अन्दर और खासकर के मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की राजस्व तहसील सूरतगढ़ में सेम की समस्या बहुत लम्बे समय से है और निरन्तर बढ़ती आ रही है। वैसे तो यह सेम की समस्या जब इंदिरा गांधी नहर का यहां निर्माण हुआ और जहां से यह गुजरी, शुरुआत इसकी इंदिरा गांधी नहर के मसीतावाली हैड के आसपास पानी के दबाव से शुरू हुई।

श्री सभापति: यह सेम की स्पेलिंग क्या है, इसकी? यह सेम की समस्या, स्पेल-आउट करो इसको आप।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): हां, जी। सेम की समस्या, पानी जो नीचे से, वाटर लोगिंग जिसे कहते हैं। अंग्रेजी मैं ज्यादा जानता नहीं, लेकिन वाटर लोगिंग जिसे कहते हैं।

श्री सभापति: हां, वाटर लोगिंग।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): पानी नीचे से, जमीन में से पानी ऊपर निकलने लग जाता है।

श्री सभापति: हां, बोलिए। बोलिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): वाटर सीपेज जिसे कहते हैं। यह बाद में दलदल बन जाती है। सेम की समस्या बाद में धीरे-धीरे दलदल का रूप ले लेती है।

मैं इसी सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था कि हनुमानगढ़ जिले के मसीतावाली हैड के आसपास डबलिया, आदि गांव में सेम की समस्या की शुरुआत हुई।

श्री सभापति: पंचायत मंत्रीजी, आप वरिष्ठ सदस्य भी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वापस आ जाओ।

श्री सभापति: यह उचित नहीं है। बोलिए। बोलिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): इसके बाद में हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा, आदि क्षेत्र के अन्दर जहां जमीन में नीचे चूना था, वहां इस समस्या का तेजी से विस्तार हुआ। चूने के अन्दर पानी धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया और हालात ये बन गए कि पीलीबंगा तहसील के बड़ोपला आदि गांव के अन्दर तो आज, जिस तरह से अभी माननीय सदस्य बता रहे थे, बिलकुल दलदल की स्थिति बनी हुई है। वहां अगर हम सीधे खड़े रहना भी चाहें, उस भूमि पर, तो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वह धीरे-धीरे अन्दर रिसने लग जाती है और पानी अपने आप ऊपर आने लग जाता है। ऐसी भयावह स्थिति उस क्षेत्र के अन्दर बन चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकारों ने जब सेम की शुरुआत हुई तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। माननीय स्वर्गीय भैरोंसिंहजी शेखावत जब राजस्थान के मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया और इस गम्भीर समस्या पर विशेष रूप से ध्यान देकर, इस पानी को, इस दलदल को कम करने के लिए वहां एक सेम नाले का निर्माण किया। उस सेम नाले के माध्यम से उस पानी को लिफ्ट करके वापस सूरतगढ़ ब्रांच के अन्दर डाला गया। लेकिन यह काम थोड़े समय तक ही चला। राज का परिवर्तन हुआ,

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

कांग्रेस दुबारा सत्ता में आई तो वह सारे के सारे काम जिस तरह से होने चाहिए थे, जो सरकार की मंशा थी, जो हमारे इंजीनियरों की मंशा थी, उसके मुताबिक नहीं हुए और सेम की समस्या दुबारा शुरू हो गई।

उसके बाद में, 2003 से 2008 के बीच में माननीया वसुंधराजी जब प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं तो उन्होंने इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का दौरा किया। उस दौरे के अन्दर जब उन्होंने पाया कि किस तरह से सेम नाले का निर्माण करके इस पानी को उठाकर नहर में डालने का काम किया जा रहा था और उसको पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया, तो पुन: उन्होंने इसका आदेश देकर उस सेम नाले का निर्माण शुरू किया। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस की सरकार फिर सत्ता में आ गई और वह सारे के सारे काम पिछली सरकार में बंद हो गये।

इसके साथ-साथ, जो आगे का क्षेत्र था, जो इंदिरा गांधी नहर के मुख्य हैड, 415 नम्बर हैड है, उससे पहले का क्षेत्र जो मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र का हिस्सा है, उसमें आज से ठीक 5 साल पहले मात्र 5-7 हजार बीघा में सेम आई हुई थी, लेकिन उसके बाद पिछले 5 साल में सरकार द्वारा कुछ नहीं करने से, नहरों के चारों तरफ से पानी लीकेज होने से वह सेम की समस्या बढ़ गई। आज मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र की सूरतगढ़ राजस्व तहसील में कम से कम 70-75 हजार बीघा में सेम आ चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, यह एक ऐसी समस्या है जो किसान को अपना खेत छोड़ने पर मजबूर कर रही है। इस क्षेत्र के किसानों की, जिनके पास भूमि थी, अच्छी जिन लोगों के पास पैदावार होती थी, लेकिन देखते ही देखते आज क्या हालात हो गये उस क्षेत्र के किसानों के कि वे आज पूरी तरह से भूखमरी के कगार पर हैं। उस क्षेत्र के किसानों को मनरेगा के अन्दर मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। उस भूमि पुत्र को आसपास के क्षेत्रों में चिनाई करने वाले मजदूरों के साथ मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि उसकी काश्त-योग्य जो भूमि थी वह पूरी तरह से तबाह हो चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि यह सेम बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह जो जमीन से सीपेज का सिस्टम है, यह इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अगर इस पर समय रहते सरकार द्वारा कोई ठीक ढंग से योजना बनाकर इसका काम शुरू नहीं किया गया तो आने वाले समय में, आप यह तय मानिए, इंदिरा गांधी

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

नहर के प्रथम चरण के अन्दर सारे का सारा किसान बेरोजगार हो जाएगा, सारी उसकी भूमि छिन जाएगी। जिस तरह से यह सेम बढ़ रही है, इसका निस्तारण होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए बहुत गम्भीरता से राज्य सरकार को सोचना चाहिए। आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान मैं इस ओर इंगित करना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिए।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, मैं भी इसके बारे में कुछ बोलना चाहूंगी।

श्री सभापति: आपने पर्ची थोड़े ही दी थी?

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): यह सेम ही मैटर है मेरा भी। सेम की बहुत ज्यादा समस्या है।

श्री सभापति: आप भी बोल लीजिए एक मिनट।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): मंत्रीजी भी बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे यह जवाब भी चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की तहसील रावसर व पीलीबंगा में पिछले 35-40 वर्षों से सेम की बहुत गम्भीर समस्या है। इससे क्षेत्र की हजारों बीघा जमीन नष्ट हो चुकी है। काश्तकारों की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। सरकार ने सेम समस्या के समाधान के लिए इस बार बजट में 800 करोड़ रुपए भी रखे हैं, लेकिन काम शुरू नहीं होने से मेरे पीलीबंगा क्षेत्र में काश्तकारों का जाखड़ावाली में 150 दिन से धरना चल रहा है। मैं मंत्रीजी से जवाब चाहूंगी कि वास्तव में इस समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा? यह मंत्रीजी जवाब दें।

श्री सभापति: मंत्री महोदय दे रहे हैं जवाब।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, पहले तो मैं आपकी जिज्ञासा का निराकरण कर दूं कि यह सेम 'SHAME' नहीं है।

श्री सभापति: वह मैं समझ रहा हूं। यह धीरे-धीरे हम सबके लिए 'शेम' हो गई है।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): लेकिन यह सेम उससे भी ज्यादा 'शेमफुल' है।

श्री सभापति: शेम-शेम।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, शेमफुल मैं इसलिए कह रहा हूं कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की कम से कम डेढ़ लाख बीघा जमीन इसकी वजह से बंजर हो चुकी है। यह समस्या 40-45 साल से चल रही है। माननीय सभापति महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि सबसे ज्यादा क्षेत्र जो प्रभावित है, वह सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र है और पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र भी कम नहीं है।

हमारी सरकार इसके प्रति गम्भीर है। गम्भीरता का नमूना मैं आपसे निवेदन करूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने जब इंदिरा गांधी नहर का हरिके बैराज से लेकर टेल तक निरीक्षण किया तो इस सेम समस्या को उन्होंने 5-6 जगह जाकर के नजदीक से देखा। हमारे वक्त में 2-3 पायलट प्रोजेक्ट बनाये गये। जैसा अभी माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि पानी को लिफ्ट करके सूरतगढ़ ब्रांच में डालना था। इसी तरीके से जब हमारी सरकार केन्द्र में अटलजी की थी, उस वक्त हमारे एम पी थे निहालचंदजी, जो अभी केन्द्र में मंत्री हैं, वे वहां से एक पायलट प्रोजेक्ट लेकर आये। दोनों के नतीजे बहुत ही सकारात्मक थे, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि पिछले पांच साल में जो हमने वहां पर लिफ्ट करने के लिए मोटर लगायी थी और 300 हार्सपावर का ट्रांसफार्मर था, उस ट्रांसफार्मर को चोरों ने नीचे गिराकर उसका ताम्बा निकालकर ले गये और पूर्ववर्ती सरकार में उसकी एफआईआर ही लोज नहीं हुई। हमने अब उसको दुबारा रिवाइव किया है, दूसरा ट्रांसफार्मर वहां लगा दिया है और जो मोटर थी, वह मोटर उस क्षारीय पानी में, खारे पानी में रहने के बाद में उसके पम्प खराब हो गये थे, वे स्पेशल डिजाइन किये गये। दुबारा बनवाकर उस ड्रेन को हम रिवाइव करेंगे, उसकी साफ-सफाई करेंगे।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, चूंकि हमारी सरकार आने के बाद और माननीय मुख्य मंत्री महोदया का खास तौर से इस बारे में निर्देश था, हमने एक वृहद् योजना तैयार की है, 2,885 करोड़ रुपये की वह परियोजना है और केन्द्र सरकार को हमने स्वीकृति के लिए भेज भी दिया है, जिसके अन्दर इंदिरा गांधी फीडर का पार्ट प्लस इंदिरा गांधी मुख्य नहर और इसकी वितरिकाएं और जिसका जिक्र अभी माननीय सदस्य ने किया है, ब्रांचेज जितनी हैं, उनका जीर्णोद्धार का भी काम होगा जिससे यह सेम का या वाटरलोगिंग का मेजर कम्पोनेंट है जो आई जी एन पी की दुर्दशा की वजह से है, वह कम्पोनेंट है, उसका भी इलाज होगा और साथ में पानी की भी सेविंग होगी।

(डा. रामप्रताप)

निश्चित तौर पर हमारी सरकार गम्भीर है और इस काम को हमें युद्ध स्तर पर करना है।

श्री सभापति: धन्यवाद मंत्रीजी। आपकी बात का जवाब आ गया।

श्री शंकर सिंहजी।

ब्यावर में जालिया प्रथम पुलिया के निकट सर्विस रोड के अभाव से कारित परेशानी

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, ब्यावर से पिण्डवाड़ा फोर लेन रोड जा रहा है, उसमें जालिया प्रथम के पास क्रोसिंग में पुलिया के दोनों तरफ सर्विस रोड नहीं बनायी गयी है। वहां से ऊपर से उतरने वाली और चढ़ने वाली गाड़ियों को कोई रास्ता नहीं है। वहां बहुत असुविधा है। दोनों तरफ नाले भी नहीं बनाये गये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि सर्विस रोड कब तक बनेंगे या नहीं बनाएंगे? आने-जाने वाले काश्तकारों को भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है।

उदयपुर रोड चुंगी नाका के पास में जो किशनगढ़ से ब्यावर तक रोड बन रहा है, उसमें भी उदयपुर रोड चुंगी नाका के पास में एक साल से काम बंद पड़ा है। वह काम बंद होने से रोड पर चारों तरफ खड्डे हो रखे हैं और हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। वहां पर पुलिया कब शुरू होगी, यह भी कोई पता नहीं है। एक साल से इस कंपनी का काम बंद पड़ा हुआ है।

इसी प्रकार, अजमेर रोड पुलिया के पास श्री सीमेंट की जो रेलवे लाइन जाती है, उस रेलवे लाइन के ऊपर से सर्विस रोड बहुत छोटी बनायी हुई है। उसके कारण वहां कई बार एक्सिडेंट होते रहते हैं। एक भरा हुआ सीमेंट का ट्रौला अन्दर लटक गया था उस रेलवे लाइन पुलिया के ऊपर से। कई बार वहां पर घटनाएं घट चुकी हैं। सर्विस रोड थोड़ी लम्बी बननी चाहिए। उस वजह से ये घटनाएं घट रही हैं। उसको भी लम्बी बनाने के लिए आप कार्यवाही करें।

चौथा, किशनगढ़ से ब्यावर रोड आ रहा है, उसमें अजमेर-पर्वतपुरा पुलिया का काम भी काम अपूर्ण पड़ा है। एक साल हो गया है। वहां भी आने-जाने वालों को हमेशा दिक्कत रहती है। वहां वाहनों की लाइनें लगी रहती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि यहां जो कम्पनी काम कर रही है उसको आप बताएं और यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा और वे सर्विस रोड कब चालू हो जाएंगे, यह आप हमें बताएं। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जो यह सड़क बन रही है, यह बात सही है कि माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया, इसका जो कार्य था वह जून, 2014 में पूर्ण होना था, लेकिन आज तक पूर्ण नहीं हो पाया। उसमें देरी हुई है और देरी के बहुत सारे कारण रहे हैं। स्थानीय स्तर पर कई जगह आंदोलन हुए, कइयों ने अण्डरपास मांगा, कइयों ने ओवरब्रिज मांगा, कई जगह भूमि विवाद हुए, इस वजह से यह देरी हुई।

ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने विशेष रूप से वी यू पी के पास में जो हमारी सर्विस लेन की बात कही है, उसके निर्माण का काम चल रहा है, डब्ल्यू बी एम हो गया है, शीघ्र ही उस पर बी टी होकर वह काम पूरा हो जाएगा।

आपने तीन मुद्दे और उठाए हैं किशनगढ़-ब्यावर पुलिया का, श्री सीमेंट का, अजमेर-पर्वतपुरा का, ये तीनों प्रकरण दिखा लिये जाएंगे। वैसे आज हमने पी डी को डाइरेक्शन दिये हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा 97 परसेंट काम पूरा हो गया, 3 परसेंट जो काम बचा हुआ है इसको भी हम अगली तिमाही में शीघ्र पूरा कर देंगे। उसके बाद में ही उनका टोल शुरू हो पाएगा। इसलिए एल एण्ड टी इसका काम कर रही है, उसको और हम निर्देश जारी कर देंगे कि माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये हैं उन पर ध्यान दें। जहां दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, उनको विशेष रूप से दिखवा लेंगे और एन एच ए आई को आवश्यक निर्देश जारी कर देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। हो गई बात।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहूंगा कि आपने जो बताया है कि गिट्टी डाल दी गयी है, निर्माण कार्य चालू है, शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा; मेरा आपसे निवेदन है कि वहां गिट्टी तो छोड़ो, कहीं काम शुरू भी नहीं हुआ है। जे सी बी भी नहीं पहुंची है, फसल खड़ी है और साइड में पूरे के पूरे ढेर लगे हुए हैं। पुराने जो लगे हुए थे, वे ही हैं। किसी प्रकार का कार्य शुरू नहीं हुआ है। आपको गलत रिपोर्ट दी गयी है, मेरा आपसे निवेदन है कि अधिकारियों से मालूम करें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इसमें स्काप आफ चेंज के तहत यह वी यू पी बना है और इसके पास में 5.5 मीटर का लेन बनना है। उसका कार्य शीघ्र हो जाएगा। चूंकि यह एन एच आई की रिपोर्ट है, एन एच आई ने हमें अभी रिपोर्ट भेजी है, आज आपने जब पर्ची के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया है। इसको और दिखवाकर शीघ्र पूरा करवा देंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त विभाग की 54 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 54 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-193 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-194 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8 की उपधारा-(2) के अन्तर्गत अनुसूची-1 में संशोधन किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-195 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8 की उपधारा-(3 क) के अन्तर्गत अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-196 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत एयरलाइन्स को की गई ए टी एफ की बिक्री पर कर से छूट प्रदान की गई हैं;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-197 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत शिड्यूल्ड कॉमर्शियल फ्लाइट को कर से छूट प्रदान की गई है;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-198 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-4 की उपधारा-(5) के अन्तर्गत अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

7- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-199 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-4 की उपधारा-(5) के अन्तर्गत अनुसूची-V में संशोधन किया गया हैं;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-200 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-4 की उपधारा-(5) के अन्तर्गत अनुसूची-VI में संशोधन किया गया हैं;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-201 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-18 दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

10- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-202 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2005-7 दिनांक 13.4.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

11- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-203 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)वित्त/कर/11-134 दिनांक 9.3.2011 में संशोधन किया गया है;

12- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-204 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)वित्त/कर/11-136 दिनांक 9.3.2011 में संशोधन किया गया है;

13- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-205 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-20 दिनांक 8.7.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

14- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-206 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत कार्य संविदा के सम्बन्ध में सशर्त कर से छूट प्रदान की गई है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

15- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-207 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-20 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या: एफ.12(91)वित्त/कर/2011-71 दिनांक 17.10.2012 को अतिष्ठित किया गया है;

16- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-208 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-20 की उपधारा-(2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या : एफ. 12(63)वित्त/कर/2005-81 दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अतिष्ठित किया गया हैं;

17- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-209 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(18)वित्त/कर/2008-51 दिनांक 26.7.2012 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

18- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-210 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 में संशोधन किया गया है;

19- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-211 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा-3 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत प्रवेश कर की दर निर्धारित की गई है;

20- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-212 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा-9 के अन्तर्गत प्रवेश कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

21- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-213 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ. 12(59) वित्त/कर/2014-86 दिनांक 30.7.2014 को विखण्डित किया गया है;

22- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-214 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 में संशोधन किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

23- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-215 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 की धारा-4(क) के अन्तर्गत मैरिज हाल के लिये प्रशमन योजना, 2015 अधिसूचित की गई है;

24- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-216 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(11)वित्त/कर/2013-114 दिनांक 6.3.2013 में संशोधन किया गया है;

25- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-217 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 की धारा-7 के अन्तर्गत कम्युनिटी हाल को कर में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है;

26- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-218 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 की धारा-7 के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में निश्चित कालावधि के लिए कर में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है;

27- अधिसूचना संख्या : एफ.12(23)वित्त/कर/2015-219 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा-3 के अन्तर्गत विद्युत शुल्क की दर निर्धारित की गई है;

28- अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)वित्त/कर/2015-220 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा-78 की उपधारा-(2) के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्ति के पक्ष में आबंटित आवासीय भूखण्ड/निवास इकाई के सम्बन्ध में निष्पादित पट्टा/विक्रय पत्र पर पंजीयन शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

29- अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)वित्त/कर/2015-221 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप धारा-(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या राजकीय उपक्रमों के पक्ष में निष्पादित अचल सम्पत्ति के दान पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी का परिहार किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

30- अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)वित्त/कर/2015-222 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा-78 की उपधारा-(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या राजकीय उपक्रमों के पक्ष में निष्पादित अचल सम्पत्ति के दान पत्रों पर देय पंजीयन शुल्क का परिहार किया गया है;

31- अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)वित्त/कर/2015-223 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9-क के अन्तर्गत ब्याज की दर 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि से घटाकर 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण की गयी है;

32- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-224 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9-क के अन्तर्गत शास्ति की दर 2 प्रतिशत मासिक से घटाकर 1 प्रतिशत मासिक की गई है;

33- अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)वित्त/कर/2015-225 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप नियम-(1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत बहुमंजिला भवनों के अधीन आनुपातिक भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है;

34- अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)वित्त/कर/2015-226 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप नियम-(1) के खण्ड (ख) तथा उप नियम (4) के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी की भूमियों के मूल्यांकन के लिए बाजार मूल्य निर्धारित किया गया है;

35- अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)वित्त/कर/2015-227 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-53 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है;

36- अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)वित्त/कर/2015-228 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(47)वित्त/कर/09-04 दिनांक 9.4.2010 में संशोधन किया गया है;

37- अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)वित्त/कर/2015-229 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप धारा-(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति के कब्जे के बिना निष्पादित बंधक पत्रों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

38- अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)वित्त/कर/2015-230 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप धारा-(1) के अन्तर्गत ऋण समनुदेशन के दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

39- अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-231 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप नियम-(1) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत संनिर्माण भाग के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिये दरें अवधारित की गई हैं;

40- अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)वित्त/कर/2015-232 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप नियम-(1) के खण्ड (ड.) के अन्तर्गत संनिर्मित भाग के ह्रास की गणना के लिए मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

41- अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)वित्त/कर/2015-233 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;

42- अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)वित्त/कर/2015-234 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 (जिल्द -1) में संशोधन किया गया है;

43- अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)वित्त/कर/2015-235 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप धारा-(1) के अन्तर्गत आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखण्डों के एक ही वित्तीय वर्ष में पश्चात्वर्ती हस्तान्तरण के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

44- अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)वित्त/कर/2015-236 दिनांक 9.3.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप धारा-(1) के अन्तर्गत प्रायोजक निकाय से प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पक्ष में अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

45- अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)वित्त/कर/2015-237 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा -9 की उप धारा-(1) के अन्तर्गत युद्ध विधवा द्वारा गृह ऋण के लिये वित्तीय संस्थाओं, बैंक अथवा सहकारी समितियों के पक्ष में निष्पादित बंधक पत्रों पर देय स्टाम्प ड्यूटी का सशर्त परिहार किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

46- अधिसूचना संख्या : एफ.4(4)वित्त/कर/2015-238 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा-78 की उप धारा-(2) के अन्तर्गत युद्ध विधवा द्वारा गृह ऋण हेतु वित्तीय संस्था, बैंक या सहकारी समिति के पक्ष में निष्पादित बंधक पत्र पर देय पंजीयन शुल्क का परिहार किया गया है;

47- अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)परि/कर/मु/95/1 एस दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)परि/कर/मु/95/1 आर दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है;

48- अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)परि/कर/मु/95/3 एम दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)परि/कर/मु/95/3 एच दिनांक 1.3.2002 में संशोधन किया गया है;

49- अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)परि/कर/मु/95/5 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा-3 की उप-धारा(1) के अन्तर्गत स्लीपर यान से भिन्न वातानुकूलित यात्री यानों पर देय विशेष पथ कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

50- अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)परि/कर/मु/95/3 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)परि/कर/मु/95/2 दिनांक 14.7.2014 को अतिष्ठित किया गया है;

51- अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)परि/कर/मु/95/4 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा-3 की उप-धारा(1) के अन्तर्गत नि:शक्तजन के उपयोग में लिये जाने वाले चार पहिया वाहनों पर देय एकबारीय कर में छूट प्रदान की गई है;

52- अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)परि/कर/मु/95/6 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा-3 की उप-धारा(1) के अन्तर्गत मोटरवाहन कर, विशेष पथ कर, अधिभार, शास्ति एवं ब्याज में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

53- अधिसूचना संख्या : एफ.14(7)खान/ग्रुप-II/2014 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 में संशोधन किया गया है; एवं

54- अधिसूचना संख्या: एफ.12(23)वित्त/कर/2015-239 दिनांक 9.3.2015, जिसके द्वारा राजस्थान विनिधान प्रौन्नति स्कीम, 2014 के उपबन्धों में संशोधन किया गया है।

श्री सभापति: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2014-2015, समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगी।

समिति प्रतिवेदन

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति

(वर्ष 2014-15) (क्र. सं. 1)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2014 -2015 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री कालू लाल जी गुर्जर।

कार्य सलाहकार समिति (क्र. सं. 12)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 10 मार्च, 2015 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि गुरुवार, दिनांक 26 मार्च, 2015 से बुधवार, दिनांक 1 अप्रैल 2015 तक सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय:-

गुरुवार, दिनांक 26 मार्च 2015	1. राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक 2015 पर विचार एवं पारण;
	2. राजस्थान वित्त विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण;
	3. अतिरेक मांगें वर्ष 2010-11 तथा अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2014-15 पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण; एवं
	4. राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2015 एवं राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015 का पुर:स्थापन, उन पर विचार एवं पारण।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च 2015	1. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015, एवं 2. राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 -पर विचार एवं पारण।
शनिवार, दिनांक 28 मार्च 2015	
रविवार, दिनांक 29 मार्च 2015	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 30 मार्च 2015	
मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2015	राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार।
बुधवार, दिनांक 1 अप्रैल 2015	गैर सरकारी कार्य दिवस। (मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे से 5.00 बजे तक)

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 12वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 12वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-16 पर अग्रेत्तर वाद-विवाद। श्री मोहनलाल गुप्ता।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मोहनलाल जी के पास काफी मैटेरियल है, मोहनलाल जी ने काफी अच्छी तैयारी की है, इनको अपने भाषण के दौरान कोई विशेष प्रयोजन, पानी या इनकी व्यवस्था कराने की आवश्यकता है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): धन्यवाद, आपने ध्यान रखा मेरा। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): राठौड़ साहब से कह दो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अच्छा, राठौड़ साहब की मेहरबानी कल नहीं हुई।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): पानी या बिस्किट। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): इनका भाषण, भाषण नहीं, भीषण होने वाला है।

श्री सभापति: अगर इनका भाषण भीषण होने वाला है तो पहले मैं मधुर वालों को बुला लूं? (व्यवधान) आप बोलिए।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, आज बजट पर बहस और उसमें विपक्ष की अनुपस्थिति, यह विपक्ष की लापरवाही और जनता के प्रति जवाबदेही का निराशाजनक प्रदर्शन है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री, हमारे मुख्य सचेतक और विधान सभा के अध्यक्ष महोदय द्वारा निवेदन करने के बाद भी विपक्ष यहां मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या समझा जाए? बहस का मजा तो तब आता, जब वे सामने होते; वे हमसे पूछते और हम उनसे पूछते। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मेहंदी लगी हुई है इनके हाथों में। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह कल आपने ही लगाई है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मेहंदी? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अब आप भी टोकोगे क्या? (व्यवधान) विपक्ष का सामने नहीं होना, यह लोकतंत्र के सच्चे अनुयायियों का परिचायक नहीं है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र को नहीं मानते हैं।

श्री सभापति: आप एक शेर में ऐसे भी कह सकते थे, उल्फत का जब मजा कि वह भी हो बेकरार। चलिए, अब आगे कहिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जब वह भी हो बेकरार। बिलकुल ठीक, आपने मेरा शेर कह दिया। (व्यवधान)

कल विपक्ष के सदस्यों से कुछ बात हुई थी, मैंने कहा कि आप लोग आइए, बैठिए, बहस में हिस्सा लीजिए। उन्होंने कहा कि हम सोचते हैं, विचार करते हैं।

श्री सभापति: आपके कहने के बाद में भी नहीं आये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं आये। नहीं आये। विधान सभा अध्यक्ष महोदय ने कह दिया, उसके बाद भी नहीं आए। यही लोकतंत्र के प्रति उनका दृष्टिकोण है। (व्यवधान) राजस्थान की जनता देख रही है। ऐसा लगता है कि उनमें डर बैठा हुआ है कि यह कितना अच्छा बजट है, इस पर हम क्या बोलेंगे, क्या आलोचना करेंगे। उनमें डर बैठा हुआ है। आते, आलोचना करते, हमको बताते, सुधार करते, जनता की बातों को सदन के सामने रखते, अच्छा होता। और भी अच्छा है, कल आ जायें; आज नहीं आये, कोई बात नहीं, कल आ जायें; कल आकर अपनी बात रख दें। यह कांग्रेस जिस प्रकार से देश भर में हारी है और राजस्थान में जिस प्रकार से इनकी स्थिति हुई है।

श्री सभापति: Tomorrow never comes.

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बहुत ज्यादा निराशा उनमें आ गई है। मैं समझता हूं कि सच्चा विपक्ष भी, दृढ़ विपक्ष भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इसलिए उनको प्रजेंट रहना चाहिए। सारा सदन उनसे अनुरोध करता है कि वे कृपया सदन में आएं।

अब मैं कुछ बातें लाया था उनको सुनाने के लिए, उनके पीछे से सुना रहा हूं। 2008 में उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, बहुत सारी बातें कही थीं, चार साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया।

श्री सभापति: यह राजपालसिंह जी और कालीचरण जी आपकी बात सुन लें, इसका मतलब समझो कि उन्होंने सुन लिया।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इन्हीं को सुना रहा हूं मैं; इनको सुना रहा हूं, आपको सुना रहा हूं। बाकी सदस्य आटोमेटिक सुन ही लेंगे। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए इनका भाषण सुनना। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): 2008 में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था, उन्होंने कहा था कि 1 लाख जाब्स हम प्रति वर्ष देंगे, दिये क्या उन्होंने? सारा सदन जानता है कि कितनी जाब्स उन्होंने दीं और कितना काम उन्होंने किया। और हमसे पूछते हैं कि 100 दिन में आपने क्या किया? 6 महीने में आपने क्या किया? साल भर में आपने क्या किया? वे अपने 5 साल के कार्यों का विवरण दें कि उन्होंने कितने बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार दिया।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

उन्होंने कहा था कि हम अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की शत-प्रतिशत अनुपालना करेंगे। वोट तो ले लिये अल्पसंख्यकों के लेकिन कमेटी की रिपोर्ट की अनुपालना नहीं की।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया था कि पहली क्लास से इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे बच्चों को ताकि पहली क्लास से ही अंग्रेजी में शिक्षा मिले, अंग्रेजी में बोलें और प्रतिस्पर्द्धात्मक विषयों में भाग ले सकें। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का, क्या हुआ? उनके द्वारा किये गये प्रोमिसेज तो पूरे हुए ही नहीं और हिन्दी में भी बच्चे 'क-ख-ग' जानते नहीं हैं। आठवीं का बोर्ड समाप्त कर दिया और शिक्षा का जो स्तर है, उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा दी है। लेकिन उनका इलेक्शन प्रोमिस था कि अंग्रेजी की शिक्षा हम पहली क्लास से अनिवार्य करेंगे।

अभी आज सुबह ही हमारे नगरीय विकास मंत्री महोदय ने अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए बात की थी।

श्री सभापति: आप इधर देखें। आसन की तरफ मुखातिब हों।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सर, मैं उधर देख रहा हूं।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, परम्पराओं का पालन करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य की तरफ देख रहा हूं। (व्यवधान) मैं उधर नहीं देख रहा हूं, मैं विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य की तरफ देख रहा हूं।

श्री सभापति: आप किसी से भी प्रेम करें लेकिन इधर देखें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय सभापति महोदय, जब आपकी तरफ इंगित करते हैं तो उधर राजेन्द्र जी राठौड़ को भी करते हैं। नाम इनका लेते हैं लेकिन वह उधर करते हैं। थोड़ा ध्यान रखना।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ...(व्यवधान)... क्या बात है?

2011 में बिल पास किया था स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उसके रूल्स भी अभी तक नहीं बनाए। विधान सभा ने पास कर दिया वह बिल, रूल्स नहीं बनाये, स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी तय नहीं की। आज वे जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वह पुलिस की, नगर निगमों की और विभिन्न नौकरशाही के लोगों की जूतियां खा रहे हैं। अगर विधान सभा द्वारा वह बिल पास होने के बाद रूल्स बन जाते,

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

वेंडर्स पालिसी लागू हो जाती तो फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, विभिन्न प्रकार की रेहड़ियों पर काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा स्थान मिल जाता, सम्मानजनक स्थान मिल जाता। हमारी माताओं, बहनों को जमीन पर बैठने की यह स्थिति बना रखी थी, वह पैदा नहीं होती। बिल पास कर दिया, कुछ किया नहीं।

पिछली बार विधान सभा में एक और बिल पास किया गया था, राइट आफ सर्विसेज, और उस बिल के द्वारा यह कहा गया था कि सफाई इतने दिन में ठीक हो जाएगी, बिजली इतने दिन में ठीक हो जाएगी, सड़क इतने दिन में ठीक हो जाएगी, खड्डे इतने दिन में ठीक हो जाएंगे, यह इतने दिन में हो जाएगा; यह राइट दिया है लोगों को, अधिकार दिया; क्या हुआ? फिर उस बिल में तो बड़े व्यापक अधिकार दिये गये थे कि आपको अगर वो सर्विसेज नहीं मिले तो आप उस विभाग में कम्पलेंट कर सकते हैं, वो आपकी सुनवाई करेंगे और सुनवाई करके जिस अधिकारी ने वह काम नियत समय पर नहीं किया, उस काम को नहीं करने के प्रतिफलस्वरूप उसको दण्ड दिया जाएगा, उसकी तनख्वाह में से पैसा काटा जाएगा। कोई काटा क्या आज तक? यह बिल पास हो चुका, उसके नियम भी बन गये, उसकी पुस्तिका भी जारी हो गई लेकिन किसी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, किसी अधिकारी पर आज तक कोई पैनल्टी नहीं लगाई गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आई.टी.आई. की, यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई, पर क्या हुआ? उनको जमीन का आबंटन ही नहीं हुआ।

किस प्रकार से कांग्रेस ने सरकार चलाई है, इसका एक और उदाहरण है कि जाते-जाते उन्होंने किया, कि एक रुपये किलो राशन देंगे, दो रुपये किलो चावल देंगे। प्रदेश में बड़े-बड़े कैम्प लगाये गये और अयोग्य लोगों को राशन कार्ड दे दिये गये। कहीं-कहीं 102 प्रतिशत, कहीं-कहीं 105 प्रतिशत, कहीं-कहीं 110 प्रतिशत जनसंख्या के अनुपात के बावजूद भी लोगों को राशन कार्ड जारी कर दिये गये, फर्जी राशन कार्ड जारी कर दिये गये। आज जयपुर शहर की स्थिति क्या है कि यहां पर गरीब लोगों को राशन कार्ड ही जारी नहीं हुए। जयपुर के प्रति कांग्रेस की सरकार ने किस प्रकार का अन्याय किया है, इस बात का द्योतक है कि आज लोगों को राशन कार्ड भी नहीं मिले हैं। उनको राशन का गेहूं नहीं मिल रहा है। जितना खाद्यान्न का आबंटन था, उससे ज्यादा का आबंटन कर दिया।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

चुनाव जीतना है, साड़ी दो, कम्बल दो और पांचवें साल में दो। साड़ी दो, कम्बल दो, कम्प्यूटर दो, साइकिल दो, रिक्शा दो, गेहूं दो, चावल दो, स्कूटी दो, जनता को भिखारी बनाओ, पर आधारभूत सुविधाओं का विकास मत करो। बहुत प्रयास किया और गहलोत साहब पूछते थे कि और बताओ कि अब मैं क्या करूं? तीर्थयात्रियों को भेज दिया, सबको सब दे दिया लेकिन जनता ने उनको कुछ नहीं दिया और उनकी कुर्सी छीन ली। उनको पूरी तरह से हरा दिया। वे सामने वाले होते तो सुनते कि चार साल तक कुछ नहीं करना और पांचवें साल पैसा लुटाने में क्या जाता है, तो लुटा दिया। एक हजार करोड़ रुपये लुटाने थे तो लुटा दिये पर उससे क्या हुआ? यह कोई प्लानिंग है? साइकिल दे दी, स्कूटर दे दिया, यह दे दिया, व दे दिया, कम्बल दे दिया और वह भी केवल वोटों के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अब आप वापस लेने का काम कर रहे हो बिजली के माध्यम से।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कुछ तो बोले। कोई तो बोलो ताकि उसका जवाब भी देंगे। यही मैं कह रहा हूं। जे.डी.ए. की आर्थिक स्थिति खराब, पैसा नहीं, जोधपुर नगर निगम में पैसा नहीं, कोटा में पैसा नहीं; अलवर में पैसा नहीं है; पंचायतों की स्थिति खराब है। राज्य सरकार की स्थिति खराब है। एक लाख 67 हजार का घाटा किसे कहते हैं। बिजली का तो अलग है ही। इतना घाटा देकर सभी संस्थाओं को घाटे में छोड़ दिया। नगर निगम, नगर निगम की स्थिति और भी खराब।

मैं समझता हूं कि इस प्रकार से उन्होंने जो घोषणाएं की थीं, उन घोषणाओं पर अमल नहीं किया। जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की घोषणा की थी, क्या हुआ उसका?

श्री सभापति: बजट पर बोलिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): झुन्झुनूं में बन गया न? झुन्झुनूं में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना में कोई प्रगति नहीं हुई। नि:शक्तजन के लिए नई नीति की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। महिला अत्याचार एवं निवारण, संरक्षण सम्बन्धी विधेयक पारित नहीं किया गया; जयपुर में इंटरनेशनल म्यूजियम की स्थापना की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई; भरतपुर में कुश्ती सहित अन्य खेलों में एक खेल संकुल बनाने की घोषणा में कोई प्रगति नहीं हुई; प्रत्येक पंचायत समिति पर आई.टी.आई. संस्थान की स्थापना की दिशा में कोई काम नहीं हुआ; सभी गरीब बस्तियों में जलापूर्ति, रोशनी,

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

सड़क, ड्रेनेज का क्या हुआ? माननीय सभापति महोदय, यह कहा कि सारी कच्ची बस्तियों को हम पक्की बस्ती बना देंगे, सीवर लाइन से जोड़ देंगे, ड्रेनेज दे देंगे, रोशनी करेंगे, क्या हुआ? मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने यह भी प्रोमिस किया था परन्तु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लेकर कार्य करने की दिशा में कोई सरकारी प्रयास नहीं किये गये।

अभी जे.डी.ए. और नगर निगम की बात मैंने की, पंचायतों की बात की, पर विश्वविद्यालयों की स्थिति तो और भी खराब हो गई। विश्वविद्यालयों में तनख्वाह चुकाने के लिए भी पैसा नहीं है और उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए कोई काम नहीं किया गया।

एक घोषणा और की थी, उप खण्ड स्तर पर सभी कालेजों में वाणिज्य व विज्ञान संकाय की स्थापना की, क्या हुआ? डेयरी इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने की बात की थी, युवा बोर्ड के गठन की बात की थी। मैं याद दिला रहा हूं कांग्रेस के इन साथियों को कि कल मेरा भाषण पढ़ लेना; क्या हुआ युवा बोर्ड का? सभी राष्ट्रीय राजमार्गों व जिला मुख्यालयों पर ट्रौमा केन्द्र की स्थापना हम करेंगे, क्या हुआ? क्या सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर, राजमार्गों पर ट्रौमा केन्द्रों की स्थापना हुई?

श्री सभापति: बजट पर आइये आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आ रहा हूं मैं पर पहले इनको तो बता दूं कि ये क्या हैं और इन्होंने क्या किया।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, कांग्रेसी तो एक भी नहीं हैं तो फिर ये सुनाना किसको चाह रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र और बी.जे.पी. के घोषणा पत्र को? कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बेस है, तब तो यह ठीक है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप किधर बैठे हो? आप कहां बैठे हो? पक्ष में या विपक्ष में?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): भारतीय जनता पार्टी में बैठा हूं और कांग्रेस की छाती पर बैठा हूं। आपकी तरह डरकर बात नहीं करता।बात करो तो भाषण दो बजट पर।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): छाती पर बैठे हो तो बात सही कहनी पड़ेगी कि कांग्रेस ने क्या किया। पांच साल तक राज किया, भ्रष्टाचार किया, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया, जाते-जाते मोक्ष की प्राप्ति के लिए कम्बल

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

दिया, दान दिया, लुटाया, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति फिर भी नहीं हुई। 25 की 25 सीटें लोक सभा में हार गये। (व्यवधान) जयपुर में आ गई? घोषणाओं का अम्बार कर दिया। 77 हजार करोड़ का बिजली का घाटा छोड़ गये।

अब हमारे यहां बजट आया है, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया है और सभी वर्गों को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है। दो-ढाई हजार करोड़ रुपया केन्द्र से कम आ रहा है, केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं कम हो गईं, तेल की आय भी कम हुई है परन्तु उसके बावजूद भी किसी क्षेत्र में कोई कटौती नहीं की।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सुराना साहब ने भाषण दिया था कि....

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, आपका आशीर्वाद चाहूंगा।

श्री सभापति: मैं आशीर्वाद दे रहा हूं न।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप तो आशीर्वाद ही देते रहो।

श्री सभापति: उन्होंने कहा कि 12 हजार करोड़ रुपये ज्यादा मिलेंगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उनकी बात को मैं बाद में बताऊंगा। उस पर आ रहा हूं। आप भी मानते हो क्या कि मिले हैं?

श्री सभापति: मैं तो अभी कुछ नहीं मानता, मैं तो सुन रहा हूं और मैं इस पर कल बोलूंगा। आज तो यहीं बैठा हूं मैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): तब आप बोलकर जवाब दे देना।

माननीय सभापति महोदय, हमने स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य मंत्रीजी को 28 प्रतिशत बजट ज्यादा दिया है। पर्यटन पर 68 प्रतिशत बजट ज्यादा दिया है। 17 लाख आवासों की आवश्यकता है और 2022 तक के लिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि हम गरीबों को आवास देंगे। उसके लिए तो कुछ नहीं कहा ना? 17 लाख आवास हम देंगे। उसके लिए योजना बनाई है। जयपुर शहर में रिंग रोड देंगे; पृथ्वीराज नगर के पट्टे बांटेंगे; जयपुर को वाई-फाई सिटी बनायेंगे।

(13.40 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

मैं जयपुर पर आने से पहले ही एक बात और बताऊंगा कि मुख्य मंत्री महोदया ने बजट के तुरन्त बाद अपने मंत्रिमण्डल की बैठक बुलाई।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

सभापति महोदय, बैठक में यह कहा कि यह बजट आप लोगों के सामने है, इस बजट के टार्गेट पूरे होने चाहिये, इसकी गुणवत्ता पूरी होनी चाहिये। यह सब मंत्रियों को ताकीद कर दिया है और यह जिम्मेदारी इन सब मंत्रियों पर है कि बजट में की गई घोषणाओं को पूरा करें और राजस्थान की जनता का विकास करें, राजस्थान की जनाकांक्षाओं को पूरा करें। बजट जो आपको मिलना था, मिल गया।

एक बात जो कहते हैं, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपकी इजाजत से कि think globally, act locally. माननीय सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: चलिये, आपने हमारा ध्यान तो आकर्षित किया।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह बात उच्च शिक्षा मंत्रीजी को ही क्यों कही गई है खास तौर से? यह बड़ा गम्भीर विषय है, साहब।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्योंकि यह नारा इनको ज्यादा अच्छा लगेगा, act locally, Think globally. अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सोचिये, उन योजनाओं को लाइये और उनका क्रियान्वयन युद्ध स्तर पर कीजिये।

श्री सभापति: इसमें एक और जोड़ दीजिये, and act socially.

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, उस आधार पर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया है, अन्तरराष्ट्रीय सोच के आधार पर, लोकल स्तर पर बजट दिया है। हर जिले को कुछ न कुछ दिया है, हर विभाग ने कुछ न कुछ दिया है और हर एम एल ए को अपने-अपने क्षेत्र में काम का, विकास का काम करने के लिए एक चांस दिया है।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने यह भी कहा है कि आप कलक्टर्स के पास जाइये। जो बजट की घोषणा आपके जिले में हुई है, उन घोषणाओं के क्रियान्वयन में आप अपनी पूरी शक्ति और ताकत लगायें। मंत्रियों को तो कहा ही है, लेकिन जो बजट आएगा, वह कलक्टर के पास जायेगा, विभिन्न लोगों के पास जायेगा, विभागों का समन्वय कलक्टर साहब करेंगे। अपने-अपने क्षेत्र की योजनाएं जो बनाई हैं, उनके क्रियान्वयन में लग जाइये। असल बात यही है कि चुने हुए प्रतिनिधियों की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में कोई सहभागिता नहीं होती है। वे यही कहते हैं कि मेरे यहां यह बनाओ, मेरे यहां यह बनाओ, मेरे यहां यह बनाओ, ऐसी डिमांड करते रहते हैं, लेकिन उनके

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

क्रियान्वयन में, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में वे लग जायें, हमारे मंत्री लग जायें, विधायक लग जायें तो निश्चित रूप से राजस्थान का कायाकल्प हो जायेगा। बहुत सारा फंड हैं वह मार्च में खतम होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च में बजट फटाफट लेप्स होता है, लगाते हैं। तो मैं सोचता हूं कि हम सब लोग मिलकर मुख्य मंत्रीजी के सपने को पूरा करने का प्रयास करें।

एक बहुत अच्छी बात जो इस बजट में से निकली है, वे है e-rajasthan school portal, e-higher education portal, e-ration card, computerization, e-judiciary, e-payment system, e-payment transfer system, CCTV in 'Karagrih', e-tax return, mobile app for vat dealers. ये सब चीजें, मोबाइल के द्वारा, कम्प्यूटर के द्वारा, ई-मेल के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा विभिन्न भवनों की जानकारी और विभिन्न भवनों को आधुनिक करना, यह बहुत बड़ी बात है।

टेण्डर प्रक्रिया है, e-tendering हो जाये, भ्रष्टाचार खत्म होगा; e-payment हो जाये, भ्रष्टाचार खत्म होगा। व्यापारियों को अपना रिटर्न भरने की सुविधा ई-माध्यम से मिल जाये, कम्प्यूटराइज हो जाये, तो वहां टैक्स डिपार्टमेंट में घूमने-फिरने की जरूरत नहीं है। उनके रिफंड की प्रोब्लम थी, उस रिफंड की प्रोब्लम को भी उन्होंने कम्प्यूटर के माध्यम से सोल्व करने का प्रयास किया है।

अब एजुकेशन में भी e-portal आ गया है। कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे एडमिशन लेना है। हमारे बच्चे भटकते रहते हैं। ज्ञान मिलेगा, सहयोग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। स्कूल कहां चल रही है, कैसी चल रही है, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स हैं, कौन टीचर काम कर रहा है, कौन टीचर आ रहा है, कौन टीचर जा रहा है, इसकी भी पूरी एक पोर्टल पर जानकारी मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने ग्रामीण विकास के लिए सड़कों के माध्यम से मिसिंग लिंक बनाने की घोषणा की, ग्रामीण गौरव पथ बनाने की घोषणा की है, उसके साथ नालियां बनेंगी। ये गौरव पथ जब गांवों में बनेंगे, पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर बनेंगे, ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर बनेंगे तो बाहर का व्यक्ति, शहर का व्यक्ति जब गांव में जायेगा तो उसको भी लगेगा कि गांवों में मूलभूत सुविधाएं भी हैं, अच्छी सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, शिक्षा भी है, तो शहरों की ओर वह अट्रैक्ट नहीं होगा। शहरों पर जनसंख्या का दबाव कम होगा। ग्रामीण गौरव पथ, यह अच्छी योजना है।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

माननीय सभापति महोदय, हमने अपने बजट घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों की सहायता करेंगे। इस बजट में इस बात का भी प्रावधान है कि जो बी पी एल किसान है, अत्यन्त गरीब है, उनको शून्य ब्याज दर पर, नो इंटरेस्ट, ऋण देंगे। यह बहुत बड़ी बात है। हम अपने-अपने क्षेत्र में जायें, इस योजना का लाभ उठायें और जो गरीब किसान हैं, उनको ऋण दिलायें।

मेक-इन-इण्डिया, मेक-इन-राजस्थान, विभिन्न राज्यों में प्रतिस्पर्द्धा हो रही है। उद्योगपतियों को हर सरकार अपनी तरफ खींच रही है। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने भी मेक-इन-राजस्थान का नारा दिया है और आगामी नवम्बर माह में रिसर्जेंट राजस्थान हो रहा है। सारे देश भर के व्यापारी और उद्योगपतियों को बुलाया है। माननीय प्रधान मंत्रीजी भी उसमें आने वाले हैं। अभी से तैयारियां चालू हो गईं। राजस्थान का विकास हो, राजस्थान में उद्योग-धंधे लगे। रोजगारों के नये-नये अवसर प्राप्त हों। सरकार को आय प्राप्त हो। इस बात का पूरा प्रयास चल रहा है। रिसर्जेंट राजस्थान पिछली बार किया था, 1.62 लाख करोड़ रुपये के एम ओ यू साइन हुए थे, इस बार ज्यादा के साइन होंगे। उन लोगों को सबको सुविधा देनी पड़ेगी। उद्योग और व्यापार, धंधा चलेगा तो लोगों को रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमने कुछ नवाचार के लिए भी बात की है। इस बार ग्रामीण गौरव पथ, आदर्श गांव, जैसे सांसदों ने लिया है, उसी प्रकार से हमारे एम एल एज भी आदर्श गांव बनायेंगे। वाई-फाई उसमें होगा, सड़कें बनेंगी। शहर में भी लेंगे। मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि आदर्श गांव के साथ-साथ, शहरों में जो एम एल एज. हैं, उनको आदर्श वार्ड बनाने की भी घोषणा करनी चाहिये। साफ सफाई, बिजली, पानी, अंडर-ग्राउण्ड वायरिंग, यह सब हो; उस वार्ड को देखने लोग जाएं तो इस प्रकार का एक आदर्श वार्ड भी बने और क्लीन एंड ग्रीन सिटी बने, इस प्रकार का एक मेरा सुझाव भी है।

माननीय सभापति महोदय, हमने राशन कार्डों का डिजिटाइजेशन किया है, राशन कार्ड बंट रहे हैं, फेक राशन कार्ड को खतम किया जा रहा है, यह भी एक नई योजना है।

भामाशाह योजना के तहत गरीब लोगों के बैंकों में खाते खुलवा रहे हैं, महिलाओं के नाम पर खाते खुल रहे हैं। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। महिला फैमिली की हैड हैं, उसको अपने अधिकार

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

मिलें, उसके नाम से बैंक अकाउंट हो, उसके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो, यह अच्छी बात है जो हमारी सरकार ने शुरू की है।

अन्नपूर्णा भण्डार, राशन की दुकानों को आधुनिक बनाना, उनमें विभिन्न प्रकार के सामानों को बेचना यह भी नवाचार है।

सरकार-आपके-द्वार कार्यक्रम के तहत भरतपुर गये, बीकानेर गये, उदयपुर गये, मुख्य मंत्री भी गईं, मंत्रिमण्डल के सदस्य भी गये, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के पूरे सचिवालय के अधिकारी भी गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में गये। हमारे माननीय मंत्रियों को बड़ी तकलीफ थी, स्वागत नहीं होने दिया, मंच पर भाषण नहीं होने दिया, मालाएं नहीं पहनने दीं और सीधे जीतने के बाद गांव-गांव में ये ले गये। यह बहुत अच्छी बात है, शुरुआत अच्छी की है। हम स्वागत और माला और अभिनंदन, इस कार्यक्रम से अभिनव प्रयोग करके गांव-गांव में गये हैं, जनता की समस्याओं को देखा है, गांव-गांव में स्कूल में क्या स्थिति है, हॉस्पिटल में क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है और वहां गये हैं तो कुछ काम भी हुए हैं। ऐसा नहीं है। हमारे कांग्रेस के लोग कहते हैं, क्या हुआ? काम हुए हैं। कई पुताई के काम थे, रंगाई के काम थे, सड़कों के पैच के काम थे, वृक्षारोपण के काम थे, बहुत सारे काम जो अभी पेंडिंग हैं, उनको निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी।

हमने 15 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, 15 लाख लोगों को रोजगार देना एक बहुत बड़ा काम है, प्रत्येक विधान सभा के सदस्य को, जो 200 सदस्य हैं, उनको साढ़े सात हजार लोगों को रोजगार देना होगा। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र से 15 लाख का टार्गेट पूरा हो जाएगा। इसको विधान सभा अनुसार बांटा जाए; विधायकों को इस स्कीम से जोड़ा जाए; सिलाई के प्रशिक्षण के केन्द्र, कम्प्यूटर के प्रशिक्षण केन्द्र, इलेक्ट्रोनिक्स के प्रशिक्षण केन्द्र विधान सभा अनुसार खोले जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने अपने स्वयं के विधान सभा क्षेत्र से यह शुरुआत की है और मैं आज यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि 100 महिलाओं को पांच हजार रुपये महीने का रोजगार मैं दिला रहा हूं। आप आकर देख सकते हैं। कोई सरकार पर बजट नहीं है, कोई सरकार पर भार नहीं है। उनको हम कपड़ा देते हैं, वे अपने घर पर सिलाई करके, जितना काम किया, वे पैसा ले जाती हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

मिलकर के 15 लाख लोगों को रोजगार देने का सपना निश्चित रूप से पूरा करें। इसमें महिलाओं को जोड़ें, युवकों को जोड़े। अब मैं युवकों के लिए कम्प्यूटर केन्द्र खोलने जा रहा हूं। उनको मैं कम्प्यूटर से ट्रेंड करके, एस.सी., एस.टी. के लोगों को विशेष रूप से उसमें भी ट्रेन करने की मेरी योजना है।

मैं चाहता हूं कि सरकार जो सी.एस.आर., कारपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी, आजीविका मिशन प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अनुसार बनाये, लोगों को काम दें, रोजगार दें, महिलाओं को रोजगार दे। इसी से 15 लाख लोगों को रोजगार का टार्गेट पूरा हो सकेगा। केवल मात्र सरकारी नौकरियां देने से काम नहीं होगा। हमने यह कहा है, साढ़े सात लाख सरकारी नौकरियों में रोजगार देंगे और साढ़े सात लाख प्राइवेट में देंगे। उनको प्रशिक्षित करेंगे, उनको ट्रेंड करेंगे, उनको एक सर्टिफिकेट देंगे और सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से यह सब काम हम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ राजस्थान, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, कलेक्शन, इसके लिए एक केवल अभियान नहीं है, यह एक कमिटमेंट है। प्रत्येक व्यक्ति का कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को साफ रखूंगा। गंदगी और कचरा नहीं फैलाउ और उसी के साथ-साथ जहां गंदगी है, जहां कचरा है, उस स्थान से वस्तु न खरीदूं। हम सब लोग यह कमिटमेंट ले लेंगे, निर्वाचित प्रतिनिधि, गांव के जिला प्रमुख, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, पार्षद, ये सब मिलकर अगर यह कमिटमेंट ले लें कि जहां गंदगी होगी, जिस दुकान पर गंदगी होगी उस दुकान का सामान मैं नहीं खरीदूंगा और इसका प्रचार-प्रसार भी करें। जहां कचरा पात्र नहीं रखा हुआ है उस व्यक्ति को कचरा पात्र रखने के लिए कहे और सरकार भी अपनी तरफ से काम करे। मैं यह कहना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत अभियान करना है और स्वच्छ राजस्थान को हमें पूरा करना है तो जो गंदगी करते हैं, उनसे चालान करके गंदगी करने वालों से वसूली भी की जाए। यह अभियान चलाया जाए। सफाई करने वाला कर्मचारी चला जाता है, सफाई करता है और बाद में गंदगी कर देते हैं। मैं माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय से कहूंगा कि चालान अपने स्वयं के घर करे। मेरे घर से कर दें, निश्चित रूप से हम सफाई के प्रति जब तक कमिटेड नहीं होंगे, आप थूकते हैं ज़र्दा ...(व्यवधान)... मैंने नाम नहीं लिया है। लेकिन नगरीय विकास मंत्री आज मेरे भाषण से प्रेरित होकर गुटका छोड़ दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री सभापति: आसन की बगैर अनुमति के जो कुछ भी कहा गया है, वह अंकित नहीं होगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, कोई बात नहीं।

श्री सभापति: आसन की बगैर अनुमति पर।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, मैंने आपकी तरफ, आपका इशारा देखकर के उधर इशारा किया था।

श्री सभापति: आसन तो किसी का इशारा सहन ही नहीं कर सकता। आपने किया कैसे?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आंखों ही आंखों में इशारा हो गया।

श्री सभापति: रोंग पर्सन, रोंग चोइस, रोंग टाइम।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): एट ए प्रोपर प्लेस, सही स्थान पर। स्थान यह पवित्र है, इस पवित्र स्थान की मर्यादा को हमको बनाकर रखना होगा। कई बार आप बोल चुके हैं पवित्र सदन, पवित्र स्थान, पवित्र कांस्टिट्यूशन, पवित्र परम्पराएं, तो जब हमारे उच्च पदों पर बैठे हुए लोग इन चीजों का पालन करेंगे तो स्वच्छ राजस्थान, क्लीन एंड ग्रीन सिटी की अवधारणा भी निश्चित रूप से हो सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, घर-घर से कचरा उठाने का जो एक अभियान पहले चलाया गया था, उसको बंद कर दिया। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को, बाज़ारों को, व्यापारिक संस्थानों को हम यह काम सौंप सकते हैं। सी.एस.आर. कार्यक्रम के तहत लोगों को सौंप सकते हैं, एन.जी.ओज. को। कचरा उठाने का एक ही सिद्धांत है कि एक बार से ज्यादा दूसरा उस पर हाथ नहीं लगे। क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी के लिए निश्चित रूप से हमें संसाधन देने पड़ेंगे। केवल अभियान से काम नहीं होगा। लोगों के चालान करने होंगे। माननीय सभापति महोदय, टायलेट्स के लिए हर विधायक अपने-अपने क्षेत्र में महिला शौचालय बनाने, उनकी निश्चित रूप से आवश्यकता है उसकी भी हमको अपनी प्राथमिकता से उसको देने पड़ेंगे।

(14.00 बजे)

आज हमारे पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ी गुंजाइश है। तिरुपति बालाजी में देखिये, कितनी अच्छी व्यवस्था है सफाई की। 24 घंटे सफाई के लिए आदमी लगा रहता है। वैष्णो देवी में देखिये, यात्रियों को कहीं किसी प्रकार की दिक्कत

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

ही नहीं है। अब मैं आ रहा हूं यहां। तो जब तिरुपति में हो सकती है, गंगटोक में हो सकती है, वैष्णों देवी में हो सकती है, तो खाटू श्याम जी के मेले में क्यों नहीं हो सकती? रामदेवरा के मेले में क्यों नहीं हो सकती है? विभिन्न जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनमें किस प्रकार की गंदगी होती है। हमारे यहां कितने धार्मिक पर्यटक आते हैं, कितने लोग मेलों में जाते हैं धार्मिक यात्राओं में जाते हैं, पैदल यात्री जाते हैं। गिर्राज जी की परिक्रमा में जाते है, सात किलोमीटर का क्षेत्र हमारे राजस्थान का भी है उसमें, वहां जाकर किस प्रकार से भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो, हम लोग भी स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें। स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़िये। सरकार भी जुटे। मेले में यात्रियों की सुविधा के लिए भक्त लोग बहुत सारी स्टालें भी लगाते हैं, जूस पीजिये, पानी पीजिये, बिस्किट लीजिये, चाय लीजिये, खाना लीजिये। सरकार कम से कम इतनी तो व्यवस्था कर सकती है। मेरा सुझाव है कि राजस्थान के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन सब में इस प्रकार की व्यवस्था हो, राउंड-द-क्लाक सफाई हो, चौबीस घंटे। चाहे गोविन्द देव जी का मंदिर हो, खोले के हनुमान जी के लिए भी 18 करोड़ रुपये दिये हैं। तो हमारे जितने मंदिर हैं, गुरुद्वारें हैं, मस्जिदें हैं, उनमें आटोमेटिक यह व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से नगरीय विकास मंत्री महोदय ने कह दिया, समझ लिया फिर आगे नहीं बोलूंगा। ये बहुत सारी बातें हैं।

सीवर जेटिंग मशीन। माननीय सभापति महोदय, सीवर जाम हो जाती है। सीवर जाम होने के कारण एक्स इएन्स, वगैरह यह कहते हैं कि साहब, यह सीवर लाइन जाम हो गई, इसलिए इसको इधर से निकाल दो; इधर से जाम हो गयी, चलो, इसको इधर से निकाल दो। सड़क खुदेगी, पाइपलाइन आएगी; लोगों को असुविधा होगी, सरकार का पैसा लगेगा। सीवर लाइन की मेंटीनेंस और उस पर नियंत्रण यदि हमारी सरकार का हो जाए तो निश्चित रूप से करोड़ों-अरबों रुपयों की बचत होगी। एक गाड़ी आई है जयपुर में, बड़े प्रयासों से मंगाई है। वह सीवर जेटिंग मशीन, सुपर-सकर पिछली बार खड़ी कर दी चौड़े रास्ते में, तो गोपाल जी के रास्ते तक का सीवर साफ कर दिया था। अभी भी आई है, पुरानी बस्ती में लग रही है, बनीपार्क में लग रही है। एक महीने के लिए आई है। अपने-अपने नगर निगमों के क्षेत्रों में यदि सीवर सकर मशीन आ जाएगी बड़ी तो निश्चित रूप से यह सीवर लाइन पर होने वाला जो अपव्यय है, वह निश्चित रूप से दूर हो सकेगा। हम जनता को राहत प्रदान

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

कर सकेंगे। सारे नाले जाम हैं, सारी सीवर लाइनें जाम हैं। तो यह इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं, नवाचार हम निश्चित रूप से करें।

हमारी सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें राज्य का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है, 5,74,549 करोड़। कांग्रेस सरकार में था, 4,14,179 करोड़। हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई; 2011-12 में कांग्रेस सरकार के टाइम 54,637 रुपये थी आज यह 72,156 रुपये हो गयी। बिजली का उत्पादन भी बढ़ा है। तापीय, जल और गैस मिलाकर कांग्रेस के समय 5,070 मेगावाट था, 2011-12, अब 6,300 मेगावाट है।

मैं कह रहा हूं कि अब राजस्थान आगे बढ़ रहा है और इसी दृष्टि से हम सब लोगों ने मिलकर पानी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। आरओ लगा रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि प्रत्येक विधान सभा का सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में आर ओ वाटर की सप्लाई कर सकता है, इस प्रकार की योजना बनाई जाए और बहुत सस्ता पड़ता है। अभी मैं दिल्ली गया था, सुलभ के वहां, पच्चीस पैसे लीटर में आरओ वाटर दे रहे हैं। पानी के लिए पैसा डालो, एक रुपये में पानी भर ले जाओ, आर ओ वाटर। आप भी गये होंगे, माननीय सभापति महोदय, एम एल ए वर्कशाप में। उसमें एक एम एल ए साहब थे हैदराबाद से, वे अपने क्षेत्र में आर ओ वाटर देते हैं। (व्यवधान) माननीय आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अब आपकी तो किसी न किसी चीज में ...(व्यवधान) हां। क्योंकि नेगेटिविटी है। Positive thinking is the best thinking. नेगेटिव थिंकिंग कहां ले जाएगी पता नहीं। आप देखिये, हमारे विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य की एक खास बात है कि इनके पहले बोल लेते हैं तो ठीक रहता है, उसके बाद में बोलते हैं तो फिर ये काटते हैं कि आपने ऐसा किया, ऐसा किया। हर भाषण में ऐसे ही करते हैं ये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हां। यह कहता हूं कि क्यों करते हो? फिर हम आपकी बात बोलेंगे तो फिर आपकी बात काटेंगे। काट देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हम अपना पाजिटिव दृष्टिकोण रखें और पाजिटिव दृष्टिकोण से ही मैंने यह बात कही है।

एस एम एस अस्पताल में सफाई की व्यवस्था अच्छी है। अच्छी है व्यवस्था। पाजिटिव दृष्टिकोण है।

श्री सभापति: पाजिटिव दृष्टिकोण।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हां, इस पाजिटिव दृष्टिकोण को अन्य अस्पतालों में ले जाओ। अस्पताल में संक्रमण फैलेगा यदि अस्पताल में सफाई नहीं होगी।

मैं यह कहना चाहूंगा कि विभिन्न प्रकार के सुझाव हमारे माननीय सदस्यों के आते हैं, उन सुझावों पर माननीय मंत्री महोदय विचार-विमर्श करके...अब शायद ऐसा लगता है कि सिर से ऊपर बात गुजर जाएगी। यही कहा है न मैंने। अभी गुजर रही है।

मैं इस बजट का हृदय से स्वागत करता हूं। राजस्थान का विकास करने वाला ...(व्यवधान) वह सिर से ऊपर गुजर जाएगी। बहुत है मेरे पास मसाला तो। धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): ×××

श्री सभापति: श्री सुरेश सिंह रावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री सभापति: वैसे भी आसन की तरफ से यह निर्देश जारी हो चुका है कि जो बगैर आसन की परमिशन के बोला है, वह अंकित ही नहीं होगा, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई भी हो।

श्री सुरेश सिंह रावत।

(अनुपस्थित)

श्री शंकर सिंह जी राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदया और एज ए वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया गया, उसके समर्थन में खड़ा हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह एक मैनेजमेंट होता है। जो कुछ स्थिति, परिस्थिति है, या जितनी व्यवस्था हमारे पास है, उस व्यवस्था को सभी अंगों में कैसे वितरित करके हम उसका एडजस्टमेंट करें। केन्द्र ने बजट दिया, देश को बहुत बड़ी दिशा देने का बजट दिया। उसी अनुरूप में मुख्य मंत्री महोदय, ने राजस्थान का बजट दिया।

माननीय सभापति महोदय, बजट एक प्रोगेसिव विजन है, राजस्थान के चहुंमुखी विकास का एक ऐसा संदेश है कि राजस्थान की जनता को, चाहे वह

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

पेयजल का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे परिवहन का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, इसमें सर्वांगीण विकास और सर्वांगीण बातों की चिंता करने का काम इस बजट के डाक्यूमेंट में होता है। माननीय सभापति महोदय, बड़े आनंद के साथ यह कहना पड़ता है कि इन सारी बातों की चिंता मुख्य मंत्री महोदय ने इसमें की है। 'सबका विकास, सबका साथ' और एक अच्छी कल्पना को लेकर चले हैं कि-

पथ क्रांति में लक्ष्य नहीं सिंहासन चढ़ते जाना,
सब समाज को लिये साथ में आगे है बढ़ते जाना,
इतना आगे, इतना आगे
उस क्षितिज को पाना।

यह पहली बार हुआ है कि एक जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव, सारे जन-प्रतिनिधियों के साथ बैठकर, सारे जिलाधिकारियों के साथ बैठकर, इस जिले की मौलिक आवश्यकता क्या है, उस मौलिक आवश्यकता का प्रारम्भ कहां से किया जाए, इन बातों को कलेक्ट करके यह बजट बनाया है। मैं तो यह कहूंगा कि इस बात को लेकर राजस्थान का एक भी जिला किसी न किसी मामले से या बजट की किसी न किसी घोषणा से अछूता नहीं है। यह बहुत अच्छी बात है।

माननीय सभापति महोदय, अपन एक-एक विषय पर आयें। सबसे पहले लेते हैं मौलिक आवश्यकता, पेयजल। 2003 से 2008 के बीच में जो भी पेयजल की योजनाएं थीं, हमने प्रारम्भ कीं, लेकिन दुर्भाग्य से पिछली सरकार ने उन्हें ठण्डे बस्ते में डाल दिया। एक परियोजना का मैं इसलिए उल्लेख करूंगा क्योंकि वह मेरे जिले से है- नर्मदा योजना से जालौर जिले के 739 गांवों को पेयजल 2009 तक देना। गुजरात से पानी राजस्थान की धरती पर आ जाता है और सांचौर की सिंचाई एवं पूरे जालौर जिले के पेयजल के लिए योजना बनती है। उस योजना के तहत पानी समय पर आ गया, चुनाव आए और सरकार बदल गई। वह पूरा का पूरा पानी सांचौर में, पांच साल हुए, जमीन खराब करता है; वह पानी वेस्ट जाता है। हमारे जालौर जिले के साथ यह दुर्भाग्य है, जिस जालौर जिले के 65 परसेंट गांव फ्लोराइड-युक्त पानी पीते हैं, या खारे पानी के कारण टैंकरों से मंगाकर पानी लिया जाता है, आजादी के 50-

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

60 साल बाद अगर एक गांव के ग्रामीण को पानी लेने के लिए 5-5 किलोमीटर जाना पड़े, मीठे पानी के लिए दर-दर भटकना पड़े, तो मैं यह कह रहा हूं कि कांग्रेस ने 50 साल राज किया, उस पर जीरो लगता है।

मैं नर्मदा की बात करने जा रहा था, एक तरफ तो सांचौर की जमीन खराब कर रहा है और दूसरी तरफ पूरा जालौर जिला प्यासा है। पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया, उन्होंने साढ़े चार वर्ष यह किया कि अपनी ही पार्टी के प्रतिस्पर्धी नेता कौन हैं, एक-दूसरे को होडाहोड़ में ऊंचा-नीचा बताने वाले, यह कल मेरी गद्दी ले लेगा, इसलिए उस नेता को उलझाने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया। पूरे चार वर्ष यह जाति मेरे सामने आ सकती है, उस जाति का यह मजबूत नेता है, उसको कैसे उलझाऊं, उसकी चिंता की।

माननीय सभापति महोदय, फायदे और नफे-नुकसान की बात नहीं है, बात मानवता की है। बात है उन योजनाओं की जिसकी चिंता करके उन योजनाओं के द्वारा जालौर जिले को पानी पिलाना था। 739 गांव प्यासे मर रहे थे और वे राजनीति में उलझते गये। उसके बाद क्या हुआ, अंतिम 6 महीनों में जब उनके अधिकारियों ने कह दिया कि अब आपकी सरकार नहीं आ रही है तो लुटाना चालू कर दिया। राजस्थान के खजाने को लुटा दिया। उन्हें यह मालूम नहीं कि लुटाते-लुटाते खुद ही लुट गए और लुटकर 19-20 पर रह गये। माननीय सभापति महोदय, यह दुर्भाग्य है। काश, मेरी जालौर की जनता को पांच साल पहले नर्मदा का पीने का पानी मिलता तो जनता कितनी सुखी होती। बीमारियों से ग्रसित नहीं होती। यह दुर्भाग्य कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के कारण हुआ है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि पिछले समय में हमारी जो भी योजनाएं उन्होंने ठण्डे बस्ते में डाल दीं, उन सारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, जहां जैसा फंड चाहिए, पैसे का बंदोबस्त करके, उन योजनाओं को वापस प्रारम्भ करने का काम वसुन्धरा जी ने किया। उसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नई योजनाएं भी बहुत लाई हैं।

सदन में सारे विधायक कह रहे थे, जनता जल योजना, एक अच्छी बात है। कहीं न कहीं दुविधा में अटकी हुई है। गांव का ग्रामीण उस जनता जल योजना की आरती कर रहा है। उसको पानी नहीं मिल रहा है, चाहे बिजली के पैसे के कारण, चाहे और किसी व्यवस्था के कारण। बजट नहीं है, उसमें

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

कहीं न कहीं व्यवस्था की कमी है। तो उस जनता जल योजना को उबारने के लिए मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत बढ़िया काम किया, 139 करोड़ रुपये की व्यवस्था की मैं धन्यवाद देता हूं। इस सदन में लगभग 50 से 60 प्रतिशत विधायकों की यह समस्या है। सभापति महोदय, मैं इसके साथ आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस जनता जल योजना का आपने पैसा तो दिया लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या निकले इसके लिए मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर, जन-प्रतिनिधियों, विधायकों की एक कमेटी बनाकर, इसका कोई न कोई मौलिक ठोस आधार ऐसा ढूंढें जिससे जनता जल योजना को बार-बार पैसे देने की नहीं बात आये। उन योजनाओं को सुदृढ कैसे करें? या तो वह योजनाएं पी एच ई डी ले लेवे, या कोई न कोई उसके लिए फंड का परमानेंट अरेजमेंट करें।

हम कई बार बात करते हैं गुजरात की। सुजलाम्-सुफलाम् के माध्यम से गुजरात में नदी और तालाबों को जीवित करते हुए, जमीन का वाटर लेवल इतना ऊंचा आ गया कि गांव विकसित हो गया। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा और एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह डार्क जोन के भूत के साये में जो जिले पड़े हैं, पानी की कमी के कारण, उनको वापस जीवित कैसे किया जाए, इस बात की चिंता करनी होगी। इसके लिए मैंने पहले भी इस सदन में इस बात को कहा है कि आखिर ये पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, ये चार जिले, जो डार्क जोन के कारण, जो पानी की कमी के कारण, इनकी जमीनें, खेत और खलिहानों की जमीनें, बगीचे, अनार, केसर उगल सकती हैं, ऐसी जमीनें हैं, लेकिन पानी की कमी के कारण जमीन का वाटर लेवल इतना नीचे, 500-500 फीट नीचे चला गया है।

माननीय सभापति महोदय, जब तक जमीन का वाटर लेवल सही नहीं करें, यह पानी, जो बरसात का पानी वेस्ट जाता है, आखिर कोई न कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो हमने एक निवेदन किया है कि इन चारों जिलों के लिये एक योजना है, या तो माही से जवाहर बांध का पुनर्भरण किया जाए, या साबरमती से किया जाए, माही को कड़ाना डैम से वैशाला की तरफ जोड़कर, जालौर जिले की जवाई नदी को जीवित करके, आगे बाड़मेर, सिरोही और पाली जिलों को सींचा जाए। वह नदी जीवित होने से पूरा एरिया हरा-भरा हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा, इन चारों जिलों की ओर से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है,

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

एक काम कर लीजिये। आपने मंत्रीजी की अध्यक्षता में कमेटी तो बना दी। अब एक एस.ई. आफिस जालौर में खोल दीजिये तो कम से कम इसका सर्वे चालू हो जाएगा। हम किसी न किसी रिजल्ट पर आएंगे कि यह पानी कहां से सही तरीके से आ सकता है। एक एस.ई. आफिस अगर मुख्य मंत्री महोदय अपने जवाब में, जब भी कहें, तो यह दे दें, तो यह हमारे चारों जिलों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी और हमेशा-हमेशा के लिये पानी की यह जो समस्या है, वह एकदम मिट सी जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल के लिए कोई कमी नहीं रखी है और जो भी राजस्थान में नई योजनाएं बनानी हैं, उनकी तरफ भी काफी ध्यान दिया है।

पेयजल के बाद एक मौलिक आवश्यकता होती है सड़क परिवहन। सबसे पहली बात आजादी के बाद पहली बार गांवों का विकास, गांवों का प्रवेश द्वार, गांव के उस गौरव पथ की योजना लाकर वास्तव में राजस्थान का नाम ऊँचा किया है। पानी निकासी के साथ-साथ बीस से बाईस हजार किलोमीटर गौरव पथ की कल्पना, पूर्ववर्ती सरकार के तो नहीं आई, इनके आ गई। एक अच्छी सुदृढ़ सड़क गांव में होनी चाहिए। एक बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली सड़क गांव में होनी चाहिए, इसकी चिंता जो की, तो इस मामले से उस गांव का एक क्रेज आएगा।

इसके साथ-साथ जो मिसिंग लिंक दी है, सदन के सारे विधायकों की इच्छा थी कि मिसिंग लिंक मिल जाए और मिसिंग लिंक की जो घोषणा की है, इसके लिये भी मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

सड़क परिवहन को जोड़ने के सारे एक-एक पाइंट-डैटाज तो आ गये हैं, उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, यह एक बहुत अच्छी कल्पना कि जिस प्रकार से जो-जो पाइंट आज दिन तक नहीं लिये, सड़कों को जोड़ना, हाई-वे, नेशनल हाई-वे, स्टेट हाई-वे, बहुत अच्छा किया है। लेकिन इसके साथ-साथ एक काम और किया है। यह जो माइनिंग जहां है, माइनिंग की सड़कों को भी, उनके दुरुस्तीकरण के लिए जो पैसा, फंड दिया है, आज दिन तक नहीं दिया गया।

इसके साथ-साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। आप माइनिंग लीज जब देते हैं, उसमें यह सड़कों का राही के द्वारा टोल टैक्स वसूल किया जाता है। अगर माइनिंग की तरफ जाने वाली सड़क को आपने बनाया है तो

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

उसका भी टोल उस माइनिंग करने वाले से वसूला जाए, जिससे जनता के ऊपर उसका कोई भार नहीं पड़ेगा। लेकिन यह योजना बहुत अच्छी है, इससे बिजनेस बढ़ेगा, माइनिंग उद्योग को एक डवलपमेंट मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, रोडवेज और परिवहन, ये दो ऐसे विषय हैं, हालांकि रोडवेज की मांग के दिन, उस दिन बोलने का विषय आये कि नहीं आये, इस बात को इस बजट पर मैं जरुर कहना चाहूंगा; राजस्थान रोडवेज निगम को इसलिए बनाया कि राजस्थान की जनता को सस्ता परिवहन और एक अच्छी सुविधा, जो सरकारी नियमों के अन्दर नियंत्रित होकर चले और परिवहन, ट्रैवल करने वाली जनता की सुरक्षा की जवाबदारी होगी। इसलिए रोडवेज का हुआ, न कि रोडवेज कोई नफा कमाने के लिये हुआ। माननीय सभापति महोदय, दुर्भाग्य होगा, एक समय था, जब रोडवेज पोजिटिव थी। हिंदुस्तान के धरा पटल पर, हिन्दुस्तान के मानचित्र पर, राजस्थान रोडवेज ही एक ऐसी थी जो सफलतम ट्रांसपोर्टिंग के तहत एक अच्छे प्रोफिट में चल रही थी। माननीय सभापति महोदय, कुछ मैनेजमेंट की कमियों के कारण और कुछ कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण, एक रोडवेज चलती है, आगे-आगे चार प्राइवेट बसें चलती हैं। रोडवेज की सवारी तो मिलती नहीं है। पहले क्या था, हाई कोर्ट ने रोडवेज और प्राइवेट टूर-ट्रैवल्स को एक ही ट्रांसपोर्टेशन माना, अब उस हाई कोर्ट ने माना तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जाना चाहिए था। रोडवेज ट्रांसपोर्टर तो है, लेकिन जनता की सुविधा के लिए है, पैसे कमाने के लिए नहीं है। इसलिये रोडवेज में, पहले आप लोगों को ध्यान होगा, माननीय सभापति महोदय, यह बात मैं कर रहा हूं, आज से 20-25 वर्ष पहले की कि रोडवेज का अधिकारी, अगर उसके रूट पर कोई प्राइवेट बस आ रही थी तो उसको चैक कर सकता था, उस पर पैनल्टी लगा सकता था। इसलिए रोडवेज की सुरक्षा रहती थी। हुआ यह कि जिस दिन से हाई कोर्ट का यह फंडा आया, अब उस हाई कोर्ट के सामने आखिर इस रोडवेज को जिंदा रखने के लिये सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। क्योंकि माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन में एक निवेदन आपके माध्यम से करुंगा, जिस दिन रोडवेज बन्द हो गई तो जिस तरह से खनन माफिया, बजरी माफिया पनपे हैं, उस दिन यह ट्रांसपोर्ट माफिया इस राज्य के अन्दर पनप जाएंगे और उसका फिर कोई इलाज नहीं होगा। आज जो बंदिश है वह रोडवेज के कारण है कि यहां पर माफिया डवलप नहीं हो रहा है।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है कि रोडवेज को मजबूत करने के लिए कहीं न कहीं इस सदन की चिंता होनी चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से रोडवेज मिनिस्टर और मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करुगा कि इस रोडवेज की भी एक कमेटी बनाओ, कुछ माननीय विधायकों के साथ कमेटी बनाओ, इस बात की खोजबीन होनी चाहिए, इस बात की कहीं न कहीं माथा-फोड़ी होनी चाहिए कि इस रोडवेज को नफे में कैसे लाएं, रोडवेज को घाटे से कैसे उबारें और रोडवेज के माध्यम से उस जनता को, गरीब जनता को, जो इस सरकार के भरोसे ट्रैवल करती है, उसको कैसे हम दें। इसकी चिन्ता करनी पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बढ़िया मुख्य मंत्री महोदया ने बजट भाषण में कहा है कि 23 हजार किलोमीटर, ऐसे जो नेशनलाइज्ड या परमिटेड रूट नहीं हैं, उन रोड्स को बनाकर, वहां पर बसें, ग्रामीण सेवा प्रारम्भ की जाएगी, जिससे 5-25 हजार लोग नौकरी पर लगेंगे। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन आखिर उन पर कहीं न कहीं सरकार का अंकुश रहना चाहिए। यह सरकार का अंकुश नहीं हुआ तो माफिया डवलप हो जाएंगे। यह रोडवेज की ग्रामीण बस सेवा बहुत अच्छी सेवा है पर मैं यह कह रहा हूं कि आखिर रोडवेज के अन्दर जो लीकेज है, उसको तो बंद कर दो, यह रोडवेज ठीक हो जाएगी और आने वाले समय में यह राजस्थान हिन्दुस्तान के अन्दर रोडवेज का एक बढ़िया प्रदेश होगा, जहां की जनता बड़े अमन-चैन से ट्रेवल कर सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, इसमें परिवहन के मामले में भी जो माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने सहूलियत दी हैं, घोषणाएं की हैं और जिस प्रकार से उन रोड्स को नेशनलाइज करने के लिए, परमिट करने के लिए योजना बनाई है, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योगों के विकास के लिए और इंवेस्टर इस प्रदेश की धरती पर आएं, यह बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा विजन है। इस विजन के बारे में हमने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि हिन्दुस्तान के माने हुए इंवेस्टर, वे राजस्थान की तरफ नजरें, चाहे वह सोलर हब के लिए हो, चाहे और कोई इंडस्ट्रीज के लिए हों, अडाणी, अगर वह ड्राई पोर्ट इस जालौर जिले में, सांचौर की धरती पर होता है तो यह पश्चिमी राजस्थान के लिए बहुत बड़ा सिरमौर हो जाएगा। इस ड्राइ पोर्ट के माध्यम से यहां के उद्योग-धंधे इतने विकसित हो जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, कहीं पर भी, किनारों पर ऐसे-ऐसे धंधे चलते हैं कि जिन धंधों को अगर हाइ-लाइट किया

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)
जाए, जिन व्यापार-धंधों को हाइ-लाइट किया जाए, जिन उद्योगों को, लघु उद्योगों को हाइ-लाइट किया जाए तो निश्चित रूप से विदेशों में भी उसकी खपत होगी और वह है, जालौर जिले का जूती बनाने का जो लघु उद्योग चलता है, जालौर जिले की जूतियां एक्सपोर्ट होंगी। वास्तव में यह ड्राइ-पोर्ट आने पर ऐसी कई वस्तुएं हैं, हथकरघा उद्योग, आज खेसले-चद्दर, ऐसी हिंदुस्तान में कहीं नहीं बनती हैं जैसी जालौर जिले में बनती हैं। माननीय सभापति महोदय, इसलिए ड्राई पोर्ट आना, यह पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए बहुत अच्छा विजन है और जिसकी नेता का अच्छा विजन होगा, राजस्थान की तरफ अपने आप ही इंवेस्टर आएंगे।

माननीय सभापति महोदय, टाटा और रिलायंस जैसे भी ऊर्जा के क्षेत्र में आये हैं। ऊर्जा मंत्री महोदय, आपका तो वास्तव में बड़ा सौभाग्य है कि इतने बड़े-बड़े इंवेस्टर जब ऊर्जा के क्षेत्र में आये हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अन्दर ऊर्जा की कमी राजस्थान में नहीं रहेगी।

मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 24 घंटे घरेलू बिजली की चिंता, 7 घंटे कृषि बिजली की चिंता करते हुए, जिस प्रकार से 2005-06 में एफ.आर.पी. के माध्यम से अगर शहरों में 24 घंटे बिजली मिलती है तो वसुन्धरा जी की चिंता थी कि मेरे गांव के उस गरीब को भी 24 घंटे बिजली मिले, इसलिए वह फीडर रिनोवेशन का काम चला, लेकिन पिछली सरकार ने उसको भी दबा दिया। अब वापस अपने हाथ में लेकर उस विषय को आगे लिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ढाणियों में, मैं मुख्य मंत्री महोदया को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से उन्होंने हजार से डेढ़ हजार ढाणियों को इलेक्ट्रिफाई करने का सपना, और उसको पूरा करेंगे। मंत्री महोदय, आप तो भाग्यशाली हो, आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, सब आटोमेटिक ही हो रहा है। अपने आप इंवेस्टर आ रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इनकी जरूरत ही नहीं है क्या? सारा काम आटोमेटिक हो रहा है तो इनकी कोई जरूरत ही नहीं है क्या?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): यह तो मैं नहीं कह सकता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो फिर यही मतलब कि मंत्री महोदय, आपकी तो कोई जरूरत ही नहीं है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मैं तो यह कह रहा हूं कि ये भाग्यशाली हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने ये कहा है कि यह भाग्यशाली

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

हैं। इन्हें कुछ माथा-पच्ची करने का, दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने आप ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने कि इस ऊर्जा के क्षेत्र में वास्तव में इंवेस्टर्स आ रहे है, जबरदस्त। यह राजस्थान ऊर्जा एक्सपोर्ट करेगा। दूसरे प्रदेशों को राजस्थान ऊर्जा देगा, यह दिन आ जाएगा तो यह तो भाग्यशाली हैं। कभी-कभी, वह भाग्य लिखाकर आए हो आप तो इसलिए हो रहा है।

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): वसीयत में आया हुआ है। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): हां, वसीयत में आया हुआ है। माननीय सभापति महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इनको तो वसीयत में मिला है। बाली में भैरोंसिंह जी की वसीयत इनको मिल गयी थी। वास्तव में यह बात सही है।

माननीय सभापति महोदय, उद्योगों के मामले में बहुत बड़ी चिंता और जो इंवेस्टर्स आ रहे हैं, उस सम्बन्ध में मैं जालौर जिले की कुछ बातें कहकर अपनी बात को पूरा कर दूंगा।

जालौर में जिस प्रकार से पानी की कमी, खेती की कमी, खाली बरसाती फसल पर आधारित जालौर जिला, लगभग 70 परसेंट जिला है और उसके बावजूद वहां पर, एक सौभाग्य से, जमीन में ग्रेनाइट निकला। तो ग्रेनाइट उद्योग, इसको और डवलप करने के लिए फर्स्ट फेज, सेकण्ड फेज और थर्ड फेज का काम पूरा हो गया। सारी यूनिट्स लग गयी हैं। अब मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया से यह निवेदन करूंगा कि फोर्थ फेज के लिए भी जमीन चिह्नित कर ली गई है, उसको भी प्रारम्भ करने की दिशा में हमको पहल करनी चाहिए जिससे एक लाइनबद्ध, एक अच्छे तरीके से इंडस्ट्री लगे। फोर्थ फेज डिक्लेयर करने से लगभग-लगभग जालौर जिले में एक हजार करोड़ रुपये का निवेश आयेगा। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

दूसरी बात, बहुत ही छोटा जिला है, आधा भाग रेगिस्तानी टाइप है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस ग्रेनाइट उद्योग को जीवित रखने के लिए, हुआ यह कि पिछली बार बजट में कहीं न कहीं जालौर जिले के उद्योगों की कमी के कारण से एक बहुत हमारे जिले के लिए दुर्भाग्यपूर्ण फैसला हो गया। वह यह हुआ कि जो वैट की घोषणा हुई उसमें घन मीटर के हिसाब से वैट की घोषणा हुई। तो किशनगढ़, राजसमंद, वगैरह, यह तो घन मीटर के

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

हिसाब से इनका तो ठीक है लेकिन जालौर जिले का ग्रेनाइट उद्योग, एक तो टाइल्स ग्रेनाइट में, इस माइन्स का ग्रेनाइट, इस कलर का ग्रेनाइट 50 रुपये, इसका 30 रुपये और इसका 60 रुपये, मतलब, सिंगल और डबल फर्क है। दस किलोमीटर के अन्दर अगर माइनिंग अलग-अलग है तो उसमें सिंगल और डबल का फर्क है। एक माइन्स का पत्थर तो 30 रुपये घन फुट और एक का 60 रुपये फुट। अब यह सिंगल, डबल फर्क में अगर यह घन मीटर के हिसाब से, माप के आधार पर वैट लगेगी तो 60 रुपये वाले को तो कम लगेगी और 30 रुपये वाले को ज्यादा लगेगी। तो यह अनुचित है। इसको सही सुधार करके मूल्य आधारित वैट जालौर जिले की ग्रेनाइट इंडस्ट्री पर किया जाय तो ग्रेनाइट इंडस्ट्री जो दबी है अभी कुछ समय से और आजू-बाजू प्रदेशों में कम्पीटिशन में नहीं उतर सकती है, और मैं यह कह रहा हूं कि अगर टैक्सेशन विभाग से भी हम देख लें तो लगभग-लगभग इस डेढ़ वर्ष में 500 करोड़ रुपये का बिजनेस कम हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मूल्य आधारित है क्या?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): नहीं, अभी मूल्य आधारित नहीं है, घन मीटर के हिसाब से, माप के हिसाब से है।

तो मैं यह कह रहा हूं कि भाव आधारित, जिस भाव का ग्रेनाइट है, उस भाव के हिसाब से वैट लगे। यह एक थोड़ा-सा सुधार, टेक्निकल सुधार अपने ने किया तो ग्रेनाइट के हिसाब से...।

अब एक दूसरी बात आती है, इसका जो वेस्ट पाउडर है, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, यह बहुत गरीब जिला है, छोटा जिला है, इसको भी कहीं न कहीं, इसका एक भाग जैसे ग्रेनाइट की माइन्स से, सारे मेरी आहौर विधान सभा क्षेत्र में, वहां पर एक ऐसी इंडस्ट्री डवलप की जाए, जिसको सेज में ले लिया जाए और उस पाउडर से रि-शफलिंग करने का, उसमें टाइल्स, वगैरह बन सकती हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज को टैक्स फ्री किया तो शायद वह इंडस्ट्री बहुत बड़ी डवलप होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं खाली एक-दो मिनट में अपनी बात को पूरा करूंगा। मैं सबसे पहले 9 तारीख को बजट सुनने के बाद, जिस प्रकार से आहौर की सड़कों पर आतिशबाजी से वसुन्धरा जी का स्वागत किया गया। यह पहली बार हुआ है, आजादी के बाद एक जबरदस्त विकास की राह आहौर को मिली है और वह मिली है, राजकीय महाविद्यालय के रूप में जो सौगात हमें दी

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

है, मैं आहौर की जनता की ओर से वसुन्धरा जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जो बोलने के लिए समय दिया, एक बात खाली कहूंगा, जनजाति विकास मंत्री महोदय विराजे हैं, मेरे यहां पर कुछ 10 गांव ऐसे हैं जिनमें 60 प्रतिशत से अधिक मीणा समुदाय की जाति है। 10 गांव ऐसे हैं, मतलब तीन गांव तो ऐसे हैं जहां पर एक भी घर दूसरी जाति का नहीं है। उन गांवों को आप मेहरबानी करके अगर माडा में ले लेते हैं तो हमारी जनता के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा।

माननीय सभापति महोदय, एक आदर्श ग्राम योजना, जो मुख्य मंत्रीजी की कल्पना है, मैं उसके बारे में एक मिनट में अपने विचार रखूंगा। माननीय सभापति महोदय, उसके अन्दर सहकारिता मंत्री महोदय सहकारिता को भी डवलप करें। मतलब गांव हमारा है, गांव अपना है, विधायक महोदय के द्वारा और जिस प्रकार से नानाजी देशमुख ने एक गांव का सपना, आदर्श गांव कैसे बनाया था, उसको देखना चाहिये, उसको सोचना चाहिये और दंतोपंतजी ठेगड़ी का वह सिद्धान्त, एकात्म मानववाद, 'सब एक के लिए, एक सब के लिए' हम ऐसी कल्पना को लेकर उस आदर्श गांव के रूप में हम हर विधान सभा क्षेत्र में एक गांव, दो गांव ऐसे मॉडल गांव तैयार करें, जहां पर कौशल विकास का भी प्रशिक्षण हम दें।

माननीय सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा, जर्मनी और न्यूजीलैंड, यह दोनों दुग्ध व्यवसाय के अन्दर सबसे बड़े देश दुनिया में माने जाते हैं। वहां यही कारण है, पांच-पांच गांवों की को-आपरेटिव सोसायटी बनी हुई है और वह काऊ डंग के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और 60 परसेंट काऊ डंग जैविक खाद में उपयोग आता है। मतलब, खेतों को खाद भी मिल गया और उन पांच गांवों को इलेक्ट्रिसिटी भी मिल गयी। ऐसी कोई योजना लाकर हम गांवों का उद्धार करें। गांव जगेगा, राजस्थान जगेगा, राजस्थान जगेगा, हिन्दुस्तान जगेगा। यह कल्पना हमारी वसुन्धरा जी और नरेन्द्र मोदी जी की है।

बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र कुमार।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा): माननीय सभापति महोदय, आदरणीया वसुन्धरा राजे जी, मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो बजट भाषण 9 मार्च को रखा गया,

(श्री नरेन्द्र कुमार)

उससे मैं पूर्णत: सहमत हूं। बहुत ही अच्छा और सुन्दर बजट पेश किया गया, जिसका भविष्य भी है, भविष्य में पता लगेगा कि राजस्थान किस तरह से विकास करेगा।

अभी गुप्ता जी और अन्य विधायक भी बोल रहे थे कि विपक्ष यहां नहीं है। मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं आसन से, यदि कोई गलत कह दूं तो माफ करें, जब तक विधान सभा चले, जब तक विधान सभा का समय रहे, उसके लिए मेरा आसन से यही निवेदन है कि विधायक विधान सभा के बाहर नहीं जाएं। तो इस तरह की, मेरे हिसाब से, नौबत या समस्याएं कम ही पैदा होंगी। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि सदन में भी उपस्थिति तब इतनी हो जाएगी कि जब भी हम बाध्य करेंगे कि सदन में उपस्थित रहना है तो सदन में भी उपस्थित रहें। मैं चाहता हूं कि अब सदन में भी उपस्थित रहें। हमारे दर्शक आते हैं, देखते हैं और यहां बैठे हुए नहीं मिलते हैं। यह परिस्थिति जो पैदा हुई यह भी यहां उस समय एम एल ए साहब बाहर नहीं जाते, तो यह परिस्थिति मेरे हिसाब से पैदा नहीं होती। इस तरह की परिस्थिति यदि फिर पैदा हो जाएगी तो मेरे हिसाब से बाध्य किया जाएगा कि विधान सभा से बाहर सदस्यों को नहीं जाना चाहिये।

जो बजट पेश किया गया, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे झुन्झुनूं जिले में सैनिक स्कूल की स्थापना हेतु नि:शुल्क भूमि आबंटित करने का जो निर्णय लिया गया है, इसके लिए भी मण्डावा विधान सभा क्षेत्र और झुन्झुनूं जिले की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। एक गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना, जो 50 करोड़ से 100 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की की है, उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।

एक जो मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना जो लागू की है, यह भी बहुत अच्छी है। इसके लिए भी गांव से, जब बजट भाषण पढ़ा गया, उसके बाद से मतदाताओं के फोन आ रहे हैं। इस तरह की योजना जब लागू की गयी है, इसके लिए भी जनता की ओर से मुख्य मंत्री महोदया का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। क्योंकि इससे प्रेरणा मिलेगी कि एक ग्राम पंचायत जब अच्छी होगी तो अन्य ग्राम पंचायत भी अच्छी बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, सरपंचों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, एम एम ए को भी

(श्री नरेन्द्र कुमार)

मिलेगा। दूसरा, यह जो झुन्झुनूं जिला है, उसमें मिलिटरी वाले, आर्मी वाले, सैनिक लोग बहुत रहते हैं। इसमें शहीद भी सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए डेढ़ लाख रुपये पोस्ट आफिस में खाता खोलकर जो जमा किया जाता था, उनके शहीद के माता-पिता की जो देय राशि डेढ़ लाख रुपये से तीन लाख रुपये की घोषणा की है, उसके लिए भी जनता बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करती है।

इसके साथ ही, जो राजस्थान शौर्य पुरस्कार 1996 के तहत राशि थी, 6 लाख रुपये से बढ़ाकर जो साढ़े आठ लाख रुपये कर दी गयी और वायु सेना एवं नौ-सेना में मेडल धारकों को देय राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर सवा 6 लाख रुपये कर दी गयी, इसके लिए भी जनता मुख्य मंत्री महोदया का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती है।

अब मैं शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन और जो सड़क हैं, उनमें भी जो अच्छी घोषणाएं की गयी हैं, उनके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसमें कृषि का विकास जब तक नहीं होगा, तब तक हमारा देश और प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं कृषि में, जब से हम समझने लगे या मैं समझने लगा, जब से किसानों के बारे में सुनते आ रहे हैं कि इनको समय पर बीज, समय पर खाद और जो आपदा द्वारा सहायता दी जाती है, वह भी समय पर नहीं मिल पाती। समय पर बीज के लिए, मैं कहना चाहता हूं कि 40 पर्सेण्ट जो बाजरा उत्पादन करता है, वह राजस्थान करता है। उस समय बाजरे की फसल वर्षा ऋतु पर निर्भर रहती है। अब यह वर्षा आने वाली है और बाजरे की फसल एक ऐसी है कि बरसात होने के दो या तीन दिन तक ही उसकी बुवाई होती है, उसके बाद बुवाई नहीं होती और जब वर्षा हो जाती है, उसके बाद सरकार द्वारा बाजरे के बीज की व्यवस्था की जाती है। बाजरे के बीज की व्यवस्था अब समय रहते पहले की जाए, बाजरे का मतलब चारा भी है, वह भी सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। बाजरा एक तरह से पूरा काम आता है, चारा भी काम आता है और बाजरा खाने के काम भी आता है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा द्वारा और कम खाद द्वारा सबसे ज्यादा पैदावार होती है। तो इसके बीज की समय पर व्यवस्था की जाए जिससे किसानों को इसका लाभ मिल जाए, और समय पर ही खाद की व्यवस्था की जाए। जब भी आन्दोलन होते हैं तो उसके बाद व्यवस्था की जाती है। कुछ

(श्री नरेन्द्र कुमार)

चीजें ऐसी होती हैं जो समय पर देने पर ही उनका परिणाम पाजिटिव आता है, अन्यथा नहीं आता है। ऐसे ही आपदा में जब पैसे दिये जाते हैं, उसके बीच में एक या दो फसल हो जाती हैं, उसके बाद किसान को उसका मुआवजा मिलता है। इसलिए किसान को जो बीज और खाद और जो मुआवजा दिया जाता है, वे समय पर दिये जायें तो अच्छा रहे।

ऐसे जैसे ही किसानों के लाभ की बात खेती द्वारा है, वैसे ही शिक्षा के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। शिक्षा और कृषि दो ऐसे विषय हैं जिनसे देश और प्रदेश का विकास किया जा सकता है। अभी हमारी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए संस्थाओं का जो एकीकरण किया गया, एकीकरण बहुत अच्छा कदम था। कुछ समस्याएं खत्म भी हुई हैं, लेकिन कुछ समस्याएं पैदा भी हुई हैं। एकीकरण से, कुछ स्कूलें इस तरह की हैं जो दूर-दराज से लड़के, एकीकरण के बाद उनको अलग तो कर दिया, लेकिन खाना खाने के लिए उसी संस्था में जाना पड़ता है। डेढ़-डेढ़, दो सौ बच्चे उसमें जाते हैं और उसमें जाकर खाना खाते हैं फिर वापस आते हैं। ऐसे ही 20-20 बच्चों की संख्या से कम संख्या है और वहां पांच-पांच, छह-छह अध्यापक बैठे हैं। उनको एकीकरण में नहीं तोड़ा गया। इस तरह की अव्यवस्था है। तो मैं चाहता हूं कि समय रहते जैसे ही जून-जुलाई में सेशन शुरू हो, उससे पूर्व एकीकरण में कुछ सुधार किया जाए।

कुछ स्कूलें तो ऐसी हैं एकीकरण में, जो अभी मुख्य मंत्री महोदया द्वारा भी कहा गया था कि जिस गांव में जो शहीद हुआ है, उस शहीद के नाम से स्कूलें होनी चाहिये, उनके नाम पर उनका नाम रखा जाए और कुछ स्कूलें तो ऐसी हैं एकीकरण में, जो शहीद के नाम से थीं, वे भी बंद हो गयीं। यदि वे बंद हो भी गयी तो उस गांव में दूसरी संस्था है, तो उसका नाम शहीद के नाम से करवाया जाए।

एकीकरण के बाद, अब यह बोर्ड की जो व्यवस्था की गयी है, आठवीं बोर्ड जो ऐच्छिक किया गया है, इसको, मैं तो यह कहता हूं, अनिवार्य रूप से किया जाए और प्रभावी रूप से उसको लागू किया जाए, जिससे आगे जाकर बच्चे फेल नहीं हों। जब कटारिया जी शिक्षा मंत्री थे, उस समय इस बोर्ड को लागू किया गया था और उस समय के बाद इसके अच्छे परिणाम भी आये। यहां तक भी कहा गया था, टोकन रूप से बजट प्रोविजन भी रखा गया था। तो अब इसको अनिवार्य रूप से आठवीं का बोर्ड करवाया जाए।

(श्री नरेन्द्र कुमार)

सभापति महोदय, अभी जो स्कूलों का माध्यमिक से उच्च माध्यमिक किया गया है, सुबह भी यह चर्चा हो रही थी, मेरे हिसाब से सब एम.एल.ए. यह चाहते हैं कि जो कुछ संस्थाएं रह गयी हैं उन संस्थाओं को उच्च माध्यमिक किया जाए। यह वास्तव में एक गम्भीर विषय है। पांच हजार के लगभग संस्थाएं की हैं। जो संस्थाएं रही हैं, वह उचित मांग है, बोले नहीं लेकिन मेरे हिसाब से सभी की है क्योंकि वह एक बड़ा कस्बा था और बड़े कस्बे में प्राइवेट स्कूल खोली हुई है और उसको रख दिया गया। बड़ा कस्बा है उसमें सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति रहते हैं और उन गरीबों के पढ़ने के लिए स्कूल उच्च माध्यमिक किया जाए, वह उसी में अनिवार्य है और वहां प्राइवेट स्कूल है। इसीलिए तो वहां अनिवार्य है। मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि जो हमारे को स्कूल दी हैं उनमें से चाहे एक या दो, या पांच-पांच तक भी हटा दिये जाएं। लेकिन जो रखे हैं, हम चाहते हैं कि उनमें जरूर करवाये जाएं, क्योंकि वह बड़े कस्बे हैं, उनमें प्राइवेट स्कूल भी हैं। प्राइवेट स्कूल छोटे कस्बे में नहीं खोला जाता बड़े कस्बे में खोला जाता है जहां साढ़े चार हजार, पांच हजार, सात हजार तक की आबादी के विद्यालय हैं। मेरे मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में तहसील स्तर पर मलसीसर गांव है जिसमें बीस हजार से ऊपर जनसंख्या है, उसमें अभी तक सीनियर बालिका विद्यालय नहीं है जो तहसील स्तर का है, उसमें भी सीनियर बालिका विद्यालय खोला जाए। यह मैं अनुरोध करता हूं। मेरे हिसाब से सभी को इसकी जरूरत है। बजट का जहां तक सवाल है तो हम चाहते हैं कि हम जितने खुलवाएं उनकी जगह चाहे दूसरे बंद कर दिये जाएं, जिन पंचायतों में अनिवार्य नहीं है। मैं यह चाहता हूं।

पांच हजार जो माध्यमिक विद्यालय किये गये हैं, लगभग एक-दो साल बाद में कम से कम लाखों की संख्या में बारहवीं क्लास करके बच्चे निकलेंगे। उनके अनुपात में सरकारी कालेज नहीं खोले गये हैं। मेरे हिसाब से सरकारी कालेज बजट में तीन कालेज की घोषणा की गयी है। तो उनके अनुपात में सरकारी कालेज भी खोले जाएं।

झुन्झुनूं जिला शिक्षा में सबसे आगे है और उसमें मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में लड़कियां और लड़के इतने शिक्षा में आगे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितने जिले हैं उनमें से झुन्झुनूं जिले के कर्मचारी यदि हटा दिये जाएं तो मेरे हिसाब से उनकी पूर्ति करना भी मुश्किल है और उस जिले में एक विधान सभा क्षेत्र में सरकारी कालेज न हो, यह कितनी गम्भीर बात है।

(श्री नरेन्द्र कुमार)

तो मैं चाहता हूं कि मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में एक सरकारी कालेज खोला जाए।

जैसा मैं स्कूलों के लिए बता रहा था, तो हमारे धन्धूरी एक गांव ऐसा है जो अल्पसंख्यकों का गांव है, जिसमें कम से कम दस हजार की जनसंख्या है। सड़क पर गांव है, जो नेशनल हाइ-वे के रूप में है और उस धन्धूरी गांव में सीनियर स्कूल नहीं खोला गया है। उसमें एक प्राइवेट स्कूल खुल रहा है। पूरा अल्पसंख्यकों का गांव है जिसमें बहुत ही अनिवार्य रूप से सीनियर स्कूल होना चाहिए। इस तरह से जो सड़कों पर हैं वे रह गये और जहां जरूरत नहीं है वहां इस तरह के खोले गये हैं। तो मेरा अनुरोध है कि यदि बजट से सम्बन्धित बात है तो हम जितने खुलवाना चाहते हैं उतने दूसरे बंद कर सकते हैं, अन्यथा वे खोले जाएं।

एक तरफ मुख्य मंत्री महोदया द्वारा हर महकमे में पी पी पी योजना शुरू की जा रही है, दूसरी तरफ पी पी पी योजना के पहले से ही प्राइवेट स्कूल कितने चल रहे हैं, सरकार को कितना सहयोग दे रहे हैं, कितनी बेरोजगारी दूर हो रही है। उसमें सरलतापूर्ण कुछ नियम होने चाहिए और उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। यह एक सबसे गम्भीर समस्या है। इसको बैठकर के उचित निर्णय से ही सुलझाया जाए। पहले से ही प्राइवेट स्कूलें चल रही हैं जो पी पी पी योजना पर ही हैं, उनको अच्छी तरह से सुलझा कर के इस मामले को गम्भीरता से लिया जाए।

दूसरी तरफ हम नयी-नयी खोल रहे हैं। पहले भी यह बात चली थी और अब भी चल रही है कि एकीकरण करके गवर्नमेंट स्कूलें बंद की जा रही हैं, नयी-नयी खोल रहे हैं। मैं तो यह तक भी कहूं कि जब इतनी सीनियर स्कूलें खोले जा रही हैं, इस साल सेशन में शुरू हो जायेंगी, तो उनके पहले ऐसा निर्णय ले लिया जाए कि बंद करने के बजाय, आगे तब बंद करेंगे, क्योंकि अब जो एकीकरण में बंद हो रही हैं, पहले मांग के अनुसार खूब स्कूलें खोलीं, इसी कारण वह ही एकीकरण का करना पड़ा, तो हर ग्राम पंचायत में सीनियर स्कूल खोल दी गयी। जहां मांग है उनको जरूर खोला जाए और जहां मांग नहीं है उनको, मेरे हिसाब से, पहले ही हटा दिया जाए क्योंकि आगे भी जब संख्या ही नहीं होगी, 15 या 20 की संख्या नहीं होगी कक्षाओं में, वह होगा। दूसरा, एकीकरण में हमारे गांव में ऐसे स्कूल हैं, सभी गांव में हैं जहां संख्या थी उनको तो बंद कर दिया गया, जहां संख्या नहीं थी उनमें खुली हुई हैं और वहां

(श्री नरेन्द्र कुमार)

पांच-पांच, छह-छह अध्यापक बैठे हैं। अभी गांव में यह नियम रखा कि जो राजस्व गांव है उसका स्कूल बंद नहीं किया जायेगा और राजस्व गांव 300, 350 या 400 के ऊपर हैं उनमें पांच-पांच, दस-दस बच्चे भी नहीं हैं और छह-छह अध्यापक बैठे हैं। तो उनको लिया जाए। या तो संख्या पर प्रभावी निर्देश, या अच्छे नियम, या सलाहकार समिति द्वारा कोई अच्छा, सेशन शुरू होने से पहले इस तरह का कोई काम किया जाए जिससे एकीकरण में वापस सुधार हो। अच्छा है एकीकरण वाला लेकिन इसमें कुछ सुधारों की भी जरूरत है। क्योंकि हम जो भी कोई काम करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से गलतियां रह जाती हैं। तो इनमें सुधार किया जाए।

यातायात मंत्री महोदय को एक छोटा-सा निवेदन और करना चाहता हूं कि चाहे सरकारी बसें हों, चाहे प्राइवेट बसें हों, जहां रुकने का स्थान है वहां तो सवारियां कहती रहती हैं कि यहां रोका जाए, वहां तो रोकते नहीं हैं और जहां एक आदमी या अधिकारी, कोई भी कर्मचारी बैठते हैं चलते-चलते ही बीच में रोक देते हैं। तो चाहे सरकारी बसें हों, चाहे प्राइवेट बसें हों, ये यथा-स्थान पर ही रुकें, जिससे जो वाहन चल रहे हैं उनमें परेशानी नहीं हो। बीच में बसें पांच-पांच मिनट तक सवारियां उतारने के लिए खड़ी रह जाती हैं और इससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। मैं तो निवेदन करता हूं कि उनको निश्चित रूप से यथा-स्थान पर ही रोका जाए।

मेरी तहसील में मैंने जो कुछ मांगें आपको बतायी, एक तो सरकारी कालेज के लिए कहना चाहता हूं, मलसीसर जो बड़ा कस्बा है, बीस हजार से ऊपर की आबादी है, इसमें बालिका विद्यालय नहीं है, सीनियर बालिका विद्यालय खोला जाए। एक अल्पसंख्यक लोग मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक का एक टिकट भी मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में दिया था कि अल्पसंख्यक के वोट सबसे ज्यादा हैं, वहां अल्पसंख्यक का छात्रावास और अल्पसंख्यक की अलग से स्कूल खोली जाए जिससे अल्पसंख्यक लोग शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ें।

मिलिटरी में सबसे ज्यादा झुन्झुनूं जिले के लोग हैं, सबसे ज्यादा शहीद और सेना में सबसे ज्यादा झुन्झुनूं जिले के हैं, तो वहां रेफरल मिलिटरी हॉस्पिटल होना चाहिए। जो सरकारी हास्पिटल है, झुन्झुनूं में खेतान हास्पिटल के नाम से है, हमारे मंत्री महोदय जी राठौड़ साहब भी गये थे, इस समय वह ऐसा है कि आपके यहां जयपुर में कोई प्राइवेट हास्पिटल भी ऐसा नहीं

(श्री नरेन्द्र कुमार)

मिलेगा। सब कमरों में ए.सी. लगे हुए हैं सेठों के सहयोग से। तो उसको भी रेफरल हास्पिटल बनाया जाए। मैं इस चीज का वादा करता हूं कि यहां जयपुर में जो भी प्राइवेट हास्पिटल चल रहे हैं, उनकी तुलना सरकारी अस्पताल झुन्झुनूं से की जाए और उनसे अच्छा हो तो इसको रेफरल हास्पिटल बनाया जाए। यह मेरा निवेदन है।

मण्डावा में जो विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, वह झुन्झुनूं जिले में मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में मण्डावा और अलसीसर में काफी मात्रा में आते हैं तो मण्डावा में हेरिटेज होटल बनाया जाए।

मैं यही आशा रखता हूं कि मैंने मांगों के लिए जो कुछ बोला है, उसके लिए कुछ आगे बजट में जोड़ा जाए।

मुख्य मंत्री महोदया ने जो बजट पेश किया है, उसकी मैं खूब प्रशंसा करता हूं कि इससे आगे राजस्थान का निश्चित रूप से विकास होगा।

सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार।

श्री सभापति: श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

जब जुलाई में आय-व्ययक बजट 2014-15 पेश किया गया तो इससे पहले हम सोच रहे थे कि किस तरह का बजट आयेगा। क्योंकि जिस तरह से पिछली सरकार जर्जर अवस्था में अर्थ व्यवस्था को छोड़कर गयी उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा लेकिन हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने प्रत्येक वर्ग को, चाहे उसमें किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, हरेक को उसके अन्दर लिया और लाभ देते हुए, यह जो आय-व्ययक 2015-16 का बजट पेश किया है, मैं इसकी पूरी-पूरी तारीफ करता हूं कि वास्तव में यह इतना सराहनीय बजट पेश किया, जिसमें हर वर्ग को शामिल किया।

बजट की इस बहस के अन्दर मैं यह कहना चाहता हूं कि आज पिछले चार-पांच दिन से जिस तरह से प्रतिपक्ष नदारद है और इस प्रदेश की जनता ने जिस तरह से उनको चुनकर भेजा और भेजने के बाद में, आज जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं, ऐसे विषय के ऊपर वे

(समय: 15.00 बजे)

(श्री कैलाश चौधरी)

वाकआउट कर के बैठे हैं। उनकी हमेशा यह मंशा रही है कि हमें सिर्फ हंगामा करना है, विकास नहीं करवाना है। विकास करवाने की उनकी कभी मंशा ही नहीं रही है। विकास जब-जब भी हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी किसानों की पार्टी है और किसानों के हित की वे हमेशा बात करते हैं, लेकिन उन्होंने किसानों के बारे में कभी नहीं सोचा। भारत आजाद हुए 67 साल हो गए, उन 67 सालों में केन्द्र में 60 साल कांग्रेस ने शासन किया और 55 साल राजस्थान के अन्दर उन्होंने शासन किया लेकिन किसान की आज भी वही दुर्दशा है। उनके इतना शासन करने के बावजूद भी किसान अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर पाया है। आप देखें, आप कहीं भी जाएं, जैसे व्यापारी होता है तो वह किसी भी चीज को तैयार करता है तो उसमें उसकी पूरी कोस्ट आती है, वह कितने में आई है, वह सारा तय करता है। उसके बाद में, उसमें अपना नफा जोड़ने के बाद व्यापारी उसको बेचता है। लेकिन किसान का पूरा परिवार खेती करने में लगता है, उसको बुवाई करने में कितना खर्चा आता है। वह सारा जोड़ने के बाद जब बेचने के लिए बाजार में जाता है, तब काश्तकार की जो फसल है उसकी कीमत कोई दूसरा तय करता है। कोई व्यापारी तय करता है। भारत आजाद होने के बाद में भी किसानों को अधिकार, हक नहीं मिला तो उसके लिए कोई दोषी है तो वह कांग्रेस की सरकार है क्योंकि उन्होंने इतना शासन किया, उसके बावजूद उनके दर्द को नहीं समझा।

लेकिन हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी ने जो बजट पेश किया, उसके अन्दर किसानों के दर्द को समझा और किसानों की समस्याओं को समझते हुए, 59 पंचायत समितियों और 1,410 ग्राम पंचायत स्तर पर शेष रहे किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण पूरा किया गया। इनको क्रियाशील करने के लिए 5 करोड़ 22 लाख रुपये की लागत से फर्नीचर की व्यवस्था की। किसान भाइयों को खरीफ और रबी फसल के मौसम में उर्वरक उपलब्ध करवाने के लिए 3 लाख मैट्रिक टन यूरिया एवं 1 लाख मैट्रिक टन डी ए पी के अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था की। यह किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। पूर्ववर्ती जो सरकार थी, उन्होंने स्टॉक करने का कभी सोचा ही नहीं। किसान को जिस समय वास्तव में जरूरत होगी डी ए पी की, जिस समय जरूरत होती, उसके

(श्री कैलाश चौधरी)

बाद में पहुंचाते। लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि किसान को पहले से डी ए पी और यूरिया की व्यवस्था हो जाए। उन्होंने किसान के दर्द को समझा।

माननीय सभापति महोदय, किसानों के लिए जो फसल बीमा है, उसके अन्दर भी फसल का जो बीमा लगता है, वह बिलकुल माफ कर दिया। फसल के ऊपर जो ब्याज है, उस ब्याज से मुक्त किया है, क्योंकि ब्याज से किसान की कमर टूट जाती थी। किसानों के दर्द को भी बजट के अन्दर माननीया वसुंधरा राजे जी ने लिया है, किसान के दर्द को समझा।

माननीय सभापति महोदय, लाइट की जो हमेशा समस्या रहती थी, लाइट के बारे में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम किसानों को लाइट देंगे और 24 घंटे घरेलू और 7 घंटे कृषि के लिए लाइट देंगे। सुराज संकल्प यात्रा के दौरान भी कहा। उस वादे के ऊपर खरा उतरते हुए, जो अपना बजट पेश किया, उसके अन्दर लाइट की जो व्यवस्था है, उसके अनुसार हमारी सरकार ने काम करना प्रारम्भ किया है। इसको बजट के अन्दर लिया है। विद्युत वितरण तंत्र को सुदृढ़ और विकसित करने हेतु 33 केवीए के 200 नए सब स्टेशन स्थापित करना, इसी वर्ष चित्तौड़ में 400 केवीए का एक ग्रिड सब-स्टेशन, साथ ही 220 केवीए के 6 तथा 132 के 16 ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित करने से निश्चित रूप से राज्य में बिजली की हमें सुविधा मिलेगी। इससे किसानों को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, विद्युत के क्षेत्र में बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में लोग ढाणियों में बसे हुए हैं। हमारे जो किसान हैं वे खेत के अन्दर रहते हैं, ना कि गांव के अन्दर रहते हैं। उनके बच्चों के पढ़ने के लिए भी लाइट की व्यवस्था वहां नहीं है। दीनदयाल जी उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत इनको लिया गया है। इससे हमारी जो ढाणियां हैं उनके अन्दर कनेक्शन किये जाएंगे, ताकि आने वाले समय में किसान को विद्युत के क्षेत्र में भी फायदा मिलेगा।

मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि किसानों के दर्द को अगर कोई समझता हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी समझती है। कांग्रेस की सरकार ने हमेशा किसानों को गुमराह किया। वह सिर्फ सत्ता में आने और 5 साल तक शासन करना, जनता की समस्याओं के प्रति उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पेयजल की गम्भीर समस्या है। मैं आपको कहूं कि पिछली जो

(श्री कैलाश चौधरी)

वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, 2003 से 2008, उस समय हमारे यहां पोकरण-फलसूंड, बालोतरा-सिवाणा और हीरे ढाणी की स्कीम बनाई और बजट में पैसे की व्यवस्था की थी, लेकिन बाद में दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने द्वेषतापूर्वक वहां के लोगों के साथ में अन्याय करते हुए, 5 साल तक बजट में उन योजनाओं को एक रुपया भी नहीं दिया, जिसकी वजह से वह पोकरण-फलसूंड की स्कीम ठप रही। लेकिन इस बार हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने पश्चिमी राजस्थान में जो पानी की गम्भीर समस्या है उसकी व्यवस्था के लिए इस स्कीम को बजट में लिया है। उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। कांग्रेसी पानी के अन्दर भी राजनीति करते थे, 5 साल के अन्दर एक रुपया भी उन्होंने पानी के नाम पर नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी बात करूं, कांग्रेस की हमेशा यह नीति रही है कि अनपढ़ हमेशा अनपढ़ ही रहना चाहिए; गरीब को हमेशा गरीब रहना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में आठवीं तक के विद्यालयों की प्रत्येक पंचायत में घोषणा की थी तो हमारे शासन के अन्दर की थी। उसके बाद, पिछला जो शासन था, जिसके अन्दर हमारी सरकार थी और उस समय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने यह तय किया कि दूरदराज रहने वाले जो हमारे भाई-बहन हैं, उनको पढ़ने के लिए बहुत दूर-दूर जाना पड़ता है,10-10, 15-15 किलोमीटर जाना पड़ता है, तब जाकर के दसवीं की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दसवीं करने के बाद में उनको छोड़ना पड़ता था। लेकिन पिछली सरकार में यह तय किया गया कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर दसवीं की स्कूल होनी चाहिए। उस समय हमने प्रत्येक पंचायत के स्तर पर दसवीं की स्कूल करवाई।

उसके बाद इस बार इस बजट में यह चिंता की कि शिक्षा हमारे राज्य, हमारे देश के लिए बहुत ही अनिवार्य है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत के ऊपर, मेरे विधान सभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो 45 नई हायर सेकण्डरी स्कूलों की घोषणा की और उसके लिए मैं यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं। राजस्थान के अन्दर 6 हजार नये उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है। उसके बाद में अभी जो पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है, उसके अन्दर भी 1 हजार अन्य, जो पीछे रह गयीं, नई पंचायतों में भी उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि वास्तव में शिक्षा के प्रति हम कितने संवेदनशील हैं।

(श्री कैलाश चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, सड़कों के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने पूर्व में कहा, जब से भारत आजाद हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन मेरा बाड़मेर जैसा क्षेत्र जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, दूसरे भी कई ऐसे क्षेत्र हैं पूरे राजस्थान में, वहां कभी आज से 15 साल पहले जाते थे तो सड़कें हुआ नहीं करती थीं। डामर की सड़कें तो बहुत कम हुआ करती थीं। हमारे वाहनों पर जाते तो उनके पहुंचने की गारंटी नहीं होती थी। लेकिन अटल बिहारी जी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह कांग्रेस का गांव है या बी जे पी का गांव है; उनकी एक ही चिंता थी कि दूरदराज के गांवों में जो लोग बैठे हैं उनके लिए मैं सुविधा करूं। उन्होंने प्रत्येक पंचायत पर हर रेवेन्यू विलेज को सड़क से जोड़ा। जिसकी वजह से आज पूरे राजस्थान के अन्दर विकास हो रहा है। उसके बाद, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में सड़कों के लिए 20 हजार किलोमीटर पीपीपी मॉडल पर बनाने का और गौरव पथ के नाम से हर पंचायत के अन्दर सीमेंट की सड़क बनेगी, जिनको देखने के लिए लोग आएंगे।

यह होता है विकास। हमारी मंशा है कि हम राजस्थान की जनता का विकास करें। यह बजट बहुत ही सराहनीय है। इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी इतना अच्छा बजट पेश किया गया।

मैं यह कहना चाहता हूं कि विपक्ष के लोग जिस तरह से पिछले 4-5 दिन से वाक-आउट कर रहे हैं, उनको हकीकत में पता ही नहीं है कि किस समय वाक-आउट करना चाहिए। क्योंकि वे सत्ता में रहे हैं, सत्ता में रहने की वजह से इनको यह पता ही नहीं है कि वास्तव में हमें किस समय वाक-आउट करना चाहिए। अब इनको अगर वास्तव में नालेज नहीं है तो, क्योंकि विपक्ष में हम सबसे ज्यादा रहे हैं, इनको एक-दो हमारे जो सीनियर हैं, उनसे जाकर शिक्षा लेनी चाहिए कि किस समय वाक-आउट करना चाहिए।

इनको एक बात का बहुत बड़ा अनुभव है, इनको यह अनुभव जरूर है कि भ्रष्टाचार कैसे किया जाए। भ्रष्टाचार का इनको बहुत बड़ा अनुभव है। इसलिए इनकी हमेशा मंशा रहती है कि सत्ता में आएं और भ्रष्टाचार करें। इसलिए यह भ्रष्टाचार की इनकी मंशा रही है।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये आज जिस तरह से पूरे राजस्थान में बहुत कम संख्या में, वैसे तो इनके 20-22 विधायक हैं लेकिन इसके बावजूद इनको यह नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि राजस्थान की

(श्री कैलाश चौधरी)

जनता ने हमें जिस तरह से चुनकर भेजा है, हमें काम करवाना चाहिए, विधान सभा के अन्दर जाकर बैठना चाहिए। लेकिन वे सिर्फ अपनी एक बात, उनके कोई मुद्दा क्या है, मुद्दा हो तो उस पर बात करें। भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में बात कर रहे थे ये कि हमने भूमि अधिग्रहण के ऊपर वहां पर प्रदर्शन किया। किस बात का आपने प्रदर्शन किया? अगर वास्तव में मैं कहूं तो जो भूमि अधिग्रहण बिल है, वह उनमें से किसी ने पढ़ा भी नहीं है, वह वास्तव में किसानों के हित का बिल है। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूं।

हमारी कुछ मांगें भी हैं। जिस तरह से इनकी हमेशा एक तरह से, कांग्रेस के लोगों की मंशा रही है कि चुनाव आएं, उससे पहले कुछ न कुछ झुनझुना पकड़ा दो। अभी उन्होंने चुनाव से पहले सबको एक बल्ब पकड़ा दिया, कहा कि यह लट्टू ले जाओ। अब देख लो, किस तरह से उन्होंने वोट लेने के लिए कोशिश की। हमारे बाड़मेर के अन्दर चुनाव की आचार संहिता लगने के मात्र एक दिन पहले सोनिया गांधी जी आए और रिफाइनरी का एक पत्थर, शिलालेख लगाकर चली गयीं। बजट के अन्दर एक रुपया भी नहीं दिया और कोई नहीं, सिर्फ यह कहा कि हम यहां पर रिफाइनरी लगा रहे हैं। अगर उनकी मंशा होती तो करते। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने तो पिछले शासन काल में भी यह पूरा तय कर दिया था, एम ओ यू के लिए बुलाकर पूरा तय कर दिया था, फिर आपने क्यों उसको कैंसिल करके और फिर उसके बाद में चार-पांच साल तक लटका कर रखा? रिफाइनरी के नाम पर उन्होंने सिर्फ पत्थर लगाया और वह भी दूसरे दिन वापस लेकर चले गये।

मैं यह कहना चाहता हूं कि रिफाइनरी के लिए जिस तरह उन्होंने एक एम ओ यू तय किया, उस रिफाइनरी के एम ओ यू के अन्दर 56 हजार करोड़ रुपये, वह भी सरकार लगाएगी और उसके बाद में जमीन भी सरकार की, लाइट भी सरकार की और पानी भी सरकार देगी। उसके बाद में उसमें सिर्फ 26 परसेंट पार्टनरशिप मिलेगी। यह क्या एम ओ यू है! यदि कोई किसान होता है, वह भी अगर खेत को किसी दूसरे को देता है जोतने के लिए तो भी 50 परसेंट रखता है। इनके इसके अन्दर भी बहुत बड़े घोटाले की बू आती है। मैं तो यह मांग करना चाहूंगा कि इसकी वास्तव में जांच होनी चाहिए कि इसके अन्दर कितना बड़ा घोटाला हुआ है। इसमें जमीन के नाम पर कई बड़े घोटाले हुए हैं। वहां पर औने-पौने भावों के अन्दर, बाड़मेर के अन्दर जमीनें खरीदी गयीं।, वे इन्हीं के लोग थे। एक बहुत बड़ा घोटाला था। सिर्फ जमीन के नाम पर उनको पैसा कमाना था, बाकी इनको रिफाइनरी नहीं लगानी थी।

(श्री कैलाश चौधरी)

मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर और उसमें भी बायतू विधान सभा क्षेत्र के अन्दर रिफाइनरी आज मेरे वही लग रही है; दूसरा जैसा कि तेल के भण्डार हैं तो वे सारे मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं और हमारे यहां पर बायतू विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आज जो क्रूड तेल, आयल है, उसके 7 हजार करोड़ रुपये रायल्टी के रूप में राजस्थान सरकार को मिलते हैं। तो इसमें बायतू विधान सभा क्षेत्र को भी निश्चित रूप से उसका और बाड़मेर जिले को इसका विशेष रूप में कुछ परसेंट मिले ताकि जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसमें लाइट की भी व्यवस्था हो सके तथा दूसरी जो भी सुविधाएं हैं, सड़कें जिस तरह से कई जगह टूटी हुई हैं, तो उनका भी हम विकास कराने में हमारी सुविधा हो सके। क्योंकि हम रेगिस्तानी क्षेत्र से हैं और निश्चित रूप से तेल का इतना उत्पादन कर रहे हैं तो तेल की हमारे वहां से जो रायल्टी आती है, उसका कुछ न कुछ फायदा हमारे क्षेत्र को भी मिलना चाहिए।

मैं यह निवेदन और करना चाहूंगा कि रिफाइनरी का जो एम ओ यू है, उसको जल्दी से तय करके हमारे बायतू विधान सभा क्षेत्र में जो जमीन तय की, वहां पर रिफाइनरी लगाने का मैं पुरजोर तरीके से निवेदन करना चाहूंगा।

हमारी विशेष तौर से यह मांग रहेगी कि मेरे उप खण्ड मुख्यालय बायतू से कवास के बीच में 27 किलोमीटर दूरी तक रेलवे स्टेशन तो बीच में आता है लेकिन इस 27 किलोमीटर, बाड़मेर से कवास के बीच में एक भी रेलवे क्रोसिंग नहीं है। इस 27 किलोमीटर में जो किसान हैं, उनको अगर खेत में दूसरी तरफ जाना पड़ता है तो 15-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बीच में कम से कम चार आर ओ बी बनाए जाएं। यहां से अगर रेलवे विभाग को, केन्द्र सरकार को भेजेंगे तो निश्चित रूप से वहां के किसानों को फायदा मिलेगा। किसान को अपने खुद के खेत में जाने के लिए, इस रेलवे क्रोसिंग को पार करने के लिए 25 किलोमीटर तक घूम कर जाना पड़ता है। वहां पर रेलवे स्टेशन भी है, उसके बावजूद भी वहां पर रेलवे का क्रोसिंग नहीं है 25 किलोमीटर के बीच में। तो मेरी यह भी मांग रहेगी।

मेरी एक मांग यह है कि बाड़का, भीमड़ा, कानोट, गिड़ा, पड़ेउ, पाटोदी से जोधपुर के लिए एक राजमार्ग की आवश्यकता है, क्योंकि यहां से अगर

(श्री कैलाश चौधरी)

जोधपुर जाने वाले लोग हैं उनके लिए कम से कम 50 किलोमीटर शार्ट रास्ता है। इससे तेल की भी बचत होगी और समय की भी बचत होना निश्‍चित रूप से तय है।

बायतू विधान सभा क्षेत्र में कानोड़ है, वहां मैंने 132 केवी जी एस एस की मांग की है। तो उसका भी निश्‍चित रूप से मेरे को आश्‍वासन मिला है।

बालोतरा का जो उद्योग है, बालोतरा के अन्दर जिस तरह से हम दूसरी कम्पनियों को यहां ला रहे हैं, उद्योगों को बढ़ावा देना, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे राजस्थान में दूसरे उद्योग आ रहे हैं, लेकिन बालोतरा और पाली का जो वस्त्र उद्योग है वह आज खतरे के अन्दर है। बालोतरा के अन्दर जो उद्योग है पूरे राजस्थान ही क्या पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर वहां का कपड़ा जाता है, पोपलीन का कपड़ा जाता है और उसकी वजह से वहां के लाखों लोगों को, मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। वहां के कई व्यापारी और पूरे बालोतरा के आसपास के लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन पर्यावरण की वजह से हाई कोर्ट की जो एक तलवार ऊपर लटकी हुई है उसके लिए अगर वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर, या कैसे भी सुविधा करके, अगर बालोतरा के उद्योग को बचाएंगे, पाली के उद्योग को बचाएंगे तो निश्‍चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। यही मेरा निवेदन है।

आपने मुझे जो समय दिया बोलने के लिए, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री बनवारीलाल सिंघल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, बजट 2015-16 जो राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की विधान सभा में दिनांक 9 मार्च, 2015 को प्रस्तुत किया, ऐसा विकासोन्मुखी बजट है जिसमें माननीया मुख्य मंत्रीजी ने हर वर्ग का ध्यान रखने का काम किया है। पिछले 6 वर्ष में यह सातवां बजट हमने देखा है, ऐसा बजट पहली बार प्रस्तुत किया गया जिसमें हर विधान सभा क्षेत्र का हर वर्ग का समान रूप से ध्यान रखा गया।

मैं अपनी बातचीत अपने विधान सभा क्षेत्र से माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद ज्ञापन के साथ शुरू करना चाहता हूं। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने थोड़ा-सा ध्यानाकर्षण करने पर, अलवर शहर की एक बहुत बड़ी ज्वलन्त समस्या, जो आम आदमी के लिए जाम का कारण बनी रहती थी और कई

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

बार यह चिन्ता भी होती थी कि यदि किसी मरीज का व्हिकल या एम्बूलेंस इस एरिया में फंसेगा तो हो सकता है कि कोई बड़ी घटना हो जाए; उस क्षेत्र को घोड़ा फेर से अहिंसा सर्किल और अहिंसा सर्किल से कटी घाटी, 30 करोड़ रुपए से सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण का जो उदार रवैया अपनाते हुए अलवर को सौगात दी है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

राजस्थान के युवाओं को रोजगार दिलाने और साथ में सुगम परिवहन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से, प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में वैधानिक और सुरक्षित परिवहन, क्योंकि जैसा पिछले सदन में भी अनेक बार यह आवाज उठी थी, कई लोग जुगाड़ के माध्यम से परिवहन के साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं छोटी-मोटी सवारी जीप में 30-30, 35-35 सवारी के माध्यम से इधर से उधर आवागमन कर रहे हैं, ऐसे में 1,500 नये मार्ग खोलने की जो घोषणा की गई है, इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुगम यातायात का साधन तो उपलब्ध होगा ही, साथ में राजस्थान के लोगों को रोजगार का अवसर भी निश्चित तौर पर इससे मिलने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, आज वर्तमान में पिछले दिनों में जिस तरह से राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, राजस्थान के ऊर्जा मंत्रीजी ने, जिस तरह से राजस्थान पर पिछली सरकार बिजली के क्षेत्र में कितना भारी भरकम ऋण छोड़कर गई है, भार छोड़कर गयी है, घाटा छोड़कर गयी है उससे निपटने के लिए जो एस्को माडल प्रारम्भ किया है, जिसमें एलईडी लाइट्स, एल ई डी ट्यूबलाइट हैं, जिनको सरकारी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वन करवाकर योजना को लागू किये जाने की कार्यवाही की जाएगी, निश्चित तौर पर राजस्थान में बिजली की खपत कम होगी, ऊर्जा की खपत कम होने से, लगातार जिस प्रकार से प्रति यूनिट बिजली पर राजस्थान के उपभोक्ता को, राजस्थान की सरकार को 1 रुपया 81 पैसा प्रति यूनिट ब्याज और 1 रुपया 61 पैसा प्रति यूनिट, जो हमको अतिरिक्त रूप से 3 रुपया 42 पैसा प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ रहा है, उसमें बिजली की बचत से इस राजस्थान को लाभ मिलेगा। साथ ही, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने एल ई डी लाइट के उपयोग को राजस्थान में प्रोत्साहित करने के लिए 5 प्रतिशत से घटाकर टैक्स स्लैब 3 परसेंट किया है, निश्चित तौर पर राजस्थान के आम उपभोक्ता के लिए एक मददगार साबित होगा। राजस्थान का आम उपभोक्ता आज बिजली के बिल को

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

देखकर जिस तरह से बिजली के करंट की जगह, उस बिजली के बिल के करंट से प्रभावित होता है, उस करंट को कम करने में निश्चित तौर पर राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी की एक अच्छी पहल है। अलवर और भिवाड़ी को इस एस्को योजना में शामिल करने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा की गयी है, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का इसके लिए बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में 15 लाख रोजगार देने की घोषणा की थी, उसी के तहत पिछले दिनों आपने जब होंडा मोटर्स कार कंपनी में जाकर राजस्थान के उद्यमियों से राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने की बात की, तो उसमें जो बात निकलकर आयी, उसको अपने बजट में समावेशित करते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने होंडा मोटर्स के वेंडर्स के लिए, 125 एकड़ भूमि में उनके वेंडर्स के लिए छोटे-छोटे उद्योग स्थापित कराये जाने का प्रस्ताव रखा है। निश्चित तौर पर इससे राजस्थान की रेवेन्यू बढ़ेगी और राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार का सृजन होगा।

(15.22 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

इसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी द्वारा राज्य में आर्चरी, शूटिंग, राइडिंग, बास्केटबाल और हाकी में प्रतिभाओं को सही समय पर, सही उम्र पर खोजने के लिए इन खेलों के लिए टैलेंट सर्च योजना लागू की है। इससे चुने हुए खिलाड़ियों को, साथ में राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गयी है। यह एक अच्छी पहल है क्योंकि राजस्थान में टैलेंट का कोई घाटा नहीं है, खिलाड़ियों में प्रतिभा का कोई घाटा नहीं है, लेकिन समय पर उनका संरक्षण, उनका परीक्षण नहीं होने से, पहचान नहीं होने से राजस्थान की प्रतिभाएं दम तोड़ती हैं। इस योजना के माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी ने टैलेंट सर्च योजना की घोषणा की है। साथ ही, खिलाड़ियों को ओलम्पिक गेम्स, एशियन गेम्स, कामनवैल्थ गेम्स और अन्य प्रकार के गेम्स में स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक विजेताओं को एक अतिरिक्त राशि जो पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी, उसका प्रावधान किया है। साथ ही, पुलिस विभाग और खेलकूद विभाग में उपरोक्त पदों पर पात्रता पूर्ण होने पर ऐसे खिलाड़ियों को नौकरी देने की, साथ में जे डी ए द्वारा नेशनल गेम्स के खिलाड़ियों को

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

उपहार स्वरूप भूखण्ड देने की योजना की है। निश्चित रूप से राजस्थान के युवा इस योजना से प्रोत्साहित होकर देश भर में, दुनिया भर में राजस्थान का नाम आगे बढ़ाएंगे। यह माननीया मुख्य मंत्रीजी की बजट के माध्यम से राजस्थान का सर्वांगीण विकास करने की योजना है। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं।

प्रदेश के आम आदमी की, हर पेट को रोटी की चिन्ता भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है। 250.76 करोड़ का बजट प्रावधान खाद्य सुरक्षा के तहत आमजन, जिसका रोटी से नाता दूर होता था, पिछली सरकार के समय में केवल घोषणाएं हुईं, लेकिन आम आदमी की रोटी की चिन्ता नहीं हुई। ऐसे लोगों के लिए भी 250.76 करोड़ का प्रावधान राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा खाद्य सुरक्षा के द्वारा किया गया है।

एक बात छोटी है, लेकिन दूर तक जाती है; राजस्थान में व्यापारियों को छोटे-छोटे कामों के लिए, बाट-माप सम्बन्धी कामों के लिए, जिला उद्योग केन्द्रों के चक्कर लगाने पड़ते थे। चूंकि जिला उद्योग केन्द्रों में इतने छोटे व्यापारी को, इतने छोटे-छोटे वेंडर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को, उनके तराजू पर, उनके बाट पर, उनके माप पर, आजकल जो इलेक्ट्रोनिक स्केल आ रहा है, इतनी छोटी निगाह से देखा जाता था, टरकाते-टरकाते महीनों लगता था। इस समस्या को समझते हुए, व्यापारी समस्या को समझते हुए, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसको उद्योग विभाग से हटाकर, चूंकि यह उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत आना चाहिए, इस वाजिब समस्या को समझते हुए, इसको भी उपभोक्ता संरक्षण का कार्य समझते हुए, उपभोक्ता विभाग यानी रसद विभाग के अन्तर्गत किया है, जो राजस्थान के व्यापारी की छोटी-छोटी असुविधा है उसको दूर करने का प्रयास है। इसके लिए मैं राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहता हूं।

साथ में, पिछली सरकार के समय में पूरे राजस्थान में बड़े-बड़े बोर्ड लगे, फ्लेक्स लगे, राजस्थान के रोजाना अख़बार छपते थे, जिसमें एक योजना राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने चलायी थी, ''ऐसा पहली बार हुआ।'' उस पहली बार में राजस्थान का ऐसा कोई चौराहा नहीं था, जयपुर का कोई चौराहा नहीं था, कोई बोर्ड ऐसा नहीं था जिसको राजस्थान की सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई से किराये पर नहीं लिया हो। अफोर्डेबल हाउसिंग का ढोल पीट-पीटकर राजस्थान की सरकार ने जनता को ऐसे सपने दिखाये कि

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

सुबह उठेंगे तो उनका मकान तैयार है, उसके आबंटन की चिट्ठी उनके दरवाजे पर मिलेगी, लेकिन परिणाम ढाक-के-तीन पात रहा। राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने आमजन की इस आवास समस्या को, झुग्गी-झोंपड़ी को, गरीब लोगों को, बरसात होती है तो डूब जाते हैं, गरमी होती है तो जलते हैं, सर्दी पड़ती है तो गलते हैं, उनकी आवास की समस्या को समझते हुए, देश के प्रधान मंत्रीजी की योजना अनुसार, इस राजस्थान में 2022 तक 17 लाख आवासों की आवश्यकता, प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से कमजोर अल्प आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना की घोषणा की है। निश्चित तौर पर राजस्थान में राजस्थान के आम-अवाम के लिए मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है।

माननीय सभापति महोदय, अलवर में लम्बे समय से एक मांग चली आ रही थी। सीमावर्ती जिला है, राजस्थान का सिंहद्वार है और अपराध की दृष्टि से भी पिछले पांच वर्ष में राजस्थान में, मैंने विधान सभा प्रश्न के माध्यम से जानकारी चाही थी तो मुझे उत्तर मिला कि पिछले पांच वर्ष में अपराध का आंकड़ा राजस्थान में अगर किसी जिले में सबसे ज्यादा रहा तो, यह किसी जिले के दुर्भाग्य की स्थिति हो सकती है, वह हमारा अलवर जिला रहा, जिसमें पिछले 5 वर्ष में सबसे ज्यादा अपराध, सभी प्रकार के अपराध, सबसे ज्यादा अपराध पूरे राजस्थान में घटित हुए तो अलवर में हुए। जिस जिले में अपराध अधिक होगा निश्चित तौर पर वहां की जेल में जहां बड़ी-बड़ी श्रेणी के अपराधी जिस जेल में पल रहे हों, जिस जेल में रह रहे हों, ऐसी जेल का हाई-सेंसिटिव होना जरूरी है, ऐसी जेल में जांच सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अलवर की अ श्रेणी जेल को केन्द्रीय कारागार के रूप में क्रमोन्नत करने का काम किया है जो निश्चित तौर पर अलवर में इस जेल के लिए अलवर के जो कैदी इसमें रह रहे हैं, उनके लिए; जो सामान्य कैदी इसमें पहुंच जाते हैं और खतरनाक क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, उनके अलग-अलग रहने की व्यवस्था भी इसके अन्तर्गत होगी।

मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से जेलों को वीडियो कांफ्रेंसिंग से जोड़ने की जो व्यवस्था हुई है, आज कैदियों के द्वारा मोबाइल का उपयोग करना, पिछले दिनों हमारे एक साथी विधायक, चाहे वे कांग्रेस से ही थे, लेकिन उनके पुत्र की हत्या के बाद जेल से उनके मोबाइल पर फोन आना, इस तरह की घटनाएं भी राजस्थान में हुईं। आने वाले समय में अलवर की जेल

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

को भी अन्य जेलों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से जोड़े जाने की, साथ में बंदियों से उनके परिवारजन से मुलाकात की व्यवस्था को सुविधाजनक करने हेतु बंदी कारागृहों में आधुनिक बंदी मुलाकात कक्ष निर्माण हेतु 2.40 करोड़ रुपये तथा सभी मुलाकात कक्षों में सी सी टी वी, ताकि कोई व्यक्ति अपने परिवारजन से मिलने जा रहा है तो जेल में मिलने के दौरान किस तरह की बातचीत कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, जेलों में हथियार मिले, कैदियों ने एक-दूसरे को मार दिया, हत्या कर दी। इस तरह की घटनाओं से, निश्चित तौर पर जो घोषणा की गयी है, अलवर को लाभ मिलेगा, राजस्थान को लाभ मिलेगा।

अभी विशेष प्रकार की अदालतों की घोषणा माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा की गयी है, जिसमें भी अलवर जिले का ध्यान रखा गया है। इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का विशेष आग्रहपूर्वक, आदरपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं चैक अनादरण के मामलों के न्यायालय हों, या 4 सिविल न्यायालय जो खोले जाने हैं, उनमें से भी अलवर जिले को दो न्यायालय मिले हैं, एक अलवर शहर और एक कोटकासिम को। इसके लिए भी मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा राजस्थान के पत्रकारों का भी पूरा ध्यान रखने का काम किया गया है। प्रदेश में पत्रकार एवं साहित्यकारों को राजस्थान पत्रकार एवं...(व्यवधान)

श्री सभापति: अलवर को टैलेंट चयन में नहीं रखा, बाकी तो रख लिया।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): जब सांगानेर ही रह गया तो अलवर क्या है? (व्यवधान) आप हमारी मत कहो, हम आपकी नहीं कहें। चलने दो काम को आगे।

श्री सभापति: बाकी तो अलवर के लिए बहुत कुछ है इसमें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप भी हमारे लिए खूब करते हो। इसलिए हम तो आपके भी आभारी हैं, साहब।

सभापति महोदय, पत्रकारों का पूरा ध्यान माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा रखा गया है।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बिना मात्रा का एक ही शहर है।

श्री सभापति: अलवर कितने होते हैं, पता है क्या?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सुनो साहब, अगर आपने पहला अक्षर हटा दिया तो हम लवर बन जाते हैं, सबको प्यार करते हैं। अगर दो हटा दोगे तो फिर हम क्या बनते हैं? वरदान बन जाते हैं, हम 'वर' बन जाते हैं। 'वर' से एक ही मतलब नहीं है, वरदान भी होता है। भगवान कहते हैं, वत्स, मांगो वर। इसका मतलब यह थोड़े ही है, 'वर' मांगों तो वर-वधू।

श्री सभापति: बनवारी लाल जी, अलवर दस होते हैं। अलवर भगवान विष्णु का नाम है और दस अलवर, दक्षिण भारत में उनकी पूजा होती है। इसलिए अलवर जो नाम है, वह भगवान विष्णु का नाम है और दस अलवर हुए हैं और उनके नाम हैं, इसलिए आप बहुत पवित्र स्थान से आये हो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में कहते हैं कि आदरणीय घनश्याम जी तिवाड़ी साहब जैसे लेजिस्लेटर राजस्थान में गिने-चुने हैं। तो आपने जो मेरा ज्ञानवर्धन किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री सभापति: मैं एक किताब भी दूंगा जिसमें दस अलवरों का वर्णन है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): निश्चित तौर पर मैं आगे उसका उपयोग भी कर लूंगा, साहब।

पत्रकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए राजस्थान पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से दी जाने वाली एकमुश्त वित्तीय सहायता राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया गया है। क्योंकि आज के इस वर्तमान महंगाई के दौर में हमारे पत्रकार साथी निश्चित तौर पर कई बार बड़े संकट से गुजरते हैं जब धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया है और विशेष मामलों में इसकी सीमा 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये किये जाने की जो घोषणा की गई है, मैं समझता हूं कि राजस्थान का पत्रकार समाज भी इसकी पूरे राजस्थान और पूरे देश में राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री का यशगान निश्चित तौर पर कर रहा होगा और अगर नहीं कर रहा है तो करना भी चाहिए। साथ ही, प्रदेश की आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा प्रदेश के सभी अधिस्वीकृत पत्रकार भाई हैं उनको राजस्थान में संचालित एवं दिल्ली यात्रा की राजस्थान रोडवेज की सभी ए.सी. बस एवं वोल्वो बसों के किराये में 50 प्रतिशत की छूट देने का भी एक अनूठा काम किया गया है, जो भी पहली बार हुआ है।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

सैनिक कल्याण। बोर्डर पर हमारे सैनिक इस राजस्थान की, देश की सीमाओं की अपने सीने पर गोली खाकर भी सुरक्षा करते हैं। तो उन सैनिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए भी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से जो परवाह की है, जो चिंता की है, वह भी ऐसा काम है कि 1.4.1999 के पश्चात् आपरेशन विजय तथा अन्य आपरेशनों में शहीद सैनिकों के माता-पिता के नाम से पोस्ट आफिस में 1 लाख 50 हजार रुपये के स्थायी जमा खाते की राशि में बढ़ोतरी करते हुए इस राशि को 3 लाख रुपये करने की घोषणा की है। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के परिवार को इससे बहुत सहारा और सम्बल मिलने वाला है, जिनके परिवारों के सैनिक, जवान इन आपरेशन्स में अपनी जान गंवा बैठे। देश की सीमा पर इस देश की सुरक्षा करते हुए जिन्होंने अपने आपको शहीद कर लिया उनको नमन करते हुए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस राशि को दुगना करने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही आपरेशन विजय, कारगिल जो युद्ध था और आपरेशन रक्षा, इनमें शहीद होने वाले सैनिकों की विधवाओं के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा आबंटित फ्लैट्स पर देय स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क माफ है, किन्तु इसी सम्बन्ध में बैंक, वित्तीय संस्थाओं और सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करते समय निष्पादित मोर्गेज डीड पर, क्योंकि मोर्गेज तो करना ही पड़ेगा, मोर्गेज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को भी पूर्ण माफ किये जाने की घोषणा की है। वह एक ऐसा हिडन एजेंडा होता है कि जब वे सब-रजिस्ट्रार आफिस में जाते हैं तो उनको बहुत बड़ा वहां से हिसाब-किताब मिलता है कि आपको इतना भुगतान करना है। तो वे अपना हवाला भी देते हैं, कि हम तो सैनिक की विधवा हैं, सैनिक की मां हैं, सैनिक का परिवार हैं लेकिन जब नियमों में किसी तरह का शिथिलन नहीं होता, कोई व्यवस्था नहीं होती तो फिर अधिकारी लोग भी हाथ बांधकर कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, राजस्थान की सरकार से कहो। उनकी पुकार को राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीया वसुंधरा जी ने सुनने का काम किया है और उनकी ओर ध्यान देने का काम किया है। इससे सैनिकों की विधवाओं को एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

मेक-इन-इण्डिया और मेक-इन-राजस्थान, यह भी एक अच्छा, राजस्थान इंवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, 2014 जो लागू हुई है, उसके अन्तर्गत पर्यटन, टैक्सटाइल, आदि को विशेष लाभ दिये जाने की घोषणा की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में बड़े निवेश को आकृष्ट करने के लिए 750 करोड़

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

रुपये से अधिक निवेश करने वाले उद्योगों को कैपिटल गुड्स और सेवा क्षेत्र के उद्योगों को इक्विपमेंट पर शत-प्रतिशत छूट दी गई है। इससे राज्य में बड़े उद्योग आएंगे। अभी जो 15 लाख रोजगार देने की माननीया मुख्य मंत्रीजी के द्वारा चाहे घोषणा पत्र में या पिछले दिनों अपनी घोषणाओं में जो वादा किया गया है, उससे राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिलेगा, राजस्थान का रेवेन्यू बढ़ेगा।

इसके साथ-साथ, राजस्थान में निकलने वाले कोटा स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट, इनको राजस्थान से बाहर से आने वाली विट्रिफाइड टाइल्स हैं उनसे बहुत बड़ा कम्पीटिशन करना पड़ता है। वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि फ्लोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा आज की तारीख में इस विट्रिफाइड टाइल ने कैप्चर कर लिया है। राजस्थान का पत्थर उद्योग, जिसमें मार्बल, कोटा स्टोन और ग्रेनाइट आते हैं, ये कैसे प्रतिस्पर्धा में रहें, तो इसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने व्यवस्था की है। इस कड़ी प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए, स्थानीय उद्योगों को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, कोटा स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट पत्थर से सम्बन्धित मैन्यूफेक्चरिंग एक्टिविटीज...

श्री सभापति: यह गलत बात है। माननीय सदस्य, वापस जाइये, वापस जाइये और उधर पीछे से घूमकर आइये। बीच में से क्रोस करके आना गलत है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): राजस्थान में निकलने वाले कोटा स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट को वर्तमान में विट्रिफाइड टाइल्स से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए और राजस्थान के स्थानीय पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्री जी ने कोटा स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट पत्थरों से सम्बन्धित मैन्यूफेक्चरिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए जो रियायतें दी गई हैं इनसे राजस्थान का पत्थर उद्योग जो दम तोड़ने की स्थिति में आ रहा था, उस राजस्थान के पत्थर उद्योग को जान मिली है। राजस्थान के जितने भी पत्थर उद्योगपति हैं, चूंकि मेरे क्षेत्र अलवर जिले में भी बहुत खानें हैं, जालौर, नागौर, बाड़मेर में तो हैं ही लेकिन अलवर जिले में भी पत्थर का बहुत बड़ा काम है, तो इससे सारे लोगों में सर्वत्र खुशी की लहर है और लोग माननीया मुख्य मंत्रीजी को अपने विधायकों के माध्यम से फोन कर-करके इस बाबत धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को इस सदन के माध्यम से राजस्थान के कोटा स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट के उद्योगपति हैं उनकी ओर से धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

साथ ही इसमें एक बात है जिसको मैं अपनी डिमांड में कहूंगा कि एक छोटी-सी कमी रही है। प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी द्वारा राजस्थान के पर्यावरण की सुरक्षा हेतु भी जो ध्यान रखा गया है वो पत्थर उद्योग के माध्यम से भी रखा गया है। प्रदेश में राजस्थान के औद्योगिक वातावरण को इन्वेस्टर-फ्रैंडली बनाने हेतु, उद्योग जगत को बढ़ावा और राहत देने हेतु, राज्य में कई वस्तुओं पर लागू प्रवेश करों को हटाने का काम किया है, जिससे राजस्थान में निश्चित तौर से जो पॉल्यूशन है, इको फ्रैंडली बनने की स्थिति आएगी।

प्रदेश में पेयजल हेतु आमजन को सुलभ उपलब्ध होने वाले हैण्डपम्प और उसके सभी उपकरणों से प्रवेश कर समाप्त किया है। प्रदेश के मार्बल उद्योग में मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाले मार्बल कटिंग टूल्स और गैंगसा, आदि को प्रवेश कर से मुक्त किया है। पाइप और पाइप फिटिंग, आदि सामग्रियों को राज्य सरकार द्वारा प्रवेश कर से मुक्त किया है। इससे भी राजस्थान में आम अवाम में खुशी का माहौल है।

इसके साथ-साथ, पिछले दिनों जिस तरह से महंगाई हुई है, पहले केन्द्र में भी थी और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो वे चुपचाप सुनती रहती थी जब महंगाई की बात की जाती थी, लेकिन महंगाई को घटाने का कोई काम नहीं किया। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, कभी-कभी पग-फेरे से भी ऐसे काम हो जाते हैं और जैसे ही मोदी जी ने राज संभाला तो क्रूड आयल की रेट वन-थर्ड से भी कम रह गई और उसका लाभ देश और राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को मिला। राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस मामले में और एक अधिक कदम आगे चलते हुए सभी प्रकार के दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों के पार्टस और एसेसरीज पर जो टैक्स 15 प्रतिशत लगता था, उसको 4 प्रतिशत करने का काम किया है। इसके साथ, सभी दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों के टायर ट्यूब, क्योंकि आदमी के टायर तो घिसते ही हैं जब दिन-रात भागते हैं, हम लोग भी भागते हैं तो टायर घिसते हैं, दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों के टायर ट्यूब और फ्लैप्स पर 14 से 4 प्रतिशत, यानी 10 प्रतिशत टैक्स घटाने का काम किया है।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

आज हाइटेक जमाना है, हर आदमी के घर में शीशा चाहिए, दुकान में शीशा चाहिए, उद्योग में शीशा चाहिए, गाड़ी में शीशा चाहिए। तो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने ग्लास और ग्लास शीट पर भी टैक्स को 14 से 4 प्रतिशत करने का काम किया है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, शीशा चाहे छोटा सा चाहिए, या अधिक चाहिए, पर शीशा सबको चाहिए।

फोटो कापीयर, यह भी एक ऐसा काम हो गया कि हर आदमी को फोटोस्टेट कापी चाहिए। यह भी आवश्यक कम्पोनेंट है। तो राजस्थान में इसमें भी टैक्स 14 से 4 करने का काम किया गया है।

राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद के साथ-साथ, चूंकि हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी पूजा-पाठी हैं, समय-समय पर राजस्थान और देश भर में अनेक ऐसे धार्मिक स्थलों पर, ऐसे पूज्य स्थलों पर जाकर राजस्थान की खुशहाली के लिए, राजस्थान के अमन-चैन के लिए प्रार्थना करती हैं; ऐसा लगता है कि माननीया मुख्य मंत्रीजी को पूजन सामग्री और हवन सामग्री की जो महंगाई है, उसने कहीं न कहीं तंग किया होगा, माननीय सभापतिजी; तो उन्होंने अपने साथ-साथ पूरे राजस्थान के अवाम के लिए पूजा सामग्री और हवन सामग्री को राजस्थान में बिक्री कर से मुक्त करने की घोषणा की है। इसके लिए भी मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

राजस्थान के बुजुर्गों की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी चिंता की है। जब आदमी 50-45-60 साल, 65 साल का होता है तो आंखों में आपरेशन की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए जो लेंस लगता है, उस पर इतना भारी टैक्स लगता था क्योंकि कुछ इम्पोर्टेड होता है और कुछ राजस्थान में भारत के दूसरे हिस्सों से आता है। तो बहुत टैक्स उस पर लगता था। ऐसे बुजुर्गों की चिंता करते हुए, जो आंखों में लेंस मोतियाबिन्द के आपरेशन के पश्चात् लगता है, उस लेंस को भी राजस्थान में बिक्री कर से पूर्णत: मुक्त करने का काम किया है।

एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो अभी मैंने पहले कही थी- एक छोटी-सी विसंगति रही है। हमारे संसदीय कार्य मंत्रीजी माननीय राजेन्द्र सिंह जी यहां मौजूद हैं, मेरी बात पर थोड़ा-सा भाई साहब ध्यान देंगे। मार्बल करेजी, मार्बल पाउडर और मार्बल चिप्स की बिक्री को करमुक्त किया है राजस्थान में, लेकिन मार्बल का जो पाउडर है, इसका जो रॉ-मैटेरियल है, जिसको खण्डा बोलते हैं; आज मेरे पास अलवर जिले के, बहुत सारी इण्डस्ट्री हैं अलवर में जो

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

सोपस्टोन पाउडर बनाती हैं, डोलामाइट पाउडर बनाती हैं, उन सब व्यापारियों ने कहा कि हम आ जाते हैं, माननीया मुख्य मंत्रीजी से मुलाकात हो जाये। लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण से मैंने उनको यही कहा कि आपकी बात को मैं आज सदन में कहने वाला हूं, अपनी बात बतायें। यह जो रॉ-मैटेरियल है इस मार्बल पाउडर का, वह खण्डा है। जो मार्बल की खान से फिनिश पत्थर निकल जाता है, जिसको ब्लाक मानते हैं, उसके बाद लफ्फर और खण्डा निकलता है, उससे यह पाउडर बनता है। उसको अभी राजस्थान में करमुक्त नहीं किया गया है। तो जैसे ही माननीया मुख्य मंत्रीजी बजट में अपना जवाब दें, तो इस पर ध्यान रखवाया जाये। क्योंकि यह आवश्यक बात है कि इस रॉ-मैटेरियल को करमुक्त नहीं किया और फिनिश्ड गुड्स को कर दिया। अगर यह भी होगा तो राजस्थान के जो व्यापारी हैं, इससे सम्बन्धित उद्योगपति हैं, वे निश्चित तौर पर और अधिक धन्यवाद राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी को...

श्री सभापति: संसदीय कार्य मंत्रीजी ने नोट कर लिया है। संसदीय कार्य मंत्रीजी ने नोट की है आपकी बात।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ...जी, साहब। मैं तो आपका भी और आपके संरक्षण का आभारी हूं।

एक बहुत गम्भीर विषय है और दूर तक जाने वाली बात है, माननीय सभापति जी। राजस्थान में जमीनों की दरें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। ऐसे में राजस्थान का आमजन सरकार की तरफ देखता है। धर्मशाला बनानी है, वृद्धाश्रम बनाना है, कोई स्कूल बनाना है, कोई अस्पताल बनाना है, इसके लिए जमीन सरकार दे दे। अब राजपालसिंह जी शेखावत साहब, हमारे माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी से बात करते हैं तो आप कहते हैं कि जमीन की उपलब्धता नहीं है। इसके लिए राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जनोपयोगी संस्थाओं के सृजन के लिए एक जोरदार रास्ता निकाला है। उन्होंने स्कूल, धर्मशाला, अस्पताल जैसे सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय उपक्रमों को भूमि-भवन आदि का दान करने पर, दानदाताओं को ऐसे दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क की छूट के लिए हर बार सरकार से निवेदन करना पड़ता था। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दान को, सम्पत्ति को दान स्वरूप प्रोत्साहित करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा ऐसे दानपत्रों के दस्तावेजों को स्टाम्प ड्यूटी और

(श्री बनवारीलाल सिंघल)
पंजीयन शुल्क से पूरी तरह मुक्त करने का जो काम किया है, राजस्थान तो भामाशाहों की धरती है, दानवीरों की धरती है, इससे लोगों में दान करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और जो आमजन के सामने समस्या आ रही है कि धर्मशाला, स्कूल, अस्पताल बनाना चाहते हैं, सार्वजनिक स्थल बनाना चाहते हैं लेकिन भूमि की उपलब्धता नहीं है; लोग दान देना चाहते हैं लेकिन बहुत भारी-भरकम स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के चलते कोई भी व्यक्ति उसको लेना और देना नहीं चाहता। ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, दानदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, स्टाम्प ड्यूटी को पूरी तरह से मुक्त किया जाना...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): बस दो-तीन मिनट और लूंगा।

श्री सभापति: नहीं, अब समाप्त करें। बहुत टाइम हो गया है आपका।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): साहब, मात्र दो चीज हैं। अगर आप आदेश करें तो मैं करता हूं, नहीं तो...

श्री सभापति: आप बोलिये ना। समाप्त करिये, हां।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): राज्य में वर्तमान में बकाया स्टाम्प ड्यूटी पर 12 प्रतिशत कम्पाउण्ड इंट्रेस्ट की व्यवस्था थी और यह ऐसी स्थिति थी कि किसी भी व्यक्ति की तरफ जो बकाया राशि है, उस कम्पाउंड इंटरेस्ट से केलकुलेट होते-होते जो बकाया राशि है, वह डी आई जी स्टाम्प्स और आईजी स्टाम्प्स के द्वारा इतनी अधिक हो जाती थी कि उसके कई गुणक में चली जाती थी। बड़ा गम्भीर विषय था, जिसको माननीया मुख्य मंत्रीजी ने देखते हुए, इसकी गम्भीरता को समझते हुए, इस कम्पाउंड इंटरेस्ट को सिम्पल इंटरेस्ट करने का काम किया है। साथ ही, वर्तमान में बकाया स्टाम्प ड्यूटी पर पैनल्टी जो दो प्रतिशत प्रति माह थी, यह भी बहुत ज्यादा थी। बैंकों का ब्याज एक रुपया और दफ्तरों का ब्याज दो रुपया और वह भी क्यूमुलेटिव हो जाता था। उसको भी एक प्रतिशत करने का काम किया है। इससे भी राजस्थान के आमअवाम को बहुत लाभ मिलना है।

राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अचल सम्पत्तियों के दस्तावेजों के पंजीयन के समय, जो बहुत पुरानी बिल्डिंग हो गई, मकान हो गये, उनमें डेप्रिशिएशन की जो विसंगति थी, सब-रजिस्ट्रार जैसा चाहे वैसा तय करे, कुछ लेन-देन की व्यवस्था भी बहुत मोटी होती थी; इन सबको ध्यान में रखते हुए, राजस्थान में भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दृष्टि से इस

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

डेप्रिशिएशन को भी राज्य सरकार के स्तर पर व्यावहारिक तरीके से लागू किये जाने की जो पहल की है, वह भी स्वागत योग्य है।

अब कुछ ऐसी मांग हैं, जो इस बजट के माध्यम से मैं अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र के लिए करना चाहता हूं। इसके बाद दो या तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: नहीं, बहुत समय हो गया, माननीय सदस्य। बहुत लम्बी लिस्ट है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सिर्फ दो ही मिनट लूंगा। यह तो मांग मात्र हैं। मैंने अपनी बात कह दी।

श्री सभापति: 20 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप केवल दो मिनट दे दीजिये।

श्री सभापति: अलवर की मांग पहले करनी चाहिये थी ना आपको। अलवर की पहले रखनी चाहिये थी मांग।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह मांग तो रख दूं, साहब। मैं तो अलवर ही अलवर बोला हूं। मैं तो राजस्थान और दिल्ली पर गया ही नहीं, हमारे आदरणीय मोहन लालजी कहां चले गये, उनकी तरह।

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें। हां, करिये। समाप्त करिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अलवर शहर में, माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, बस दो मिनट में ही कर रहा हूं, नगरीय विकास मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, पिछले लम्बे समय से कृषि भूमि पर कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं, जिनके पट्टे दिये जा चुके हैं। राजस्थान की सरकार के द्वारा, स्थानीय निकायों के द्वारा, भारी-भरकम राशि तो प्राप्त कर ली लेकिन सड़क, नाली, बिजली, पानी, ये व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं। इन व्यवस्थाओं को सुचारु करायें। क्योंकि अब तो सवा साल हो गये, सारे चुनाव भी निपट गये। अब जनता दूसरे तरीकों से थोड़ा सा आक्रोश और विरोध प्रकट करने की स्थिति में आ रही है।

इसी प्रकार से, माननीय शिक्षा मंत्रीजी भी यहां मौजूद हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो पटरी-पार अलवर का आधा विधान सभा क्षेत्र है, वहां एक बालिका सीनियर सैकण्डरी विद्यालय की आवश्यकता है।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अलवर शहर में अरबन डिस्पेंसरीज पिछले दिनों मंजूर की हैं। ये भी थोड़ा जल्दी से बजट पास होकर चालू हो जायें।

मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर, यह कभी राजस्थान और देश के नक्शे पर था लेकिन धीरे-धीरे फैक्टरियां बंद होती गईं और आज स्थिति खराब है। नये उद्योग-धंधे अगर अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में भी लगाने का काम हो तो हमारे युवाओं को भी रोजगार मिलेगा और अलवर जिले का रेवेन्यू भी बढ़ेगा।

पिछले दिनों चम्बल का पानी, चूंकि अलवर में पेयजल का संकट भारी होता जा रहा है, छह-छह सौ, आठ-आठ सौ फीट बोर हो रहे हैं, ऐसी स्थिति आ गई है कि लोगों को आने वाले समय में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पायेगा। पेयजल उपलब्ध कराने के लिए चम्बल के पानी की घोषणा पूर्ववर्ती सरकार ने भी की थी और पिछले बजट में हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने भी जिक्र किया था। तो मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि इस चम्बल के पानी को लाने के लिए और अधिक प्रयास किये जायें।

अलवर की नगर परिषद में, माननीय सभापति महोदय, 329 सफाईकर्मियों की अभी भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद भर्ती की गई थी लेकिन आपस में कुछ लोगों के द्वारा इसमें स्टे लेकर इन भर्तियों को निरस्त कराने का काम किया गया है। मैं माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि इसकी जांच करवाकर इनकी भर्तियों को रि-इंस्टेट किया जाये ताकि यह वाल्मीकि समाज, जिसने पहली बार ऐसा महसूस किया था कि वोट जिंदगी भर कांग्रेस को दिया लेकिन हमारी चिंता की तो भारतीय जनता पार्टी ने की, यह विश्वास कायम रह सके। इन भर्तियों को रि-इंस्टेट करने का काम किया जाये।

अलवर का एक दाउदपुर रेलवे फाटक है, उसमें से बहुत आवागमन होता है किन्तु उस पर एक अण्डरब्रिज की मांग, जो जेड शेप का हो सकता है; हमारे पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर साहब अभी हैं नहीं, लेकिन मेरी बात सदन के माध्यम से चली जाये।

श्री सभापति: यह डिमांड पर कट मोशन लगाओ आप। आ जायेगी उसमें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): एक आधी मिनट है, साहब, यह सिर्फ। मैं अंत में बोल रहा हूं।

श्री सभापति: अध्यक्ष महोदय ने छह बजे तक की सीमा तय कर रखी है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अण्डरब्रिज की एक मांग मेरी यह है। आपसे तो हम संरक्षण की विशेष उम्मीद करते हैं, साहब।

श्री सभापति: जो जरूरी भी है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अलवर के दो क्षेत्रों में सीवरेज लाइन का प्लान चल रहा है आर यू आई डी पी का, मैं अंतिम बात कह रहा हूं, आर यू आई डी पी का प्लान चल रहा है, पूरे शहर में चल रहा है। एक तो बात यह कहना चाहता हूं कि आर यू आई डी पी ने पूरे शहर में जो लाइन डाली है, उसके बाद उसको खोदकर पटक रखा है। किसी दिन कोई गाड़ी फंसती है, तो किसी दिन कोई जानवर फंसता है। आरयूआईडीपी को थोड़ा जल्दी निर्देश करें कि इन सड़कों का सबका रिपेयर-मेंटिनेंस करे।

अलवर शहर की शिवाजी पार्क योजना, जिसमें आठ-दस हजार ई डब्ल्यू एस के मकान हैं और एक कालाकुआं क्षेत्र है, यह आर यू आई डी पी की पिछली योजना है, उसमें शामिल होने से रह गये हैं। यह बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना हो सकती है क्योंकि यहां के लोग, आज जो वर्तमान सीवरेज लाइन है, वह बिलकुल अपर्याप्त हो गई। पहले कम घर थे, आज दो-दो, तीन-तीन मंजिला घर हो गये, लोगों के परिवार बढ़ने के कारण से। तो लोगों के लिए यह अपर्याप्त पड़ रही है जिसके कारण रोजाना लाइनें बंद रहती हैं। आपस में झगड़े होते हैं। सड़कों पर ही सीवरेज का पानी फैलता है। तो, माननीय मंत्रीजी, इसको भी, सीवरेज लाइन को शिवाजी पार्क और कालाकुआं क्षेत्र में भी शामिल कराने का आपके माध्यम से काम हो पायेगा, ऐसी उम्मीद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद के साथ, कि राजस्थान का यह बजट राजस्थान के चहुंमुखी विकास का पर्याय बनेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भैराराम चौधरी।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं प्रथम बार इस सदन में चुनकर आ रहा हूं और बजट की कार्यवाही दूसरी बार देख रहा हूं। इसका धीरे-धीरे मैं अनुभव भी ले रहा हूं। यहां जो

(श्री भैराराम चौधरी)

वरिष्ठ सदस्य बैठे हुए हैं, उनसे कई बार चर्चा होती है कि क्या बोलना चाहिए और सदन की कार्यवाही और सदन के नियम भी उनसे सीखने को मिल रहे हैं। आज इस बजट भाषण पर बोलने का मुझे मौका मिला है, उसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देश को आजाद हुए करीबकरीब 68 वर्ष हो गए, और उसमें लम्बे समय तक जो राज रहा है, वह आपके स्टेट और सेंटर दोनों जगह कांग्रेस का रहा है। यदि आम आदमी की बात करते हैं तो आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान...

श्री सभापति: माननीय सदस्य जो बोलते हैं, सदन का ध्यान उनको सुनने पर रहता है और माननीय सदस्यगण, जो आप लोग हैं, आप लोग बोल रहे हैं तो सबका ध्यान आपकी तरफ आ रहा है, उधर नहीं जा रहा है। दो घंटे समय से, बहुत लम्बा समय हो गया है। आप बोलिये।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): हमारे देश में साठ और सत्तर सालों से आम आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वे उनको आज तक नहीं मिली है। मैं समझ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का केन्द्र सरकार के अन्दर और आपके प्रदेश के अन्दर बहुत कम समय तक राज रहा है। आज विपक्ष यहां मौजूद नहीं है, वे कभी तो 60 दिन की योजना की बात कर रहे थे, कभी किसी चीज का हिसाब मांग रहे। यदि कांग्रेस का केन्द्र का और स्टेट का देखें तो इन्होंने लम्बे समय तक राज किया है और आम जनता के लिए इन्होंने क्या किया है, यह हिसाब भी उनसे पूछा जाए तो समझता हूं कि उचित रहेगा। आज गांव के अन्दर जाते हैं तो वहां पर चलने के लिए सड़क नहीं है; यदि किसी स्कूल के अन्दर जाते हैं तो उस स्कूल के अन्दर टीचर नहीं है और यदि उसमें टीचर है तो बालक नहीं है। यदि किसी ट्यूबवल के अन्दर जाते हैं तो उसका बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है या उसके अन्दर पम्प नहीं है या मोटर नहीं है। गरीब की हालत और गरीब होती गई और अमीर और अधिक अमीर होता गया। इस व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? अगर देखा जाए तो राज तो कांग्रेस का ज्यादा रहा है। यहां राजस्थान के अन्दर तो माननीय भैरोंसिंह जी और माननीया वसुंधरा जी के अलावा सारे कार्यकाल के अन्दर कांग्रेस के ही मुख्य मंत्री रहे हैं।

हमारे जोधपुर से आने वाले पूर्व मुख्य मंत्रीजी, यहां लोग कह रहे हैं और आप लोगों द्वारा उनके ऊपर कई बार आरोप भी लगाये हैं कि वे सारे विकास के कार्य जोधपुर ले गये, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि

(श्री भैराराम चौधरी)

जोधपुर के अन्दर कोई विकास के कार्य लेकर नहीं गये। सिवाय, उन्होंने अंतिम समय में कोई 150 सीढ़ियां तैयार करवाई थीं और उनमें से एकाध तो बाहर आ गई, बाकी की कोई बाहर नहीं आई थी। वहां सीढ़ियों का जरूर विकास हुआ है और बाकी कुछ नहीं हुआ है।

हम लोग गांव के ग्रामीण आदमी हैं। हमारे नजदीकी रिश्तेदार, यदि कोई आदमी अस्सी, नब्बे साल का या सौ साल का होकर के जब अंतिम समय में मरने की स्थिति में होता है, तब घर-परिवार के सीनियर आदमी को बुलाते हैं कि मेरी अंतिम इच्छा है और वह अपनी अंतिम इच्छा बताता है कि कबूतरों के लिए एक बोरी अनाज डाल देना, उस पंडित जी को यह दे देना। आदमी जब जाने वाला होता है तो वह अपने मन की बात कहकर जाता है कि यह कर देना, बालिकाओं को भोजन करवा देना; ऐसे ही माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी जब जाने वाले थे तो उन्होंने कहा कि बल्ब बांट दो, साड़ी बांट दो और कम्बल बांट दो और जाते-जाते, अंतिम समय के अन्दर, शासनकाल सिर्फ जब तीन से चार महीने बाकी रहा, तो पूरे प्रदेश के लोगों को एकदम बुजुर्ग कर दिया और उनकी पेंशन शुरू कर दी। यदि पेंशन का ही काम शुरू करना था तो जब शासन में आये और सरकार का काम जब हाथ में लिया, 2008-09 से ही यह पेंशन का कार्य कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि शासन का समय सिर्फ पांच-छह महीने ही है, एकदम जल्दी-जल्दी सब जगह कैम्प लगाये और सबको एकदम, राजस्थान के जितने भी वोटर थे, उनको सबको बुजुर्ग करके पेंशन देना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि राज आ जाएगा तो भी ठीक है और यदि नहीं आएगा तो भी ठीक है, आने वाली सरकार भुगतेगी। यदि उनकी नीयत साफ होती तो वे 2009 से भी या 2010 से भी शुरू कर सकते थे।

हमने यह भी देखा, पूरे पांच साल तक ई-टी.वी. के अन्दर बड़े-बड़े एडवरटाइजमेंट और रिफाइनरी की बड़ी-बड़ी मशीनें हमें गांव-ढाणियों में देखने के लिए मिलती थीं कि राजस्थान में पहली बार यह रिफाइनरी आ रही है और 56 हजार करोड़ रुपये की आ रही है। मैंने उस जगह पर जाकर देखा और अभी बायतू से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि एक बार तो लीलाला और एक बार पचपदरा में, बीच में अटकती रही। पांच साल के अन्दर सिर्फ एक पत्थर लगाया और कुछ नहीं किया है। अब जब अशोक जी को यह पता चला कि हम जाने वाले हैं तो उन्होंने एकदम से राज्य के ऊपर इतना भार डाल दिया और सबकी पेंशन शुरू कर दी।

(श्री भैराराम चौधरी)

अब ये पूछ रहे हैं कि अब तक एक साल के अन्दर आप क्या कर रहे हैं? मैं एक चीज कह रहा हूं कि पूरे राजस्थान की जनता को एक वर्ष से सब को पेंशन दी जा रही है और वह राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही है। यह क्या राज्य के ऊपर बहुत बड़ा बोझ या भार नहीं है। आज प्रत्येक के घर में पेंशन पहुंच रही है। यह हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी का कुशल और उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से ही ऐसा हो रहा है। पहले तो यह सोच रहे थे कि कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड है तो उसको पेंशन मिल रही है, लेकिन आज एक आम आदमी को, एक गांव के आदमी को, ढाणी के आदमी को पेंशन मिल रही है और बराबर मिल रही है। उसके बाद में भी ये आरोप लगा रहे हैं और जैसा कि हमारी बात माननीय अध्यक्षजी नहीं सुन रहे हैं और ऐसा माननीय अध्यक्ष महोदय को क्रोध आ गया। मैं तो यह समझ रहा हूं, माननीय सभापतिजी, अध्यक्ष महोदय को तो क्रोध आया, या नहीं आया, लेकिन राजस्थान की जनता को जरूर क्रोध आया और आपको सिर्फ 21 के आंकड़े पर सिमटा कर रख दिया।

किसी भी प्रदेश के विकास के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, वह है सड़क। इस देश के पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने इस देश को चतुर्भुज सड़क से जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी जिससे पूरा देश सड़कों से लाभान्वित हुआ और उसी के तहत हमारे राजस्थान में इस वर्ष की योजना के अनुसार आपके 10 हजार किलोमीटर विभिन्न श्रेणी की सड़कों

(16.00 बजे)

का निर्माण का कार्य, इसके अलावा बीस हजार किलोमीटर लम्बी सड़क को निजी-सहभागिता के आधार पर विकसित किये जाने की जो घोषणा की है, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं, क्योंकि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए जो जरूरी चीज है, वह है सड़क या उसके यातायात के आने-जाने के लिए सुगम रास्ता या सड़क। यदि सड़क अच्छी होगी तो इस प्रदेश का विकास होगा। यह किसी भी प्रदेश के लिए, विकास के लिए महत्वपूर्ण धुरी या महत्वपूर्ण चीज कह सकते हैं।

इसी के तहत जो ग्रामीण गौरव पथ है, वह 2154 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर करीब 2,119 किलोमीटर की लम्बाई की जो आर सी सी की रोड और जो नाले के निर्माण के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, वह काम शुरू भी हो गया। हम हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर उनका सबका

(श्री भैराराम चौधरी)

शिलान्यास भी करके आये और कार्य भी शुरू हो गया। उसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसके अलावा आज दिन तक...

श्री सभापति: अपने क्षेत्र के बारे में भी कोई बातें हों तो रख दीजिये।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): हुकुम, ये ओसियां की आवाज तो कम से कम चार-पांच साल के बाद में सदन में आयी है।

श्री सभापति: आप बोलिये। ओसियां की आवाज जरूर सुनेंगे।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): ये सड़कों का जो आउटपुट एंड परफोर्मेंस बेस्ड रोड कांट्रेक्ट पद्धति का सिस्टम लगाया है, वह मैं समझ रहा हूं कि इस प्रदेश के विकास के लिए बहुत अच्छा है। हम जिस क्षेत्र से आते हैं जोधपुर-जैसलमेर से, माननीय सभापतिजी, वहां इससे पहले सिर्फ कागजों में ही सड़क बनती थी। रात भर में रेत आ जाती थी और सुबह ढूंढते कि सड़क कहां है; है कि नहीं है; और वह ठेकेदार बोल देता था कि हां, सड़क बन गई है। सुबह ट्रैक्टरों से मिट्टी हटानी पड़ती थी, क्योंकि वह एरिया डेजर्ट का है। इस आउटपुट एंड परफोर्मेंस बेस्ड रोड कांट्रेक्ट पद्धति के तहत आठ वर्षों तक सड़कों के रखरखाव में सक्षम ठेकेदारों के माध्यम से कराये जाने की जो बजट में घोषणा की गयी है, यह मैं समझता हूं कि दूरदृष्टि सोच है और इस प्रदेश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है।

इसके अलावा, राज्य में 250 से 499 की आबादी वाले करीब छह सौ गांवों को पांच सौ करोड़ रुपये की लागत से 1,440 किलोमीटर लंबाई की सड़कों से जोड़ने का जो कार्य लिया है, यह भी इस प्रदेश के विकास के लिए, मैं समझ रहा हूं, बहुत ही जरूरी कदम था। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसके अलावा, सड़क परिवहन के अन्दर राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के एक्सिडेंट में जो धीरे-धीरे बढ़ोतरी हुई है, उसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट, उनकी आधुनिक तकनीक से सुसज्जित इंट्रीग्रेटेड कम्प्यूटराइज्ड फिटनेस एंड फुल्ली आटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेक का निर्माण जो रखा है, यह मैं समझता हूं कि आने वाले राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, सड़क सुरक्षा में। जैसा मैं समझ रहा हूं, सड़क पर जितने भी एक्सिडेंट होते हैं, वे मानवीय भूल से होते हैं 95 प्रतिशत और मशीनरी की गलती से शायद 2-4 परसेंट ही हो सकते हैं। यदि किसी ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस बनने से पहले

(श्री भैराराम चौधरी)

उनको एक अच्छी परीक्षा से गुजरना पड़े और उनकी पूरी पहचान कर ली जाए कि ये...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। बहुत लोग बोलने वाले हैं।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): सर, अभी तो शुरू किया है।

श्री सभापति: चौदह मिनट हो गये आपको। आपको पता ही नहीं लगा कि चौदह मिनट हो गये आपको।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): माननीय सभापतिजी, सड़क सुरक्षा के बारे में ही एक चीज कहना चाहूंगा। आप भी देखते हो, पूरे राजस्थान प्रदेश में, जिस किसान के क्षेत्र से मैं आने वाला हूं, वहां पर सड़कों पर ट्रैक्टर चलते हैं। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बोलने दें, साहब। बुलंद आवाज है।

श्री सभापति: मैं बुलंद आवाज को दबा नहीं रहा हूं। मैं आप लोगों की बुलंद आवाज और आये, उसके लिए कह रहा हूं उनको, क्योंकि चौदह मिनट हो गये हैं। आप अपनी कोई बात कहनी हो तो कहें जरूर।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): माननीय सभापतिजी, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां लाल मिर्च के लिए बहुत फेमस है मथानिया। आप तो कभी पधारे, या नहीं पधारे...

श्री सभापति: मैं खूब गया हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप भी गये हैं?

श्री सभापति: लाल मिर्च खाने कौन नहीं जाएगा?

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): माननीय सभापति महोदय, यह एक चीज मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इसके अन्दर एक हमारी जो सड़क सुरक्षा के अन्दर बात है, हमारे किसानों के एरिये में जो लोग सड़क पर आते हैं उनकी ट्रैक्टर की ट्राली के पीछे यदि स्टीकर लग जाए, रिफ्लेक्टर, तो पूरे प्रदेश में एक्सिडेंट की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। यह मेरी मांग है इस बजट में। पूरे प्रदेश में उसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। एक ट्रैक्टर-ट्राली के पीछे रिफ्लेक्टर लगाने में शायद 10 या 15 रुपये का खर्चा होगा। आप यदि इस सुझाव को महत्वपूर्ण समझते हैं तो यह मैं बजट में मांग करना चाहूंगा कि जितने भी सड़क पर चलने वाले ट्रैक्टर्स और ट्रैक्टर-ट्राली हैं, उनके पीछे

(श्री भैराराम चौधरी)

रिफ्लेक्टर जरूरी कर दें; नहीं तो अमूमन ऐसे जितने भी एक्सिडेंट हुए किसानों के, वे रिफ्लेक्टर नहीं होने की वजह से हुए। यदि एम एल ए लैड से भी यदि छूट मिल जाए तो हम अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे सभी किसानों के एरिये में घूम कर, आर टी ओ के तहत ऐसी जो भी व्यवस्था हो सकती है, उनके तहत यह किसानों का एक बहुत-बड़ा फायदा हो सकता है।

एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में जे जे वाई की जो योजना है, हमारे ओसियां विधान सभा क्षेत्र में पूरे राजस्थान की सबसे ज्यादा शायद बीस से पच्चीस प्रतिशत जे जे वाई की योजना है और वे सारे के सारे ट्यूबवैल खराब पड़े हैं। यदि किसी में पम्प है तो किसी में केबल नहीं है। किसी में केबल है तो किसी में स्टार्टर नहीं है। यदि उन योजनाओं को आपरेट नहीं कर सकते तो ऐसे खामख्वाह सरकार का पैसा बरबाद करने में कोई फायदा नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से इस बजट भाषण के तहत एक मांग करना चाहूंगा कि एक बार जे जे वाई की जितनी भी ट्यूबवैल्स हैं, उनको पी एच ई डी को हैंडओवर कर दिया जाये और उनको एक बार दुरुस्त करके वापस पी एच ई डी के पास ही रखा जाए। क्योंकि ग्राम पंचायत में माननीय सरपंच जो चुन कर आते हैं उनमें लोकल कुछ भावनाएं होती हैं तो वो पानी के साथ में भी कभी-कभी भेदभाव हो जाता है। इसलिए जे जे वाई की जितने भी ट्यूबवैल्स का और जो सरकार का पैसा है, वह काम नहीं आता है। इसलिए इनको पी एच ई डी के पास में ही रखा जाए।

माननीय सभापतिजी, आपसे मेरा एक दूसरा नम्र निवेदन है कि जो जे डी ए की अभी बात चल रही थी, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य जोगारामजी ने भी बात बताई ओर कैलाशजी भंसाली साहब ने भी बात बताई और अभी तो नगरीय विकास मंत्रीजी हमारे इधर ही थे, उनसे मेरी मांग है

श्री सभापति: बैठे हैं। विराज रहे हैं।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): जे डी ए में एक फुलफ्लेज्ड आई ए एस अधिकारी को लगाया जाए। वहां पर अधिकारियों की बहुत बड़ी कमी है। न तो वहां कोई डाइरेक्टर (प्लानिंग) है, न कोई डाइरेक्टर (फाइनेंस) बैठा है। वहां पर पूरे जे डी ए में यदि अधिकारी लोग ही काम करने वाले नहीं हैं तो जे डी ए की क्या हालत होगी? अभी-अभी बात की थी कि तिवरी के अन्दर रीको को 36 करोड़ रुपये मिले हैं।

श्री सभापति: अब समाप्त करें आप।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): आपको मैं कहना चाहूंगा कि जे डी ए में मेरे ओसियां विधान सभा क्षेत्र की बारह से तेरह ग्राम पंचायतें आती हैं और उस क्षेत्र में एक रुपये का भी विकास का काम जे डी ए ने नहीं किया है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि जे डी ए के हालात को ठीक करने के लिए वहां पर किसी अच्छे अधिकारी को लगाया जाए और जितने भी जो पद खाली हैं, उनको भरें, जिससे आगे के विकास के लिए अच्छा काम हो सके। ऐसा मेरा सुझाव है।

श्री सभापति: धन्यवाद। भाषण आपका समाप्त होता है।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): सर, एक-दो जरूरी चीजें तो बोलने दो न आप।

मेरे ओसियां में राजकीय महाविद्यालय नहीं है। मैं इस बजट भाषण में यह मांग करना चाहता हूं कि मेरे ओसियां में एक राजकीय महाविद्यालय हो जाए तो वहां की जनता को बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा। क्योंकि मेरे आस-पड़ोस के सारे विधान सभा क्षेत्रों में राजकीय महाविद्यालय हैं मेरे ओसियां में नहीं है। वहां की जनता जब भी मैं जाता हूं, वहां का युवा वर्ग यह मांग रखता है कि यदि ओसियां, में एक राजकीय महाविद्यालय हो जाए तो इस क्षेत्र के युवाओं को और बालिकाओं की शिक्षा को बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा।

एक बात बहुत जरूरी है, सभापति महोदयजी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ओसियां क्षेत्र में एक बहुत ही छोटा-सा कुटीर उद्योग है, जिसको बोलते हैं मतीरा मगज उद्योग। लोग-बाग़ यह समझते हैं कि तरबूज के बीजों के अन्दर निकलने वाली मिंगी होती है, जो सब्जी की ग्रेवी या मिठाई के ऊपर डालने में काम आती है, यह वह तरबूज नहीं है। बारिश के मौसम में गांव के खेतों में, देशी शब्दों में मतीरा बोलते हैं,...

श्री सभापति: मतीरा सब जानते हैं।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): तीन-चार सालों में, जब भी एक बारिश होती है, तब मतीरा होता है। एक पूरा ट्रक भरा हुआ होता है, उसमें मुश्किल से पांच-सात किलो मतीरों के बीज निकलते हैं। मतीरों के बीज पर यदि वैट-फ्री हो जाए, यह बहुत ही लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, घरेलू उद्योग है; मेरी मांग है कि मतीरा-मगज उद्योग से यदि वैट-फ्री हो जाए तो हमारी ओसियां की जनता के लिए बहुत बड़ा काम होगा। वहां पर सारा किसानी एरिया है, कभी-

(श्री भैराराम चौधरी)

कभी बारिश होती है तो ये मतीरे होते हैं। माननीय सभापतिजी, ओसियां से आऊंगा तो आपके लिए दो-चार बढ़िया-बढ़िया मतीरे लेकर आऊंगा।

श्री सभापति: मेरे खेत में बहुत है, मेरे खेत में बहुत मतीरे हैं।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): पर्यटन मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, उनसे भी मेरी मांग है कि ओसियां का....

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ओसियां वाले मतीरे मत खाना।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): ओसियां वाले मतीरों से क्यों चिढ़ रहे हो, भाई? ऐसे-ऐसे बढ़िया-बढ़िया लाकर दूंगा। ओसियां की कई बढ़िया-बढ़िया चीजें हैं, कोई उपयोग करना चाहे तो। (व्यवधान) वह तो लूणी और ओसियां, दोनों एक साथ में समझते हैं ना?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। 4.10 हो गये, आपको 25 मिनट हो गये।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): एक और है, माताजी का।

श्री सभापति: बाकी माननीय सदस्य रह जाएंगे। अध्यक्ष महोदय ने कहा है जल्दी।...

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): एक मिनट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बोल रहा हूं, साहब। सच्चियाई माताजी का मंदिर है। अपने भारतवर्ष के अन्दर ओसवाल जाति के लोग हैं, उनकी निकासी ओसियां से ही है और ओसियां का नाम भी उसी पर पड़ा है। यहां 8वीं या 9वीं शताब्दी का एक बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है, उसकी बहुत बड़ी मान्यता है। यदि किसी दम्पत्ति को पुत्र रत्न प्राप्त नहीं होता, अगर वहां जाकर मंदिर में कामना करता है तो पुत्र रत्न भी मिल जाता है। इसलिए माननीय पर्यटन मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि सच्चियाई माता के मंदिर में ...(व्यवधान)... ओसियां तो ओसवाल..

श्री सभापति: पर्यटन मंत्रीजी के पुत्र रत्न है।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): ओसियां पर्यटन के स्तर पर अच्छे नक्शे पर आए। यहां पर बहुत सारे टयूरिस्ट आते हैं। एक दिन में कम से कम इस मंदिर में 4-5 हजार दर्शनार्थी आते हैं और बहुत दूर-दूर से आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से इस मंदिर का विकास हो सके, ऐसी मेरी मांग है।

मुझे ऐसा लगता है, सभापतिजी, आप अब बोलने का मौका नहीं दोगे।

श्री सभापति: बहुत बढ़िया। समाप्त करो।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): माननीया मुख्य मंत्रीजी ने यह बजट पेश किया है, पूरे प्रदेश के लिए, सभी युवाओं के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा बजट दिया है। इसके लिए मैं बहुत भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री कैलाशजी भंसाली।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मान्यवर सभापतिजी...

श्री सभापति: आज आप पहले बोल चुके हैं। बहुत जोश से बोल चुके आज।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): निवेदन यह है कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने शानदार, जानदार और ऐतिहासिक बजट इस बार प्रस्तुत किया है। उसके लिए हम सारे प्रदेशवासी उनके बहुत-बहुत आभारी हैं।

पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से काम किये, जैसे अंत के वर्ष में पेंशन योजना, अनेक अन्य योजनाएं, मुफ्त दवाई योजना,...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें, सुनें माननीय सदस्य को।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): उनके कारण प्रदेश की आर्थिक हालत खस्ता हो गई, परन्तु उस कारण किसी नगर का, जिससे वे आते हैं, उसको अनदेखा किया जाता है। ऐसा मेरा अनुभव है। सारे बजट में एक शब्द भी ऐसा नहीं है कि जोधपुर के लिए यह किया गया है । पिछले बजट में भी यही था।

मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस बात को देखें। हमने सम्भाग में 33 में से 32 सीटें दी हैं; जिले में 10 में से 9 सीटें दी हैं; लोक सभा में हमारा कैंडिडेट सर्वाधिक मतों के परसेंटेज से जीता है; 15 साल बाद भाजपा का बोर्ड बना है; अभी पंचायत में भी ऐतिहासिक विजय हासिल कर जोधपुर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बना है, जिला प्रमुख। निवेदन है कि इस अनदेखी से आम जनता में बड़ा रोष है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो समझा बुझाकर कह सकते हैं परंतु आम जनता का मुंह बंद नहीं कर सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि वे इस बात पर थोड़ा गौर करें और जब वित्त विधेयक पर बात रखें तो जोधपुर को कुछ-कुछ देने की कृपा करें।

विशेषकर झालामन क्षेत्र में महाविद्यालय नहीं है। वहां पर तीन लाख लोगों की जनसंख्या है। मैंने सड़कों के बारे में सुबह बता दिया। झालामन और जोधपुर की प्रमुख सड़कें आज जिस तरह जर्जर हालात में हैं, उन्हें देखकर

(श्री कैलाश भंसाली)

हमको खुद को बड़ी शर्मिंदगी होती है । हमने कहा था कि अब अच्छे दिन आ गये हैं, परन्तु हमारे लिए कुछ अच्छे दिन नहीं आये।

विशेषकर मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस बार का हमारा खास मुद्दा है स्किल, बच्चों को काम देना और रोजगार दिलाना। जोधपुर की इसमें असंख्य सम्भावना है। उनके लिए कुछ न कुछ अवश्य किया जाए। कुटीर उद्योग के लिए, हस्तशिल्प उद्योग के लिए या इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। जोधपुर में पिछले दस सालों में एक भी, हमने अशोकजी गहलोत सरकार को भी नकारा था और इसी विधान सभा में कहा था कि जोधपुर को एक भी नया इंडस्ट्रियल एरिया नहीं दिया गया है। कहां जाएंगे उद्यमी? जो रोजगार पाने के इच्छुक हैं, उनको क्या मिलेगा?

मेरा निवेदन है कि जोधपुर शहर को सिर्फ 75 लाख रुपये योजना में मिले स्पेशल कंट्रिब्यूशन के कारण, अनुदान के कारण। परन्तु जोधपुर की जनसंख्या को देखते हुए, इसके महत्व को देखते हुए, राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर होने के कारण, उसकी वास्तविकता और आर्थिक हालत को देखते हुए जरूर कुछ दिया जाए। ऐसी मेरी मांग है।

जोधपुर में तीनों अस्पतालों में 1,700 करोड़ रुपये का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया, परन्तु आज भी महात्मा गांधी अस्पताल में आउटडोर वार्ड बनना अधूरा पड़ा है। एक पैसे का उसके लिए प्रावधान नहीं किया गया। इसी तरह से मथुरादास अस्पताल में चाइल्ड एंड मदर वार्ड के लिए कुछ आपरेशन थियेटर और मशीनें देनी हैं, उसकी घोषणा नहीं की गई। इसी तरह से उम्मेद अस्पताल में लेबर रूम के लिए माताओं को बिठाने के लिए जगह चाहिए, वह भी नहीं है। एक-एक शैया पर दो-दो प्रसूताएं सोती हैं। यह शर्मनाक बात है। इसलिए मैं महिला मुख्य मंत्री होने के नाते वसुन्धराजी से निवेदन करूंगा कि इस बारे में गौर करें और जल्दी से जल्दी एक नया लेबर रूम और एक वेटिंग रूम बनाने का आदेश देवें।

जोधपुर औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान में सबसे अच्छा क्षेत्र है, जहां पर आर एफ सी की 97 परसेंट रिकवरी हुई है। इतने उद्योग लगे हैं। स्टील उद्योग, सबसे बड़ा पाटा उद्योग है; दूसरा है ग्वारगम का; तीसरा टैक्सटाइल का, हैण्ड प्रोसेसिंग टैक्सटाइल, ड्रेस मैटेरियल का। इनके बारे में कुछ नहीं किया गया। नये डिजाइनिंग सेंटर का दिया गया, उसमें भी जोधपुर का नाम नहीं लिया गया है।

कला व संस्कृति के लिए मेरा निवेदन है कि राज रणछोड़जी का

(श्री कैलाश भंसाली)

इतना पुराना मंदिर, इतना भव्य मंदिर है। वहां की मूर्ति गुजरात से दहेज में आई थी। आज उसकी जर्जर हालत है। वहां इतना बड़ा पार्क बन सकता है, पार्किंग स्थल बन सकता है, एक बड़ा कामर्शियल काम्पलेक्स बन सकता है, जिससे सरकार को आय भी हो सकती है। तो अपने देवस्थान विभाग को, वह तो स्वयं दुकानें बनाकर पैसा कमा सकता है। ऐसे ही घनश्यामजी का मंदिर जर्जर हालत में है। कभी भी उसकी छत नीचे गिर सकती है और श्रद्धालुओं के अकस्मात चोटें आ सकती हैं। तो उस घनश्यामजी का मंदिर, राज रणछोड़जी का मंदिर और कुंजबिहारीजी का मंदिर, इन तीनों मंदिरों को देखा जाए।

मेरी मांग है कि जोधपुर में महाविद्यालय बहुत हैं, यूनिवर्सिटी भी बहुत हैं। परन्तु यूनिवर्सिटी में जो पिछले कार्यकाल में इंटरव्यू में पीएच.डी. नहीं था, उसको पीएच.डी. का ग्रेड दे दिया गया, प्रोफेसर बना दिया गया। तो यह बड़ी शर्मनाक बात हुई। तो इसकी जो इंक्वायरी चल रही है, वह इंक्वायरी ए.एस.पी. से जल्दी से जल्दी पूरी करके, जो भी दोषी लोग हैं और जो भी, इसमें जिन्होंने भाग लिया है, उनको सज़ा दी जाएं।

मैं तीन-चार ऐसी मांगें, जो कर प्रस्ताव के बारे में हैं; पहली बात यह है कि बास जो बनते हैं, उसको बेचने वाले हैं, उन पर इस बार पहली बार 1.6 परसेंट के हिसाब से टैक्स लगाया गया है, मंडी टैक्स लगाया गया। मेरी पुरज़ोर शब्दों में मांग है कि बास पर लगे हुए इस टैक्स को हर हालत में मंडी शुल्क से मुक्त किया जाए और उन छोटे-छोटे लोगों को जो टोकरियां बनाकर, झाड़ू बनाकर सेवा करते हैं, +++ का काम करते हैं, उनको यह रियायत दी जाए।

इसी तरह से हस्तशिल्प पर 5 परसेंट वैट है, उसको ...

श्री सभापति: +++ शब्द हटा दिया जाए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): उसको शून्य किया जाए।

जल क्षेत्र में जोधपुर में पानी की कोई कमी नहीं है परन्तु अधिकारियों की मनमानी के कारण एकांतर पानी की व्यवस्था है। इसको डेली पानी मिलना चाहिए। पानी की कोई कमी नहीं है। एक जलाशय, नया बांध बनना चाहिए और एक नया फिल्टर प्लांट बनना चाहिए।

जोधपुर की अनगिनत समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। हमारे सभी भाजपा के कार्यकर्ता रोज कह रहे हैं कि साहब, क्या हो रहा है? इसके बारे में क्या हो रहा है? मैं निवेदन करता हूं कि उन कार्यकर्ताओं को तो हम समझाते हैं पर आम जनता को कैसे समझाएंगे? मेरा विनम्र निवेदन है माननीया मुख्य

(श्री कैलाश भंसाली)

मंत्रीजी से कि वे जोधपुर की तरफ कुछ ध्यान दें। जोधपुर की समस्याओं को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से देखा है और सुराज संकल्प यात्रा में उन्होंने पूरे शहर का दौरा किया था। उसमें उनको सब मालूम है। तो उसमें हमें कुछ अच्छी घोषणाएं देकर हमारा उत्साह बढ़ायें, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ायें और राजस्थान की जनता के लिए जो कल्याणकारी बजट उन्होंने पेश किया है, उसमें जोधपुर को भागीदारी दें। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री झाबर सिंह खर्रा।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्य के बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

प्रदेश की विषम आर्थिक परिस्थितियों में जिस प्रकार का संतुलित बजट वित्त विभाग की माननीया प्रभारी मंत्री और प्रदेश की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है और उसमें प्रदेश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का जिस विवेकपूर्ण तरीके से सभी वर्गों और सभी योजनाओं के लिए आबंटन किया है, उस सबके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूं, खेती-किसानी से मेरा वास्ता है, आंकड़ों के मकड़जाल को मैं बहुत ज्यादा नहीं समझ पाता, बातों को सम-पुट लगाना मुझे आता नहीं है, इसलिए कुछ बातें मैं सीधे-सीधे करना चाहूंगा।

हमारे राष्ट्र को आजाद हुए 68 साल पूरे होने जा रहे हैं। 50 साल एक विचारधारा के लोगों का शासन रहा। साढ़े सत्रह-अठारह साल हमारी विचारधारा को भी शासन करने का मौका मिला। अब तक गांवों के, गरीबों के, किसानों के, मजलूमों के विकास की जितनी भी योजनाएं बनीं, अगर उनका सही ढंग से क्रियान्वयन हो जाता तो आज राष्ट्र के सामने, प्रदेश के सामने, प्रदेश के आम गरीब, मजदूर किसान के सामने जो समस्याएं हैं, उनका समाधान कभी का हो चुका होता। इसलिए सबसे पहला मेरा निवेदन माननीया मुख्य मंत्रीजी से यह रहेगा कि इन बजट घोषणाओं और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कोई एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जिसके जरिए हर प्रकार की गड़बड़ियों को रोका जाकर, हर योजना का लाभ उसके पात्र व्यक्तियों तक सही समय पर पहुंच सके।

साथ ही, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राज्य का कुल

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

भौगोलिक क्षेत्रफल 3 करोड़ 42 लाख हैक्टेयर है जिसमें 1 करोड़ 75 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है; जो पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.4 फीसदी है; जिसमें दो फसली भूमि का क्षेत्रफल 52 लाख हैक्टेयर के लगभग है। सिंचित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल में लगभग 37-38 प्रतिशत हिस्सा है। भू-जल की स्थिति बहुत ही दयनीय है और सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं। नरेगा और जल-ग्रहण, जल संरक्षण जैसी अब तक जितनी भी योजनाएं हैं, अब तक उनमें जितना पैसा खर्च हुआ है, चाहे वह जोहड़ खुदाई के नाम पर हो, चाहे वह जल संरक्षण के नाम पर हो, उसका मूल्यांकन करवाया जाए कि वास्तव में जितनी राशि खर्च हुई है, प्रदेश को उसके अनुपात में कितना लाभ मिला है? प्रदेश में ऐसे बहुत से जल संरक्षण के नाम पर तालाब खोदने के काम मिल जाएंगे जिनमें हमारे देखते-देखते पिछले 20-25 साल में एक-एक तालाब पर पांच-पांच, सात-सात, दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह करोड़ रुपये से ज्यादा विभिन्न योजनाओं में खर्च हो चुके हैं और उनसे एक बूंद पानी का संरक्षण नहीं हुआ है। इस प्रकार की योजनाएं चलाया जाना उचित है या नहीं, इसका आकलन किया जाना चाहिए।

माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने जो नदियों को आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की थी और माननीय नरेन्द्र भाई मोदी ने जो सपना देखा है कि हिन्दुस्तान के हर खेत को उसकी आवश्यकता के अनुसार सिंचाई का पानी मिले, हिन्दुस्तान के हर युवा को उसकी क्षमता के अनुसार रोजगार मिले, उस सपने को पूरा करने के लिए इस प्रकार की बेकार की योजनाओं को बंद करके और इन नदियों को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम तेज गति से चालू किया जाना चाहिए ताकि देश की बहुसंख्यक आबादी, जो कृषि पर निर्भर है, कृषि मजदूरी पर निर्भर है, वह आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके।

साथ ही मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों एक स्वयंसेवी संस्था के बजट-पूर्व अध्ययन की कार्यशाला में जाने का अवसर मिला। ये आंकड़े, सरकारी नौकरशाही के गठजोड़ और दूसरे उन गठजोड़ों के माध्यम से इस प्रकार के भ्रामक आंकड़े तैयार किये जाते हैं। कृषि में राज्य का, रोजगार में 48 परसेंट के लगभग योगदान है। उद्योगों का 32 परसेंट योगदान है, सेवा क्षेत्र का 24 परसेंट योगदान है, ये आंकड़े पूरी तरह से भ्रामक हैं। जब मैंने वहां इनका विश्लेषण चाहा तो उसमें औद्योगिक क्षेत्र में जो भवन निर्माण और दूसरे जो मजदूरी के काम हैं, उनको भी औद्योगिक क्षेत्र में जोड़

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

दिया गया। मैंने उनसे कहा था कि अगर आपको अध्ययन करना है, विश्लेषण करना है तो इस बात का विश्लेषण कीजिए कि 1947 से लेकर अब तक केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने औद्योगीकीकरण के नाम पर विभिन्न प्रकार की सब्सिडीज, विभिन्न प्रकार के अनुदान, विभिन्न प्रकार की टैक्स छूटों में कितने अरबों-खरबों रुपये खर्च किये गये, उनसे कितने लोगों को रोजगार मिला और वह जितने लोगों को रोजगार मिला, प्रति व्यक्ति उसकी कीमत क्या रही; और खेती, जो हिन्दुस्तान की 70 फीसदी से ज्यादा आबादी को रोजगार उपलब्ध करवाती है, हिन्दुस्तान की शत-प्रतिशत आबादी का पेट भरने का काम करती है, उस पर अब तक कितना खर्चा हुआ और वह प्रति व्यक्ति कितना खर्चा बैठता है। अगर इसके वास्तविक आंकड़े सरकार के सामने, सरकार को चलाने वाले लोगों के सामने आ जाएं तो नौकरशाही ने आंकड़ों का जो मकड़जाल बना रखा है, उससे बाहर निकलकर शासन करने वाले लोग उचित निर्णय ले सकते हैं।

मैं इसके साथ ही कुछ निवेदन करना चाहूंगा। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि हमारे यहां पर एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि हिन्दुस्तान के सारे नियम-कायदे, कानून, 19वीं शताब्दी के बने हुए हैं और कुछ 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बने हुए हैं। उस समय के शासकों ने जिस शैली में ये नियम-कायदे और कानून बनाये थे, जिस भाषा का उपयोग किया गया, अधिकारी, हर अधिकारी एक नियम, एक कानून का, पन्द्रह मामलों में पांच तरह से विश्लेषण करके पांच तरह के निष्कर्ष निकालता है। आजादी के 68 साल के बाद भी हम इसमें सुधार नहीं कर पाये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और एक बहुत सुस्पष्ट नियम और कायदे-कानून बनाने की दिशा की तरफ हमारी सरकार को कदम उठाने चाहिए।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को राजस्व विभाग में नामांतरण और राजस्व दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस मामले में इतना भ्रष्टाचार है कि जब जमीनी हकीकत तक हम जाते हैं, लोग हम तक आते हैं, तो हम उनकी बातों को सुनकर हैरान हो जाते हैं। एक-एक नामांतरण, जिसमें पहले कहीं सौ-दो सौ रुपये लेन-देन की बात होती थी, अब लाखों रुपये तक एक नामांतरण खोलने के लेन-देन में बात होने लग गयी है। इसलिए इस प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया जाना आवश्यक है। इसका सरलीकरण किया जाकर किसानों को राहत दी जाए तो ज्यादा उचित रहेगा।

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

इसी प्रकार, य़द्यपि पिछले दिनों माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बहुत सारे शपथ-पत्रों में स्वयं-सत्यापन की प्रक्रिया प्रारम्भ की है; राजस्थान सरकार में भी प्रशासनिक सुधार विभाग बने बहुत साल हो गये लेकिन मुझे लगता है कि प्रक्रियाओं में सुधार के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने अब तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। तो उसको भी बहुत सारी, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र जैसी हजार तरह की समस्याएं हमारे युवाओं के सामने आती हैं। तो उसमें भी अगर सरलीकरण किया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा।

अब मैं कुछ योजनाओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां पर शिक्षा के बारे में अब तक हम विस्तार की नीति अपनाते आये हैं। अभी शिक्षा विभाग की तरफ से जो प्रगति प्रतिवेदन मुझे मिला है, उसका अध्ययन करने पर बहुत भयावह आंकड़े सामने आये हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो वर्ष 2012-13 में राजकीय माध्यमिक विद्यालय 8,169 थे, सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय 3,356 थे, व्याख्याताओं के 33,028 पदों के एवज में 14,771 व्याख्याता कार्यरत थे। 18,257 पद रिक्त थे। वरिष्ठ अध्यापकों के 69,884 पदों के विरुद्ध 49,126 पदों पर अध्यापक कार्यरत थे और 20,758 पद खाली थे। अध्यापक थर्ड-ग्रेड जिनको कहा जाता है, 12,583 के विरुद्ध 6,082 अध्यापक कार्यरत थे और 6,501 अध्यापकों के पद रिक्त थे। यह विशेष रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किशोर और युवा वर्ग के प्रति, इससे खतरनाक बात नहीं हो सकती, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि, अब सड़कों का विस्तार हो चुका है, साधन बहुत हो चुके हैं। अगर, हम प्रत्येक 15-20 किलोमीटर पर ऐसे विद्यालय जिनके पास संसाधन हैं, भवन हैं, मकान हैं या भूमि हैं, उनको सभी विषयों के विद्यालय में विकसित करके और दूसरे गांव के विद्यालयों को वहां तक आने-जाने के लिए अगर प्राइवेट विद्यालयों की तरह साधन उपलब्ध करवा दिये जाएं तो मेरे हिसाब से विस्तार के बजाय यह ज्यादा उपयोगी रहेगा और उन विद्यालयों में सभी विषयों के अध्यापक हों ताकि हमारे देश के, ग्रामीण क्षेत्र के भावी भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो1 उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, वे अपना भविष्य गढ़ सकें।

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

इसी प्रकार की बहुत सी बातें, प्रारम्भिक शिक्षा में 74 अरब 64 करोड़ 8 लाख 33 हजार रुपये का 2012-13 का व्यय बताया गया है और हालात ये हैं कि आठवीं क्लास के बच्चे जोड़, बाकी, गुणा, भाग तक सही ढंग से नहीं कर पाते; हिंदी की किताब तक नहीं पढ़ पाते। ये परिस्थितियां बहुत नाजुक हैं।

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया जाए; हर 15-20 किलोमीटर पर इस प्रकार के विद्यालय विकसित किये जाएं जहां पर सभी संकाय, सभी विषय हों और सभी अध्यापकों के पद भरे हुए हों; वहां तक छात्रों के आवागमन के लिए परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जाए; तथा हर दो-तीन वर्ष में छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों के पदों के सृजन की समीक्षा की जाए, उनमें घटोतरी-बढ़ोतरी छात्र संख्या के अनुपात में की जाए। आज हालात ये हैं, किसी विद्यालय में 50 साल पहले पद सृजित हुए, विज्ञान विषय में वहां छात्र नहीं हैं, और नौ-नौ व्याख्याता वहां कार्यरत हैं और जहां 100-100, 150-150 छात्र अध्ययनरत हैं, वहां एक भी व्याख्याता कार्यरत नहीं है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हर दो-तीन वर्ष के बाद शिक्षकों के परीक्षा परिणामों के आधार पर उनकी योग्यता का आकलन करके, उसी के आधार पर उनसे बर्ताव किया जाए। एक सबसे मोटा अगर सरकार निर्णय कर ले कि राज्य सरकार के जितने भी नौकरशाह हैं, उन्हें अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया जाए, तो राजकीय विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, पेयजल के मामले में अभी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने ग्रामीण पेयजल के बारे में जो बजट आबंटित किया, उसके लिए तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन कुछ विसंगतियां हैं, जिनकी तरफ मैं आपके मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2011 के अनुसार प्रदेश की कुल आबादी 6 करोड़ 85 लाख 48 हजार 437 है, जिसमें शहरी आबादी 1 करोड़ 70 लाख 48 हजार 85 है और ग्रामीण आबादी 5 करोड़ 15 लाख 352 है। राजस्थान में 43 हजार 264 गांव हैं और 2003 की जनगणना के आधार पर 77,869 ढाणियां हैं और शहर और कस्बों की संख्या 222 है। इन सबके बावजूद 2013-14 में शहरों के लिए 10 अरब 17 करोड़ 12 लाख 95 हजार रुपये का बजट था और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 30 अरब 45 करोड़ 84 लाख 83

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

हजार का बजट था और उसमें भी यह कहा गया कि अब तक 42 हजार 635 गांवों को पूर्णत: या आंशिक रूप से हम लाभान्वित कर चुके हैं और 65 हजार 149 ढाणियों को भी आंशिक रूप से लाभान्वित कर चुके हैं।

(16.38 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

साथ ही उसमें एक बात और आई है कि गर्मियों में पेयजल परिवहन के लिए शहरी क्षेत्र में इतना बजट व्यय करने के बावजूद 800 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 963 लाख 69 हजार रुपये का ही प्रावधान किया गया है। मैं चाहूंगा कि इस विसंगति को दूर किया जाए। और ग्रामीण क्षेत्र में भी गांव-ढाणी में बसने वाले हर नागरिक को, क्योंकि वहां व्यक्तियों के साथ-साथ पशुपालन का काम भी होता है, इसलिए व्यक्तियों और पशुओं की गणना के आधार पर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिये।

मैं साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में बहुत से विद्यालय ऐसे हैं, लगभग 100 के करीब मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं, जहां स्वच्छ पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। बालकों को अपने घर से बोतल में पानी लेकर आना पड़ता है। कई बार अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान और दूसरे मदों में काफी बजट भी इसके लिए उपलब्ध है लेकिन विभाग के अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण विद्यालय के छोटे-छोटे बच्चों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस ओर भी गम्भीरता से ध्यान देकर उसकी क्रियान्विति करवायी जाये।

साथ ही मैं चिकित्सा मंत्रीजी का, माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे यहांहमारे शासन के समय एक योजना चली थी आर.एच.एस.डी.पी., उसके तहत सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्रमुख चिकित्सालयों में आपरेशन थियेटरों का निर्माण हुआ था। उनमें से अधिकांश आपरेशन थियेटरों का आज तक उपयोग नहीं हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) के नाम से चिकित्सक लगे हुए हैं, लेकिन वे अपनी क्षमता का उपयोग, अपने कौशल का उपयोग गांव के गरीब लोगों को सर्जरी का लाभ इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि वहां बेहोशी के डाक्टर नहीं हैं बेहोशी के डाक्टर नहीं होने के बावजूद आपरेशन थियेटर में

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

पैसे खर्च कर दिये गये। हमने सर्जरी के चिकित्सक वहां लगा दिये, उनको वेतन दे रहे हैं। न उनका लाभ मिला, न उनका लाभ मिल रहा है। इसलिए मैं आपके मार्फत अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर भी ध्यान देकर, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर, जहां-जहां आपरेशन थियेटर बने हुए हैं और कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) के लगे हुए हैं, वहां छोटे-मोटे आपरेशनों की व्यवस्था निश्चित रूप से की जाए।

साथ ही मैं उनका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहूंगा। अभी पिछले दिनों मुझे पता चला बातों-बातों में, कहीं बैठा था, चिकित्सकों का एक संगठन हंसी-मजाक में बना हुआ है, 'नोसा'। राजस्थान में सर्जरी के जितने भी चिकित्सक उपलब्ध हैं, उनमें से 50 प्रतिशत चिकित्सक अपने कौशल का उपयोग नहीं करते, वे अपनी सेवाएं मरीज के आपरेशन के लिए नहीं देते और उनका नाम है नान आपरेटिंग सर्जन एसोसियेशन। मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दें और अगर उनको किसी प्रकार की कठिनाई है तो किसी बड़े अस्पताल में महीने-बीस दिन के लिए भेजकर ट्रेण्ड करें, उनके मन में कोई झिझक है तो उसको दूर करें और उनकी सेवाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के आम गरीब लोगों को मिले, इसका प्रयास करें।

साथ ही मैं ऊर्जा के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। बिजली खरीद व उपकरण खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए; फीडर सुधार कार्यक्रम में पुराना सामान, जो खुर्द-बुर्द हुआ है, उसकी आडिट करवाकर उसकी वसूली की जावे; उसमें, क्योंकि पुराने समय की लाइनों पर तांबे के तार और लोहे के खम्भे थे, उनकी रिकवरी की जाए; और चोरी रोकने के लिए कृषि और घरेलू विद्युत कनेक्शनों को मांग के आधार पर उपलब्ध करवाने के लिए भी कार्यवाही की जाए। जहां आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है, वहां निश्चित रूप से अगर इसको करेंगे तो निश्चित रूप से चोरी में कमी आयेगी।

साथ ही, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य की वित्तीय स्थिति नाजुक है, इसमें सुधार के लिये मैं मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार कुछ सुझाव देना चाहूंगा। सरकारी भूमि, जो राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मेगा-हाइवेज, प्रमुख जिला सड़कें, गांवों की सड़कों पर स्थित हैं, जिसकी कीमत लाखों रुपयों में है, वह अतिक्रमण की भेंट चढ़ रही हैं और वह अतिक्रमण कोई गरीब आदमी नहीं कर रहा है। गांव के प्रभावशाली, बाहुबली लोग, पुलिस प्रशासन और प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में उस पर अतिक्रमण करते हैं, काबिज होते हैं, कामर्शियल

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

निर्माण करते हैं, दुकानों का निर्माण करते हैं, शोरूम का निर्माण करते हैं और दो-चार साल बाद उसको 50-60-70 लाख रुपयों में बेचकर अपनी जेब भर लेते हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए। उन भूमियों को या तो अतिक्रमण-मुक्त करवाकर उनको नीलाम किया जाये या जो अतिक्रमी हैं, उनसे बाजार दर के अनुसार वसूली लेकर उनको नियमित किया जाये तो राज्य सरकार के कोष में हजारों-करोड़ रुपयों की आमदनी हो सकती है।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां खनिज इतनी प्रचुर मात्रा में और विभिन्न प्रकार का उपलब्ध है, जिस पर कुछ चंद लोगों का एकाधिकार है। अगर इस ओर भी ध्यान दिया जाये तो राज्य सरकार के राजस्व में हजारों-करोड़ों रुपयों का राजस्व में इजाफा हो सकता है।

मैं अब मेरे जिले और श्रीमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें आपके मार्फत सरकार के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सीकर में मेडिकल कालेज स्वीकृत हुआ था। अब भी हमारे यहां सांवलिया आरोग्य सदन है जिसके पास लगभग 100 एकड़ भूमि है। केन्द्र सरकार के साथ उसका कई दिनों से और राज्य सरकार के मार्फत पत्राचार चल रहा था। पी पी पी माडल पर मेडिकल कालेज खोलने की बात थी। कल्याण आरोग्य सदन जमीन और जो भवन उन्होंने बना रखा है, वह सरकार को भेंट करने को तैयार है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर का मेडिकल कालेज श्री कल्याण आरोग्य सदन के साथ मिलकर उसको स्थापित करने की घोषणा करें।

हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की घोषणा हुए बहुत दिन हो गये, कुलपति भी लग गये, उसका क्षेत्राधिकार भी पिछले दिनों तय हुआ है। अगर उसमें कर्मचारियों की नियुक्ति होकर वह कार्य सुचारु रूप से होने लग जाए तो हमारे वहां के विद्यार्थियों को काफी लाभ मिल सकता है।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुम्भाराम लिफ्ट सिंचाई योजना से श्रीमाधोपुर सहित सीकर के उन इलाकों में, जहां पर भूमिगत पेयजल की किल्लत है, वहां तक शीघ्र पानी लाया जाये और नरेगा और जल संरक्षण जैसी योजनाओं का पैसा उस मद में हस्तान्तरित कर उस कार्य को जल्दी अगर कर सकें तो बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी।

इसके साथ ही, सीकर जिले में पर्यटन की विपुल सम्भावनाएं हैं। अगर इस ओर भी ध्यान दिया जाए तो जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य के राजस्व में भी आमदनी बढ़ेगी।

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

इसके अलावा, मेरे श्रीमाधोपुर की चार-पांच मांगें हैं। ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था खस्ताहाल है। गर्मियों से पहले अगर उसमें सुधार कर दिया जाए तो मैं समझूंगा बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, वरना आने वाली गर्मियों में, कपड़े अभी से फुडने शुरू हो गये, गर्मियों में हमारा क्या हाल होगा?

दूसरा मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई सरकारी कालेज नहीं है। श्रीमाधोपुर में एक सरकारी कालेज खुले। विशेष रूप से बालिका विद्यालयों में और चयनित, जहां 50 से ज्यादा छात्र हों, उन सभी सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोला जाए।

इसके अलावा, ग्रामीण परिवहन सेवाओं का विस्तार किया जाये और श्रीमाधोपुर नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज लाइन की भी व्यवस्था करवाई जाये तो बहुत उचित रहेगा।

अन्त में, एक बार पुन: माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देते हुए, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका भी धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, आपने बजट पर मुझे बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

हमारे इस बजट में मुख्य मंत्री महोदया ने दो वाक्य बोले थे कि यह बजट राजनीति से प्रेरित न होकर, राज धर्म से प्रेरित बजट है। सभापति महोदय, अगर पूरे बजट को पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से हम सब इस बात पर सोचने को विवश होंगे कि यह बजट वोटों की फसल काटने के लिए नहीं होकर, एक राजा का जो धर्म होता है कि सबका साथ सबका विकास, और दूरदर्शिता से बनाया गया बजट है; जो इस वर्ष नहीं होकर, आगे आने वाले चार-पांच-सात वर्षों तक हमारे राजस्थान प्रदेश को इसकी गति मिलेगी। इस सोच से बनाया गया बजट है।

निश्चित रूप से जो पिछली सरकारों ने बजट दिये थे पांच वर्ष तक, तात्कालिक बजट थे वे, वोटों की फसल काटने के बजट थे, और अंतिम वर्ष में जो बजट दिया गया था, वह तो जनता के पैसे को लुटाने का बजट था। राजा का धर्म नहीं होता है कि गाढ़े पसीने की जो कमाई है, इस जनता की, इस राजस्थान प्रदेश की जनता की, उस कमाई को इस तरह से लुटाया जाये।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

इन्होंने जो योजनाएं पिछले छह महीनों में इनकी सरकार रहते हुए दी थीं, उस वक्त के बजट में इन्होंने यह घोषणा की थी कि अब गरीब, गरीब नहीं रहेगा, आज भी राजस्थान का हाल वही है। जो इनकी योजनाएं थीं, वे योजनाएं हमने बंद नहीं की हैं, वे चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान की गरीबी का वही आलम है और यह 'बीमारू' प्रदेश की श्रेणी में चला गया।

सभापति महोदय, इस सरकार ने, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो इस वर्ष का बजट पेश किया, उसमें प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। चाहे वह किसान वर्ग हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, कला और संस्कृति का, पर्यटन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को इस बजट ने छुआ है। आने वाला समय इस बजट का प्रभाव दिखायेगा और निश्चित रूप से यह तय होगा कि आगे आने वाले पांच वर्षों में हम राजस्थान को एक ऐसे प्रदेश के रूप में स्थापित कर सकें, जो बीमार की श्रेणी से निकलकर फिर विकासशील राज्य की श्रेणी में जाये।

हमारे भीलवाड़ा जिले में पिछली सरकार ने एक चम्बल परियोजना चालू की थी और पांच वर्ष के पहले बजट में उन्होंने अपने बजट में यह घोषणा की थी कि भीलवाड़ा जिले के प्रत्येक गांव और ढाणी को चम्बल पेयजल योजना से जोड़ा जाएगा। पांच वर्षों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया और सारा बजट अब आकर हमारे जिम्मे पड़ा है। हमने एक वर्ष में काम शुरू किया है और उस काम की अब इतनी गति पकड़ पायी है कि वह अब हर तहसील में, हर क्षेत्र में ...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय साढ़े छह बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय साढ़े छह बजे तक के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय साढ़े छह बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): उस चम्बल पेयजल परियोजना में पांच साल तक कुछ भी गति नहीं हुई और अब सारा लोड इस सरकार पर है। लेकिन चूंकि यह जन-कल्याणकारी योजना है, तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं, पेयजल मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इस पर पूरा ध्यान दें। 16 जुलाई, 2015, इसमें भीलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति का समय तय था, मेरे को नहीं लगता है कि अब हम उस योजना को समय पर पूरा कर पायेंगे लेकिन योजना बहुत अच्छी है और मैं निश्चित रूप से आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप और हमारी मंत्रीजी इस योजना पर ध्यान देकर पांच-सात महीने, साल भर लेट हो लेकिन यह योजना पूरी हो जिससे रेलवे के माध्यम से हम जो पेयजल आपूर्ति कर रहे थे, उस कलंक से हमें मुक्ति मिले कि हम ट्रेन के माध्यम से पानी पी रहे हैं और हम चम्बल का पानी पी सकें। इस सरकार ने निश्चित रूप से पूरे वर्ष भर जो बजट अलाट किया है उसमें चम्बल की योजना को गति मिली है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं आज निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि चम्बल परियोजना को पूरा करें, जनता आपको बहुत-बहुत आशीर्वाद देगी।

हमारे जिले में खनिज और पत्थर की बहुत बड़ी मात्रा है और, सभापति महोदय, पूरे राजस्थान की खनिज की जितनी राजस्व आय है, उसका लगभग आधा हिस्सा अकेला भीलवाड़ा जिला राजस्थान को देता है, लेकिन हमारा इस उद्योग पर ध्यान नहीं है। सिरेमिक उद्योग में काम आने वाली जितनी चीजें हैं, चाहे सोडा हो, फेल्सपार हो, क्वार्टज हो, हमारे जिले में उनकी बहुतायत है। हमारा सारा कच्चा माल मोरवी और गुजरात की तरफ जाता है जिससे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत व्यय होता है। अगर भीलवाड़ा जिले में एक सिरेमिक हब बना दिया जाए, मैं उद्योग मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं; उद्योग मंत्री महोदय, कृपा कर के मेरी बात गौर से सुनें, सिरेमिक उद्योग में जितना भी कच्चा माल काम आता है उसमें भीलवाड़ा जिला सबसे टोप पर है, कच्चे माल की उपलब्धता बहुत है लेकिन उसका सारा माल गुजरात, मोरवी जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि अगर भीलवाड़ा जिले को सिरेमिक हब बना दिया जाए, और गैस पाइपलाइन आ रही है तो सिरेमिक

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

उद्योग के बड़े-बड़े उद्योगपति भीलवाड़ा जिले में आना चाहते हैं, तो अगर आपने इसको सिरेमिक हब बनाया तो निश्चित रूप से अजमेर पास में है, वहां भी बहुत रा-मैटेरियल है और भीलवाड़ा और अजमेर मिल कर निश्चित रूप से इस सिरेमिक उद्योग को राजस्थान में एक बहुत बड़ा उद्योग बना सकते हैं। हजारों-हजार करोड़ का हमारा निवेश इस कारण से रुका पड़ा है। आप इस पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से भीलवाड़ा जिले का और राजस्थान का कल्याण होगा।

चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले बजट में मेडिकल कालेज की घोषणा हुई थी, जमीन आबंटित हो चुकी है लेकिन उसके आगे भी, जिस तरह से इन्होंने चम्बल की योजना पांच वर्ष के लिए लागू की थी और काम कुछ भी नहीं किया, उस तरह से मेरा निवेदन है कि मेडिकल कालेज हमारे शासन काल में सुचारु रूप से संचालित हो जाए, इस तरह की चिंता कर के इस कार्य को पूरा करें।

हमारा भीलवाड़ा का एम.जी. हास्पिटल बहुत बड़ा हास्पिटल है और उसकी 500 शय्याओं से ऊपर क्षमता है लेकिन पिछली सरकार की नाकामयाबियों के चलते डाक्टर्स की इतनी कमी रही कि लगभग 90 पोस्टें वहां हैं और उनमें से 33-34 पोस्टें भरी हुई थीं, हमने कोशिश कर के साल भर में उनको 40-45 तक पहुंचाया है लेकिन अभी डाक्टर्स की वहां पर बहुत भारी कमी है और इससे जनता बहुत परेशान रहती है। अब हम यह नहीं कह सकते कि हमारा राज नहीं है। इसलिए हम केवल पिछली सरकार की गलतियों को रोते रहेंगे तो काम नहीं हो पायेगा। मेरा निवेदन है कि हम चाहे जिस तरह से भी हो, इन कमियों को पूरी करें, जिससे चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारे जिले को लाभ मिल सके।

भीलवाड़ा टैक्सटाइल का एक बहुत बड़ा सेन्टर है, उस सेन्टर में हमारे जो यार्न काम आता है, उस यार्न को बाहर से लाना पड़ता है। कई हमारी इण्डस्ट्री लगने की फिराक में हैं कि यार्न यहां भीलवाड़ा में लोकल बनना शुरू हो जाए। लेकिन जो यार्न का रा-मैटेरियल आता है विस्कोस, उस पर वैट बहुत ज्यादा होने से, सिलवासा से जो विस्कोस आता है उस पर वैट नहीं है, इससे यह महंगा पड़ता है। इस कारण से यह इंडस्ट्री डवलप नहीं हो पा रही है। तो मेरा मुख्य मंत्रीजी से आग्रह रहेगा इस बजट के माध्यम से कि जब भी वे जवाब दें, हमारे यार्न का जो रा-मैटेरियल है उसको वैट से मुक्ति दिलाएं, जिससे हमारा यह धंधा भीलवाड़ा में ही फल फूल सके। (व्यवधान) करेड़ा है, आसीन्द

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

है। ग्रेनाइट का भी वहां बहुत बड़ा क्षेत्र विकसित हो रहा है, तो उद्योग धंधे भी लग सकते हैं।

उद्योग मंत्रीजी से हमारा आग्रह है कि केन्द्र सरकार ने जो मेजर मिनरल घोषित किये थे, उनको, 31 खनिजों को मेजर से निकालकर माइनर मिनरल में बदला है। इससे निश्चित रूप से हमारा यह धंधा राजस्थान में फलेगा, फूलेगा और भीलवाड़ा जिला भी इससे अछूता नहीं रहेगा। अगर हम उन धंधों को प्रोत्साहित करने की योजना बनायेंगे, चाहे ग्रेनाइट हो, चाहे सिरेमिक हो, चाहे भीलवाड़ा में आयरन निकलता है, जिंक निकलता है, तो उन सब खनिज के लिए अगर धंधे की हम योजनाएं बनायेंगे और अगर वहीं का वहीं वह माल खप जायेगा तो निश्चित रूप से इससे हमारे राजस्थान का विकास होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे खनिज मंत्रीजी ने जो प्रयास कर के 31 मिनरल को माइनर मिनरल में बदलने का प्रयास किया है, उससे हमारे भीलवाड़ा जिले को बहुत-बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि क्वार्ट्ज, फेल्सपार, सोडा, ग्रेनाइट, ये जितने मिनरल हैं, ये हमारे जिले में बहुतायत से निकलते हैं और इनके लिए बहुत परेशानी आने वाली थी अगर वे मेजर मिनरल में चले जाते, तो। निश्चित रूप से मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन चीजों पर ध्यान देकर हमारे उद्योग धंधों को, हमारे माइनिंग उद्योग को बचाने का प्रयास किया है।

आप सब, हम इस बजट के कोई लूपहोल्स नहीं ढूंढ सकते, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम मांगना चाहते हैं। भीलवाड़ा जिले को केवल एक जैतपुरा बांध दिया है, जिसका आपने 21 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। उसके अलावा किसी भी तहसील और विशेषकर हमारे भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में इस बजट में कुछ नहीं है। तो, सभापति महोदय, मैं आग्रहपूर्वक आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भीलवाड़ा को एक रेलवे ओवरब्रिज, जो हमारे भीलवाड़ा शहर की बहुत बड़ी समस्या है, अगर वह मिल जाए, हमने जिंदल को भी कह रखा है और जिंदल के माध्यम से हमने एग्रिमेंट भी साइन करवा रखा है लेकिन अभी तक वह काम नहीं हुआ है। मैंने प्रश्न भी लगा रखा है। तो जिंदल के माध्यम से एक रेलवे ओवरब्रिज, जो उसने 'हां' भर रखी है, लिखित में है, उसने एग्रीमेंट कर रखा है, गंदे पानी की एवज में उन्होंने रेलवे ओवरब्रिज की 'हां' भरी थी, वह ओवरब्रिज का काम शुरू करवा दिया जाए सरकार के दबाव से, तो भीलवाड़ा को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और एक बहुत बड़ी समस्या से हमको मुक्ति मिलेगी।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

आप सब ने इस बजट को पढ़ा होगा, सराहा होगा, मैं भी इस बजट के लिए मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री जयरामजी जाटव।

(17.00 बजे)

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के इस पवित्र सदन में 9 मार्च को प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधराजी ने पूरे राजस्थान का सर्वांगीण विकास कैसे हो, उसके लिए लगभग 113 पेज का यह दस्तावेज बजट 3 घंटे में पढ़कर पेश किया। मैं इस 2015-16 के बजट के समर्थन में अपनी बात कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, 15 अगस्त, 1947 को जब देश आजाद हुआ, तो यह आजादी बातों से नहीं मिली थी। इस आजादी के लिए जो शहीद हुए, उनको हम राजनीतिक लोग कई बार याद करते हैं अपने फ़ायदों के लिए। 26 जनवरी, 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ तो हिन्दुस्तान की जनता इस बात को मान गई कि भारतीय संविधान की धाराओं के आधार पर ही देश चलेगा। लेकिन बड़ा दु:ख है, आज हमारे सामने, दायें हाथ पर कांग्रेस के जो माननीय विधायक हैं, वह नहीं हैं, उनको बड़ी चिंता है। 68 साल की आजादी के बाद उन्होंने केन्द्र और राज्यों में लगभग 50 वर्ष तक राज किया। इन 50 वर्षों में वे लोक सभा और विधान सभाओं में कई तरह के बिल लाकर नीति निर्धारित करते रहे; देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, किसान, गरीबों के लिए योजनाओं का लाभ देने का ढिंढोरा पीटते रहे कि हम देश में कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब 50 वर्ष तक ये राज में रहे लेकिन उन योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंचा; संविधान की पवित्र पुस्तक में मानव के जो मौलिक अधिकार दिये गये हैं वे नहीं मिले। मैं इस बात को इसलिए स्वीकार करता हूं कि जब 50 साल तक ये इतनी योजनाएं लाते रहे लेकिन इस प्रदेश की जनता को उन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ना तो पानी मिल रहा है, ना पूरी चिकित्सा है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है, तो दोष किसका है?

माननीय सभापति महोदय, आज इस पवित्र सदन में 200 विधायक आते हैं। 9 मार्च को जब यह बजट प्रस्तुत हुआ तो सत्ता पक्ष के लोगों ने इस बात को सराहा। मीडिया के लोगों ने पूछा कि बजट कैसा रहा? विरोधियों से,

(श्री जयराम जाटव)

कांग्रेस के लोगों से पूछा कि बजट के बारे में आपका क्या मानना है? तो कहा कि यह जनता की आशाओं के विपरीत है; यह विकास से दूर बजट है। एक-डेढ़ वर्ष पहले जब राजस्थान में इनका राज था, कांग्रेस का, किसान को 4-5 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती थी। गांव में 18 घंटे की आज जो व्यवस्था है, वह 2 घंटे लाइट नहीं मिलती थी। रोजाना शिकायत और आंदोलन होते थे कि बिजली चाहिए, बिजली की व्यवस्था चाहिए।

गांव की स्थिति तो यह है कि सम्पन्न व्यक्ति तो गांव छोड़कर शहर में आ गया, गांव में आज अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, किसान, मजदूर लोग रहते हैं। किसको आवश्यकता है शिक्षा की? आज इस बजट के माध्यम से हमारी प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी ने गांवों में जो सीनियर सेकण्डरी स्कूल ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर दिया है, वह बहुत बड़ा उपकार का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आज मैं जिस वर्ग से जीतकर आया हूं, वह हजारों साल तक पीड़ित, शोषित रहा है। वह देखता रहा, नजरें लगाए बैठा था इस कांग्रेस की तरफ। इस कांग्रेस को जिंदा भी रखा था तो इन वर्गों ने रखा था, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ने। लेकिन इनकी आंखें अब खुली हैं, चिंता अब हुई है। राजस्थान में 34 विधान सभा क्षेत्र रिजर्व हैं अनुसूचित जाति के, कितने जीते कांग्रेस के? भारतीय जनता पार्टी के 32 जीते और कांग्रेस का उपचुनाव में 1 जीता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज आम आदमी पढ़ा-लिखा है। पंचायती राज में योग्यता की व्यवस्था इस सरकार ने की। उसके परिणाम क्या हुए, अनुसूचित जाति, जनजाति के आदमी को कहीं भी इस व्यवस्था में परेशानी नहीं आई। महिलाएं पढ़ी-लिखी मिल गईं; पुरुष पढ़े-लिखे मिल गये। युवा मिल गये।

यह व्यवस्था भी 5-6 साल पहले जब इस प्रदेश में श्रीमती वसुंधराजी मुख्य मंत्री थीं, मैं जब विधायक था, उस समय जितने विकास के कार्य हुए थे, इस कांग्रेस के राज में इन 5 सालों में नहीं हुए। मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूं आज इस पवित्र सदन में जिसकी जिम्मेदारी है, मंत्रीजी बैठे हैं, मुख्य मंत्रीजी हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रदेश को हम किस तरह का विकास दें, किस तरह की चिकित्सा दें।

माननीय सदस्य अभी मिनरल्स के बारे में बोल रहे थे, खनिज के

(श्री जयराम जाटव)

बारे में बोल रहे थे, अच्छी बात है। मेरे शहर के आने वाले भाई बनवारी लालजी अलवर से हैं, उन्होंने हर बिन्दु को छुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहूंगा क्योंकि लास्ट में जो माननीय सदस्य बोलते हैं, उनका कट, आफ होता है, आपका टाइम पूरा हो गया, 5-7 मिनट, बस। मैं यह कहना चाह रहा था कि इस बजट में, 113 पेज में कितने बिन्दु हैं।

माननीय सभापति महोदय, बिजली की बात कह रहा था, जब कांग्रेस का राज था और किसान जब बिजली का कनेक्शन लेता है तो डी एल जमा होता है और उसका सवा लाख-डेढ़ लाख रुपये जमा करके डेढ़-डेढ़ साल तक वह धक्के खाता था। उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता था। हमारी जब सवा साल पहले गवर्नमेंट बनी, उस समय लगभग 37 हजार के लगभग बिजली के कनेक्शन हुए। मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि आज इस बजट के माध्यम से 40 हजार किसानों को बिजली के कनेक्शन की घोषणा की है। पर्याप्त 6 घंटे बिजली मिल रही है किसान को खेती के लिए। घरों में बिजली 18-20 घंटे मिल रही है।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा की बात कहना चाहता हूं। मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि इस बजट में जो पी एच सी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सी एच सी जो बनेगी, क्रमोन्नत होगी, उसकी बिल्डिंग के लिए, उसके भवन के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। इसलिए धन्यवाद की पात्र इस प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं।

(17.08 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहकर के, ग्रामीणों के लिए जो गौरव पथ की बात आई थी, गांवों में जाते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर कीचड़, सड़कें टूटी हुई थी। अगर किसी ने ध्यान दिया है तो इस प्रदेश के मंत्रिमंडल, मुख्य मंत्रीजी ने ध्यान दिया है। सुराज संकल्प यात्रा के माध्यम से यह चिंता की कि गांवों में सड़क अच्छी होनी चाहिए, नाली होनी चाहिए, सीसी रोड अच्छी होनी चाहिए। राजस्थान की लगभग एक तिहाई ग्राम पंचायतों को गौरव पथ के माध्यम से सड़कें दी हैं।

माननीय सभापति महोदय, गांव में मिसिंग लिंक की बहुत आवश्यकता थी। सारे माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की और माननीया

(श्री जयराम जाटव)

मुख्य मंत्रीजी को कहा कि जब तक मिसिंग लिंक पूरे नहीं होंगे, तब तक एक गांव से दूसरे गांव को नहीं जोड़ा जा सकता है। बड़ा राउंड लगाकर के, दूर 10-12 किलोमीटर से तब उस गांव को क्रास किया जाता है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 20 जो मिसिंग लिंक दी हैं, उसके लिए।

आज बिजली और पानी, ये मूलभूत सुविधाएं हो गई हैं।

माननीय सभापति महोदय, सरकार के यहां कई मंत्री बैठे हैं। मुख्य सचेतकजी शायद आपस में बातें कर रहे हैं। नहीं है ध्यान। माननीय मुख्य सचेतकजी, आपकी तरफ इशारा कर रहा हूं। दोनों मंत्री बैठे हैं, नहीं सुन रहे हैं, बातों में व्यस्त हैं। मैं आप लोगों का ध्यानाकर्षित कर रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो आसन का ध्यानाकर्षित करें।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी उसी बात को कहना चाहता हूं। बहुत्से पूर्व वक्ताओं ने चिन्ता जाहिर की कि हमारे यहां राजस्थान में जे जे वाई, जनता जल योजना, हमारे अलवर जिले में एक सेक्टर रिफार्म और है, वह केन्द्र की योजना थी, उसमें दस परसेंट राशि गांव वालों की जमा कर और नब्बे फीसदी सेक्टर रिफार्म के माध्यम से वे बोरिंग हुए, वहां पेयजल की व्यवस्था हुई और वह कमेटी फेल हो गई। तीसरी एक और आ गई, राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल योजना। इन कांग्रेस वालों को इनके नाम बहुत रटाने के लिए इनके नाम उनके नाम पर रखे जाते हैं। यह पांच साल तक खोदते रहे हैं। पेयजल योजना दे दीं तीनों, एक सिंगल फेज। मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि उनके रखरखाव के लिए, उनकी पाइपलाइन के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए एक करोड़ पचास लाख रुपए दिए लेकिन ग्राम पंचायतों को जो जे जे वाई की जो तीनों-चारों स्कीमें हैंडओवर कर रखी हैं, वे ग्राम पंचायतों के बल पर चलने वाली नहीं हैं। मेरा यह पुरजोर शब्दों में आग्रह है, निवेदन है कि जब तक वह जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पी एच ई डी के पास चारों स्कीमें नहीं जाएंगी, तब तक वे ग्राम की ग्राम पंचायतें नहीं चला पाएंगी। चूंकि ग्राम पंचायतों के पास कोई निजी आय नहीं होती; आप टी एफ सी का पैसा ई एफ सी का पैसा, अनटाइड फण्ड का पैसा, योजनाओं का जो पैसा आएगा, सड़क का, नाली का और पानी का, वह उसमें खर्च होगा। हमने पी एच ई डी मंत्रीजी से बात की थी, उन्होंने कहा कि ये योजनाएं केन्द्र की हैं और उनमें ग्रामीण विकास मंत्री को कहें कि टी एफ सी के पैसे से बिजली के बिल जमा करा दें, यह सम्भव नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि ये योजनाएं आगे पेयजल की

(श्री जयराम जाटव)

ग्रामीणों को जो योजनाएं आप दें, उस योजना से पहले यह व्यवस्था करने की ज्यादा चिंता व्यक्त करें। यह मेरा सरकार से निवेदन है। पी एच ई डी मंत्री यहां हैं नहीं।

माननीय सभापति महोदय, गांवों में रोडवेज की बसें लम्बे दूर पर जाती हैं, पर पन्द्रह किलोमीटर, बीस किलोमीटर, गांव के लोग या तो अपने साधनों से जाते हैं या टू-व्हीलर से या यह जो कई गाड़ी, को कहीं लकड़बग्घा चलता है, कहीं जीप चलती है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार चिन्ता व्यक्त की गांव की, गांव के लोगों की। 23 हजार निजी बसों के माध्यम से वहां रोजगार भी मिलेगा और 6 हजार अतिरिक्त वाहन और चलाने की व्यवस्था की है, यह बजट में दिया है? इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, गांव में जो बिजली के तंत्र की बात हो रही थी, उसके साथ-साथ कई, 765 के.वी. की स्थापना फागी व अंता में, 400 के.वी. का ग्रिड, 200 के.वी. के सब स्टेशन, 132 के.वी. के 16 ग्रिड सब स्टेशन, 400 के.वी. के ग्रिड सब-स्टेशन उदयपुर में, लगभग 33 के.वी. के 200 नये सब-स्टेशन, यह बिजली के इतने सब-स्टेशन जो बनने की व्यवस्था हो रही है, यह दूरगामी अच्छे संकेत हैं। मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

किसानों को जो कनेक्शन की बात आई थी, उसके साथ-साथ सौर ऊर्जा के माध्यम से जहां फ्लोराइड-युक्त, पानी गहरा हो गया, जल स्तर नीचे चला गया, वहां सौर ऊर्जा के माध्यम से बोरिंग में कनेक्शन देकर पीने के पानी की व्यवस्था कराने की एक योजना आई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरी बात हुई थी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से और यह एक अच्छी योजना है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): अब मैं कनक्लूड कर रहा हूं। मैं एक ही मिनट में, कोई, ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं कह रहा हूं।

श्री सभापति: चलो, एक मिनट में कह दो। एक मिनट और है आपका।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): मैं किसानों की बात कर रहा हूं। पहली बार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में, कभी भी कहीं भवन की बात नहीं आती थी। ग्राम सेवा सहकारी समिति, जी एस एस कहते हैं, वह बन जाती है, क्रय-विक्रय आफिस बना लेते हैं लेकिन कभी गांव में भवन की बात नहीं आई,

(श्री जयराम जाटव)

उनके आफिस की बात नहीं आई, गोदामों की बात नहीं आई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सहकारिता मंत्रीजी को और मुख्य मंत्रीजी को उन्होंने जितने जी एस एस खुलेंगे, ग्राम सेवा सहकारी समिति, क्रय-विक्रय समिति, उनके भवनों की व्यवस्था की, इस बजट में।

एक धन्यवाद किसानों की बात के लिए। अभी पिछले कुछ दिनों पहले डी ए पी खाद और यूरिया खाद की बड़ी शार्टेज आई थी। उसकी व्यवस्था के लिए, भण्डारण के लिए 3 हजार मीट्रिक टन यूरिया और 2 हजार मीट्रिक टन डी ए पी खाद के लिए भण्डारण की व्यवस्था एडवांस में जो सरकार कर रही है, वह बहुत-बहुत भूरि-भूरि प्रशंसा के योग्य बात है।

ग्राम पंचायतों में किसान सेवा केन्द्र भी कुछ बच गए थे। कुछ खोले होंगे कांग्रेस के राज में, मुझे पता नहीं, लेकिन किसान सेवा केन्द्र ये क्यों खुल रहे हैं? जब तक यह उर्वरक की खेती हमारे यहां प्रदेश में नहीं आएगी, या बूंद-बूंद से जो इजराइली पद्धति से राजस्थान में खेती की व्यवस्था नहीं होगी, तो पानी का जल स्तर बहुत नीचे चला गया, इसमें ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। कई माननीय सदस्यों को बोलना है, कई माननीय सदस्यों को। श्री जगसीराम कोली।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, केवल पांच मिनट हुए हैं।

श्री सभापति: श्री जगसीराम कोली।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): एक मेरी मांग रह गई, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री जगसीराम कोली।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, मेरी मांग है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री जगसीरामजी। माननीय सदस्य, आपकी बात हो गई।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): चलो, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, माननीया मुख्य

(श्री जगसी राम)

मंत्रीजी ने बजट 9 मार्च, 2015 को जो प्रस्तुत किया, उस बजट की मैं भूरि-भूरि तारीफ कर रहा हूं। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट जो प्रस्तुत किया, जहां तक मेरी जानकारी है, पूरे प्रदेश में गरीब से लेकर अमीर तक, हर क्षेत्र को छूने का प्रयास किया है।

माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने प्रदेश का जो रवैया बिगाड़ा था, उनको मद्देनजर रखते हुए, सरकार आने के बाद में पूर्ण रूप से प्रयास किया और राजस्थान की जनता ने इस गम्भीर चुनौती को स्वीकार किया तथा सत्य निष्ठा, ईमानदारी और लगन से प्रदेश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के लिए सुधारात्मक कदम उठाने का स्वरूप दिया है ताकि आर्थिक हालात सुधर सकें।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी क्षेत्र के अन्दर देखने जाएं तो आकांक्षाओं पर खरा उतरना भी जिम्मेदारी बनती है। पिछले एक वर्ष में सरकार द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं। आज पूरे प्रदेश के अन्दर जनता में आशा और उम्मीद का वातावरण बना हुआ है।

जिस प्रकार से सुराज संकल्प यात्रा के दौरान पूरे प्रदेश की जनता की आवाज के अनुरूप जो बजट प्रस्तुत किया गया है, गांवों में सुराज संकल्प यात्रा के दौरान, क्षेत्रों की सड़कों की हालत को देखकर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो कदम उठाये हैं, मैं समझता हूं कि वह सराहनीय हैं। गांवों में गौरव पथ के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सड़कें और नालियां, सी सी सड़कें बनाने के प्रस्ताव का जो प्रावधान किया है, जो मुख्य मार्ग से निकलने वाली सी सी सड़कें बनाई हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अन्दर जनता अब सरकार का आभार व्यक्त करेगी। मुख्यालय से मेन रास्ते से गुजरने वाली सी सी सड़क बनी है।

इसी तरह, गांवों के अन्दर और ढाणियों के अन्दर जो सड़कें पिछले लम्बे समय से जर्जर पड़ी थीं, उन्हीं सड़कों को मंत्रीजी ने मिसिंग लिंक द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र से प्रस्ताव लेकर सड़कें बनाने का गांवों और ढाणियों का जो प्रस्ताव पारित किया है, मैं समझता हूं कि क्षेत्र की जनता को इससे बहुत फायदा मिलेगा। राज्य में 250 से 500 की आबादी वाले 600 गांवों को जोड़ने का प्रावधान किया है, वह भी सराहनीय है। गांव, ढाणी और मजरों को जोड़ने का काम सरकार ने किया, वह सराहनीय है। जनता के लिए गांव तथा ढाणियों में जिस तरह से आने-जाने के लिए, हास्पिटल या स्कूलों के अन्दर जाने वाले बच्चों को दुविधा का सामना करना पड़ता है। उसमें मिसिंग लिंक

(श्री जगसी राम)
सड़कें बन जाएंगी तो आने वाले समय में जनता को सीधा-सीधा फायदा मिलेगा।

जिस तरह से खनिज क्षेत्र में आवागमन साधनों को बढ़ावा देने के लिए सड़कों का प्रावधान और खनिज क्षेत्र को जोड़ने का काम किया है, ट्रैक्टर, ट्रोली, डम्पर, आदि गुजरते समय जो मिट्टी उड़ती थी, उससे जनता को नुकसान होता था, सीधा-सीधा जो प्रावधान किया गया है, इससे भी क्षेत्र की जनता को फायदा मिलेगा।

मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से पेयजल के क्षेत्र में, मैं समझता हूं, पूरे राजस्थान के अन्दर कई बड़ी परियोजनाएं लागू की हैं उससे पूरे प्रदेश को काफी फायदा मिलेगा। मेरे से पूर्व वक्ता, जो जालौर के लिए नर्मदा परियोजना लागू की है उसके लिए मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। माही डैम के पानी के लिए मांग भी रखी थी, मैं आज इस मौके पर माननीया मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि नर्मदा की डी पी आर बनायी है। सिरोही जिले की पूरी जनता, उनकी पूर्ण रूप से पानी की जो किल्लत है, कुओं का जलस्तर नीचे गया है, पेयजल की किल्लत को देखते हुए मैं मांग करना चाहूंगा कि नर्मदा का पानी है, जिस तरह से जालौर से जोड़ने का प्रावधान लिया है, उसी तरह सिरोही जिले को भी जोड़ा जाय। साथ ही, माही डैम के पानी से सिरोही, जालौर और बाड़मेर को यदि जोड़ा जाय तो आने वाले समय में पूरे सिरोही जिले की जनता ही नहीं, पूरे जोधपुर सम्भाग की जनता माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहेगी।

ऊर्जा के क्षेत्र के अन्दर सरकार ने 2013 से आज तक 34 हजार कृषि कनेक्शन दिये हैं और 40 हजार कृषि कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया है, मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा और मैं निवेदन भी करना चाहूंगा कि पिछली सरकार में जो डिमांड नोटिस भरने के बाद भी आज तक किसानों को कृषि सामान नहीं मिला है वह भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समय रहते हुए, किसानों द्वारा पैसे भरे हुए हैं, उनको सामान नहीं मिला, जो 40 हजार कनेक्शन अपन देने जा रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी सामान दिया जाय ताकि किसानों को सीधा-सीधा फायदा मिल सके।

कृषि के क्षेत्र में पशुपालकों के लिए पंचायत समिति स्तर पर किसान सेवा केन्द्र जो खोले गये हैं, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी सेवा केन्द्र खोलने का जो प्रावधान किया गया है, यह जनता के हित में रहेगा।

सिरोही जिले में कृषि के बारे में, पशुपालन के बारे में जो चर्चा हो रही

(श्री जगसी राम)

है, तो सिरोही जिले के अन्दर गुजरात से लगता हुआ एरिया है, वहां पर टमाटर और आलू की पैदावार सबसे अधिक होती है। आलू और टमाटर के लिए गुजरात के अन्दर कोल्ड स्टोरेज का प्रावधान है; सब्सिडी के माध्यम से किसानों को फायदा मिल रहा है। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी जब जवाब दें, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे सिरोही जिले में टमाटर और आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया जाय जिससे किसानों को सीधा-सीधा फायदा मिले, नहीं तो आने वाले समय में टमाटर कम दाम में बिकेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात को सीमित करें।

श्री जगसी राम (रेवदर): मैं दो मिनट में करता हूं।

मैं किसान परिवार से निकला हुआ हूं इसलिए मैं ज्यादातर किसानों की बात निवेदन करना चाहूंगा। जिस तरह से मुख्य मंत्रीजी ने यूरिया और डी ए पी के अन्दर 3 लाख मैट्रिक टन यूरिया और एक लाख मैट्रिक टन डी ए पी का अग्रिम भण्डारण का प्रावधान किया है, वह बहुत सराहनीय है। क्योंकि यह समय आने पर किसानों को यूरिया और डी ए पी नहीं मिलता है, प्राइवेट दुकानों से लाना पड़ता है और उसकी ज्यादा कीमत लगती है और किसानों को नुकसान भी होता है। इसीलिए सरकार ने समय पर जो प्रावधान किया है, वह बहुत सराहनीय है।

श्री सभापति: ठीक, धन्यवाद, माननीय सदस्य। श्री ललित कुमार। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपका समय हो गया।

श्री जगसी राम (रेवदर): मैं दो मिनट ही बोला हूं।

श्री सभापति: नहीं, बराबर आपका 15 मिनट हो गया। एक मिनट में अपनी बात और कहें।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय सभापतिजी, कम से कम कृषकों के लिए दें।

श्री सभापति: या तो जो सूची है, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए; या फिर कुछ लोगों को मिलेगा, बाकी शेष रह जाएंगे।

श्री जगसी राम (रेवदर): मैंने सर्वे किया है, किसानों को शून्य ब्याज पर जो ऋण दिया है, पूर्व की तरह लागू किया है यह पूरे प्रदेश के किसानों के हित में रहेगा। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, 2015 में जनजातिय क्षेत्र में बी पी एल, अन्त्योदय परिवारों को संकर मक्का के बीज का प्रावधान किया है

(श्री जगसी राम)

और उसमें सिरोही जिले को सम्मिलित किया है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

पशुपालन और डेयरी की बात आयी है, पशुपालकों के लिए हमारे जालौर और सिरोही की संयुक्त डेयरी है, दुग्ध उत्पादन हो रहा है। वहां पर सिरोही जिले के अन्दर हम लम्बे समय से मांग करते आ रहे हैं। दूध उत्पादन के क्षेत्र में देखा जाय तो सिरोही जिले में दूध की डेयरी नहीं है और हमें जालौर जाना पड़ता है। सिरोही जिले को क्यों नहीं अलग किया जाय, ताकि सिरोही जिले के किसानों को सीधा-सीधा फायदा मिल सके?

चिकित्सा के क्षेत्र के अन्दर पूरे प्रदेश के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने जो अनूठा कदम उठाया है, वह बहुत सराहनीय है। मैं समय के अभाव को देखते हुए, सारे आंकड़ों की तरफ न जाते हुए, हमारे सिरोही जिले के अन्दर आबूरोड में सी एच सी का जो विस्तार किया है, उसके लिए मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर और पूरे प्रदेश के अन्दर शिक्षा को बढ़ावा दिया है वहां बालिकाओं को स्कूटी और साइकिल का जो प्रावधान किया है, इससे शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में पूरा प्रदेश और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर वहां के बालक-बालिकाएं आगे बढ़ेंगे।

मैं विशेष तौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक लम्बे समय से जो मांग करता आया हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से और शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए मेरे रेवदर विधान सभा क्षेत्र में उपखण्ड स्तर पर महाविद्यालय नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पूरे क्षेत्र की जनता की बार-बार मांग, जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं तो एक तो पेयजल के लिए कि नर्मदा के पानी से जोड़ो और शिक्षा के क्षेत्र में रेवदर उपखण्ड स्तर पर महाविद्यालय खोलने की हमेशा मांग रहती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आप अपना जवाब दें, उस समय इन बातों पर जरूर कहें, ताकि क्षेत्र की जनता मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त कर सके।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री ललित कुमार।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे

(श्री ललित कुमार)

आम बजट 2015-16 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 14वीं विधान सभा का यह दूसरा बजट पेश किया है। वास्तव में बहुत ही विश्वसनीय और पूरे प्रदेश को विकास के स्तर पर ले जाने वाला और राज्य को 'बीमारू' प्रदेश से बाहर निकालने वाला यह बजट पेश किया है जिसकी सभी ने सराहना की है। इस बजट में कृषि, उद्योग, सिंचाई, खेलकूद, युवा, सड़क, विद्युत, सभी क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए और पूरे राजस्थान के 33 जिलों को छूते हुए, पूरे सात सम्भागों की आवश्यकताओं के अनुरूप, इसमें सभी प्रोविजन करते हुए मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की आम जनता के लिए यह बजट रखा है। राजस्थान की जी.डी.पी. और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने औद्योगिक निवेश नीति, 2014 और सौर ऊर्जा नीति, 2014 की घोषणा की थी जिसके माध्यम से राजस्थान में उद्योग एवं सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए अधिक उद्योग आएं ताकि राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

इसी सन्दर्भ में माननीया मुख्य मंत्रीजी सड़कों की कनेक्टिविटी के लिए 10 हजार सड़कें अतिरिक्त बनाने का प्रोविजन किया है। 20 हजार सड़कों के लिए पिछले बजट में पी.पी.पी. माडल पर प्रोविजन किये थे। उसी में गौरव पथ, जो वास्तव में पूरे गांवों के विकास में बहुत जरूरी हैं और नाली और सी.सी. को ध्यान में रखते हुए इसे किया है तथा पूरे राजस्थान में 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

इसी के साथ, मैं मेरे क्षेत्र की सड़कों की डिमांड रखना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में कई सड़क स्वीकृत होने के लिए बाकी हैं जिनमें राजपुर से शाहबाद, समरानियां से निवाड़ी, खुशियारा से नाटई, आकोदिया से कांकड़दा और तेलनी-बैठा से कोटड़ागढ़ वाली माताजी तक हैं। इसी सम्बन्ध में, पूरे जिले में फोरेस्ट की 26 सड़कें रुकी हुई हैं और शाहबाद से मझारी, पुरैनी से मुसरेड़ी, कस्बसनोनेरा से बलारपुर, तिलगंवा से पुरैनी, सड़ से घोगरा, ये मेरे पांच ऐसे बड़े पुल हैं जिनको स्वीकृत करने की मांग मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से रखना चाहूंगा।

इसी के साथ मैं सड़क परिवहन और राजस्थान रोडवेज के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि आर एस बी टी ए, राजस्थान स्टेट बस टर्मिनल अथोरिटी का गठन करते हुए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 300 करोड़ रुपये का प्रोविजन

(श्री ललित कुमार)

किया है। 1,500 नये मार्ग 26 हजार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने के लिए खोले हैं। आधुनिक तकनीक के लिए, फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधुनिकीकरण किया है।

टैक्स आनलाइन डिपोजिट के लिए भी माननीया मुख्य मंत्रीजी का बहुत अच्छा प्रोविजन रहा है।

इसी सन्दर्भ में, हवाई परिवहन के लिए हंसा उपक्रम से पिछले बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने एम.ओ.यू. किया था और उसी के लिए 2015-16 में 30 करोड़ रुपये हवाई परिवहन के लिए किये हैं।

पेयजल के लिए 2014-15 में 67 परियोजनाओं में से 12 ऐसी थीं जिनके लिए 289 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे और इस वर्ष शेष 55 में से 12 के लिए 494 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बारां जिले की नागदा-अन्ता-बलदेवपुरा पेयजल परियोजना के लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि पिछले पांच साल से लम्बित पड़ी हुई परियोजना को लेते हुए उन्होंने प्रमुखता से बजट में लेकर स्वीकृति दी है। वहीं फ्लोराइड के लिए पूरे राजस्थान में जो फ्लोराइडयुक्त पेयजल की गांवों में समस्या है उसके लिए 2,000 आर.ओ. प्लांट की भी घोषणा की है।

मेरे क्षेत्र में घट्टी-परानियां में 2007-08 में एस.एल.आर. टंकी माननीया मुख्य मंत्रीजी के माध्यम से उस समय बनी थी, परन्तु पिछले पांच वर्ष से पाइपलाइन से गांवों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय इसको लेने की अनुशंसा करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में किशनगंज, जलवाड़ा, नाहरगढ़, भंवरगढ़, केलवाड़ा, समरानियां, देवरी, कस्बाथाना, ये ऐसे बड़े कस्बे हैं जो 10 हजार से अधिक आबादी वाले कस्बे हैं। इसलिए इनमें पानी के विस्तार के लिए बड़ी एस.एल.आर. टंकी देने का प्रावधान करें।

ऊर्जा के क्षेत्र में, बारां जिले में अन्ता में 765 के.वी. का बड़ा तंत्र डिस्ट्रिब्यूशन के लिए स्थापित किया है। वहीं 2015-16 में 400 के.वी. का एक, 220 के.वी. के 6, 132 के.वी. के 16 तथा 33 के.वी. के 200 सब-स्टेशन माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पूरे राजस्थान में विद्युत तंत्र को मजबूत करने के लिए स्थापित करने की घोषणा की है। मेरे किशनगंज में 132 के.वी. सब-स्टेशन के लिए फोरेस्ट की एन.ओ.सी. मिल चुकी है, जिसका कार्य प्रारम्भ कराने की अनुशंसा करें। शाहबाद के मामोनी कस्बे में 132 के.वी. की पहले से

(श्री ललित कुमार)

स्वीकृति भेजी हुई है जिसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी और ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसकी स्वीकृति की घोषणा की है।

पर्यटन को देखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र में, बारां जिले में भण्डदेवरा के, पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत, विकास का प्रोविजन करते हुए बजट में लिया है, जिसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। इसी के साथ, मेरे विधान सभा क्षेत्र में केलवाड़ा कस्बे में सीताबाड़ी व रामगढ़ कस्बे में पहाड़ी पर स्थित रामगढ़ माताजी को भी पर्यटन स्थल के रूप में लेने और उसके विकास के लिए भी बजट में प्रोविजन किया जाए। इसके अतिरिक्त, 16वीं शताब्दी में बना हुआ शाहबाद का किला अपने आप में एक बहुत बड़ी धरोहर है जिसको भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रोविजन करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में केलवाड़ा में वन रसायनशाला प्रारम्भ की गई थी और पिछले बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इसका प्रोविजन किया था। नाहरगढ़ में 1 करोड़ 42 लाख रुपये पिछले बजट में वनौषधि उद्यान के लिए पी.पी.पी., जन सहभागिता माडल पर दिये थे और उसका कार्य प्रगति पर है, जिसके लिए भी मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

उद्योग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में इण्डस्ट्री और माइक्रो इण्डस्ट्री एक भी नहीं है। इसलिए मेरा माननीय उद्योग मंत्रीजी से अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में इण्डस्ट्री की सम्भावनाओं को देखते हुए सर्वे कराकर इण्डस्ट्री के लिए प्रोविजन किया जाए।

कृषि के क्षेत्र में हाड़ौती क्षेत्र पूरे राजस्थान में कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसलिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पूरे राजस्थान की आवश्यकता को देखते हुए यूरिया के अग्रिम भण्डारण की भी घोषणा की है। वहीं केमिकल दवाइयों के उपयोग को रोकने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी घोषणा की है। बारां जिले की किशनगंज व शाहबाद की सहरिया जनजाति, गैर सहरिया जनजाति, बी.पी.एल. व अन्त्योदय परिवारों को संकर मक्का योजना के अन्तर्गत मिनी किट देने की भी इस बजट में घोषणा की है उसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने गोपालपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये देकर पुनरुद्धार के लिए बहुत बड़ी स्वीकृति दी है। उसके लिए मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी और माननीया मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

(श्री ललित कुमार)

इसके अतिरिक्त, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई सिंचाई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। उनमें अहमदी सिंचाई परियोजना जिसकी स्वीकृति 2,892.65 लाख रुपये की थी और 2007-08 में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इसका उद्‌घाटन किया था, फोरेस्ट के कारण से यह रुकी हुई थी। इसके लिए 271.48 लाख रुपये फोरेस्ट को जमा भी करा दिये गये हैं और 24 अक्टूबर, 2014 को इसका फोरेस्ट क्लीयरेंस भी आ चुका है। इसलिए इसका कार्य तुरन्त प्रभाव से चालू कराने की अनुशंसा करें ताकि मेरे क्षेत्र में सिंचाई तंत्र और किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

इसी प्रकार, नारायण खेड़ा, बेदरा, खिरिया, सेमलीफाटक लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान करें ताकि शाहबाद क्षेत्र किसान के लिए मजबूत हो सके।

इसके अलावा, हथियादह सिंचाई परियोजना मेरे क्षेत्र की ऐसी सिंचाई परियोजना है जिससे 45 गांव लाभान्वित होते हैं। इससे 6,885 हेक्टेयर भूमि उसकी सिंचित होगी। इसलिए इसे स्वीकृत कराने की अनुशंसा करें।

पशुपालन और डेयरी में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 200 उप-केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया, वहीं 600 नये उप-केन्द्र खोलने की भी घोषणा की है। इसी के साथ-साथ माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्‌यूटन इन वेटेरिनरी एजुकेशन एण्ड रिसर्च को जयपुर में खोलने की घोषणा की है ताकि जिस प्रकार मेडिकल और कोई भी कोर्सेज में जो पी जी की जाती है, उसी प्रकार वेटेरिनरी में भी हमारे स्पेशलाइजेशन किया जा सके।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जनजातीय क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में एस टी कैटेगरी के सहरिया क्षेत्र में 100 नये मां-बाड़ी केन्द्र खोलने की घोषणा की है। इसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने तीन करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि बजट में दी है, इसके लिए भी मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं।

जनजातीय उपयोजनाओं के अन्तर्गत 1,339 मां-बाड़ी डे-केयर सेंटरों के लिए छठी से बारहवीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए 75 लाख रुपये का व्यय कर गैस उपलब्ध कराने की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इसमें घोषणा की है ताकि बच्चों का खाना पकाने के लिए लकड़ी की जरूरत नहीं पड़े। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणाएं की हैं, उनके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं।

शिक्षा के बारे में मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा,

(श्री ललित कुमार)

यहां पर माननीय शिक्षा मंत्रीजी मौजूद नहीं हैं परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी जो 2013 का सेकण्ड ग्रेड का रिजल्ट आया था, उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के 42 अभ्यर्थी सलेक्ट हुए थे। आर पी एस सी ने रिजल्ट दे दिया था। पिछली बार किशनगंज, शाहबाद को टी एस पी मानकर आठ अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई थी और वे परमानेंट हो चुके हैं और वे नौकरी कर रहे हैं। इस बार जो 42 अभ्यर्थी 2013 की सेकण्ड ग्रेड की वैकेंसी में चुने गये थे, रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था परन्तु पोस्टिंग के समय इनको आउट कर दिया गया। वह प्रकरण न्यायालय में जाकर वे अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। इसलिए मेरा माननीया मुख्य मंत्रीजी से और माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि इसको भी लेते हुए, उनका ध्यान रखते हुए, उनको लेने के प्रोविजन्स करें।

उच्च शिक्षा के अन्तर्गत 2008 में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में केलवाड़ा में एक राजकीय महाविद्यालय खोला था। उस महाविद्यालय के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट देकर बिल्डिंग बनाई थी, अभी उस महाविद्यालय में मूलभूत आवश्यकता है फर्नीचर की और लैक्चरर्स की। एक भी लैक्चरर नहीं है। यहां पर उच्च शिक्षा मंत्रीजी विराजमान हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि फर्नीचर और लेक्चरर्स की तुरन्त व्यवस्था करें ताकि बच्चों को 50 किलोमीटर तक नहीं आना पड़े। मेरा जनजातीय क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां से बारां मुख्यालय 50 किलोमीटर पड़ता है, वहां पर जाकर पेपर देकर आते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको लेते हुए इसका प्रोविजन करें।

चिकित्सा के क्षेत्र में मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद और मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे कुपोषित क्षेत्र में, बच्चों के कुपोषित क्षेत्र में बच्चों के लिए 10 बेड से 20 बेड करते हुए उनका अलग से प्रोविजन किया है।

हमारे बारां जिला अस्पताल में सी टी स्कैन मशीन, एम आर आई मशीन उपलब्ध हैं परन्तु वह व्यवस्था नहीं चल पाती। इसलिए सीधे ही किशनगंज, शाहबाद से कोटा जाना पड़ता है सम्भागीय स्तर पर सी टी स्कैन के लिए। इसलिए मेरा चिकित्सा मंत्रीजी से अनुरोध है कि हमारे बारां में सी टी स्कैन अच्छी तरह काम करे, उसके लिए एक डाक्टर और सी टी स्कैन को देखने वाला डाक्टर अपाइंट करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में नाहरगढ़ और समरानिया में पी एच सी को क्रमोन्नत करते हुए सी एच सी बनाई जाये ताकि चिकित्सा व्यवस्थाएं अच्छी हो सकें।

(श्री ललित कुमार)

खाद्य आपूर्ति विभाग के लिए माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद और मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 22,500 सहरिया परिवारों को और हमारे केथोड़ी जाति के 150 परिवारों को दो किलो दाल, दो किलो तेल व एक किलो घी नि:शुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की। इसी को देखते हुए हमारे केथोड़ी जाति के समकक्ष मेरे विधान सभा क्षेत्र में खैरवा जाति के भी लोग हैं, इनको भी इस प्रावधान और इस सुविधा का लाभ मिले। इसको भी बजट में रखते हुए आगे...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें आप।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): दो मिनट में ही बस मैं अपनी बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने माइक्रो ए टी एम की घोषणा की है बैंक सुविधा के लिए 365 दिन किसान केन्द्रों पर, अटल सेवा केन्द्रों पर ताकि 24 घंटे हमको पैसे अवेलेबल हों। वहीं जयपुर सिटी को वाई फाई कनेक्टिविटी के लिए जो प्लेसेज डिसाइड किये हैं, वह भी एक विश्वसनीय कार्य है। वहीं, मीडिया के लिए भी मुख्य मंत्रीजी ने 50 प्रतिशत किराये में ए सी बसों में छूट की है। उसके लिए भी मुख्य मंत्रीजी ने बहुत विश्वसनीय काम किया है। वहीं टैक्स में कई चीजों के लिए दरों का प्रोविजन करते हुए उनको छूट की है।

इसलिए मेरे विधान सभा क्षेत्र हेतु इस बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बहुत सारी घोषणाएं कीं, उनके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। राजस्थान को पहले कहा जाता था कि राजस्थान 'बीमारू' प्रदेशों में आता है, बिहार, राजस्थान, एम पी और यू पी की तरह। इन तीनों स्टेटों से ऊपर उठते हुए, 'बीमारू' प्रदेशों से ऊपर आते हुए राजस्थान एक अच्छा, सुशील और विकसित राजस्थान बने, इस सन्दर्भ में माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हमीरसिंह भायल।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, दूर से आ रहा हूं, थोड़ा समय चाहिये। बाड़मेर दूर है, इसलिए मेहरबानी करके समय दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बहुत सारे माननीय सदस्यों को बोलना बाकी है। इसलिए आपकी जो कोई जरूरी बातें हैं ना, वे आप सदन की जानकारी में ले आयें।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2015-16 का जो बजट पेश किया गया है, यह एक पुस्तिका नहीं बल्कि राजस्थान के विकास का आधार है, विजन 2020 की ओर बढ़ता हुआ कदम। इस बजट में सामाजिक और बुनियादी विकास के साथ निवेश, सर्व धर्म का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मेक-इन-राजस्थान के नारे से विकास का रोडमैप भी सामने रखा है।

आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने स्वरोजगार के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। पर्यटन, उद्योग, व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए टैक्स में भारी छूट दी गई है। जनता पर कोई भारी भार नहीं डाला गया है। मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश के सभी हिस्सों का ध्यान रखते हुए शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, बिजली, पानी और बी पी एल को मिलने वाली सुविधाओं को बजट में और मजबूती प्रदान करने की घोषणा की है। गांव में सड़क, पेयजल की सुविधा के साथ जिला स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की घोषणा कर मुख्य मंत्रीजी ने आम जन को सौगात दी है। इसलिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राज्य भर में सबसे विशेष आवश्यकता पीने के पानी की है। इस पर बजट 2015-16 का फोकस रहा है। पेयजल की समस्या सबसे गम्भीर समस्या है। 55 जलप्रदाय योजनाओं में से 12 योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूरा करने हेतु 494 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में 2012-13 एवं 2013-14 की घोषित छह परियोजनाओं को हाथ में लिया जायेगा। 2,000 आर ओ प्लांट, खारे पानी को मीठा करके पीने के लिए काम में लिया जायेगा। सोलर ऊर्जा से चलित 1,000 पम्पसैट लगाये जायेंगे। इसमें 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से बजट 2015-16 पेयजल के लिए बहुत ही नपा-तुला है जिससे प्रदेश को पानी मिल सकेगा।

मेरे क्षेत्र में तीन मुख्य परियोजनाएं जो पीने के पानी की हैं, नर्मदा प्रोजेक्ट, उम्मेदसागर-दवा-खण्डप, पोकरण-फलसूंड-बालोतरा-सिवाना लिफ्ट, तीनों योजनाएं वर्तमान में प्रगति पर हैं लेकिन नर्मदा प्रोजेक्ट का कार्य धीमा चल रहा है। उम्मेदसागर-दवा-खण्डप परियोजना एक वृहद् योजना, जिसमें सिवाना

(श्री हमीरसिंह भायल)

के 57 गांव सम्मिलित हैं। यह योजना आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने शुरू की थी, लेकिन 2008 से 2013 के बीच एक भी पाइप नहीं लगा और इसमें किसी तरह की गति नहीं आई। यह योजना 2012 में पूरी होनी थी। अब दिसम्बर, 2013 के बाद गति मिली है और वर्तमान में लगभग 40 गांवों तक पानी पहुंच गया है। हिमालय का पानी पहुंच रहा है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी और पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी को धन्यवाद अर्पित करता हूं। इस योजना हेतु बजट का पर्याप्त प्रबंध करने की भी मेरी मांग रहेगी। पोकरण-फलसूंड-बालोतरा-सिवाणा लिफ्ट परियोजना में मेरे विधान सभा क्षेत्र के 101 गांव आ रहे हैं। यह योजना 2003 में स्वीकृत हुई थी और इसका लक्ष्य 2012 तक पूरा होना था, लेकिन 2008 से 2013 के बीच संक्रमण काल में इस योजना में एक इंच भी पाइप नहीं लगा। मुख्य मंत्रीजी और पी.एच.ई.डी मंत्रीजी की प्रशंसा करता हूं क्योंकि मंत्रीजी ने दो बार डिविजन का दौरा करके, इस योजना की कमियों को दूर करके, अब इसका कार्य प्रगति पर चल रहा है। इस योजना में बजट दिया जाना आवश्यक है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर चल रहा है और इस योजना को 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

सभापति महोदय, मैं सड़कों के बारे में कहना चाहूंगा कि प्रदेश को दस हजार किलोमीटर की सड़कें दी गई हैं। इस बजट में पांच राज्य मार्गों की घोषणा; प्रथम स्तर पर 2,154 गौरव पथ निर्माण कार्य प्रगति पर हैं; 2 हजार किलोमीटर की मिसिंग लिंक सड़कें बनाई जाएंगी नान-पैचेबल सड़कों में 847 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है; सात नये रेलवे अण्डर-ब्रिजों की भी स्वीकृति दी गई है। मेरा यह सुझाव रहेगा कि सिवाना क्षेत्र की मुख्य सड़क, जो जोधपुर को जोड़ती है इसकी हालत ठीक नहीं है। सिवाना-समदड़ी-कल्याणपुर मार्ग का नवीनीकरण करना अति-आवश्यक है। यह सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क है। माननीय सभापति महोदय, सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर वर्तमान में पी.एम.जी.एस.वाई. योजना का एक्स.ईएन. कार्यालय सृजित हो गया है। मैं इसी को सामान्य अधिशासी अभियंता कार्यालय पी.डब्ल्यू.डी. करने की मांग भी करता हूं। समदड़ी स्टेशन पर रेलवे अण्डर-ब्रिज की भी मांग रहेगी। यह मार्ग जोधपुर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, जहां से विशेषकर अस्पताल जाने वाला मार्ग है। इसलिए रेलवे अण्डर-ब्रिज निर्माण किया जाना आवश्यक है।

आदरणीय सभापति महोदय, ऊर्जा क्षेत्र में भी हमारी यशस्वी मुख्य

(श्री हमीरसिंह भायल)

मंत्री ने एक नया आयाम स्थापित किया है। पिछली सरकार राज्य पर 77 हजार करोड़ रुपयों का घाटा छोड़कर गई थी लेकिन इसके बावजूद भी पिछले चौदह माह से नियमित विद्युत आपूर्ति किसानों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को देते रहे हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं आई, बल्कि घरेलू विद्युत 24 घंटे भी दी जा रही है। बजट 2015-2016 में प्रावधान किया गया है 33 के.वी. जी.एस.एस., 200 नये सब-स्टेशन बनेंगे; किसानों को 40 हजार विद्युत कनेक्शन भी मिलेंगे। नई सौर ऊर्जा नीति-2014 में 26 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य भी रखा गया है।

मैं धन्यवाद और भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी की जिन्होंने बाड़मेर जिले की स्थिति को समझा और ढाणियों और कुओं पर निवास करने वाले लोगों को घरेलू कनेक्शन दिया जाना आवश्यक समझा। यह एक दमदार कदम उठाते हुए 1,864 ढाणियों में कनेक्शन देने की घोषणा की है और पूरे प्रदेश में लगभग 5 लाख 40 हजार घरेलू कनेक्शन देने का अद्‌भुत कार्य हाथ में लिया है।

मेरा, सभापति महोदय, एक सुझाव और नया निवेदन भी रहेगा कि जहां 5 के.वी. और 10 के.वी. के घरेलू ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उसमें रिक्त जगह होने पर 500 मीटर के दायरे में सामान्य डिमाण्ड से कनेक्शन जारी किय जाएं तो लगभग मेरे जिले में 10 हजार कनेक्शन हो सकते हैं। दूसरा, मेरे क्षेत्र में विद्युत की खपत को देखते हुए 220 के.वी. का एक ग्रिड सब-स्टेशन रमणिया और काठाड़ी के बीच में स्थापित किया जाय। इसकी भी मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे अहम पहलू शिक्षा है। इस ओर आदरणीय मुख्य मंत्री साहिबा कितनी सजग हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण पंचायती राज चुनाव-2015 में शिक्षा अनिवार्य योग्यता निर्धारित करना है और जिसका परिणाम आप सभी के सामने है। इसी को ध्यान में रखते हुए 5 हजार सीनियर विद्यालय करना, नव सृजित पंचायतों में भी सीनियर विद्यालय किये जाने की घोषणा, प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आदर्श विद्यालय खोलना, माडल विद्यालय को विशेष पैकेज, जिला स्कूल बोर्ड की स्थापना करना, छात्राओं को स्कूटी देने की योजना, नये राजकीय महाविद्यालय खोलना, कृषि महाविद्यालय की घोषणा, इन सबके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री साहिबा की तारीफ करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं।

(श्री हमीरसिंह भायल)

इसके साथ मेरा यह निवेदन भी रहेगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का महाविद्यालय वर्तमान में नहीं है। पिछले बजट में मैंने मांग रखी थी और मुझे मुख्य मंत्री साहिबा ने आश्वस्त भी किया था कि अगली बार सिवाना में महाविद्यालय दूंगी। मेरे क्षेत्र में लगभग 50 सीनियर विद्यालय हैं जिनमें लगभग 800-900 छात्र-छात्राएं 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। नजदीक महाविद्यालय नहीं होने के कारण बेटियां शिक्षा से वंचित रह रही हैं। सिवाना से बाड़मेर 165 किलोमीटर है, जोधपुर 115 किलोमीटर है और जालौर 60 किलोमीटर है। मेरे क्षेत्र में न तो निजी महाविद्यालय है और न राजकीय महाविद्यालय हैं। इसलिए यह मेरी आदरणीया मुख्य मंत्रीजी से मांग रहेगी और, सभापति महोदय, क्षेत्र की जनता को भी विश्वास है कि यह जरूर मिलेगा।

कृषि क्षेत्र में किसानों हेतु बजट 2015-16 में विशेष व्यवस्था की गई है। हर ग्राम पंचायत स्तर पर किसान सेवा केन्द्र, डी.ए.पी. एवं यूरिया के पर्याप्त बजट प्रावधान, पशुपालन के लिए 200 उप-केन्द्रों को क्रमोन्नत करना, 600 नवीन उप-केन्द्र खोलना एक सराहनीय कदम हैं। नागौर में कृषि महाविद्यालय की घोषणा, सहकारी बैंकों से शून्य ब्याज दर पर ऋण देना, वर्षा जल संरक्षण हेतु 300 करोड़ की योजना बनाना, इस तरह से माननीय मुख्य मंत्री साहिबा ने किसान वर्ग का भी पूरा-पूरा ध्यान रखकर यह बजट दिया है। बिजली की दरों में किसानों को राहत दी जाएगी।

मेरा यह सुझाव रहेगा कि मेरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। बाड़मेर जिले का कश्मीर कहलाने वाला जो सिवाना क्षेत्र था, जहां तीनों फ़सलें होती थीं, सब्जी और मीठा पानी, वहां यह हालत हो गई कि आज की तारीख में जल स्तर नीचे जाने की वजह से पीने के लिए पानी नहीं है। मेरा यह आग्रह रहेगा कि पहाड़ी क्षेत्र में हर गांव में नाला और नदी बहकर कटाव हो जाता है, उसको रोकने के लिए चैक-डैम, बांध, एनिकट बनाये जा सकते है। इसमें सीणेर, गुढानाल, दारना, काकीसेला, कुण्डल धीरा, भागवा, देवेन्दी, दंताला, देवड़ा, फूलन, गोयणा भाकर आदि क्षेत्रों में बरसाती नालों से रोककर, बांध बनाकर जल स्तर को बढ़ावा दिया जा सकता है। किसानों के लिए खेती करने के लिए भी और जल स्तर भी बढ़ सकता है। मेरे वहां तीन बांध मेली बांध, नानारी बांध, भागुडा बांध और गुढा डायवर्जन, वे भी बांध बने हुए हैं। उनके रख-रखाव के लिए भी सिंचाई विभाग से यह कार्य करवाना है।

एक जमाने में मरु गंगा कहलाने वाली लूणी नदी, जहां किनारे पर 30 किलोमीटर इधर, 30 किलोमीटर उधर हरियाली छाई रहती थी, वहां, माननीय

(श्री हमीरसिंह भायल)

सभापति महोदय, आज उसमें पाली और बालोतरा के उद्योगों का कास्टिक का जो रसायनयुक्त पानी है, उससे खेती करने वाले की हालत खराब हो गई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग भी पनपें, उनके साथ में किसानों को भी नुकसान नहीं हो। इसमें यमुना का पानी लाकर, यह लूणी बेसिन योजना शुरू की है; भैरोंसिंहजी शेखावत साहब जब मुख्य मंत्री थे 1977 में तब यह योजना बनी थी। इस पर भी ध्यान दिया जाए और इस लूणी नदी में यमुना का पानी आये तो वहां के किसान खुशहाल हो सकें। यह मेरा निवेदन रहेगा।

(18.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, बजट में मुफ्त दवाइयों की संख्या 400 से 600 की गई है, जांच एवं पद भरने की भी जिला मुख्यालयों पर सुविधाएं देना, हेल्प कार्ड बना कर भामाशाह योजना से जोड़ना, आदि सराहनीय काम किये गया है। मेरा निवेदन आदरणीया मुख्य मंत्रीजी से और चिकित्सा मंत्री राठौड़ साहब से रहेगा कि मेरे क्षेत्र में एकमात्र आवश्यक पी एच सी को सी एच सी में क्रमोन्नत करना है। पादरू मोडल पी एच सी को सी एच सी और नवीन पी एच सी भी दूरदराज के गांव हैं, ढुंढाली है, कुंडल है, थापण है, सीनेर है, आदि में करनी है। मुझे विश्वास है कि सी एच सी समदड़ी को तीस बेड से पचास बेड और सिवाना और सिणधरी को क्रमोन्नत करके जनता को राहत देंगे। महिला डाक्टर एक भी नहीं है। यह भी मेहरबानी करके लगाने की कृपा करेंगे।

नरेगा के बारे में जो घोषणा पत्र में था कि नरेगा से किसानों को जोड़कर तारबंदी करवाकर किसानों को राहत दी जाएगी, वह भी लागू करें। नरेगा में प्रावधान करके खेती को जोड़ा जाए और खेती में किसानों की बाड़बंदी और वह सारी हों। यह भी मेरा निवेदन और प्रार्थना रहेगी। पुराने जमाने के बावड़ियां, घाट और तालाब मौजूद जो हैं, उनसे पर्यटन को जोड़ने की आवश्यकता रहेगी।

सभापति महोदय, मैं पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले का भू-भाग बहुत बड़ा है। इसमें कई वर्षों से मांग की जा रही है। बाड़मेर जिला जैसे सिवाना और बालोतरा वाले को दो सौ से ढाई सौ किलोमीटर दूरी पर जाना पड़ता है और भूभाग बड़ा है। इसलिए बालोतरा को जिला बनाने की मैं मांग रखूंगा। यह निवेदन और मेरी प्रार्थना रहेगी।

सभापति महोदय, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि,

‘सोच को सुधारिये सितारे बदल जाएंगे,
नजरिये को सुधारें, नजारे बदल जाएंगे।

(श्री हमीरसिंह भायल)

तुम्हें जरूरत नहीं कश्ती को बदलने की, यारों,
कश्ती के रुख को बदलें, किनारे बदल जाएंगे।'

जय हिन्द। जय-जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री हीरा लाल।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान की जन-जन की नेता आदरणीया वसुन्धराजी राजे, उन्होंने यह बजट राजस्थान की जनता को विकास की ओर ले जाने के लिए दिया। यह बजट जानदार और शानदार बजट है और राजस्थान की जनता को सर्वांगीण विकास देने वाला बजट है। मैं इस बजट के लिए हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इस बजट से राजस्थान की जनता को नये आयाम मिलेंगे।

पूर्व में 2003 से 2008 तक हमारी मुख्य मंत्रीजी को जनता ने भारी बहुमत से चुना और उन्होंने 2003 से 2008 तक पूरे राजस्थान को विकास की ओर अग्रसर किया। राजस्थान की स्थिति बड़ी दयनीय थी। कांग्रेस की सरकार ने 56 हजार करोड़ का बोझ नयी सरकार को दिया। पूर्ववर्ती सरकार के मुख्य मंत्रीजी सुनने वाले नहीं हैं, उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि हमारी जेबें खाली हैं हमेशा माननीय अशोकजी गहलोत कहते रहे कि हमारी जेबें खाली हैं, पर माननीया वसुन्धराजी ने कभी इस तरह की बात नहीं कही; जनता के लिए विकास की बात कही और विकास कराया।

पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को केन्द्र में बहुमत मिला, माननीय अटलजी प्रधान मंत्री बने और देश को प्रधानमंत्री सड़क योजना, चतुर्भुज स्वर्णिम योजना, इस तरह की योजनाएं दीं जिनसे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में सड़कों का जाल फैला और गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया। उनकी एक योजना थी, नदी से नदी जोड़ना और दुबारा यह योजना आने वाली सरकार अगर देखती तो आज पानी की समस्या नहीं होती।

आज राजस्थान में माननीया वसुन्धराजी को जनता ने पुन: चुना और आज यह जनता का बजट जनता के लिए जो है, उसके लिए मैं बहुत समर्थन करता हूं। प्रदेश आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के रास्ते पर इससे आगे बढ़ेगा। 2014-15 के संशोधित अनुमान के मुकाबले इस बजट में चालीस परसेंट की वृद्धि की है। पिछले एक वर्ष में राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयास निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में उठाये सराहनीय हैं। गत चौदह माह में देश-विदेश में एक सकारात्मक रुख पैदा हुआ है।

(श्री हीरालाल)

सुराज संकल्प यात्राओं के दौरान प्रदेश की जनता ने हमारे प्रति अटूट विश्वास एवं स्नेह दिया जिसके लिए राज्य सरकार उन्नति की ओर, विकास के लिए पूर्णतया समर्पित है।

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने पिछले कार्यकाल में 6 आदर्शों को आधार मान कर समग्र विकास के आधार पर हैल्दी, एजुकेटेड, जेण्डर ओरिएंटेड, प्रोसपेरस, इस तरह के छह जो आयाम दिये, हमारी सरकार का उद्देश्य प्रदेश को अग्रणी श्रेणी में लाकर खड़ा करना है। हाल ही में प्रदेश में हुए शहरी निकाय, पंचायत चुनाव और सरपंच सी आर/डी आर, इनमें जनता ने भारतीय जनता पार्टी के महापौर, सभापति, अध्यक्ष, जिला प्रमुख सी आर/डी आर बनायें।

हमारी सरकार बिजली, पेयजल, कृषि, सड़क, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं पर्यटन पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ, राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को भी निपटाने में सहयोग करने का उद्देश्य रखती है। प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो ताकि प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय में वृद्धि होगी। राजस्थान औद्योगिक निवेश 2014, ऊर्जा नीति 2014 इसी दिशा में उठाये गये कदम हैं। राज्य के समग्र विकास में ...(व्यवधान)

इस बजट में दस हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य, नवीनीकरण इस सरकार द्वारा कराया जाएगा। दूदू से मालपुरा-टोडा 104 किलोमीटर सड़क से जोड़ा जाएगा, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा टोंक जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात है। राज्य में 250 से 499 तक की आबादी वाले 600 ग्रामों को 500 करोड़ रुपये की लागत से 1,440 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों से जोड़ा जाएगा; 250 व इससे अधिक आबादी के एक हजार ढाणी-मजरों को सड़कों से जोड़ा जाएगा; इस पर 960 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वर्ष 2015-16 के बजट में चार हजार किलोमीटर से अधिक लम्बाई की नान-पैचेबल सड़कें, जिला एवं ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण के कार्य 847 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण कराएंगे।

राज्य में लगभग 29 हजार निजी बसों के माध्यम से परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

राज्य की जनता जल योजनाओं को दुरुस्त करने हेतु वर्ष 2015-16 में 139 करोड़ 55 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना है। प्रदेश के हैण्डपम्पों के रखरखाव के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 816 करोड़ से 1,864 ढाणियों का विद्युतीकरण किया जाएगा। 14,578 ढाणियों

(श्री हीरालाल)

में विद्युतीकरण कर 5 लाख 40 हजार विद्युत कनेक्शन दिये जाएंगे। इससे 1 लाख 60 हजार बी पी एल परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।

राज्य में पंचायती समिति स्तर पर 248 एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 2,500 किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण कराया जाएगा। 2015-16 में शेष रहे 59 पंचायत समिति एवं 1 हजार 410 पंचायत स्तर के शेष रहे किसान सेवा केन्द्रों का भी निर्माण कराया जाएगा।

राज्य के 12 लाख किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट पर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए तीनों डिस्काम्स को वर्ष 2015-16 में कुल 6,116 करोड़ 58 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराये जाएंगे।

2014-15 में सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य ब्याज दर पर किसानों को फसली ऋण की व्यवस्था यथावत रखते हुए, वर्ष 2015-16 में भी काश्तकारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 17 हजार 500 करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरित किए जाएंगे। इसके लिए 370 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये जाएंगे।

राज्य में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध हो सकें, इसके लिए एग्जिस्टिंग बांधों का पूर्ण उपयोग करते हुए एक्सेस पानी को दिया जाएगा। आगामी वर्षों में कोटा, बूंदी, टोंक, गंगानगर, हनुमानगढ़ में 53 हजार 662 हेक्टेयर क्षेत्र में 118 करोड़ रुपये की लागत से पक्के खालों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 40 हजार हेक्टेयर से इसे पूर्ण कराया जाएगा।

पशु चिकित्सालयों में काफी लम्बे समय से मरम्मत एवं पुताई का कार्य नहीं होने के कारण, वर्ष 2015-16 में 1 हजार संस्थाओं में पुताई, सफाई व्यवस्था हेतु 3 करोड़ 85 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित 200 छात्रावासों एवं 17 आवासीय विद्यालयों में आगामी वर्षों में सोलर लाइट एवं होम लाइट सिस्टम की स्थापना की जाएगी। उक्त छात्रावासों में रखरखाव एवं अतिरिक्त सुविधाओं के लिए 10 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में सी एच सी, पी एच सी खोलने एवं भवन बनाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। 150 से अधिक शय्याओं वाले 8 चिकित्सालयों में नये ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस तथा बी जे पी के सभी 200 विधायकों को जनता ने इसलिए चुनकर भेजा कि राजस्थान की सबसे बड़ी

(श्री हीरालाल)
पंचायत में बैठकर जनता के विकास की बात करें, जनता के नवनिर्माण की बात करें, लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि जिस दिन हमारी सदन की नेता माननीया वसुन्धराजी का रिप्लाई महामहिम के अभिभाषण पर होना था, सभी सदस्यों ने माननीय नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुना, जो भाषण एक असत्य का पुलिंदा था। कोई सच्ची बात नहीं बोली, फिर भी किसी ने उसमें कोई एतराज नहीं किया; परन्तु हमारी नेता का भाषण होने से पहले व्यवधान पैदा किया गया। माननीय गृह मंत्रीजी ने...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, ये बातें सबकी जानकारी में हैं। आपका समय हो रहा है, आप अपनी बात समाप्त करें। ये बातें सबकी जानकारी में हैं। ये हाउस में कई बार आ गईं। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी ने यह कह दिया कि इस तरह की बात है, फुटेज देख लें, उसके बावजूद भी...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपकी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, काम की हैं, आप बताओ आराम से।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं इसको खतम कर रहा हूं। मेरा एक निवेदन है ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं दो मिनट और बोलूंगा।

श्री सभापति: एक मिनट और आपको।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा कि मेरे क्षेत्र में विवेकानंद माडर्न स्कूल निवाई में बना हुआ है लेकिन पूर्णतया बाउंडरी नहीं है, बाउंडरी गुणवत्ता-युक्त नहीं है जिससे बरसात में पानी टपकता है।

सिंचाई के लिए बीसलपुर बांध का आवरफ्लो का पानी लिफ्ट कर टोडीसागर, टोडीसागर से मासी डैम, जो मेरे निवाई विधान सभा क्षेत्र में आता है, उसमें डालकर जनता को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएं। मेरी यह मांग है।

निवाई विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड पीपलू में, सभी जगह पंचायत समिति खुली हैं, मैंने पूरा निवेदन किया, माननीय मंत्री महोदयजी को भी किया, मुख्य मंत्रीजी को भी निवेदन किया लेकिन जिला प्रशासन के स्तर पर इसमें क्या खामी रही कि मेरे यहां पंचायत समिति नहीं खुल सकी? मेरी पुरजोर मांग है कि निवाई पीपलू उपखण्ड पर पंचायत समिति खोली जाए।

(श्री हीरालाल)

निवाई में ट्रौमा हास्पिटल खोला जाए। मेरे यहां गाइनिकी, महिला डाक्टर नहीं है जिससे गरीब, मजदूर, एस सी, एस टी, माइनोरिटी और ओ बी सी के लोगों को, जिनकी डिलिवरी होनी है, निजी क्लिनिक में जाना पड़ता है, जो काफी महंगा होता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं चिकित्सा मंत्रीजी से मांग करूंगा कि मेरे निवाई में ट्रौमा अस्पताल और महिला चिकित्सक की नियुक्ति की जाएं।

निवाई विधान सभा क्षेत्र में कुछ जी एस एस, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री से निवेदन करता हूं, अपूर्ण पड़े हैं; बगड़ी, पहाड़ी है, नोहटा, सीजडा, जो अभी चालू नहीं हो पाये हैं। इससे जनता को, पिछले माह सरसों की फसल कटी, पानी की थोड़ी समस्या हुई।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करें अब आप।

श्री हीरालाल (निवाई): मेरी एक मुख्य मंत्रीजी से मांग है, विधि मंत्रीजी बैठे हैं, मेरे पीपलू उपखण्ड में म्यूनिसिपल कोर्ट खोला जाए।

मैं यह पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा कि मेरे क्षेत्र के लिए जो मैंने मांगें की हैं, वह माननीया मुख्य मंत्रीजी जब रिप्लाई दें तो इसमें...

श्री सभापति: धन्यवाद। आप विराजें।

श्री हीरालाल (निवाई): पहले नजरें इनायत रखें। ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी उम्मीद है। जय हिन्द, जय भारत। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री केसारामजी चौधरी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घण्टे और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टा और बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, 9 मार्च को राजस्थान के इस पवित्र सदन में हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री केसाराम चौधरी)

जो बजट रखा, वह राजस्थान के चहुंमुखी विकास और विकास की गति को तेज करने के लिए रखा है। उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। माननीय सभापति महोदय, इस जर्जर अर्थव्यवस्था की हालत में राजस्थान के अन्दर जो बजट रखा गया है, वह वास्तव में सराहनीय है। राजस्थान 2003-08 तक जिस विकास की राह पर बढ़ रहा था, उसको बीच में इन 5 साल के गैप में वापस 'बीमारू' प्रदेश की तरह अग्रेषित कर दिया। ऐसी हालत बना दी कि हर क्षेत्र के विकास में पिछड़ता गया।

गांधीजी ने सपना देखा था कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक सही मायनों में देश का विकास नहीं हो सकता। गांवों के विकास के लिए अभी-अभी जो चुनाव हुए हैं, उसमें पंचायत राज के त्रिस्तरीय चुनावों में सरपंच, समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य नये चुने गये हैं। उन नये चुने हुए प्रतिनिधियों को नियमों एवं कार्यों की जानकारी देने के लिए आगामी वर्ष में व्यापक प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है, जिससे पंचायती राज व्यवस्थित रूप से चलेगा। उनको पंचायत राज का ज्ञान सही मायने में होगा, तभी वे पंचायतों को सही ढंग से चला सकेंगे; नहीं तो आज की तारीख में पंचायत समिति सदस्य को सरपंच पंचायत में आने नहीं देता कि तुम्हारी समिति में जाओ, जिला परिषद के सदस्यों को समिति में नहीं आने देते कि आप अपने जिला परिषद में काम करो। इस तरह से प्रतिनिधियों को जो अपने कार्य का ज्ञान नहीं है, उसके लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम की जो घोषणा की है, उसकी मैं सराहना करता हूं। पंचायती राज, जो गांवों के विकास की मुख्य धारा है, उसका ज्ञान उनको होगा तो वे सही ढंग से काम कर पाएंगे।

राज्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली पंचायत राज संस्थाओं को जिला स्तरीय, पंचायत समिति स्तरीय और पंचायत स्तर पर अवार्ड देने की घोषणा माननीय वसुंधराजी ने की है। इसमें जो स्वयं के संसाधनों में वृद्धि करेंगी, बाल विवाह के रोकथाम के लिए भी जो कार्य करेंगी, इसके साथ ही 'स्वच्छ भारत' के अभियान में उल्लेखनीय कार्य करके अपनी पंचायत के अन्दर अच्छे कार्य जो करेंगे, जिला परिषद में जो करेंगे या पंचायत समिति में करेंगे, उन पंचायतों, जिला परिषदों और पंचायत समितियों में जो फर्स्ट, सैकंड और थर्ड आएंगी, उनके लिए इनाम की व्यवस्था की है। उनमें जिला परिषद में प्रथम आने पर 25 लाख रुपये, सैकंड जो आएगा उसको 15 लाख रुपये तथा थर्ड जो आएगा उसको 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा। पंचायत समिति स्तर पर जो पंचायत समिति प्रथम आएगी उसको 10 लाख, द्वितीय आएगी उसको 5 लाख

(श्री केसाराम चौधरी)

और तृतीय आएगी उसको 3 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। जिला स्तर पर जो पंचायत प्रथम आएगी उसको 3 लाख रुपये, सेकंड को 2 लाख और 1 लाख रुपया जो थर्ड आएगी उसको दिया जाएगा। इससे पंचायतों में काम करने के लिए गति आएगी। अवार्ड देने की जो घोषणा की है, उससे पंचायत राज सुदृढ़ होगा।

आगामी वर्ष पंचायती राज संस्थानों को 2,073 करोड़ 75 लाख रुपये के अनुदान का प्रबंध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों को 1,471 करोड़ रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा, जिससे पंचायतों के विकास की गति तेज होगी।

इसके साथ ही, गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना हमारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व शासन में चालू की गई थी मगर इस पूर्ववर्ती सरकार ने आते ही बंद कर दी। इससे गांवों में जो विकास कार्य जन भागीदारी से किये जा रहे थे, जैसे हमारे क्षेत्र में भामाशाहों द्वारा पैसे लगाकर, 30 प्रतिशत पैसा लगाकर, 70 परसेंट सरकार देगी, जिससे जो भी गांव में आवश्यकता के निर्माण कार्य होंगे वे पूरे हो सकेंगे। जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें 80 परसेंट सरकार देगी और 20 परसेंट जन भागीदारी से करके, इस तरह से गांवों का विकास निश्चित रुप से होगा।

सुराज संकल्प के तहत बी पी एल परिवारों के साथ अन्य चिह्नित वर्गों को भी आवासीय सुविधा योजनाबद्ध रूप से प्रदान करने का वादा किया गया था। राज्य में ऐसे वंचित वर्गों का चिह्नीकरण करके, मतलब बी पी एल परिवार के अलावा भी दूसरे वर्गों में भी गरीब परिवार के लोग रहते हैं, उनके लिए भी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 70 हजार रुपये का मकान बनाने के लिए जो घोषणा की है, उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूं।

सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम की जो घोषणा की गयी है, उसके तहत विधायक के नेतृत्व में ग्राम समुदाय की भागीदारी से साझा योजनाएं तैयार की जाएंगी और इस वर्ष एक आदर्श ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा। उस ग्राम पंचायत को जिस तरह से सांसद ग्राम योजना के तहत ग्राम की उन्नति की जाती है, उसी तरह से पंचायत का विकास करने के लिए मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत का चयन करके उसका चहुंमुखी विकास किया जायेगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जन-उपयोगी पक्के कार्य करने में अत्यधिक कठिनाई होती थी। उसमें मैटेरियल कंपोनेंट के लिए 50 करोड़ रुपये का कोष बनाने की घोषणा करके, नरेगा में जो काम होते हैं, उसमें पक्के कार्यों की असेट्स गांवों में तैयार होगी।

(श्री केसाराम चौधरी)

इसके साथ ही, जो गांवों में नरेगा का काम चलता है उसको कृषि से जोड़ा जाये; 50 परसेंट किसान दे और 50 परसेंट नरेगा के तहत मजदूरी दी जाए, ताकि किसानों की जो माली हालत खराब हो रही है उसमें भी सुधार हो सके और गांव की जनता को रोजगार भी मिल सके। नरेगा को कृषि से जोड़ने की मैं मांग करता हूं।

गांवों के विकास के लिए, खेती के विकास के लिए, किसानों को सिंचाई के लिए, जो जल राज्य से बाहर जा रहा है, उसको रोकने के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। राजस्थान में किसान वास्तव में तभी सफल हो सकता है, जब कि उसकी खेती के लिए उत्तम तरह के बीज, गुणवत्ता वाला बीज मिले, अच्छी जमीन हो और अच्छा खाद हो, और उसमें पानी की पूरी व्यवस्था हो जाए तो किसान की खेती कभी डूब नहीं सकती। राजस्थान में जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की कमी है, उससे उबारने के लिए राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट में प्रावधान किये हैं, उनकी मैं सराहना करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पंचायत स्तर पर जो तालाब थे, उनमें गांवों के तालाबों को 35 करोड़ की लागत से पूर्ण करवाया जाएगा। ऐसे तालाबों को जिनसे गांव के लोग और उनके पशु 12 महीनों तक पानी पीते हैं, उनमें 12 महीनों तक पानी रहता है, तो ऐसे तालाबों को अगर ठीक किया जाएगा तो उस गांव में पीने के पानी के लिए कुओं में रिचार्ज भी होगा और पानी की व्यवस्था होगी। इस योजना की मैं प्रशंसा करता हूं।

प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, पाली, जोधपुर, जालौर, करौली तथा बूंदी जिलों के लिए 90 करोड़ की लागत से 32 जलाशयों के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। 17 कार्यों को वर्ष 2015-16 में पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए 36 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। हमारे पाली को भी इसमें लिया है। इसके लिए हम मुख्य मंत्रीजी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही, 77 जलाशयों के जीर्णोद्धार के कार्य के लिए भी डी पी आर तैयार की जाएगी। उसमें मैं मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो धारिया बांध है, वह हमारी सरकार ने बनाया था, बाढ़ आने के कारण से वह फूट गया। इसी बजट में पुन: उस धारिया बांध को लिया जाए और उसका पुनर्निर्माण किया जाए, ऐसी मैं मांग करता हूं।

इसके साथ ही, 118 करोड़ रुपये की लागत से कोटा, बूंदी, टोंक, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में पक्के खालों का निर्माण किया जाएगा, जिससे जो सेम की समस्या है वह मिट जाएगी और पानी की बचत भी होगी और

(श्री केसाराम चौधरी)

बचा हुआ पानी दूसरे लोगों के काम आएगा। इसकी भी सराहना करना, अच्छी बात है।

भीलवाड़ा जिले के जैतपुरा में डैम की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण पर 21 करोड़ 44 लाख रुपये की घोषणा की गयी है। बारां गोपालपुरा तहसील किशनगंज सिंचाई परियोजना का पुनरुद्धार 20 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है।

बांसवाड़ा की माही परियोजना के विद्यमान नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण का कार्य आगामी तीन वर्षों में 110 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा, जिससे माही बजाज सागर से जवाई बांध में जो पानी आता है उसमें भी फायदा हो सकता है।

पशुपालन एवं डेयरी। पशुपालन में 200 उप-केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की जो घोषणा की है, उसमें मैं मेरे क्षेत्र के पिलावनी उप-स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। वहां पर भवन भी बना हुआ है और बिलकुल गांवों का सेंटर है, अत: रानी पंचायत समिति के पिलावनी ग्राम में पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात को अब समेटें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अभी तो शुरू किया है। हां, मैं कह रहा हूं, बहुत शार्ट में। (व्यवधान)

श्री सभापति: जितना जल्दी हो सके, आप समेट लें। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): नया उप-केन्द्र डूठारिया में बनाया जाए जिससे गांवों के लोगों को पशु-पालन में और डेयरी विकास में सहायता मिल सके। इन पशु-चिकित्सालय, ये जितने भी हैं, उनमें डाक्टर्स की कमी है, उनमें डाक्टर्स लगाये जाएं। नहीं तो, एक गाड़ी देकर, एक वैन ऐसी बनायी जाए, जिस तरह से मनुष्यों को ले जाने के लिए 108 की व्यवस्था है, उसी तरह से वह वैन जाकर उन पशुओं के गांवों में पहुंच जाए, टेलीफोन आने पर और उनका इलाज कर सके। ऐसी व्यवस्था पशुओं के लिए करनी चाहिए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपने इसमें छात्रावासों में सोलर लाइट्स एवं होम लाइट्स लगाने के सिस्टम की जो बात कही है, उसके लिए इन छात्रावासों में रहने वाले बच्चों के लिए सुविधा होगी, मगर इन छात्रावासों में जो भी इन बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, उनका पारिश्रमिक इतना कम है कि एक नरेगा के मजदूर से भी पैसे कम

(श्री केसाराम चौधरी)

मिलते हैं। इसलिए इनका पारिश्रमिक बढ़ाया जाए, ताकि इन बच्चों को सही तरीके से अच्छा भोजन बनाकर ये खिला सकें, ऐसी मैं मांग करता हूं।

प्राइमरी स्कूलों में, बीजोवा जोड़ में पुन: चालू करने की मांग करता हूं। बीजोवा जोड़ एक बिलकुल ही जंगल में आया हुआ है और उस जंगल में, 40 बच्चे उस गांव में हैं मगर आस-पास में चार-चार किलोमीटर, पांच-पांच किलोमीटर पर किसी गांव में स्कूल नहीं है। उन बच्चों को इस कांग्रेस राज में वहां पर सर्व शिक्षा के कैम्प लगाकर एक साल पढ़ाया, फिर उनको परीक्षा दिलाने के लिए दूसरी जगह पर ले गये। ऐसी सूरत में वहां पर प्राइमरी स्कूल खुलनी चाहिए। बच्चे आज भी परेशान हैं। छोटे-छोटे बच्चे, जंगल है पूरा और जंगल में से जाने के लिए, उनके रहने वाले, परिवार वाले लोगों को बहुत तकलीफ पड़ती है। इसलिए उस प्राइमरी स्कूल को वापस चालू करने की मांग करता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात, अब अपनी बात समाप्त करें आप।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, एक बात और। राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी महिला हैं और महिला होने के नाते हर जगह पर कालेज और आई.टी.आई. खोल रही हैं, मगर, मेरे क्षेत्र में, पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय नहीं है। अगर शहरों में जितने महाविद्यालय खोल रहे हो, कहीं भी खोल रहे हो तो शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे गांवों की पब्लिक शहरों में जाने को मजबूर हो रही है इसलिए मैं मांग करता हूं, महिला मुख्य मंत्री होने के नाते मेरे मारवाड़ जंक्शन में महिला महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं और इसी बजट में, माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि वे मारवाड़ जंक्शन में महिला महाविद्यालय, हमने जगह का भी रिजर्वेशन कर रखा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठ जाएं अब आप। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): दो मिनट, सर।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल मीणा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): साहब, ऐसा है, दो मिनट। दो मिनट।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब बैठें । अब आपकी ...(व्यवधान) श्री अमृतलाल मीणा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मुझे प्रदेश के उस सदन में बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा।

हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने 9 मार्च को 2015-16 का राजस्थान का बजट पेश किया तथा राज्य की गम्भीर चुनौतियों का सामना करते हुए, स्वीकार करते हुए, सत्य-निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ राजस्थान का बजट पेश किया। मैं इस अवसर पर हमारी यशस्वी माननीया मुख्य मंत्रीजी को तहे दिल से, हृदय से और सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सुराज संकल्प यात्रा के समय प्रदेश की जनता ने हमारी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, यशस्वी मुख्य मंत्रीजी के प्रति, हमारे सभी नेताओं के प्रति विश्वास करते हुए सदन में जो बहुमत दिया है, अटूट विश्वास जताते हुए भारी जनादेश दिया है।

मैं इस अवसर में हमारे पर्यटन मंत्रीजी और माननीया मुख्य मंत्रीजी को यह धन्यवाद देना चाहूंगा कि जयसमंद झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है राजस्थान में, उसका पर्यटन की दृष्टि से विकास कार्य हेतु जो राशि स्वीकृत की है, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को, पर्यटन मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही, यह झील काफी बड़ी है। अरावली पहाड़ियों के बीच में विद्यमान है; कई विदेशी पर्यटक आते हैं। इस जयसमंद झील के साथ हमारे महाराणा प्रताप की तृतीय राजधानी चावंड, हाड़ा रानी का क्षेत्र सलूम्बर और मेवाड़ काम्प्लेक्स को जोड़ दिया जाए। सन 1997 में हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी जब चावंड की, तृतीय राजधानी महाराणा प्रताप की, वहां पहुंचे तो उनकी समाधि स्थल का निर्माण किया गया। काफी खंडहर महल है, वह आज जर्जर अवस्था में है। माननीय सभापति महोदय, के माध्यम से मेरा माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि महाराणा प्रताप की भूमि को पूरा देश, विश्व मानता है और उस तृतीय राजधानी को सही तरीके से सवारा जाय। यही कहना है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जयसमंद झील में माही का पानी लाकर अगर भरा जाए तो पूरा मेवाड़ क्षेत्र, कई विधान सभा क्षेत्र, इस मीठे पानी के स्रोत से लाभान्वित होंगे पीने के काम में आयेगा। इस योजना को बहुत महत्वाकांक्षी योजना मानते हुए, हमारे यह पूरक बजट, इसमें शामिल किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी सरकार द्वारा इस बजट में तमाम मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, जल संसाधन, कृषि,

(श्री अमृतलाल)

सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, आदि पर पर्याप्त बजट स्वीकृत किया गया है। इनके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को तहेदिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।

यह बजट प्रदेश के हर गांव, ढाणी को सड़कों से जोड़ने वाला बजट है। दस हजार किलोमीटर से अधिक विभिन्न श्रेणियों में सड़कों का निर्माण करने वाला बजट है। दो हजार किलोमीटर की मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करने वाला बजट है। यह ढाई सौ से अधिक आबादी, 1,100 ढाणियों-मजरों में आगामी बजट में सड़कों का निर्माण करने वाला बजट है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो इस बजट में खनिज क्षेत्र में आवागमन की सड़कों का निर्माण करने का बताया है, वन क्षेत्रों में भी कई बस्तियां, ढाणी, मजरे एवं मोहल्ले हैं, उनमें भी प्रावधान किया जाए क्योंकि आये दिन हमारी सड़कों को निकालने की दिक्कत आ रही है।

माननीय सभापति महोदय, उदयपुर सम्भाग में राजसमन्द, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयसमंद झील और मानगढ़ धाम हेतु जो बजट में प्रावधान किया गया है, उसके लिए धन्यवाद है।

उदयपुर जिले को 400 के.वी. का नया ग्रिड सब-स्टेशन का, जोधपुर से उदयपुर नई लाइन बिछाने का और चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में राजकीय संग्रहालय विकास एवं नवीन बालिका खेल छात्रावास खोलने का, यह जनजाति क्षेत्र का एक अटूट बजट है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात अब सीमित करें।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): बस एक मिनट।

श्री सभापति: एक मिनट, हां।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से हर क्षेत्र में प्रत्येक जिले को और प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को इस बजट में कवर किया है, मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से पुन: यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जयसमंद झील को पानी के भरने को लेकर काफी समय से मांग है; महाराणा प्रताप की भूमि को शत-शत विकास करने की बात है और सलूम्बर क्षेत्र में जो दो राज्यों को जोड़ने वाली, तीन जिलों को जोड़ने वाली बाइ-पास की बरसों से मांग है, वे अगर हो जाती हैं तो काफी उस जनजाति क्षेत्र में एक वरदान सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने इस बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

9 मार्च को माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा इस राजस्थान की विषम परिस्थितियों के बाद भी जो बजट प्रस्तुत किया गया, वास्तव में बहुत ही एक सराहनीय बजट, सब विषय पर पूरे प्रदेश के हितों को ध्यान रखते हुए, आपने बजट प्रस्तुत किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, अपने क्षेत्र की जो डिमांड है उसके लिए आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सिंचाई के लिए इस बजट में माइक्रो प्रोजेक्ट, बूंद-बूंद पानी बचे, इस प्रकार का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। जहां तक पानी को नहीं रोका जाए, वहां तक वास्तव में न तो पेयजल, न सिंचाई, दोनों में पानी की बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि पूरे देश का एक प्रतिशत पानी इस राजस्थान में है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र और कोटा में सबसे महत्वाकांक्षी जो योजना है, वह वृहत् सिंचाई परवन योजना है, जिसकी लम्बे समय से मांग हाड़ौती क्षेत्र में रही है। पिछली कांग्रेस की सरकार द्वारा राजस्थान के मुख्य मंत्री सम्माननीय अशोक गहलोतजी और इस देश के जो इनके नेता थे, राहुल गांधी, उनके द्वारा उसका शिलान्यास करा दिया गया। उसके बाद उसका काम जब-जब हमने प्रश्न पूछा, तो जवाब मिला कि बहुत जल्दी इसका काम शुरू करा दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तीन जिले प्रभावित होते हैं और दिनोंदिन जिस प्रकार से पानी बैठता जा रहा है, फ्लोराइडयुक्त पानी है और पीने के पानी की बड़ी दिक्कत आ रही है, तो जल्दी ही इसका काम शुरू किया जाए।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा पूर्व में भी और वर्तमान में भी जिस प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं, वे वास्तव में सराहनीय हैं। इस प्रदेश की माली हालत देखते हुए जिस प्रकार का कर्जा लेना पड़ रहा था, उन सब चीजों को देखते हुए मैं यही चाहता हूं कि अच्छी गुणवत्ता की बिजली वास्तव में किसानों को मिले। मध्य प्रदेश में पूर्व में जिस प्रकार की अव्यवस्था थी और जो वहां पर जाल बिछा हुआ था, इस सारी स्थिति को देखते हुए राजस्थान में पूर्व में भी मुख्य मंत्रीजी ने एफ.आर.पी. लागू कर यहां की व्यवस्था सुधारी थी और वर्तमान में

(श्री नरेन्द्र नागर)

भी राजस्थान अपने पैरों पर निर्भर हो, इस प्रकार के मुख्य मंत्रीजी के द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही, वितरण की व्यवस्था के लिए 220, 132, 33 के.वी. के जी.एस.एस. सैंक्शन किये जा रहे हैं, ताकि वितरण की व्यवस्था अच्छी प्रकार से की जा सके।

साथ ही, पेयजल के लिए राजस्थान की सरकार द्वारा, माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा जिस प्रकार का बजट इस बार रखा गया है और जनता के द्वारा जनता जल योजना को दुरुस्त करने के लिए पूर्व में भी कितनी ही बार प्रश्न के माध्यम से हाउस में यह मुद्दा उठा है। यह जनता जल योजना वर्षों से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ी है जिसको ग्राम पंचायत भी ठीक नहीं करवा पा रही है। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इसके लिए 139 करोड़ 55 लाख रुपये का जो बजट दिया है, इससे जनता जल योजना जो लम्बे समय से पड़ी है वह निश्चित रूप से ठीक होगी और गांव के लोगों को पानी मिलेगा। साथ ही, हैण्डपम्पों के रख-रखाव के लिए भी जो 10 करोड़ रुपये माननीया मुख्य मंत्री जी ने दिये हैं वो भी एक सराहनीय कदम है।

साथ ही मैं माननीया मुख्य मंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछली बार जब 2003 से 2008 में मुख्य मंत्री थीं तो उन्होंने खानपुर को भीमसागर से पेयजल के लिए पानी उपलब्ध कराया था, परन्तु कुछ कमी के कारण और सीमेंट की लाइन बिछाने के कारण वह गर्मी में बार-बार फूटती थी, जिसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 16 करोड़ 88 लाख रुपये इसमें दिये हैं। इसके लिए उनको मेरी तरफ से और खानपुर क्षेत्र की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

इसके साथ ही माननीया मुख्य मंत्रीजी को एक विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि चाहे पी.पी.पी. मोड पर हो, चाहे किसी अन्य योजना में हो, पर सड़क निश्चित रूप से बननी चाहिए। पी.पी.पी. मोड पर इस बार जो सड़कें बनाई जाएंगी, उनमें दर्रा, अरणिया और खानपुर की 89 किलोमीटर की सड़क है, उनका इसमें प्रावधान रखा गया है और इस वित्तीय वर्ष में इस सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भी मैं माननीया, मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। पूर्व में भी आर एस आर डी सी द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र में मण्डावर, तीनधार और बकानी की जो सड़क की प्रमुख समस्या थी, उसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पूर्व में झालावाड़ में घोषणा की है। उसके लिए भी मैं क्षेत्र की जनता की ओर से माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

(श्री नरेन्द्र नागर)

साथ ही, गौरव पथ का जिक्र मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने किया है, मिसिंग लिंक का जिक्र भी माननीय सदस्यों ने किया है। तो निश्चित रूप से गौरव पथ और मिसिंग लिंक से पूरे विधान सभा क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी जिसके लिए भी मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

साथ ही, कृषि के क्षेत्र में जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा इस बार तीन कृषकों को राज्य स्तर पर अवार्ड दिया जायेगा और चयनित कृषकों को नयी कृषि की जानकारी के लिए देश-विदेश में भ्रमण कराया जायेगा। जैविक खेती, वास्तव में एक समय था जब लोग रासायनिक खाद डालने के लिए कतराते थे और, माननीय सभापति महोदय, आज इस प्रकार की स्थिति हो गयी कि रासायनिक खाद से कृषि की उर्वरक क्षमता बिलकुल खतम हो गयी और आज जमीन बंजर हो गयी। दिनों-दिन ऐसी स्थिति आ गयी कि उस पर, वास्तव में, खेती करना भी बिलकुल आसान नहीं रहा और उसमें दिनों-दिन पैदावार घटती जा रही है। माननीय प्रधान मंत्रीजी ने पूर्व में जो कृषि प्रशिक्षण के लिए भी किया है, कि किस प्रकार की आवश्यकता जमीन को है और कौनसी फसल के लिए रिकमंड होती है, ऐसे भी किसान ध्यान दें तो निश्चित रूप से किसानों का फायदा होगा।

कृषि के क्षेत्र के अलावा, शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार भी 2003 से 2008 में दसवीं के स्कूल हर पंचायत हैडक्वार्टर पर खोले गये और सीनियर स्कूल की इस बार सरकार ने घोषणा की। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में 30 परसेंट जनता, खानपुर की, झालावाड़ पी.जी. कालेज में पढ़ने जाती है, वहां के छात्र और छात्राएं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि झालावाड़ में सरकारी कालेज की स्थापना हो ताकि वहां बच्चियों को जो पढ़ने में दिक्कत आती है, वास्तव में परिवार कितना प्रभावित होता है, बच्चियों को पढ़ाने में पूरे परिवार को वहां रहना पड़ता है, अप-डाउन नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से बात पहुंचाना चाहता हूं कि बजट का जब रिप्लाई हो तब खानपुर में कालेज की घोषणा हो।

राजस्व विभाग के लिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्व विभाग में खानपुर में बकानी में तहसील की मांग हमेशा रही है। माननीय सभापति महोदय, पिछली बार सरकार के द्वारा बकानी पंचायत समिति में 25 पंचायतें होने के बाद और असनावर में 12 पंचायतें होने के बाद जिस प्रकार का

(श्री नरेन्द्र नागर)

दुर्व्यवहार किया गया, 12 पंचायतों में पिछली सरकार ने तहसील बना दी असनावर को और बकानी में, वास्तव में, जो 25 पंचायतें पड़ती हैं और राजस्व भी लगभग, छह आर.ओ. सर्किल पड़ते हैं और दो आर.ओ. सर्किल में तहसील बना दी। बकानी उप-तहसील को भी तहसील का दर्जा मिलना चाहिए।

साथ ही, झालावाड़ जिले में माननीया मुख्य मंत्रीजी के खुद के गृह क्षेत्र में एक रटलाई और एक सुनेल है, सुनेल में वास्तव में तहसील की आवश्यकता है और साथ ही रटलाई में भी उप-तहसील की आवश्यकता है। सुनेल को तहसील का दर्जा दिया जाए और रटलाई को उप-तहसील का दर्जा दिया जाए। इस प्रकार की भावना, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचाना चाहता हूं।

पर्यटन की दृष्टि से भी माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि गावड़ी तालाब, झालावाड़ का सौन्दर्यीकरण, झालावाड़ जिले की कोलवी बिंदायका, झालावाड़ में चन्द्रावती बावड़ी, जीर्णोद्धार के लिए, सौन्दर्यीकरण के लिए जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती अमृता मेघवाल।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

पहले तो मैं क्षमा चाहूंगी, अगर मुझसे कोई विधान सभा के नियमों का उल्लंघन हुआ है तो मैं क्षमा की प्रार्थी हूं।

वर्ष 2015-16 के बजट पर चर्चा करने का मौका मिला। सभापति महोदय, मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी ने साहसिक एवं चुनौतीपूर्ण बजट पेश किया है। यह बजट राज्य के विकास का उत्प्रेरक है तथा यह बजट विकास के नये मार्ग सुझाने वाला है। लेकिन प्रतिपक्ष के सदस्यगण राजस्थान के चहुंमुखी विकास एवं जन-कल्याणकारी बजट का बिना किसी आधार के विरोध कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैंने बजट को पूरा पढ़ा है; हो सकता है, सभी सदस्यगण के अनुभव से मेरा अनुभव कम होगा, परन्तु जिस प्रकार से मीडिया एवं पूरे राजस्थान की जनता में बजट को लेकर जो उत्साह देखा गया है, जरूर राजस्थान के विकास की गंगा बहेगी।

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

मानवीय सभापति महोदय, विगत सरकार द्वारा कहा जाता था कि खजाना खाली है परन्तु अब राजस्थान की जनता कहती है कि खजाना भरा हुआ है, क्योंकि जब से प्रदेश में अपनी सरकार का गठन हुआ है तब से सरकार गांवों के संग जा रही है। इससे यह संदेश मिल रहा है कि अब राजस्थान विकास के पथ पर चल पड़ा है। माननीया मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में राजस्थान में प्रत्येक आम आदमी व हर वर्ग की खुशहाली होगी क्योंकि यह बजट राजस्थान की दिशा और दशा को बदलने वाला बजट है।

सभापति महोदय, अब राजस्थान में विकास के नये आयाम स्थापित होने वाले हैं। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछेगा और बड़ी-बड़ी ग्राम पंचायतों में गौरव पथ का निर्माण हो रहा है।

सड़क परिवहन में ग्रामीण क्षेत्रों में 23 हजार निजी बसों के माध्यम से परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ष 2015-16 में 33 के.वी.ए. के 200 नये सब-स्टेशन स्थापित किये जायेंगे तथा किसानों को हाथों-हाथ कृषि विद्युत कनेक्शन मिलेंगे एवं उद्योगों को भी पर्याप्त बिजली मिलेगी।

पेयजल के सम्बन्ध में, अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में पांच लाख से अधिक हैण्डपम्प और 6,523 जनता जल योजनाओं को पंचायतों को सुपुर्द कर दिया गया है।

कृषि के क्षेत्र में, पंचायत समिति स्तर पर 248 एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 2,500 किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाया जा रहा है।

राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित 200 छात्रावास एवं 17 आवासीय विद्यालय आगामी वर्षों में सोलर स्ट्रीट लाइट एवं होम लाइट सिस्टम से जुड़ेंगे।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष 5,000 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है तथा उच्च तकनीकी शिक्षा में अनुसूचित जनजाति एवं देवनारायण योजना के अन्तर्गत बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण कर महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना लागू की है जो बालिका शिक्षा के लिए एक सराहनीय कदम है।

चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सालयों की मरम्मत के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान है। चिकित्सालयों में उपकरण हेतु 8.75 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

सभापति महोदय, मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आती हूं, वहां लोग पानी के लिए तरसते थे। हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी 2003 से पहले जब परिवर्तन यात्रा में पधारी थीं तो आम जनता व किसानों की हालत को देखकर नर्मदा का पानी पिलाने का वादा किया था और सत्ता में आते ही नर्मदा परियोजना पर कार्य शुरू भी किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि विगत सरकार ने इस परियोजना पर ध्यान नहीं दिया। माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने वापस सरकार बनते ही इस परियोजना की गति को आगे बढ़ाते हुए पिछले बजट में नर्मदा एफ.आर. पर लागत 303 करोड़ 38 लाख रुपये दिये थे और इस बजट में भी नर्मदा परियोजना पर जालौर शहरी परियोजना में बजट दिया है, जिस हेतु मैं पूरे जालौर की जनता की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश भिजवाये हैं कि सात बजे सदन स्थगित करना है। इसलिए आप अपने क्षेत्र की कोई मांग हो, तो सात बजे के पहले रख दें।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): सिर्फ दो मिनट।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यही आशा करूंगी कि मेरे क्षेत्र में, जिले में मैंने जो कृषि महाविद्यालय की मांग उठायी थी, उसको आप पूरा करेंगे। हमने चुनाव लड़ते समय जो वादे किये थे, उनको चार साल में पूर्ण करने की आशा मैं सरकार से रखूंगी और यही कहूंगी कि जालौर से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, उन पर भी खास ध्यान दिया जाये। यही मैं सरकार से आशा रखूंगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए टाइम दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय जय राजस्थान।

श्री सभापति: जो माननीय सदस्य आज बोलने वाले थे पर समय के अभाव में नहीं बोल पा रहे हैं, कल उनको बोलने का अवसर मिलेगा।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 12 मार्च 2015 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.00 बजे गुरुवार, दिनांक 12 मार्च 2015 के 11.00 बजे के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में शिक्षकों के रिक्त पद

122. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर में विभिन्न श्रेणी के सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य/अन्य शिक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पदों पर सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य/शिक्षक कार्यरत हैं? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने पदों पर व कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज जोधपुर में छात्र-छात्राओं के शैक्षिक हित को ध्यान में रखते हुए जब तक उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक गेस्ट फैकल्टी के जरिये शिक्षा अध्ययन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में विभिन्न संकायों में विभिन्न स्तर के शिक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में कुल कितने विभिन्न स्तर के शिक्षक/लेक्चरार/प्रोफेसर इत्यादि कार्यरत हैं? क्या सरकार रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में अशैक्षणिक कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं? क्या सरकार रिक्त पदों पर भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) एम.बी.एम. इंजीनिरिंग कालेज में स्वीकृत पदों का विवरण 1.3.2015 के अनुसार आचार्य के 24, सह-आचार्य 44, सहायक आचार्य 105, डेमोस्ट्रेटर 1 एवं ट्रेनिंग प्लेसमेंट आफिसर 1 के पद स्वीकृत हैं। उक्त

(उच्च शिक्षा मंत्री)

स्वीकृत पदों के विरुद्ध सह-आचार्य 3, सहायक आचार्य 56, डेमोस्ट्रेटर 1 कार्यरत हैं।

तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 6 (2) त.शि./2005 दिनांक 2.2.2006 (परिशिष्ट-अ) एवं क्रमांक प. 20(3) त.शि./2001, दिनांक 14.9.2004 (परिशिष्ट-ब) के द्वारा पदों को भरे जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। किन्तु विभिन्न भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। यह भी उल्लेखनीय है कि इंजीनियरिंग कालेज में शिक्षकों की योग्यता सम्बन्धी अध्यादेश 317 (4) में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर में छात्र-छात्राओं के शैक्षिक हितों को ध्यान में रखते हुए 66 (कार्यरत शिक्षक), 21 (सेवानिवृत शिक्षक) एंव 67 (स्ववित्तपोषित पाठयक्रम के तहत) अतिथि शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं

(3) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में विभिन्न संकायों में विभिन्न स्तर के पदों का विवरण परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 29.12.2010 (परिशिष्ट-द) के अनुसार 1.4.2010 के पश्चात सेवानिवृति से रिक्त हुए पदों को भरे जाने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई। शेष पदों को भरने की स्वीकृति हेतु विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।

(4) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में अशैक्षणिक संवर्ग में कुल 944 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध 680 कार्मिक कार्यरत हैं तथा 264 पद रिक्त हैं (परिशिष्ट-य)। इन पदों में से 135 सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद दिनांक 1.4.2010 के पश्चात् रिक्त हुए हैं जिन पर भर्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 29.12.2010 के (परिशिष्ट-द) अनुसार अनुमति है। शेष पदों को भरने की स्वीकृति हेतु विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।

पूर्व में भी राज्य सरकार द्वारा 1 परीक्षा नियंत्रक, 2 उप कुलसचिव एवं 5 सहायक कुलसचिव के रिक्त पदों को भरे जाने की अनुमति प्रदान की गई थी, परन्तु शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्तियों के सम्बन्ध में न्यायिक विवादों के चलते परीक्षा नियंत्रक, उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में यमुना नदी के बाढ़ के पानी को लाने की कार्य योजना

123. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को यमुना नदी से बाढ़ का पानी राजस्थान में लाने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन/पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो क्या और कब-कब? प्राप्त ज्ञापनों/पत्रों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त ज्ञापनों/पत्रों पर क्या कार्यवाही कब-कब की गई? की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त यमुना नदी से बाढ़ का पानी राजस्थान में लाने हेतु कोई योजना/प्रस्ताव बनाया गया है? यदि हां, तो क्या व कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार यमुना नदी से बाढ़ का पानी राजस्थान में लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और किस योजना के माध्यम से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यमुना से बाढ़ का पानी राजस्थान में लाने के सम्बन्ध में दिनांक 12.11.2014 को प्राप्त ज्ञापन/पत्र की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) ज्ञापन में उल्लेखित प्रस्ताव/सुझाव का परीक्षण कराया गया है। प्राप्त प्रस्ताव/सुझाव तकनीकी आधार तथा यमुना जल समझौते के अन्तर्गत आबंटित जल के उपयोग हेतु योजनाएं बना लिये जाने के कारण व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है।

(3) मानसून (जुलाई से अक्टूबर) के दौरान यमुना नदी से राजस्थान को आबंटित पानी लाने हेतु प्रस्तावित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) मानसून अवधि के दौरान आबंटित यमुना जल के उपयोग हेतु राज्य द्वारा बनाई गई योजनाओं को केन्द्रीय जल आयोग के द्वारा दिनांक 7.2.2003 को इस शर्त पर स्वीकृति प्रदान की गई कि इस हेतु हरियाणा सरकार की सहमति ली जाए। राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 14.2.2003 को एम.ओ.यू. हरियाणा सरकार को हस्ताक्षरार्थ प्रेषित किया गया परन्तु हरियाणा सरकार ने इस पर सहमति नहीं दी है। इस हेतु राज्य सरकार निरन्तर प्रयासरत है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने की कार्य योजना

124. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग विश्व धरोहर में शामिल है? यदि हां, तो विश्व धरोहर में शामिल होने के पश्चात् दुर्ग पर पर्यटन को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विश्व धरोहर में शामिल होने के पश्चात् यहां पर्यटकों के आवागमन में बढ़ोतरी हुई है किन्तु विभिन्न अव्यवस्थाओं यथा पेयजल, रोशनी, चिकित्सा, विशिष्ट अतिथि गृह, इत्यादि की सुविधा के अभाव के कारण अभी भी पर्यटक यहां से निराश हैं? यदि हां, तो क्या सरकार दुर्ग पर पर्यटकों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए उक्त समस्याओं का निराकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार पर्यटकों की मांग पर कुम्भलगढ़ दुर्ग फेस्टिवल की तर्ज पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग फेस्टिवल का आयोजन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण, भारत सरकार के अधीन है। जून, 2013 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के पश्चात् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2013 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विश्व धरोहर में शामिल होने के पश्चात् पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से पेयजल, रोशनी एवं जनसुविधाओं की सुविधा उपलब्ध है। चिकित्सा सुविधा हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। सम्पूर्ण दुर्ग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संरक्षित स्मारक होने के कारण उनके नियमानुसार पर्यटकों के लिए किले के अन्दर अतिथि गृह निर्माण कराना सम्भव नहीं है।

(पर्यटन राज्य मंत्री)

(3) पर्यटन विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रतिदिन पर्यटकों के लिए लाइट एंड साउण्ड शो का आयोजन किया जाता है। कुम्भलगढ़ फेस्टिवल की तरह ही चित्तौड़गढ़ फेस्टिवल के आयोजन के सम्बन्ध में पर्यटन विभाग में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

चित्तौड़गढ़ दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने के पश्चात् भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण, भारत सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण निम्नानुसार है :—

1. पर्यटकों के लिये शीतल पेय जल उपलब्ध कराना,
2. शौचालय बनाना,
3. बैठने के लिए बेंच लगाना,
4. सांस्कृतिक सूचना पट्ट लगाना,
5. पर्यटकों के आवागमन हेतु सुगम रास्ता उपलब्ध कराना।
6. संरक्षण के संदर्भ में विभिन्न स्मारकों पर संरक्षण कार्य करवाना।
7. मूर्तियों एवं भग्नाअवशेषों को व्यवस्थित रखने हेतु खुली मूर्तिशाला एवं चबूतरे का निर्माण।

चित्तौड़गढ़ दुर्ग यूनेस्कों की विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने के पश्चात् राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के फतेह प्रकाश महल में स्थित राजकीय संग्रहालय में कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :—

1. लकड़ी के शो-केसेज का निर्माण,
2. खिड़कियां एवं दरवाजे लगाने का कार्य,
3. छत की मरम्मत,
4. रंग-रोगन तथा महल के प्लीन्थ प्रोटेक्शन आदि कार्य।

अजीत सिंह
सहायक निदेशक

सरकार-आपके-द्वार कार्यक्रम में भरतपुर सम्भाग की प्राप्त शिकायतें

125. **श्री घनश्याम** (टोडाभीम) : क्या प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत एक वर्ष में भरतपुर सम्भाग का दौरा किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त दौरे के दौरान सरकार को विभिन्न शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गयी व नहीं, तो क्यों?

(2) वर्तमान में सरकार के पास कितनी शिकायतें लम्बित हैं तथा उनमें से करौली जिले की कितनी शिकायतें हैं व उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा दिनांक 9.2.2014 से 18.2.2014 तक भरतपुर सम्भाग का दौरा किया गया था। उक्त दौरे के दौरान सरकार को भरतपुर सम्भाग में कुल 31,274 शिकायतें प्राप्त हुई। इन शिकायतों में से दौरे के समय से अब तक 30,177 शिकायतों का सतत कार्रवाई करके निस्तारण किया गया है।

दौरे के दौरान भरतपुर सम्भाग के जिलों में प्राप्त एवं निस्तारित शिकायतों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	जिला	प्राप्त शिकायतें	शिकायतों का निस्तारण	लम्बित शिकायतें
1.	भरतपुर	13888	13660	228
2.	धौलपुर	6825	6658	167
3.	सवाई माधोपुर	5824	5633	191
4.	करौली	4737	4226	511
	कुल योग	**31274**	**30177**	**1097**

(2) वर्तमान में भरतपुर सम्भाग में सरकार-आपके-द्वार कार्यक्रम के दौरान प्राप्त शिकायतों में से कुल 1,097 शिकायतें लम्बित हैं। इनमें से करौली

(प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय मंत्री)

जिले की 511 शिकायतें हैं। करौली जिले की लम्बित शिकायतों का शिकायतवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-126

(स्थगित)

प्रदेश के ट्रोमा सेन्टरों में उपलब्ध सुविधाएं

127. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) व **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एक ट्रौमा सेन्टर पर किस-किस प्रकार के उपकरण सहित क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कुल कितने ट्रौमा सेन्टर स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने कार्यरत हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चिकित्सा संस्थानों पर आपातकालीन एवं दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को बेहतर आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ट्रौमा सेन्टर खोले जाते हैं। जिनमें 24 गुणा 7 आपातकालीन ओ पी डी/इन्डोर सुविधा, आपरेशन, गहन चिकित्सा इकाई, जांच सुविधा, ब्लड बैंक/स्टोरेज, आक्सीजन, एम्बूलेंस सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ट्रौमा सेन्टर पर चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के पदों का प्रावधान परिशिष्ट-'अ' पर एवं उपकरणों की स्थिति की सूचना परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में 56 ट्रौमा सेन्टर स्वीकृत हैं। संचालन की स्थिति सहित विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(विवरण व सूचना पुस्तकालय में रखे गये)

(प्रश्न संख्या-128-असूचीबद्ध)

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के पोषण हेतु संचालित योजनाएं

129. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हमीरसिंह भायल)

(1) प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के पोषण हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में उक्त योजनाओं का प्रभावी संचालन कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत कुपोषण के रोकथाम हेतु समस्त इच्छुक पंजीकृत आयु वर्ग 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं-

1. **पूरक पोषाहार कार्यक्रम**- योजनान्तर्गत आयु वर्ग 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. **सबला योजना**- योजना के तहत राज्य में पायलट आधार पर 10 जिलों, भीलवाड़ा, जोधपुर, बांसवाडा, उदयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर एवं श्रीगंगानगर को प्रथम चरण में चयनित किया गया है। भारत सरकार के आदेश दिनांक 27.9.2010 के क्रम में दिनांक 24.1.11 से राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (आर जी एस ई ए जी) सबला के अन्तर्गत राज्य की 11-14 वर्ष आयु की स्कूल नहीं जाने वाली तथा 15-18 वर्ष की सभी बालिकाओं को वर्ष में 300 दिवस निर्धारित मापदण्डानुसार पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है
3. **बारां जिले में सहरिया जनजाति के लाभान्वितों को अतिरिक्त पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने की योजना**- बारां जिले में कुपोषण की रोकथाम हेतु विशेष कार्य योजना के अन्तर्गत आयु वर्ग 6 माह से 6 वर्ष के समस्त कुपोषित शिशुओं सहित सहरिया गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं स्कूल नहीं जाने वाली सहरिया किशोरी बालिकाओं को माह दिसम्बर, 2012 से दोगुणा पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।
4. **उदयपुर जिले में कथौडी जनजाति के लाभान्वितों को अतिरिक्त पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने की योजना**- जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

द्वारा उदयपुर जिले की पंचायत समिति, कोटड़ा, झाडोल एवं गोगुन्दा में आदिवासी कथौड़ी जनजाति के लिए समग्र विकास योजना तैयार की गई है। योजनान्तर्गत जुलाई, 2013 से उक्त पंचायत समितियों में कथौडी जनजाति के लाभान्वितों को दोगुना पोषाहार दिया जा रहा है।

(2) जी हां। लाभान्वितों को विभागीय मापदण्डों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं। लाभान्वितों को वितरित किये जाने वाले पोषाहार का नियमित निरीक्षण/पर्यवेक्षण सम्बन्धित महिला पर्यवेक्षक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पूरक पोषाहार की गुणवत्ता की जांच/गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित जिले के उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पोषाहार गुण्वत्ता नियंत्रण समिति, पोषाहार के प्रबन्धों की देखरेख/समीक्षा हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पोषाहार प्रबन्धन समिति तथा पूरक पोषाहार की गुणवत्ता की जांच/गुणवत्ता नियंत्रण आदि हेतु नीति निर्धारण एवं समीक्षा हेतु अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार) मुख्यालय की अध्यक्षता में विभागीय स्तर पर समितियां गठित की हुई हैं।

चौमूं पुलिस थाने में जाप्ता कम होने के कारण अपराधों में वृद्धि

130. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना चौमूं में आबादी के अनुपात में पुलिस जाप्ता बहुत कम है?

(2) क्या यह भी सही है कि पर्याप्त जाप्ता उपलब्ध नहीं होने व रिक्त पद होने के कारण आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो वर्ष 2011 से दिसम्बर, 2014 तक पुलिस थाने में दर्ज मुकदमों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार थाने का जाप्ता व रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य के पुलिस थानों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शहर पुलिस थाने में 60 एवं ग्रामीण पुलिस थाने में 45 पुलिस कर्मियों की नफरी

(गृह मंत्री)

स्वीकृत है। पुलिस थाना चौमू में उक्त मापदण्ड के अनुसार स्वीकृत नफरी 59 है। पुलिस थाना चौमूं में मौजूदा नफरी 43 एवं अतिरिक्त जाप्ता 76 है, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। पुलिस थाना चौमूं में वर्ष 2011 से दिसम्बर, 2014 तक दर्ज मुकदमों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। वर्ष 2011 से 2013 तक आपराधिक प्रकरणों में वृद्धि हुई है, जबकि वर्ष 2014 में आपराधिक प्रकरणों में कमी आई है।

(3) जी हां। पुलिस आयुक्तालय जयपुर में विभिन्न पदों की योग्यात्मक परीक्षाओं की कार्यवाही एवं कानिस्टेबल के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	नाम थाना	पद	स्वीकृत नफरी	मौजूदा नफरी	कमी नफरी	अतिरिक्त जाप्ता
1	चौमूं	पुलिस निरीक्षक	1	1	0	0
2		उप निरीक्षक पुलिस	2	2	0	0
3		स. उ. नि.	12	7	5	0
4		हैड कानि.	8	3	5	0
5		कानि.	36	30	6	0
6		होमगार्ड	0	0	0	32
7		आर.ए.सी.	0	0	0	26
8		यातायात	0	0	0	3
9		प्रशिक्षु कानि.	0	0	0	15
		योग	**59**	**43**	**16**	**76**

वर्ष 2014 में नई चौकी, हाइवे मोबाइल लगाने व अपराधियों की धरपकड़ से तथा अधिक से अधिक निरोधात्मक कार्यवाही करने से वर्ष 2014 में वर्ष 2013 की तुलना में 160 आपराधिक प्रकरणों की कमी आई है।

वर्ष 2011 से दिसम्बर, 2014 तक दर्ज मुकदमों का विवरण

क्र. सं.	अपराध शीर्षक	वर्ष	दर्ज मुकदमा	चालान	एफ. आर.	पेण्डिंग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	हत्या	2011	2	1	1	0
		2012	1	0	1	0
		2013	4	1	3	0
		2014	1	1	0	0
2	हत्या का प्रयास	2011	5	5	0	0
		2012	1	1	0	0
		2013	4	1	3	0
		2014	6	2	3	1
3	डकैती	2011	0	0	0	0
		2012	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
		2014	0	0	0	0
4	लूट	2011	5	1	4	0
		2012	1	0	1	0
		2013	1	1	0	0
		2014	0	0	0	0
5	व्यपहरण/अपहरण	2011	9	2	7	0
		2012	10	2	8	0
		2013	9	1	6	2
		2014	17	2	13	2
6	बलात्कार	2011	1	1	0	0
		2012	6	3	3	0

1	2	3	4	5	6	7
		2013	5	3	2	0
		2014	4	1	2	1
7	बलवा	2011	0	0	0	0
		2012	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
		2014	0	0	0	0
8	नकबजनी	2011	23	8	15	0
		2012	24	3	21	0
		2013	15	0	15	0
		2014	7	1	6	0
9	चोरी	2011	84	10	74	0
		2012	86	19	67	0
		2013	117	19	98	0
		2014	85	15	68	2
10	अन्य भादस	2011	402	216	186	0
		2012	549	234	314	1
		2013	556	218	331	7
		2014	430	140	227	63
11	**योग**	**2011**	**531**	**244**	**287**	**0**
		2012	**678**	**262**	**413**	**3**
		2013	**711**	**231**	**461**	**19**
		2014	**550**	**162**	**319**	**69**

मेज नदी से रामगढ़ बांध में पानी लाने की कार्य योजना

131. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि AIDP योजना के अन्तर्गत मेज नदी एनिकट (चम्बल नदी) से पानी लिफ्ट करके जयपुर जिले के रामगढ़ बांध तक पानी लाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो प्रस्तावित कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त योजना की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वैचारिक रूप से यह प्रस्ताव परिकल्पित किया गया था।

(2) परियोजना वैचारिक स्तर पर परिकल्पित होने से techno-economical सर्वे पश्चात् डी.पी.आर. तैयार करने सम्बन्धी निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

चौहटन के धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास

132. श्री तरुण राय कागा (चौहटन) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार चौहटन विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित प्राचीन पांडवों की तपोभूमि जहां सुहंया महादेव, विरात्रा माता, वर माता कपालेश्वर, डूंगरीपुरी मठ विश्व प्रसिद्ध स्थानों को पर्यटन केन्द्र बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिए सरकार द्वारा कब तक सर्वे करवा लिया जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा चौहटन कस्बे के नजदीक रेत के धौरों में गत दो-तीन वर्ष पूर्व थार महोत्सव का आयोजन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया गया था, जिसमें देशी एवं विदेशी पर्यटकों द्वारा भाग लिया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः ऐसे महोत्सव के आयोजनों का विचार रखती है?

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग में वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पर्यटन विकास कार्य कराये जाते हैं।

(पर्यटन राज्य मंत्री)

(2) वर्ष 2012 में दिनांक 13.2.2012 को थार महोत्सव के अन्तर्गत चौहटन कस्बे के नजदीक रेत के धोरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें देशी-विदेशी पर्यटकों की सहभागिता रही थी। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यटन विकास समिति, बाड़मेर द्वारा भविष्य में थार महोत्सव के आयोजन का निर्णय प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में गलत वी सी आर की राशि लौटाने की कार्य योजना

133. **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर बिजली की चोरी रोकी/पकड़ी जाती है? यदि हां, तो गत छह माह में चोरी की कितनी वी सी आर भरी गईं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) चोरी की वी सी आर से निगम को कितनी नकद राशि प्राप्त हुई तथा कितनी राशि उपभोक्ता से वसूल करना शेष है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने किसानों की गलत वी सी आर भरने का पैसा लौटाने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा कितने किसानों की कितनी राशि लौटाई जानी शेष है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बिजली की चोरी/दुरुपयोग की जांच करना एक सतत प्रक्रिया है। कई बार अधिक विद्युत छीजत वाले क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाता है। विद्युत वितरण निगमों द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान गत 6 माह में विद्युत चोरी की भरी गई वी सी आरों का जिलेवार/वृत्तवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त विद्युत चोरी की वी सी आरों से निगम को प्राप्त राशि व उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शेष राशि का जिलेवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) किसानों की विद्युत भार वृद्धि की भरी गयी वी सी आर्स के मामलों में राज्य सरकार एवं राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार विवादित वी सी आर्स का पैसा लौटाने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत जयपुर डिस्काम द्वारा 6,921 प्रकरणों में 255.59 लाख रुपये की राशि क्रेडिट की गई है, जिसका जिलेवार विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

प्रपत्र-अ

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान गत 6 माह में विद्युत चोरी की भरी गयी, वीसीआर्स, वसूली गयी राशि एवं उपभोक्ता से वसूल करना शेष राशि का जिलेवार/वृत्तवार विवरण

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्र. सं.	जिला/वृत्त का नाम	विद्युत चोरी की भरी गयी वीसीआर्स	राजस्व वसूली (लाख रु.)	उपभोक्ता से वसूल करना शेष राशि (लाख रु.)
1	जयपुर शहर	542	72.12	17.71
2	जयपुर जिला	5329	709.58	91.64
3	दौसा	2970	133.00	283.00
4	करौली	738	8.87	168.53
5	अलवर	6009	239.32	419.96
6	भरतपुर	3715	60.09	522.92
7	धौलपुर	2157	58.96	177.60
8	सवाई माधोपुर	1918	17.23	204.41
9	टोंक	3049	92.88	400.11
10	कोटा	3586	110.81	213.55
11	बून्दी	1940	31.29	177.24
12	झालावाड़	1543	18.61	115.26
13	बारां	2623	13.57	276.08
14	के.स.द.	593	70.44	242.18
	TOTAL	**36712**	**1636.77**	**3310.19**

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्र. सं.	जिला/वृत्त का नाम	विद्युत चोरी की भरी गयी वीसीआर्स	राजस्व वसूली (लाख रु.)	उपभोक्ता से वसूल करना शेष राशि (लाख रु.)
1	अजमेर	1119	168.35	193..17
2	भीलवाड़ा	2744	288.00	203.17
3	नागौर	2257	201.14	245.04
4	झुन्झुनूं	3520	208.61	308.44
5	सीकर	3706	339.90	443.88
6	चित्तौड़गढ़	1522	54.47	258.62
7	प्रतापगढ़	716	32.38	99.97
8	बांसवाड़ा	613	47.46	85.48
9	डूंगरपुर	961	80.97	64.30
10	राजसमंद	792	125.12	55.54
11	उदयपुर	1337	199.21	235.87
12	के.स.द.	545	82.94	67.54
	TOTAL	**19832**	**1828.55**	**2261.02**

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्र. सं.	जिला/वृत्त का नाम	विद्युत चोरी की भरी गयी वीसीआर्स	राजस्व वसूली (लाख रु.)	उपभोक्ता से वसूल करना शेष राशि (लाख रु.)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	जोधपुर	833	192.73	280.40
2	जालौर	167	104.60	109.25
3	पाली	236	137.58	66.31

1	2	3	4	5
4	सिरोही	30	54.76	60.84
5	बाड़मेर	194	65.82	232.60
6	जैसलमेर	277	62.19	98.28
7	बीकानेर	1482	165.80	565.52
8	हनुमानगढ़	780	90.42	112.11
9	श्रीगंगानगर	1810	118.66	188.10
10	चूरू	766	39.84	180.90
12	के.स.द./जोनल	548	122.29	264.14
	TOTAL	**7123**	**1154.69**	**2158.45**

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)
जयपुर डिस्काम, जयपुर

प्रपत्र- ब

Statement Showing District wise position of refund advices against wrong VCR's delivered to consumers upto 1st week of Mar. 2014

Sr. No.	**Name of District**	**Credit allowed**	
		No. of Cases	**Rs. In lacs**
1	**2**	**3**	**4**
Jaipur Discom			
1	Jaipur	3838	116.94
2	Alwar	776	40.84
3	Bharatpur	331	12.21
4	Karuali	413	9.74
5	Tonk	113	1.64
6	Sawai Madhopur	60	3.53
7	Dausa	40	1.61
8	Dholpur	98	2.99
9	Kota	189	11.08

1	2	3	4
	Jaipur Discom		
10	Bundi	135	3.08
11	Baran	265	10.40
12	Jhalawar	663	41.54
	Total	**6921**	**255.59**
	Jodhpur Discom		
1	Jodhpur	702	66.71
2	Pali	78	2.7
3	Sirohi	19	1.64
4	Barmer	226	13.01
5	Jalore	739	54.16
6	Jaisalmer	54	9.14
7	Bikaner	423	45.44
8	Sriganganagar	76	3.48
9	Churu	78	12.92
10	Hanumangarh	225	10.79
	Total	**2620**	**219.99**
	Ajmer Discom		
1	Ajmer	111	4.09
2	Bhilwara	28	1.15
3	Nagaur	8928	527.92
4	Banswara	187	7.67
5	Pratapgarh	149	3.4
6	Chittorgarh	269	15.79
7	Udaipur	58	4.54
8	Rajsamand	6	0.23
9	Jhunjhunu	1255	59.02
10	Sikar	1167	68.34
	Total	**12158**	**692.15**
	Grand Total	**21699**	**1167.73**

सिकराय के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की योजना

134. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) : क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विद्यालय क्रमोन्नत करने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? क्या सरकार ऐसे विद्यालय जो काफी समय से क्रमोन्नत नहीं हुए हैं, उन्हें क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में क्रमोन्नत विद्यालयों में सभी मूलभूत सुविधाएं यथा अध्यापक, भवन, फर्नीचर एवं शौचालय उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में 55 उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 25 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) विद्यालय क्रमोन्नति नियम की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा संख्या 153 के अनुसार राज्य में 5,000 ग्राम पंचायतों पर चरणबद्ध रूप से रा मा वि को रा उ मा वि में क्रमोन्नत किया जा चुका है। अन्यों को वित्तीय संसाधन की उपलब्धता एवं निर्धारित मापदण्डों के गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सिकराय में क्रमोन्नत सभी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं यथा भवन, फर्नीचर एवं शौचालय उपलब्ध हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है। सिकराय क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में अध्यापकों की स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है। रिक्त पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने तथा पंचायती राज विभाग द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक उपलब्ध होने पर ही उक्त रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(सूचियां व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

बहरोड़ में संचालित स्वास्थ्य केन्द्र

135. **डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप-स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने पद स्वीकृत हैं? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के अन्तर्गत 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, 1 मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, 5 एड पोस्ट एवं 75 उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। उक्त चिकित्सा संस्थानों के नामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, एड पोस्ट एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के स्वीकृत पदों का पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। पदोन्नति के रिक्त पदों को डी एसी पी (चिकित्सकों)/ विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे। चिकित्सा अधिकारी के 1,115 रिक्त पदों पर नवनियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। विधान सभा क्षेत्र बहरोड में चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची के शेष चिकित्सकों की नियुक्ति के समय यथा सम्भव प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे। अराजपत्रित संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को विभागीय स्तर पर की जाने वाली भर्ती अथवा स्थानान्तरण के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की कार्य योजना

136. **श्री कैलाश भंसाली** (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कैलाश भंसाली)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की सिफारिश केन्द्र सरकार को नहीं की गई है? यदि हां, तो जोधपुर को स्मार्ट सिटी में सम्मिलित नहीं किये जाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विषय पर पुनर्विचार कर जोधपुर का नाम स्मार्ट सिटी के लिए केन्द्र सरकार को भिजवाये जाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की सिफारिश केन्द्र सरकार को नहीं की गई है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.9.2014 एवं 27.1.2015 को केन्द्र सरकार को स्मार्ट सिटी हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, पुष्कर, माउण्ट आबू, भिवाड़ी, बीकानेर, अजमेर (पुष्कर एवं किशनगढ़ को सम्मिलित करते हुए), कोटा, उदयपुर, अलवर एवं भीलवाडा शामिल थे।

(2) प्रस्ताव पूर्व में दो बार प्रेषित किया जा चुका है एवं केन्द्र सरकार के निर्णयाधीन है।

पाली जिले में संचालित मिशन महिला पूर्ण शक्ति कार्यक्रम के प्रेरकों का बकाया मानदेय

137. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में मिशन महिला पूर्ण शक्ति कार्यक्रम कब-कब से गांव में चल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यक्रम चलने के बाद किस-किस योजना में क्या-क्या प्रगति हुई? गांव वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यक्रम में कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं, प्रेरकों एवं अन्य पदाधिकारियों का कितनी-कितनी अवधि का, कितना-कितना मानदेय, किन-किन कारणों से दिया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इनका बकाया मानदेय का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी अवधि में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में मिशन पूर्ण शक्ति कार्यक्रम का शुभारम्भ 16 सितम्बर, 2011 को किया गया था। ग्रामवार कार्यक्रम संचालन का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त कार्यक्रम के चलने के बाद जनवरी, 2015 तक 2,42,394 महिलाओं को विभिन्न योजनाओं/सेवाओं से लाभान्वित किया जा चुका है। ग्रामवार प्रगति का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत 264 कार्यकर्ताओं/ग्राम समन्वयकों का मई, 2014 से मानदेय बकाया चल रहा है। भारत सरकार की योजना होने से भारत सरकार से बजट प्राप्त नहीं होने के कारण मानदेय नहीं दिया जा सका है।

(4) जी हां। दिनांक 18.02.2015 को भारत सरकार द्वारा 80 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है जो विभागीय खाते में पाली को हस्तांतरित की जा चुकी है। दिनांक 31 मार्च, 2015 से पूर्व इनके मानदेय का भुगतान कर दिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर के साकेत नगर में नये पुलिस थाने की स्थापना

138. श्री शंकरसिंह (ब्यावर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर शहर के पुलिस थानों में स्टाफ की कमी के कारण चोरी, लूटपाट और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं में इजाफा हुआ है?

(2) क्या सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं पर रोकथाम के लिए साकेत नगर-ब्यावर में एक नया पुलिस थाना खोलने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार ब्यावर के पुलिस थानों में स्टाफ की कमी की पूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) ब्यावर शहर के पुलिस थाना कोतवाली (चौकियों सहित) में एक उप निरीक्षक, नौ सहायक उप निरीक्षक, 19 कानि. के पद रिक्त हैं। ब्यावर शहर में चोरी, लूटपाट, छेड़छाड़ की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

(गृह मंत्री)

(2) जिला अजमेर के ब्यावर शहर में पुलिस चौकी साकेत नगर को थाने में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। नये थानों का सृजन आवश्यकतानुसार एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत किया जाता है।

(3) नये थानों का सृजन आवश्यकतानुसार एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत किया जाता है

परिशिष्ट "अ"

ब्यावर शहर के थाना कोतवाली में चोरी, लूट एवं छेड़छाड़ के प्रकरणों का विवरण

वर्ष	चोरी	लूट	छेड़छाड़
2012	74	0	08
2013	111	1	12
2014	151	2	17

निवाई (टोंक) में महाविद्यालय हेतु भवन का निर्माण

139. श्री हीरालाल (निवाई): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई कस्बे में राजकीय महाविद्यालय की स्वीकृति जारी की गयी थी? यदि हां, तो कब? स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालय खोलने हेतु भू-आबंटन व भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय के लिए अभी तक जमीन का आबंटन नहीं किया गया है? यदि हां, तो अब कब तक जमीन का आबंटन कराकर भवन निर्माण करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त महाविद्यालय में कितने पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) जिला कलक्टर, टोंक के आदेश क्रमांक 1457 दिनांक 4.3.2015 द्वारा उक्त महाविद्यालय हेतु कस्बा निवाई, तहसील निवाई, जिला टोंक में स्थित खसरा नम्बर 3503/4 में से 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि आबंटित कर दी गई है। भूमि आबंटन आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। भवन निर्माण हेतु 3.00 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। जिला कलक्टर, टोंक द्वारा 4.3.15 को 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि महाविद्यालय हेतु नि:शुल्क आबंटित कर दी गई है। प्रति परिशिष्ट -2 पर संलग्न है। भवन निर्माण की कार्यवाही यथाशीघ्र की जायेगी।

(4) राजकीय महाविद्यालय, निवाई में स्वीकृत, भरे हुए एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड से चयनित कार्मिक उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में बांधों की भूमि पर अतिक्रमण

140. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में 1 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार कुल कितने एवं कौन-कौन से बांध थे? उक्त बांधों का क्या क्षेत्रफल एवं भौगोलिक स्थिति थी व प्रत्येक बांध का जल स्तर क्या था? क्या 1 जनवरी, 2001 को किसी बांध पर कोई अतिक्रमण था? यदि हां, तो कौन-कौन से बांध पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) 1 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में कितने एवं कौन-कौन से बांध हैं तथा उक्त बांधों का वर्तमान क्षेत्रफल एवं भौगोलिक स्थिति क्या है तथा जल स्तर कितना है? प्रत्येक बांध के जल स्तर सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में अधिकांश बांधों की भूमि पर अतिक्रमण है? यदि हां, तो वर्तमान में किस-किस बांध पर कितनी-कितनी भूमि पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(4) सरकार द्वारा अप्रैल, 2009 से वर्तमान तक किस-किस बांध की कितनी-कितनी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में एक जनवरी 2001 को कुल 2307 बांध थे। बांधों के नाम, भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल एवं 1 अगस्त 2001 को प्रत्येक बांध का जल स्तर सहित सम्भागवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। 1 जनवरी 2001 को केवल दो बाधों पर अतिक्रमण था। विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में 1 जनवरी 2015 को कुल 734 बांध है इन बांधो का वर्तमान क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति एवं 1 अगस्त 2014 में बांधो का जल स्तर (गेज) का सम्भागवार विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में केवल दो बाधों पर अतिक्रमण है। बांधो एवं बाधों के जल भराव क्षेत्र व बहाव क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों द्वारा किये गये अतिक्रमणों का विवरण परिशिष्ट-'स' एवं 'स'-1 पर संलग्न है।

(4) सरकार द्वारा अप्रैल 2009 से वर्तमान तक बाधों के बहाव एवं भराव क्षेत्र से अतिक्रमण मुक्त करवाई गई भूमि का बांधवार विवरण परिशिष्ट-'द' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उर्स एवं पुष्कर मेले में व्यय राशि

141. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अजमेर उर्स मेले एवं पुष्कर मेले में सरकार द्वारा क्या-क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं? गत तीन वर्षों में उक्त मेलों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? मेले अनुसार पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा उर्स मेले एवं पुष्कर मेले में की जाने वाली व्यवस्थाओं का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है। गत तीन वर्षों में उर्स मेले तथा पुष्कर मेले पर व्यय की गई राशि का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 'स' एवं 'द' पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

उर्स मेले पर जिला प्रशासन, अजमेर द्वारा की जाने वाली मुख्य व्यवस्थाऐं निम्नानुसार हैं:—

1. मेला प्रारम्भ होने के 5-6 दिवस पूर्व 2 प्रशासनिक कैम्प स्थापित कर सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनादगी।
2. कायड विश्राम स्थली तथा ट्रान्सपोर्ट नगर विश्राम स्थली पर जायरीनों की सुविधा हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए प्रभारी अधिकारियों/ पटवारियों की तैनादगी तथा अस्थाई टैंट, लाइट एवं माइक की व्यवस्थाऐं।
3. जुमे की नमाज व कुल की रस्म के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना।
4. मेले के दौरान आने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटक स्वागत केन्द्र तथा पर्यटक सूचना केन्द्र, रेलवे स्टेशन पर मेले सम्बन्धी व अन्य जानकारी उपलब्ध कराना।
5. मेले के दौरान शहर में विशेष सफाई कार्य, सूचनापट्टों का निर्माण एवं रंगरोगन, अस्थाई शौचालयों का निर्माण।
6. धानमण्डी से निजामगेट तक बेरिकेडिंग की व्यवस्था।

परिशिष्ट ''ब''

पुष्कर मेले पर जिला प्रशासन, अजमेर द्वारा की जाने वाली मुख्य व्यवस्थाऐं निम्नानुसार है :—

1. मेले के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना।
2. मेले के दौरान आने वाले यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं यथा पेयजल, जनसुविधाएं तथा सुगम यातायात व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था आदि उपलब्ध कराना।
3. मेला क्षेत्र में पशुपालकों व उनके पशुओं के लिए पेयजल, विद्युत रोशनी, नि:शुल्क उपचार एवं टीकाकरण की व्यवस्था।
4. उद्‍घाटन एवं समापन समारोह का आयोजन।
5. मेला मैदान में विकास प्रदर्शनी का आयोजन।
6. गीर एवं संकर नस्ल प्रदर्शनी का आयोजन।
7. खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन।
8. मेले में आने वाले पशुओं की आमद संख्या ज्ञात करना तथा पशुओं के क्रय-विक्रय की राशि व अन्य आंकड़े जुटाना।

9. मेला मैदान स्थित स्टेज पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना।
10. विभिन्न पशु व पर्यटक रूचि की प्रतियोगिता का आयोजन एवं विजेताओं को नकद पारितोषिक व प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण-पत्र देना।
11. पर्यटकों की सुविधा हेतु अस्थाई पर्यटक सूचना केन्द्रों की स्थापना।
12. मेले के प्रचार-प्रसार हेतु फ्लायर एवं हैण्डबिल मुद्रण-वितरण एवं बैनर फ्लैक्स तैयार कर लगवाने के अलावा मुख्यालय स्तर से विभिन्न प्रिन्टर व इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर विज्ञापन कर प्रचारित करना।
13. शिल्पग्राम में हस्तशिल्प मेले का आयोजन।
14. ऐतिहासिक भवनों पर रोशनी

अजीत सिंह
सहायक निदेशक

परिशिष्ट "स"

गत तीन वर्षों में उर्स मेलों पर राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	वर्ष	व्यय राशि लाख में
1.	2012	120.52
2.	2013	100.02
3.	2014	92.39

परिशिष्ट "द"

गत तीन वर्षों में पुष्कर मेलों पर राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	वर्ष	व्यय राशि लाख में
1.	2012	83.49
2.	2013	88.17
3.	2014	89.42

अजीत सिंह
सहायक निदेशक

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में अफीम एवं डोडा पोस्त की खेती पर प्रतिबंध

158. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में डोडा चूरे का नशा करने वालों की संख्या लाखों में है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नशेड़ियों की संख्या में कमी करने हेतु कोई उपाय नीति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र के आधार पर डोडा चूरा खरीदने की व्यवस्था को पूर्णत: बंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में अफीम एवं डोडा पोस्त की खेती को प्रतिबंधित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में परमिट धारी डोडा पोस्त व्यसनियों की संख्या 20,923 है। गैर परमिट धारी व्यसनियों के बारे में आबकारी विभाग के पास अनुप्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

व्यसनियों की संख्या में कमी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से 'नया सवेरा' कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 17 जिलों में कुल 212 नशा मुक्ति शिविर लगाये जाने हैं। इसमें से फरवरी, 2015 तक 97 शिविर लगाये जा चुके हैं तथा शेष शिविर वित्तीय वर्ष के अन्त तक लगाये जावेंगे।

(2) भारत सरकार के निर्देश दिनांक 7.3.2012 के अनुसार डोडा पोस्त का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2015 से बंद किया जाना तय किया गया था, जिसे भारत सरकार के आदेश दिनांक 19.2.2015 द्वारा दिनांक 31.3.2016 तक बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार के आदेश दिनांक 19.2.2015 की प्रति परिशिष्ट-'1' पर उपलब्ध है।

(3) अफीम एवं डोडा पोस्त की खेती की अनुमति भारत सरकार के नारकोटिक्स विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के स्तर पर डोडा पोस्त की खेती को प्रतिबंधित करने का निर्णय नहीं किया जाता है।

परिशिष्ट-1

F. No. N-616/01/2003-NC-I

Government of India

Ministry of Finance

Department of Revenue

Room No. 48-C, North Block

New Delhi, 19th February, 2015

ORDER 3 UNDER SECTION 74 A OF NDPS ACT, 1985.

Subject : Directions to State Government under section 74 A of the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985-Licensing and permitting the possession, transport, import interstate, export inter-state, warehousing, sale, purchase, consumption and use of poppy straw-extension of date of plough in back beyond 31.03.2015 regarding.

In exercise of the powers conferred on Central Govt. under section 74 A of the NDPS Act, 1985, this Department had issued instructions vide order of even No. dated 30.11.2009 and 07.03.2012 to the State Governments in the matter of licensing/permitting activities related to poppy straw in the respective States. As per Para 4 of the order dated 07.03.2012, the quantity of poppy straw to be provided to the addicts was required to be progressively reduced so as to ensure that after 31.03.2015, there would be no addicts requiring poppy straw. It was further stated that no poppy straw will be allowed to be used for de-addiction after 31.03.2015 and it shall only be ploughed back into the field under the supervision of a nodal officer.

2. This Department has received references from State Governments of Rajasthan and Madhya Pradesh one the issue citing the difficulties on various counts to be faced by State Government after expiry of deadline on 31.03.2015. The State Government of Rajasthan has requested inter-alia for extension of the deadline of plugging back of poppy straw beyond 31.03.2015, since a large number of poppy straw addicts in the State of Rajasthan are yet to be de-addicted.

3. The matter has been examined in this Ministry and it has been decided to extend the deadline of 31.03.2015 Mantioned in the order dated 07.03.2012 by ojne year beyond 31.3.2015 i.e. till 31.03.2016 for all the three poppy cultivating States. It is further stipulated that all efforts should be made by the State Authorities for complete elimination of the addicts during this extended period as no further extension of the deadline will be given.

(Rajesh Nandan Srivastava)

Commissioner In-charge (Narcotics Control)

Tel No : 011-23092686

जानकी विहार आवासीय योजना (जयपुर) के भूखण्डों का नियमन

159. श्री रतन लाल जलधारी (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्यामपुरी गृह निर्माण समिति लि. द्वारा जयपुर-अजमेर रोड स्थित हीरापुरा पावर हाउस के पीछे "जानकी विहार" नामक आवासीय योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना में स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार कुल कितने आवासीय भूखण्ड थे? स्वीकृत ले- आउट प्लान सहित आबंटित भूखण्डधारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है और क्या ज वि प्रा द्वारा भूखण्डों की नियमन राशि जमा कराने के लिए कैम्प आयोजित किये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब, किस-किस ब्लाक में? उक्त कैम्प में किस-किस भूखण्ड धारक ने कितनी-कितनी नियमन राशि जमा कराई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के ब्लाक जी का कैम्प अभी तक भी नहीं लगाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त ब्लाक के भूखण्डधारी संख्या जी 23 एवं जी 24 के द्वारा पट्टा चाहने हेतु दिनांक 20 नवम्बर, 2012 एवं 17 दिसम्बर, 2014 को पत्रावली प्रस्तुत की गई थी, जो उक्त कालोनी की मूल पत्रावली के साथ संलग्न है? यदि हां, तो उन्हें अब तक पट्टा जारी क्यों नहीं किया गया? अब कब तक पट्टा जारी कर दिया जाएगा? क्या यह भी सही है कि उक्त भूखण्डों के पीछे के भाग में वहां के निवासी द्वारा तारबंदी आदि के द्वारा अस्थायी अतिक्रमण किया हुआ है? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण कब तक हटा दिया जायेगा?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी में सार्वजनिक जन सुविधाएं जैसे सड़क, नालियां, सीवर लाइन, रोड लाइट, पार्क, स्कूल, चिकित्सालय, पेयजल, परिवहन, आदि का अभाव है? यदि हां, तो उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्यामपुरी गृह निर्माण समिति लि. द्वारा जयपुर-अजमेर रोड स्थित हीरापुरा पावर हाउस के पीछे "जानकी विहार" नामक आवासीय

(स्वायत्त शासन मंत्री)

योजना बनाई गई थी। पूर्व में श्यामपुरी गृ.नि.स.स.लि. द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार योजना मानचित्र अनुमोदित किया गया था। अनुमोदित योजना मानचित्र अनुसार उक्त योजना में कुल 402 भूखण्ड सृजित हैं। स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रति (परिशिष्ट-1) पर, भूखण्डधारियों की सदस्यता सूची (परिशिष्ट-2) पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त योजना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों की नियमन/आबंटन राशि जमा करने के लिए दिनांक 04.10.2013 को, आबंटन पत्र जारी करने हेतु तथा 21.10.2014 (ए व बी ब्लॉक), 22.10.2014 (सी व डी ब्लाक) व 28.10.2014 को (ई.एफ. एवं जी ब्लाक) नियमन शिविर आयोजित किये गये थे। आयोजित कैम्पों में भूखण्डधारियों द्वारा राशि जमा कराने के लिए संधारित पंजिका की प्रति (परिशिष्ठ-3) पर संलग्न है, जिसके अनुसार कुल राशि 3,09,88,345/- रुपये कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा हुए हैं।

(3) यह सही नहीं है। उक्त योजना में ब्लाक ए व बी का शिविर दिनांक 21.10.2014, ब्लाक सी व डी का 22.10.2014 तथा ब्लाक ई, एफ व जी का दिनांक 28.10.2014 को शिविर लगाया जा चुका है, किन्तु उक्त योजना के ब्लाक "जी" बाबत सहकारी समिति द्वारा कुछ भूखण्डों के जारी पट्टा विलेख व अनुमोदित योजना मानचित्र में भिन्नता होने के कारण प्रभावित भूखण्डों के पट्टा विलेख जारी नहीं किये गये हैं।

(4) जी हां। यह सही है कि उक्त ब्लाक के भूखण्डधारी संख्या जी-23 एवं जी-24 के द्वारा पट्टा चाहने हेतु पत्रावली दिनांक 20.11.2012 को कार्यालय उपायुक्त जोन-7 में प्रस्तुत की गई थी, जो यू.ओ. नोट क्रमांक जविप्रा/जोन-7/2013/डी-833 दिनांक 5.3.2013 (परिशिष्ट-4) द्वारा कार्यालय उपायुक्त जोन-7 से कार्यालय उपायुक्त जोन-17 में प्रेषित की गई, जो कार्यालय में जानकी विहार योजना की मूल पत्रावली के साथ संलग्न है। उस समय माननीय उच्च न्यायालय की रोक के कारण पृथ्वीराज क्षेत्र के अन्तर्गत नियमन नहीं किया जा रहा था, जिसकी सूचना प्रार्थी को पत्र क्रमांक जविप्रा/उपा-17/2013/डी-540 दिनांक 15.3.2013 (परिशिष्ट-5) द्वारा दी जा चुकी है। दिनांक 17.12.2014 को उक्त के क्रम में कार्यालय उपायुक्त जोन-17 में संधारित रिकार्ड के अनुसार कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। भूखण्ड

(स्वायत शासन मंत्री)

संख्या जी-23 व जी-24 बाबत सहकारी समिति द्वारा जारी पट्टा विलेख व अनुमोदित योजना मानचित्र में भिन्नता होने के कारण पट्टा विलेख जारी नहीं किये गये हैं। श्यामपुरी गृ.नि.स.स.लि. द्वारा सम्पूर्ण ब्लाक "जी" का संशोधित रिकार्ड/योजना मानचित्र जोन कार्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार अनुमोदित योजना मानचित्र में संशोधन करने के उपरान्त ही उक्त भूखण्डों का पट्टा जारी किया जाना सम्भव होगा। भूखण्ड संख्या जी-23 एवं जी-24 के पीछे पूर्व में प्रवर्तन अधिकारी जोन-17 के यू.ओ. नोट क्रमांक डी-44 दिनांक 3.4.2014 (परिशिष्ट-6) के अनुसार अतिक्रमण दिनांक 2.4.2014 को हटा दिया गया था। पुन: वर्तमान में मौके मुआयना करने पर पाया गया कि उक्त भूखण्डों के पीछे रिक्त भूमि बाबत कब्जाधारी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जगदम्बा नगर डी आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या 580 ई के सहकारी समिति द्वारा जारी पट्टे की प्रति (परिशिष्ट-7) उपलब्ध करवाई गई, जो कि अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है।

(5) जी नहीं। इस कालोनी में नियमित भाग में डब्ल्यू.बी.एम. सडकों का कार्य किया जा चुका है व जून 2015 तक उक्त (डब्ल्यू.बी.एम.) सडकों का डामरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। नाली निर्माण हेतु प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर नाली निर्माण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में स्कूल, चिकित्सालय निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है। उक्त कालोनी व आस पास के क्षेत्र में मुख्य सीवर लाइन अर्थात् डिस्पोजल नहीं होने के कारण आन्तरिक सीवर लाइन नहीं डाली गई है।

उक्त कालोनी पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में स्थित है। पृथ्वीराज नगर में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। उक्त क्षेत्र में पेयजल कार्य जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा किया जाना है व ज व्रि प्रा द्वारा मुख्य पाइपलाइन व आधारभूत संरचनाओं के लिए प्रारम्भिक निर्णयानुसार पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ज वि प्रा द्वारा राशि रुपये 240.00 करोड़ की हिस्सा राशि दी जायेगी। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त रुपये 240.00 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। निर्णयानुसार प्रथम किश्त की स्वीकृत राशि रुपये 60.00 करोड़ जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष राशि विस्तृत पेयजल परियोजनाओं की

(स्वायत्त शासन मंत्री)

स्वीकृति व जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध कराई जानी है।

इस कालोनी में नियमित भाग में स्वीकृत पार्कों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है एवं पार्क विकास हेतु अग्रिम कार्यवाही प्रगति पर है।

इस कालोनी में नियमन शिविर दिनांक 21.10.2014 से 28.10.2014 के बीच लगाये गये हैं। इस कालोनी में रोड लाइट का कार्य अतिशीघ्र करवा दिया जायेगा।

(प्रतियां व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

बदनपुरा ग्राम तहसील जयपुर के खसरा नं. 172 के भूमि अर्जन

160. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24(2) के प्रावधानों के लागू होने के कारण ग्राम बदनपुरा तहसील व जिला जयपुर के खसरा नम्बर 172 की जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा भूमि अर्जन हेतु की गई कार्यवाही व्यपगत हो गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान के अन्तर्गत भी उक्त खसरा नम्बर 172 की भूमि के अर्जन की कार्यवाही 20 वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात् भी प्रतिकर का भुगतान सम्बन्धित को न करने अथवा न्यायालय में जमा नहीं करवाने के कारण व्यपगत हो गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि खसरा नम्बर 172 ग्राम बदनपुरा तहसील जयपुर इकोलोजिकल जोन में आता है? यदि हां, तो उक्त खसरे का मानचित्र सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की जल महल योजना में ग्राम बदनपुरा के खसरा नम्बर 170 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 172

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा का संयुक्त रूप से अवार्ड दिनांक 24.11.1995 को घोषित किया जाकर 11,57,875/- रुपये का मुआवजा निर्धारण किया गया। अवार्ड की प्रति परिशिष्ठ "अ" पर संलग्न है। अवाप्त भूमि का कब्जा बाइपास रोड में आ रही भूमि को छोड़कर शेष भूमि का कब्जा दिनांक 8.11.2001 को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संभाला गया। कब्जा फर्द की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

ग्राम बदनपुरा के खसरा नम्बर 172 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि मय ब्याज रुपये 14,98,738/- चैक संख्या 012824 दिनांक 4.3.2015 को इस न्यायालय के रेफरेन्स क्रमांक 757-760 दिनांक 04.03.2015 के द्वारा माननीय सिविल जज जयपुर महानगर जयपुर के यहां जमा करवायी जा चुकी है। पत्र की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

जी नहीं। भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के अन्तर्गत भूमि अर्जन हेतु कार्यवाही व्यपगत बाबत स्थिति विधिक परीक्षण उपरान्त ही स्पष्ट हो सकेगी।

(2) जी नहीं। इसके लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अवाप्ताधीन भूमि का सर्वे करवाकर भुगतान सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाधीन होने में समय लगा।

(3) जी हां। मानचित्र की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

पृथ्वीराज नगर योजना की आवासीय कालोनियों का नियमन

161. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पृथ्वीराज नगर योजना, जयपुर के नियमन करने हेतु सरकार द्वारा गृह सहकारी निर्माण समितियों/विकास समितियों से सम्बन्धित कालोनियों के रिकार्ड मांगे गये थे? यदि हां, तो अब तक कौन-कौनसी गृह निर्माण सहकारी समिति/विकास समितियों द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में रिकार्ड प्रस्तुत कर दिया गया है? जोनवार गृह निर्माण सहकारी समितियों/विकास समितियों के नाम, रिकार्ड पेश किये जाने की तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगदीश नारायण)

(2) क्या यह भी सही है कि पृथ्वीराज नगर योजना के अन्तर्गत आने वाली कालोनियों के नियमन हेतु निर्धारित मानदण्डों में छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो सम्बन्धित मानदण्ड़ों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के नियमन हेतु जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों/विकास समितियों ने अपने रिकार्ड प्रस्तुत कर दिये हैं, सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई? जोनवार की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार पृथ्वीराज नगर योजना में आने वाली जिन कालोनियों के रिकार्ड गृह निर्माण सहकारी समितियों/विकास समितियों ने प्रस्तुत नहीं किये हैं, उन कॉलोनियों के नियमन हेतु भूखण्डधारियों से रिकार्ड लेकर नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि उक्त योजना में कतिपय कालॉनियों में 70 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में आवास निर्माण हो चुके हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी कालोनियों के नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि 70 प्रतिशत से अधिक बसी हुई कालोनियों के नियमन हेतु सुविधा क्षेत्र के निर्धारित मानदण्डों में छूट देकर नियमन किए जाने हेतु भी सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो निर्देशों/आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समिति/विकास समिति द्वारा पृथ्वीराज नगर जोन-16, 17, 18 व 19 में प्रस्तुत योजनाओं की जोनवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.6(15)नविवि/3/87/पार्ट दिनांक 20.9.2013, 30.9.2014 व 20.10.2014 में मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उपायुक्त जोन-16, 17, 18, 19 की जोनल स्तरीय कमेटी द्वारा योजना के रिकार्ड का परीक्षण उपरान्त दिनांक 10.10.2014 से शिविर आयोजित कर कैम्प तिथि पर पात्र भूखण्डधारियों को लीज डीड जारी की जा

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

रही है। दिनांक 10.10.2014 से आदिनांक तक लीज डीड जारी किये गये भूखण्डों की संख्या की सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी हां। पृथ्वीराज नगर योजना में आने वाली जिन कालोनियों के रिकार्ड गृह निर्माण सहकारी समितियों/विकास समितियों ने प्रस्तुत नहीं किये हैं, उन कालोनियों के नियमन हेतु राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.6(15) नविवि/3/87/पार्ट दिनांक 20.10.2014 के बिन्दु संख्या-6 के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति सूचना का प्रकाशन करवाये जाने के पश्चात् विकास समिति/भूखण्डधारियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं मौके की स्थिति को ध्यान में रखकर ले-आउट प्लान, सदस्यता सूची का निर्धारण कर पट्टे जारी करने की कार्यवाही की जायेगी।

(5) ज.वि.प्रा. सहकारिता प्रकोष्ठ में जोनवाइज जो योजनाएं प्राप्त हुई है तथा जिन योजनाओं का नियमन किया गया है, की जोनवार सूचना परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है। नियमन की गई इन योजनाओं में 70 प्रतिशत से अधिक निर्माण नहीं पाया गया। शेष योजनाओं के परीक्षण की कार्यवाही विचाराधीन है। अत: शेष रही योजनाओं में 70 प्रतिशत से अधिक निर्माण के बारे में परीक्षण के पश्चात ही कार्यवाही हो सकेगी।

(6) जी नहीं। सरकार द्वारा इस प्रकार के कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

(सूची, प्रति व सूचना पुस्तकालय में रखी गयीं)

एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी का नियमन

162. श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (खण्डार) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के रिकार्ड में उपलब्ध अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार जोन-5 की उदय नगर-बी आवासीय योजना की दक्षिणी सीमा व एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी आवासीय योजना की उत्तरी सीमा एक ही हैं तथा उक्त योजनाओं के दक्षिणी-उत्तरी सीमा पर स्थित भूखण्डों में एक दूसरी योजनाओं की भूमि का समायोजन किया गया है?

(2) जब जयपुर विकास प्राधिकरण के रिकार्ड में उपलब्ध मानचित्रों के अनुसार सेक्टर-5 की उदय नगर-बी आवासीय योजना जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-5 में आती है तथा जोन-5 अपने पत्र व्यवहार में लगातार स्वीकारता है कि पृथ्वीराज नगर की अधिसूचित सीमाएं राजस्थान सरकार के

(श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल)

दिनांक 12 जुलाई, 1984 के राजपत्र में प्रकाशित हुई हैं, से एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी आवासीय योजना बाहर है, तो फिर क्यों इस योजना का रिकार्ड 20-25 वर्षों के उपरांत जोन-5 से जोन-18 में भेजा गया है?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम मान्यावास के खसरा नं. 29/203 एवं 29/219 का भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं हुआ है तथा न ही किसी न्यायालय में जमा कराया गया है? क्या नये भूमि अवाप्ति अधिनियम, 2013, जो दिनांक 1 जनवरी, 2014 से प्रभावी है, की धारा 114 के अनुसार भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 समाप्त हो गया है, तो नये भूमि अवाप्ति अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के अनुसार उक्त भूमि अब अवाप्त भूमि की श्रेणी में नहीं आती है? यदि हां, तो फिर क्यों व किस नियम की अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम मान्यावास की खसरा नं. 29/203 एवं 29/219 की भूमि अभी भी अवाप्त भूमि बताई जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। योजना उदय नगर-बी की दक्षिणी सीमा एवं एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी की उत्तरी सीमा एक ही हैं। उक्त योजनाओं के दक्षिणी-उत्तरी सीमा पर स्थित भूखण्डों में एक दूसरी योजनाओं की भूमि का समायोजन नहीं किया गया है।

(2) योजना उदय नगर-बी आवासीय योजना जोन-पुनर्गठन आदेश क्रमांक : प.14(26)जविप्रा/संस्था/98 दिनांक 18.1.2003 से पूर्व जोन-5 में आती थी, जिसका नियमन कैम्प दिनांक 19.10.1999 को लग चुका है। उक्त योजना नगर निगम को हस्तान्तरित की जा चुकी है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। पृथ्वीराज नगर की अधिसूचित सीमाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 12.7.1984 के अनुसार एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी योजना पृथ्वीराज नगर से बाहर थी, लेकिन उक्त योजना की भूमि के खसरा नं. 29/203 एवं 29/219 ग्राम मान्यावास तहसील सांगानेर की भूमि पृथ्वीराज नगर योजना की अवाप्ति में सम्मिलित थी। जिसकी अवाप्ति से सम्बन्धित धारा-4 की विज्ञप्ति दिनांक 6.1.1988 को तथा धारा-6 की विज्ञप्ति दिनांक 31.7.1989 को एवं राज्य सरकार से अवार्ड दिनांक 29.6.1991 को अनुमोदन होकर प्राप्त हो चुका था, किन्तु उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण अवार्ड की घोषणा नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय के

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

निर्णय के पश्चात् अवार्ड दिनांक 18.5.1996 को घोषित हो चुका है, अर्थात् अवाप्ति सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्त योजना की भूमि को पृथ्वीराज नगर योजना से मुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी पी.आर.एन. के अन्तर्गत आती है। उक्त योजना जोन पुर्नगठन आदेश दिनांक 18.1.2003 के अनुसार (परिशिष्ट "ब") जोन-5 के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण उक्त योजना की पत्रावलियां उपायुक्त जोन-18 को भिजवा दी गई है। बी.पी.सी. (एल.पी.) की 225वीं बैठक दिनांक 13.2.2005 के अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-26 (मास्टर प्लान) पर लिये निर्णय से भी एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी को जोन-5 के क्षेत्राधिकार से बाहर जोन-18 के क्षेत्र का भाग माना है। निर्णय की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि ग्राम नन्द किशोरपुरा उर्फ मान्यावास की अवाप्ति बाबत पृथ्वीराज नगर योजना के अवार्ड के मुकदमा नम्बर 593/88 में खसरा नम्बर 29/203 एवं 29/219 का दिनांक 18.5.1996 को अवार्ड घोषित किया गया है। इस अवाप्त भूमि का कब्जा दिनांक 24.11.1993 एवं संशोधित कब्जा फर्द दिनांक 3.2.2012 को प्राप्त किया जाकर ज वि प्रा के प्रतिनिधि को सम्भलाया गया है। इस अवाप्त भूमि के मुआवजे का भुगतान न तो हितधारी को किया गया है एवं न ही माननीय सिविल न्यायालय में जमा करवाया गया है। भूमि अवाप्ति अधिनियम, 2013 की धारा-114 तथा धारा 24 (2) के प्रावधानों के संदर्भ में विधिक परीक्षण उपरान्त ही भूमि के अवाप्ति में होने या न होने की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

लाजपत नगर, जगतपुरा की आवासीय कालोनियों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव

163. **श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लाजपत नगर, जगतपुरा, जयपुर आवासीय कालोनी का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन कर दिया गया है? यदि हां, तो नियमन के पश्चात् उक्त आवासीय कालोनी में विकास हेतु अब तक जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा क्या योजना बनाई गई व क्या-क्या विकास कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पूरणमल सैनी)

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त आवासीय योजना में अब तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो सड़क निर्माण नहीं करवाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त आवासीय योजना में पक्की सड़क निर्माण करवाने हेतु टेण्डर जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब व अब तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा उक्त आवासीय योजना में पक्की सड़क निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां। लाजपत नगर, जगतपुरा, जयपुर आवासीय कालोनी का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन कर दिया गया है। लाजपत नगर में आन्तरिक विकास शुल्क के पेटे आदिनांक तक मात्र राशि रुपये 45,000/- जमा है, फिर भी इस योजना में सीवर लाइन डालने का कार्य करवा दिया गया है व सड़क निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

(2) जी हां। उक्त आवासीय योजना में चूंकि सीवर लाइन डालने का कार्य चल रहा था, अत: कोई सड़क निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है।

(3) जी हां। उक्त आवासीय योजना में सडक निर्माण कराने हेतु बिड सूचना दिनांक 1.1.2015 को जारी की गई थी, जिसे खोलने की दिनांक 3.2.2015 थी, परन्तु उक्त तारीख तक कोई भी निविदा प्राप्त ना होने के कारण उक्त बिड को निरस्त कर दिया गया। दिनांक 5.2.2015 को पुन: निविदा आमंत्रित कर दिनांक 4.3.2015 को निविदा प्राप्त कर ली गई है। अत: नियमानुसार अब कार्य सम्पादित करवा दिया जायेगा।

(4) इस योजना हेतु राशि रुपये 61.84 लाख की वित्तीय स्वीकृति सड़क निर्माण हेतु जारी की गई है, जिसकी निविदा प्राप्त की जा चुकी है। निविदा में कार्य की अवधि 3 माह रखी गयी है। अत: नियमानुसार कार्य सम्पादित करवा दिया जावेगा।

रूप नगर, आगरा रोड (जयपुर) में विकास कार्य करवाये जाने की योजना

164. **श्री केसाराम चौधरी** (मारवाड़ जंक्शन) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री केसाराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निजी आवासीय योजनाओं का अनुमोदन किया जाता है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों की प्रति सहित दी जाने वाली विशेष छूट का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा माह जुलाई, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक पृथ्वीराज नगर की आवासीय कालोनियों के अतिरिक्त किस-किस योजना के अनुमोदन हेतु कब-कब कहां-कहां शिविर लगाये गये? माहवार एवं तिथिवार आयोजित शिविरों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर आगरा रोड पर भी किसी आवासीय योजना के नियमन हेतु शिविर लगाया गया था? यदि हां, तो किस-किस तिथि को एवं कौन-कौन सी योजना का नियमन किया गया?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में रूप नगर आवासीय योजना का भी नियमन किया गया था? यदि हां, तो नियमन के समय उक्त योजना में किस-किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं एवं कौन-कौन सी सुविधाएं कितने समय में उपलब्ध करवाई जानी थीं? उपलब्ध सुविधाओं एवं दी जाने वाली आवश्यक सुविधाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त योजना रूप नगर के भूखण्डधारियों के भूखण्ड संख्या एवं नाम, पता एवं आवासीय योजना के अनुमोदित नक्शे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त रूप नगर आवासीय योजना के सीवरेज, पेयजल आपूर्ति, रोड लाइट एवं अन्य विकास कार्य करवा दिये गये हैं? यदि हां, तो उनका निरीक्षण जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा कब किया गया? यदि नहीं, तो अब कब तक निरीक्षण करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निजी आवासीय योजनाओं के अनुमोदन मे विशेष छूट नहीं दी जाकर, राज्य सरकार द्वारा जारी टाउनशिप पालिसी-2010 एवं नियमों के अन्तर्गत ही अनुमोदन किया जाता है। स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की टाउनशिप पालिसी-2010 एवं अधिसूचना दिनांक 31 मई, 2012 की प्रतियां परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न हैं।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा माह जुलाई, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक पृथ्वीराज नगर की आवासीय कालोनियों के अतिरिक्त योजनाओं के अनुमोदन हेतु लगाये गये जोनवार शिविरों की तिथि, स्थान माहवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर आगरा रोड पर आवासीय योजनाओं के नियमन हेतु लगाये गये जोनवार शिविरों का तिथि एवं योजनावार विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) जी हां। रूप नगर आवासीय योजना निजी खातेदारी योजना है। रूप नगर आवासीय योजना का शिविर दिनांक 12.9.2014 को आयोजित किया गया था। नियमन के समय उक्त योजना के रिकार्ड अनुसार किसी प्रकार की सुविधाएं योजना में उपलब्ध नहीं थीं। प्राधिकरण द्वारा योजना विकसित करने हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 4.1.2003 के अनुसार विकासकर्ता द्वारा किये जाने वाले कार्यों को सुचीबद्ध किया गया हैं, जो परिशिष्ट-5 पर है। विकासकर्ता को जारी मांग पत्र दिनांक 10.06.2014 के अनुसार आन्तरिक कार्यों के पूर्ण रूपेण विकास की सुनिश्चितता के सम्बन्ध में विक्रय योग्य 12.5 प्रतिशत भूखण्ड जिनका क्षेत्रफल 0.65 हैक्टेयर जयपुर विकास प्राधिकरण को रहन रखे गये हैं। टाउनशिप पालिसी-2010 के अन्तर्गत विकासकर्ता के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 28.6.2010 के बिन्दु संख्या-5 अनुसार एवं निर्धारित समय में उपलब्ध करवाई जानी थी। टाउनशिप पालिसी के भाग बिन्दु संख्या-5 की प्रति परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है। निजी विकासकर्ता द्वारा वर्तमान में आंतरिक ग्रेवल सड़कें, बाहरी विद्युतीकरण के लिए बिजली के खम्भे, 8 इंच बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई हुई है एवं दी जाने वाली आवश्यक सुविधाओं का विवरण टाउनशिप पालिसी के भाग बिन्दु संख्या-5 परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है।

(5) रूप नगर के भूखण्डधारियों के भूखण्ड संख्या एवं नाम, पता एवं आवासीय योजना के अनुमोदित नक्शे की प्रति परिशिष्ट-'6' पर संलग्न है।

(6) जी नहीं। उक्त योजना का नियमन वर्ष 2014 में किया गया था एवं टाउनशिप पालिसी-2010 के अनुसार पेयजल सम्बन्धित प्रथम चरण के कार्य विकासकर्ता द्वारा करवाये जाने हैं एवं क्षेत्र में आउटफाल सीवर उपलब्ध नहीं होने के कारण ज वि प्रा द्वारा सीवर के कार्य नहीं कराये गये हैं। सीवर के

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)
कार्य सम्पूर्ण समीपस्थ क्षेत्र में पेयजल की मापदण्डानुसार उपलब्धता एवं तकनीकी फिजीबिलिटी को ध्यान में रखते हुए करवाया जाना प्रस्तावित है।

उक्त योजना निजी खातेदारी योजना है। रोड लाइट का कार्य निजी खातेदार द्वारा ही करवाया जाता है। उक्त योजना की आन्तरिक सड़कों पर रोड लाइट नहीं लगी हुई हैं। अधिशासी अभियन्ता विद्युत द्वारा दिनांक 26.9.2014 को निरीक्षण किया गया था।

उक्त योजना में अधिशासी अभियन्ता-10 ए द्वारा दिनांक 1.1.2015 के मौका निरीक्षणानुसार वर्तमान में आंतरिक ग्रेवल सड़कें, बाहरी विद्युतीकरण के लिए बिजली के खम्भे, 8 इंच बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई हुई है। पी.डब्ल्यू.सी. की 57वीं बैठक दिनांक 14.10.2009 में लिये गये निर्णयानुसार विकासकर्ता/निजी खातेदार द्वारा विकसित की जाने वाली योजनाओं में ज वि प्रा द्वारा किसी भी प्रकार का आन्तरिक विकास कार्य नहीं कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

विधान सभा आवासीय योजना, धोलाई का नियमन

165. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की विधान सभा आवासीय योजना ग्राम धोलाई मानसरोवर जयपुर किन-किन खसरा नम्बरों पर है? खसरा नम्बर वार व मय नक्शा के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में उक्त आवासीय योजना पर स्थगन आदेश है? यदि हां, तो यह आदेश किस-किस खातेदार के द्वारा ले रखा गया है तथा कौन-कौन से न्यायालयों से स्थगन आदेश जारी हुए हैं? स्थगन आदेशों की प्रतियां सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उन स्थगन आदेशों को निरस्त करवाने हेतु कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो की गई कार्यवाही के दस्तावेजों की प्रतियां मय विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या न्यायालय द्वारा खातेदारों द्वारा लिये गये स्थगन आदेशों में से कोई स्थगन आदेश निरस्त किये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस खातेदार के व कब-कब? निरस्त स्थगन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

(5) न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेशों से योजना के कौन-कौन से खसरे एवं भूखण्ड प्रभावित हो रहे हैं? खसरों के नम्बर तथा प्रभावित भूखण्डधारियों के नाम व भूखण्ड संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की विधान सभा नगर आवासीय योजना ग्राम धौलाई के अन्तर्गत आने वाले खसरा नम्बरान की सूची मय रकबा परिशिष्ट "अ" पर व मानचित्र परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। स्थगन आदेशों की सूचना मय स्थगन आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "स" पर संलग्न हैं।

(3) जी हां। स्थगन सम्बन्धित उक्त सभी दावों में जवाब पेश किया जा चुका है, जिनकी प्रतियां परिशिष्ट "द" पर संलग्न हैं।

(4) जी नहीं। उक्त स्थगन आदेशों में से न्यायालय द्वारा कोई भी स्थगन आदेश निरस्त नहीं किया गया है।

(5) न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेशों से योजना के प्रभावित खसरा नम्बरान, भूखण्डधारी व भूखण्ड संख्या का विवरण परिशिष्ट "य" पर संलग्न है।

(सूची, सूचना व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

आवासीय योजना धोलाई (जयपुर) में प्रस्तावित सैक्टर रोड प्लान

166. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की विधान सभा आवासीय योजना ग्राम धोलाई मानसरोवर जयपुर में 200 फीट, 100 फीट तथा 60 फीट की कितनी सेक्टर रोड प्रस्तावित हैं? वर्तमान में प्रस्तावित सड़कों में से कौन-कौन सी सड़क/सेक्टर रोड को निरस्त किया गया है? मय नक्शा विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोनल लेबल कमेटी द्वारा पारित दिनांक 7 जनवरी, 2010 को उक्त योजना में प्रस्तावित 200 फीट व 100 फीट की सेक्टर रोडों में वर्तमान में क्या कोई एलाइमेन्ट में परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो इससे कितने एवं कौन-कौन से भूखण्ड प्रभावित हैं? जोनल लेबल कमेटी द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 2010 को पारित नक्शा क्या वर्तमान में प्रभावी है?

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

(3) क्या सरकार उक्त योजना नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? वर्तमान में उक्त योजना के कौन-कौन से ब्लाकों को नियमित किया गया है उन ब्लाकों में कितने-कितने भूखण्डधारी हैं? भूखण्डों की संख्या मय भूखण्डधारी के नाम व भूखण्डों का माप का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित आवासीय कालोनियों में हाई टेन्शन लाइन के नीचे सड़क निर्माण का कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो क्या? मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पृथ्वीराज नगर रोड नेटवर्क प्लान के अनुसार, विधान सभा नगर में 200 फीट चौड़ी 1, 100 फीट चौड़ी 3, 80 फीट चौड़ी 1 एवं 60 फीट चौड़ी 1 सेक्टर रोड स्वीकृत है। वर्तमान में प्रस्तावित सड़कों में से किसी भी सडक/सेक्टर रोड को निरस्त नहीं किया गया है। नक्शा परिशिष्ठ "अ" पर संलग्न है।

(2) जोनल लेवल कमेटी द्वारा पारित नक्शा दिनांक 7.1.2010 में उक्त योजना में प्रस्तावित 200 फीट व 100 फीट की सेक्टर रोडों के अलाइनमेंट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उक्त योजना की 90बी निरस्त होने के कारण जोनल लेवल कमेटी द्वारा दिनांक 7.1.2010 को पारित नक्शा वर्तमान में प्रभावी नहीं है।

(3) जी हां। विधान सभा नगर आवासीय योजना की 90बी दिनांक 8.1.2014 व 16.6.2014 को न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा निरस्त की जा चुकी है। अत: 90बी निरस्त होने व विभिन्न न्यायालयों में स्थगन आदेश होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा रही है। न्यायालय के स्थगन आदेश एवं वाद विचाराधीन होने के कारण यह बताना सम्भव नहीं है कि कब तक नियमन किया जायेगा। वर्तमान में एफ ब्लाक का नियमन किया जा चुका है, जिसमें 128 भूखण्डधारी हैं। भूखण्डधारियों का नाम, भूखण्ड की संख्या मय माप का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) जी हां। नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक : प.18(44)नविवि/जयपुर/2014 दिनांक 3.2.2015 के द्वारा हाइटेन्शन लाइन के नीचे सड़क निर्माण का मापदण्ड निर्धारित कर रखा गया है। मानदण्डों के आदेश की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

पृथ्वीराज नगर योजना से पृथक योजनाओं का सामान्य दर पर नियमन

167. **श्री बंशीधर** (खण्डेला): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. डी-154 दिनांक 19 फरवरी, 2013 द्वारा 15 तकनीकी रूप से अनुमोदित योजनाओं, जिनकी 'कृषि भूमि' को पृथ्वीराज नगर के लिए भूमि अवाप्ति से पहले ही 'आवासीय भूमि' में रूपान्तरण कर अनुमोदित कर दिया गया था, के नियमन हेतु सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है?

(2) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण ने उक्त पत्र द्वारा सरकार को सूचित किया गया था कि उक्त 15 तकनीकी रूप से अनुमोदित योजनाओं में कुछ योजनाएं पूर्णतः व कुछ अंशतः पृथ्वीराज नगर की घोषित सीमाओं से बाहर हैं? यदि हां, तो वे कौन-कौन सी योजनाएं हैं?

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त 15 तकनीकी रूप से अनुमोदित योजनाओं के लिए आदेश दिनांक 20 सितम्बर, 2013 के अन्तर्गत सामान्य दर से नियमन के दिशा-निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो उक्त योजनाओं का सामान्य दर से कब तक नियमन कर दिया जायेगा? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण को उक्त 15 तकनीकी रूप से अनुमोदित योजनाओं का सामान्य दर से नियमन करने में किसी प्रकार का अवरोध आ रहा है? यदि हां, तो क्या प्राधिकरण पुनः सरकार से मार्गदर्शन लेने का विचार रखता है? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र संख्या डी-154 दिनांक 19.2.2013 द्वारा 15 तकनीकी रूप से अनुमोदित योजनाओं, जिनकी 'कृषि भूमि' को पृथ्वीराज नगर के लिए भूमि अवाप्ति से पहले ही 'आवासीय भूमि' में रूपान्तरण कर अनुमोदित कर दिया गया था, के नियमन हेतु राज्य सरकार से मार्ग दर्शन मांगा था।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जी हां। टैगोर नगर डी आंशिक रूप से तथा योजना 6 डी ग्राम मान्यावास के ख.नं. 31, 32, 33, 174, 175, 176 की भूमि पृथ्वीराज नगर की घोषित सीमाओं से बाहर हैं।

(3) जी हां। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 6 (15) नविवि/3/87/पार्ट जयपुर दिनांक 20.9.2013 के बिन्दु संख्या 3 (vii) में 1848 बीघा भूमि पर बसी कालोनियां एवं 15 तकनीकी रूप से अनुमोदित योजनाओं का नियमन (यदि अवाप्तशुदा भूमि पर नहीं है तो) निजी खातेदारी भूमि मानते हुए सामान्य नियमन दरों पर किये जाने के निर्देश थे। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। किन्तु राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक प. 6 (15) नविवि/3/87/पार्ट जयपुर दिनांक 30.9.2014 द्वारा उक्त निर्देश को संशोधित करते हुए बिन्दु 2 (vii) में निर्देश दिया है कि उक्त 1,848 बीघा भूमि एवं तकनीकी रूप से अनुमोदित आवासीय योजनाओं में भूखण्डों का आबंटन पृथ्वीराज नगर हेतु निर्धारित आबंटन दर पर किया जाये। आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 6 (15) नविवि/3/87/पार्ट जयपुर दिनांक 30.9.2014 के बिन्दु संख्या 2 (vii) में दिये गये निर्देशानुसार तकनीकी रूप से अनुमोदित योजनाओं में भूखण्डों का नियमन/आबंटन पृथ्वीराज नगर हेतु निर्धारित आबंटन दरों पर किया जायेगा। जयपुर विकास प्राधिकरण राज्य सरकार से पुन: मार्गदर्शन लेने का विचार नहीं रखता है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बगरू के पुलिस थानों में रिक्त पद

168. श्री कैलाश वर्मा (बगरू): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू में कितने पुलिस थाने कहां-कहां स्थित हैं और इनमें कितनी-कितनी नफरी स्वीकृत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के थानों में कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू में स्थित पुलिस थाने व उनकी स्वीकृत नफरी निम्नानुसार है:-

(गृह मंत्री)

क्र. सं.	नाम थाना	पुलिस थाना जहां स्थित है	स्वीकृत नफरी				
			पु. नि.	उ. नि.	स.उ.नि	है. कानि .	कानि.
1	बगरु, पश्चिम जयपुर	एक्सप्रेस हाइवे नंबर 8, अजमेर रोड	1	3	8	8	40
2	भांकरोटा, पश्चिम जयपुर	एक्सप्रेस हाइवे नंबर 8, अजमेर रोड	1	5	6	8	38
3	सेज, पश्चिम जयपुर	कलवाडा गांव	1	5	6	8	40
4	मुहाना, दक्षिण जयपुर	मुहाना मंडी परिसर, ग्राम मुहाना	1	2	3	8	40
5	संगानेर सदर, दक्षिण जयपुर	एक्सप्रेस हाइवे नंबर 12, टोंक रोड	1	2	12	7	38
6	शिवदासपुरा, दक्षिण जयपुर	एक्सप्रेस हाइवे नंबर 12, टोंक रोड	1	3	6	8	40
7	संगानेर, पूर्व जयपुर	एक्सप्रेस हाइवे नंबर 12, टोंक रोड	1	4	14	9	48
8	प्रताप नगर पूर्व जयपुर	प्रताप नगर, हाउसिंह बोर्ड कालोनी प्रताप नगर	1	2	3	5	47
9	मालवीय नगर पूर्व जयपुर	मालवीय नगर जयपुर शहर	1	2	15	5	45
10	जवाहर सर्किल पूर्व जयपुर	सेक्टर 6 मालवीय नगर जयपुर शहर	1	3	2	5	47
11	खोह नागोरियान पूर्व जयपुर	ग्राम खोह नागोरियान	1	6	6	8	46
12	गांधीनगर पूर्व जयपुर	गांधीनगर जयपुर शहर	1	3	13	7	46
13	कानोता पूर्व जयपुर	एक्सप्रेस हाइवे नंबर 11, आगरा रोड	1	2	10	9	42
		योग	**13**	**42**	**104**	**95**	**557**

(गृह मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र बगरू के पुलिस थानों में रिक्त पद, पदवार कितने, कब से रिक्त चल रहें हैं की सूची निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नाम थाना	पु. नि	कब से रिक्त है	उ. नि.	कब से रिक्त है	स.उ. नि.	कब से रिक्त है	है. कानि.	कब से रिक्त है	कानि.	कब से रिक्त है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बगरु, पश्चिम जयपुर	-	-	1	01.04.11	4	03.11.14	5	01.04.11	13	01.04.11
2	भांकरोटा, पश्चिम जयपुर	-	-	3	15.08.12	1	15.08.12	6	15.08.12	10	15.08.12
3	सेज, पश्चिम जयपुर	1	19.09.13	4	19.09.13	4	02.07.14	6	28.10.14	24	21.10.14
4	मुहाना, दक्षिण जयपुर	-	-	1	01.07.14		-	5	30.06.14	13	30.06.14
5	सांगानेर सदर, दक्षिण जयपुर	-	-	1	30.08.14	7	30.08.14	3	25.06.14	12	25.06.14
6	शिवदासपुरा, दक्षिण जयपुर	-	-	1	10.07.14	3	10.07.14	4	25.06.14	21	25.06.14

(गृह मंत्री)

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
7	संगानेर, पूर्व जयपुर	-	-	-	-	6	03.06.12	7	04.04.12	3	10.05.12
8	प्रताप नगर, पूर्व जयपुर	-	-	-	-	-	-	2	10.05.12	7	03.03.12
9	मालवीय नगर, पूर्व जयपुर	-	-	-	-	10	10.05.12	2	05.02.12	5	11.05.12
10	जवाहर सर्किल, पूर्व जयपुर	-	-	-	-	-	-	2	29.02.12	14	10.05.12
11	खोह नागोरियान पूर्व जयपुर	-	-	3	26.09.12	3	25.08.12	6	13.02.13	20	26.09.13
12	गांधीनगर, पूर्व जयपुर	-	-	-	-	5	10.05.12	4	04.04.12	18	10.05.12
13	कानोता, पूर्व जयपुर	-	-	1	02.07.14	5	10.05.12	7	04.01.11	6	10.05.12
	योग	**1**	-	**15**	-	**48**	-	**59**	-	**166**	-

किशनगढ़ में अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष कार्य योजना

169. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र (अजमेर) के शहरी क्षेत्र में गत वर्ष 2014 में आये दिन होने वाले अपराधों यथा चेन लूटना, झपटना, दुपहिया वाहनों की चोरी, आदि की रोकथाम के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत तीन वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में उक्त अपराधों के कितने प्रकरण दर्ज हुए एवं कितने मुलजिमों को पकड़कर माल बरामदगी हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में अपराधों की रोकथाम हेतु समय-समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश/परिपत्र जारी किये गये हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा इनकी पालना हेतु समय-समय पर समीक्षा की जाती है। आदेश/परिपत्र परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के शहरी क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम के लिए सतर्कता बरती जा रही है। अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश/निर्देशानुसार प्रभावी कार्यवाही अमल में है। भीड़भाड़ एवं महिलाओं के अधिक आवागमन स्थानों पर सादा वस्त्रों में एवं वर्दीधारी पुलिसकर्मी तैनात किये जाते हैं। संदिग्ध व्यक्तियों से पुछताछ, नाकाबन्दी एवं फिक्स पिकेट तथा वाहन पार्किंग स्थलो पर विशेष निगरानी की कार्यवाही जारी है।

(3) गत तीन वर्षो मे किशनगढ़ (अजमेर) विधान सभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में चेन लूटना, झपटना, दुपहिया वाहन चोरी के दर्ज प्रकरणों एवं पकड़े गये मुलजिमों, जिनसे माल बरामदगी हुई है, का विवरण निम्न है -

(गृह मंत्री)

क्र. सं.	वर्ष	अपराध शीर्षक	कुल दर्ज प्रकरण	पकड़े गये मुलजिमानों की संख्या जिनसे माल बरामदगी हुई
01	2012	चेन लूटना	00	00
		चेन झपटना	05	06
		दुपहिया वाहन चोरी	64	05
02	2013	चेन लूटना	00	00
		चेन झपटना	03	00
		दुपहिया वाहन चोरी	74	11
03	2014	चेन लूटना	01	03
		चेन झपटना	04	00
		दुपहिया वाहन चोरी	146	36

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

नव क्रमोन्नत चिकित्सा केन्द्रों में चिकित्सकों का पदस्थापन

170. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में गत वर्ष नवक्रमोन्नत हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक पदस्थापित कर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है तथा शेष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिन्हें चिकित्सकों के अभाव के कारण प्रारम्भ नहीं किया गया है, को सरकार अब कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार चिकित्सकों की भर्ती कर नवीन व पुराने प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की कमी को पूरा कर जनता को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में गत वर्ष 600 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं, जिनमें से 536 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों का पदस्थापन किया

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जा चुका है। 58 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची के शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति के समय यथासम्भव प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे। शेष 6 नवसृजित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारी के पद सृजित नहीं है।

(2) जी हां। चिकित्सा अधिकारी के 1,115 तथा चिकित्सा अधिकारी (दंत) के 80 रिक्त पदों पर नवनियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। प्रतीक्षा सूची के शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति के समय चिकित्सकों के शेष रिक्त पदों को यथासम्भव प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(प्रश्न संख्या 171-असूचीबद्ध)

डग के विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण

172. श्री रामचन्द्र (डग): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डग के उप खण्ड-भवानीमण्डी एवं गंगधार के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भवन की कमी है? यदि हां, तो कितने विद्यालयों में?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के अनेक सरकारी विद्यालयों के भवनों एवं भूमि पर अतिक्रमण है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त अतिक्रमणों को कब तक हटा दिया जावेगा?

(3) क्या सरकार सभी पंचायत मुख्यालयों पर आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। डग विधान सभा क्षेत्र के उप खण्ड भवानीमण्डी एवं गंगधार के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की कमी नहीं हैं, अपितु उनमें कक्षा-कक्षों की कमी है।

(2) जी नहीं। डग विधान सभा क्षेत्र के सभी सरकारी विद्यालयों के भवन एवं भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। केवल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केलूखेड़ा की भूमि पर तथा राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक

(शिक्षा राज्य मंत्री)

विद्यालय, भिलवाड़ी में खेल मैदान की भूमि पर अतिक्रमण है। अतिक्रमण हटाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, झालावाड़ द्वारा उपखण्ड अधिकारी, गंगधार एवं भवानीमण्डी को पत्र लिखा गया है।

(3) जी हां। राज्य की उन ग्राम पंचायतों में जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्थित हैं, वहां 2017-18 तक उन विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित/विकसित करने का विचार रखती है। जिलेवार सूची परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-क

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल ग्राम पंचायत	आदर्श विद्यालय सत्र 2015-16 से 2016-17					आदर्श विद्यालय सत्र 2017-18		प्राथमिक व उप्रा विद्यालय		कुल विद्यालय
			1-12 old	1-10	6-12 old	9-12 old	6-10	1-12 old	6-12 old	1-8	1-5	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	AJMER	282	129	7	1	1	0	140	0	4	0	282
2	ALWAR	512	200	61	17	14	2	188	5	25	0	512
3	BANSWARA	346	76	10	4	7	0	216	1	25	7	346
4	BARAN	221	60	5	1	1	0	142	4	8	0	221
5	BARMER	489	91	44	8	15	0	247	11	73	0	489
6	BHARATPUR	374	114	34	10	9	1	198	6	2	0	374
7	BHILWARA	384	114	2	15	7	0	223	23	0	0	384
8	BIKANER	290	51	40	10	3	4	127	7	48	0	290
9	BUNDI	183	56	5	3	0	0	115	2	2	0	183
10	CHITTORGARH	290	91	3	6	1	0	176	11	2	0	290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	CHURU	254	103	53	10	1	5	78	4	0	0	254
12	DAUSA	234	72	44	10	3	0	99	1	5	0	234
13	DHOLPUR	171	51	19	3	0	0	87	1	10	0	171
14	DUNGARPUR	291	37	9	36	18	0	130	15	42	4	291
15	GANGANAGAR	336	79	50	7	1	1	182	9	6	1	336
16	HANUMANGARH	251	91	56	1	0	2	95	5	1	0	251
17	JAIPUR	532	188	141	26	6	8	130	6	17	10	532
18	JAISALMER	140	21	2	9	0	0	87	9	9	3	140
19	JALORE	274	88	4	1	0	0	173	1	7	0	274
20	JHALAWAR	252	70	0	4	3	0	172	2	1	0	252
21	JHUNJHUNU	301	133	59	33	5	5	59	2	4	1	301
22	JODHPUR	466	79	60	33	18	16	153	27	78	2	466
23	KAROLI	227	68	29	2	0	1	118	6	2	1	227
24	KOTA	156	52	2	11	2	0	83	6	0	0	156
25	NAGAUR	467	164	51	8	2	2	232	3	4	1	467
26	PALI	321	118	11	2	1	0	186	3	0	0	321
27	PRATAPGARH	165	41	7	2	2	0	104	0	7	2	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	RAJSAMAND	207	67	3	8	5	1	111	12	0	0	207
29	SAWAI MADHOPUR	200	60	16	5	2	1	109	6	1	0	200
30	SIKAR	343	149	93	13	6	2	68	7	5	0	343
31	SIROHI	162	52	3	1	0	0	96	2	8	0	162
32	TONK	230	82	12	2	0	0	132	1	1	0	230
33	UDAIPUR	544	117	13	26	4	3	301	16	57	7	544
	Grand Total	**9895**	**2964**	**948**	**328**	**137**	**54**	**4757**	**214**	**454**	**39**	**9895**

बांदीकुई में संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

173. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में वर्तमान में कहां-कहां उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? उक्त विद्यालयों में वर्तमान में किस-किस विषय एवं वर्ग के कितने-कितने पद सृजित हैं तथा कितने-कितने पद किस-किस विषय के कब से रिक्त हैं?

(2) नियमानुसार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्या-क्या सुविधाएं होना आवश्यक हैं एवं उक्त क्षेत्र के किस-किस विद्यालयों में उक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के विद्यालयों के रिक्त पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में वर्तमान में 32 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं तथा उक्त विद्यालयों में विषय एवं वर्गवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) विद्यालयों में उपलब्ध होने वाली सुविधाएं यथा भवन, फर्नीचर, विद्युत, मैदान, शौचालय (छात्र/छात्रा) एवं पेयजल सुविधा होना आवश्यक होता है। विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। जिन विद्यालयों में विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनमें शीघ्र विद्युत कनेक्शन करवाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग से, विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने तथा पंचायती राज विभाग से तृतीय श्रेणी अध्यापक उपलब्ध होने पर ही रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-174

(स्थगित)

रायसिंहनगर के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक

175. **श्रीमती सोनादेवी** (रायसिंहनगर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ब्लाक शिक्षा अधिकारी, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के अधीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है? विद्यालयवार कार्यरत शिक्षक व अध्ययनरत छात्रों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि शिक्षकों की कमी होने के उपरान्त भी वहां से शिक्षकों को अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है? यदि हां, तो किन-किन को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति आदेश निरस्त कर उन्हें मूल विद्यालय में पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, रायसिंहनगर के अन्तर्गत 137 राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा 93 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें कार्यरत अध्यापकों व अध्ययनरत छात्रों का विद्यालयवार संख्या विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, रायसिंहनगर क्षेत्र में अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर नहीं हैं, अपितु 37 अध्यापक शिक्षण व्यवस्थार्थ अन्य विद्यालयों में कार्यरत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) जी हां। विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्थार्थ कार्यरत अध्यापक बोर्ड परीक्षा/सत्रान्त उपरान्त पदस्थापित विद्यालय में ही जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-176

(स्थगित)

(प्रश्न संख्या-177-असूचीबद्ध)

राजकीय जमना बाई पारख बालिका माध्यमिक विद्यालय, लोहावट की शारीरिक शिक्षिका के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच

178. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रधानाचार्य, राजकीय जमना बाई पारख बालिका माध्यमिक विद्यालय, लोहावट द्वारा आदेश क्रमांक 80 दिनांक 13 जुलाई, 2007 के द्वारा शारीरिक शिक्षिका को दिनांक 13 अप्रैल, 2007 से 20 अप्रैल, 2007 तक के लिए राजकीय विशिष्ट पूर्व उच्च प्राथमिक विद्यालय, शास्त्रीनगर, जोधपुर स्काउट गाइड हेतु सामान क्रय करने बाबत कार्यमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिक्षिका द्वारा राजकीय विशिष्ट पूर्व उच्च प्राथमिक विद्यालय, शास्त्रीनगर, जोधपुर में कब जोइनिंग दी गई एवं वहां से शिक्षिका को कब कार्यमुक्त किया गया? जोइनिंग एवं कार्यमुक्त आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जोधपुर के पत्र क्रमांक : 2811/दिनांक 3 अक्टूबर, 2013 के द्वारा उक्त शिक्षिका को राजकीय विशिष्ट पूर्व उच्च प्राथमिक विद्यालय, शास्त्रीनगर, जोधपुर में जोइन करना बताया गया है, जबकि प्रधानाध्यापिका, राजकीय विशिष्ट पूर्व उच्च प्राथमिक विद्यालय, शास्त्रीनगर, जोधपुर के पत्र क्रमांक 013/3807 दिनांक 1 मार्च, 2013 के तहत जोइन नहीं करना बताया गया है ? उक्त दोनों आदेशों में असमानता के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त शिक्षिका द्वारा आदेश क्रमांक 80 दिनांक 13 जुलाई, 2007 की अवहेलना कर दिनांक 21 अप्रैल, 2007 को पुन: मूल विद्यालय लोहावट में जोइनिंग गयी दी गयी? यदि हां, तो प्रधानाध्यापक, राजकीय जमना बाई पारख बालिका माध्यमिक विद्यालय, लोहावट द्वारा किस आदेश के तहत जोइनिंग करायी गयी? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त शिक्षिका दिनांक 2 अप्रैल, 2007 को राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय जाटावास-लोहावट में वीक्षक के रूप में कार्यरत थी और इसी दिनांक को पारिवारिक न्यायालय, जोधपुर के रिकार्ड के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होना बताया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त कृत्य राजकीय सेवा नियमों का उल्लंघन है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(श्री नरेन्द्र नागर)

(6) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय जमना बाई पारख बालिका माध्यमिक विद्यालय, लोहावट में कार्यरत पैरा-शारीरिक शिक्षिका को विद्यालय के आदेश क्रमांक 80 दिनांक 13.4.2007 के द्वारा दिनांक 13.4.2007 से 20.4.2007 तक के लिए राजकीय विशिष्ठ पूर्व उच्च प्राथमिक विद्यालय, शास्त्रीनगर में गाइड सम्बन्धी कार्य समाग्री के विषय में आवश्यक जानकारी एवं क्रय की कार्यवाही हेतु आवश्यक रूप से जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी प्रति परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) प्रधानाध्यापिका, राजकीय विशिष्ठ पूर्व उच्च प्राथमिक विद्यालय, शास्त्रीनगर, जोधपुर के पत्रांक 664 दिनांक 27.2.2013 के अनुसार उक्त शिक्षिका द्वारा विद्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया गया, जिसकी प्रति परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जोधपुर से यह पत्र क्रमांक : 2811 दिनांक 3.10.2013 जारी नहीं किया गया। राजकीय वि.पू.उ.प्रा. विद्यालय, शास्त्रीनगर जोधपुर के पत्र क्रमांक 3807 दिनांक 1.3.2013 के अनुसार पैरा शारीरिक शिक्षिका द्वारा कार्यग्रहण करना नहीं बताया है। अत: असमानता नहीं है।

(4) उक्त पैरा-शारीरिक शिक्षिका द्वारा दिनांक 21.4.2007 को मूल विद्यालय राजकीय जमना बाई पारख बालिका माध्यमिक विद्यालय, लोहावट में कार्यग्रहण कर लिया गया। उपस्थिति पंजिका की फोटो प्रति परिशिष्ट-'ग' पर संलग्न है।

(5) उक्त पैरा-शारीरिक शिक्षिका द्वारा दिनांक 2.4.2007 से 7.4.2007 तक राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय जाटावास-लोहावट में वीक्षण कार्य हेतु उपस्थिति का प्रमाण-पत्र परिशिष्ट-'घ' पर संलग्न है। उक्त दिनांक को शिक्षिका वीक्षण कार्य के दौरान मा. न्यायालय में उपस्थित थी या नहीं, इस बिन्दु पर जांच करवाई जायेगी तथा दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(6) प्रश्न के भाग-5 के अनुसार।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

पंचायती राज द्वारा नियुक्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों का कैडर परिवर्तन

179. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायती राज विभाग/जिला परिषद द्वारा नियुक्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों का शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण/कैडर परिवर्तन का कोई प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायती राज विभाग/जिला परिषद द्वारा नियुक्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों का ग्रामीण क्षेत्रों में कितने वर्षों तक का ठहराव अनिवार्य है?

(3) क्या 10 वर्षों से सरकार द्वारा ऐसे शिक्षकों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानान्तरण/कैडर परिवर्तन हेतु आवेदन मांगे गये हैं? यदि हां, तो कब-कब?

(4) क्या सरकार वर्तमान में भी पंचायती विभाग/जिला परिषदों द्वारा नियुक्त शिक्षकों का शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण कैडर परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नियमों की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के नियम 6(डी) के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापक, जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में 5 वर्ष की सेवाएं पूर्ण हों, को वरिष्ठता के आधार पर शिक्षा विभाग में लिये जाने का प्रावधान है।

(3) विभाग द्वारा विगत 10 वर्षों में पंचायती राज सेटअप के शिक्षकों के ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु आवेदन नहीं मांगे गये। पंचायती राज विभाग से शिक्षा विभाग में अध्यापकों के कैडर परिवर्तन हेतु दिनांक 11.8.2009, 24.5.2011 तथा 10.6.2014 को विकल्प पत्र मांगे गये थे।

(4) जी हां। पंचायती राज/जिला परिषदों द्वारा नियुक्त शिक्षकों का शिक्षा विभाग में कैडर परिवर्तन हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जाकर वर्तमान में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-क

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

सं. एफ 2 (6) डीओपी/ए 2/84 जयपुर, दिनांक 25.6.2005

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1- **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :**— (1) (i) इन नियमों का नाम, राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (संशोधित) नियम, 2005 है।

2- (ii) ये तुरन्त प्रभाव से प्रस्तुत होंगे।

नियम 6 घ का संशोधन — राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971, जिन्हें इसमें आगे उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, में विद्यमान नियम 6 घ और उसके अपवाद, के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

6 घ– अनुसूची के खण्ड (व) में यथानिर्दिष्ट अध्यापकों के मामले में 100 प्रतिशत रिक्तियां, पंचायत समितियों में कार्यरत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के स्थानान्तरण द्वारा भरी जायेंगी :

परन्तु—

(i) ऐसे अध्यापक सर्वथा वरिष्ठता के आधार पर उपलब्ध करवाये जायेंगे;

(ii) वे पदों के लिए नियमों के अधीन विहित न्यूनतम अर्हता रखते हों; और

(iii) उन्होंने पंचायत समितियों में कम से कम 5 वर्ष की सेवा कर ली हो और उनका अभिलेख अनुसूची के स्तम्भ सं. 7 में उपदर्शित समिति द्वारा संतोषजनक पाया गया हो।

3- **अनुसूची का संशोधन**— उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची में शीर्ष ''अनुभाग व सामान्य अध्यापक'' के अधीन क्रम सं. 9 (क) के सामने स्तम्भ सं. 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति 25% सीधी भर्ती द्वारा और 75% सम्बन्धित जिले को पंचायत समिति विद्यालयों से स्थानान्तरण द्वारा'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''100% सम्बन्धित जिले के पंचायत समिति विद्यालयों से स्थानान्तरण द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से
शान्ती कुमार वर्मा
शास उप सचिव

प्रदेश के उपखण्ड मुख्यालयों पर सरकारी आई.टी.आई. की स्थापना

180. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर सरकारी आई.टी.आई. खोलने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो प्रदेश में ऐसे कितने उपखण्ड मुख्यालय हैं जहां सरकारी आई.टी.आई. नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजगढ़ (चूरू) उपखण्ड मुख्यालय पर सरकारी आई.टी.आई. खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्तमान में राजगढ़ पंचायत समिति में 9 निजी आई.टी.आई. संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

स्थानीय मांग, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर गुणावगुणों के आधार पर राजगढ़ (चूरू) उपखण्ड मुख्यालय पर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने बाबत निर्णय लिया जा सकेगा।

परिशिष्ट-1

पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) में संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण

S.N.	ITI
1	2
1	CHANDGI RAM PRIVATE ITI, CHHOTA BAIRASAR, RAJGARH, DIST. CHURU RAJASTHAN
2	CHAUDHARY PRIVATE ITI, TEHSIL RAJGARH, DIST. CHURU
3	DHANVANTRI PRIVATE ITI, SHIVA KHERA. SHANKHU FORT, TEHSIL RAJGARH, DIST. CHURU
4	MAHATMA JYOTIRAO PHULE PRIVATE ITI, TEHSIL, RAJGARH, DIST. CHURU PIN-331023 RAJASTHAN

1	2
5	VIVEKANAND PRIVATE ITI, SIDHMUKH, TEHSIL, RAJGARH, DIST. CHURU RAJASTHAN
6	MOHTA PRIVATE ITI, SADULPUR (CHURU)
7	CHOUDHARY ISAR RAM JAKHAR PRIVATE ITI, SADULPUR (CHURU)
8	SARASWATI PRIVATE ITI, LAMBORE BADI DIST-CHURU
9	ASHA DEVI PRIVATE ITI, KHEMANA ROAD, SADULPUR, DIST. CHURU RAJASTHAN

डिग्गी (टोंक) को ईको फ्रैण्डली विलेज घोषित करने की योजना

181. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) : क्या कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में तीर्थ स्थल डिग्गी को हेरिटेज व ईको फ्रैण्डली विलेज घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ईको फ्रैण्डली विलेज घोषित होने पर कौन-कौन से विकास कार्य कराये जाते हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में तीर्थ स्थल डिग्गी विभाग का संरक्षित स्मारक नहीं है तथा इस क्षेत्र को हेरिटेज व इको फ्रैण्डली विलेज घोषित करने की कोई योजना इस विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(2) इस क्षेत्र में विकास कार्य सम्पादित करवाये जाने की इस विभाग में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(प्रश्न संख्या-182-असूचीबद्ध)

मावली के बड़गांव बांध से निकलने वाली नहरों की मरम्मत

183. श्री दलीचन्द डांगी (मावली): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के बड़गांव बांध से नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है? यदि हां, तो कहां-कहां, कितनी-कितनी दूरी तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति मावली के बड़गांव बांध से उक्त नहर का पानी आस-पास के किन-किन गांवों तक उपयोग होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ज्यादातर नहरें कच्ची होने के कारण बांध का पानी इधर-उधर व्यर्थ बहता रहता है तथा खड़ी फसलों को नुकसान होता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उदयपुर जिले की सभी कच्ची एवं जीणशीर्ण नहरों को दुरुस्त/पक्का कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बड़गांव बांध से 28.58 कि.मी. मुख्य नहर से घसलो का खेड़ा तक, 4.5 कि.मी. लम्बी बड़गांव वितरिका से गुंडला तक एवं 7.86 कि.मी. लम्बी करिमपुरिया वितरिका से साथलियावास तक कुल 6,797 हैक्टेयर सी.सी.ए. में सिंचाई की जाती है।

(2) पंचायत समिति मावली के बड़गांव बांध से मुख्य नहर एवं वितरिकाओं का पानी 32 गांवों तक उपयोग मे लिया जाता है। लाभान्वित गांवों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। बड़गांव बांध की मुख्य नहर 16 कि.मी. तथा दो वितरिकाएं, 7 कि.मी. लम्बाई में कच्ची हैं। मुख्य नहर एवं वितरिकाओं की आवश्यकता के अनुसार मरम्मत एवं पक्का करने हेतु राशि रुपये 496.60 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अनुसार कार्य दिनांक 8.2.2015 को प्रारम्भ कर दिया गया है।

(4) जी नहीं। वित्तीय प्रावधान एवं संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य प्रस्तावित किये जावेंगे।

परिशिष्ट "अ"

पंचायत समिति मावली के बड़गांव बांध से उक्त नहरों के पानी से लाभान्वित होने वाले गांवों की सूची

क्र. सं.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों का विवरण
1	**2**
1	बड़गांव
2	कुरा
3	मारेझाई
4	इन्टाली
5	जोधाणा
6	भीलखेड़ा
7	उदा खेड़ा
8	रोयड़ा
9	अमरपुरा
10	मांगल
11	दौलतपुरा
12	मुरला
13	कंवरपुरा
14	आकोला
15	पेमाखेड़ा
16	कानडखेड़ा
17	वाना
18	नवलपुरा
19	नितामपुरिया
20	कबीर जी की भांगल

1	2
21	धना की भागल
22	चाकुडी
23	रोजो का खेड़ा
24	रायपुरिया
25	करजाली
26	सातलिया वारू
27	चाकुडा
28	हीराजी का खेड़ा
29	चडवो का खेड़ा
30	किर खेड़ा
31	घासा का खेड़ा
32	करीमपुरिया

जल वितरण समझौते के तहत प्रदेश को प्राप्त जल

184. श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नदियों से मिलने वाले तीन राज्यों के जल वितरण समझौते के तहत राजस्थान प्रदेश को कितनी मात्रा में जल प्राप्त हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजस्थान अपने हिस्से के जल को उपयोग करने की क्षमता अर्जित कर पाया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अपने हिस्से के जल को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अपने हिस्से के जल उपयोग करने के लिए नहरों से सिंचित क्षेत्र के रकबे को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) नदियों से मिलने वाले तीन राज्यों, राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा के मध्य रावी-व्यास नदियों के अधिशेष पानी के जल वितरण समझौते के तहत राजस्थान प्रदेश को 8.60 एम.ए.एफ. के विरुद्ध 8.00 एम.ए.एफ. पानी प्राप्त हो रहा है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में अपने हिस्से के जल का उपयोग करने हेतु वांछित सिंचित क्षेत्र उपलब्ध होने से इसे बढ़ाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-अ

सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण

राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा के मध्य दिनांक 31.12.1981 को रावी-व्यास नदियों के अधिशेष पानी के बंटवारे हेतु हुये समझौते के द्वारा अधिशेष 17.17 एम.ए.एफ. पानी में से राजस्थान को 8.60 एम.ए.एफ. पानी आबंटित किया गया। वर्तमान में इस आबंटित 8.60 एम.ए.एफ. के विरुद्ध 8.00 एम.ए.एफ. पानी प्राप्त हो रहा है।

वर्ष 2004 में पंजाब द्वारा टर्मीनेशन आफ एग्रीमेन्ट एक्ट 2004 पारित कर रावी-व्यास नदियों से सम्बन्धित सभी समझौते को उनके निष्पादन की दिनांक से निरस्त किये जाने से राजस्थान को 0.60 एम.ए.एफ. पानी रिस्टोर नहीं हो सका। राजस्थान को 0.60 एम.ए.एफ. पानी रिस्टोर किये जाने हेतु पंजाब सरकार द्वारा पारित पंजाब टर्मीनेशन आफ एग्रीमेन्ट एक्ट 2004 की वैधता के सम्बन्ध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी है, जो कि अभी तक विचाराधीन है।

माननीय जल संसाधन मंत्री, राजस्थान ने पत्र दिनांक 28.6.2013 द्वारा जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार से प्रेसीडेसल रेफरेंस पर शीघ्र निर्णय हेतु सर्वोच्च न्यायालय की विशेष बैंच स्थापित करवाकर शीघ्र निर्णय करवाकर इस प्रकरण को हल करने हेतु आग्रह किया।

प्रकरण के जल्दी निस्तारण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ का शीघ्र गठन किये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदया/महोदय द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पत्र दिनांक 12.6.2007, 9.6.2009, 2.4.2010 एवं 6.7.2012 माननीय केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री महोदय को पत्र दिनांक 27.09.2012, 10.1.2013 द्वारा तथा केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री महोदया को पत्र दिनांक 3.2.2014, 7.6.2014 एवं 1.12.2014 द्वारा इस सम्बन्ध में शीघ्र कारवाई करने हेतु अनुरोध किया है।

वैर में बिजली का अनियमित वितरण

185. श्री भजन लाल (वैर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र वैर के ग्रामों में केवल 2-3 घण्टे ही बिजली की सप्लाई होने के कारण ग्रामीण जनता में रोष व्याप्त है? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में ट्रांसफार्मरों की कमी है तथा सरकार द्वारा समय पर ग्रामीण जनता को ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं तथा इसको कब तक दूर कर समय पर ग्रामीण क्षेत्र में मांग के अनुरूप ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र वैर में थ्री फेज कृषि हेतु दिन के ब्लाक में औसत साढ़े 6 घण्टे एवं रात्रि ब्लाक में 7 घण्टे विद्युत सप्लाई एवं ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 20-22 घण्टे सिंगल फेज विद्युत सप्लाई दी जा रही है।

(2) जी नहीं। भरतपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र वैर में ग्रामीण जनता को मांग के अनुरूप ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जले हुए ट्रांसफार्मर सामान्यतया 72 घंटे में बदले जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में वैर विधान सभा क्षेत्र में जले हुए ट्रांसफार्मर के मद में 473 सिंगल फेज व 734 थ्री फेज ट्रांसफार्मर बदले गये। इसके अलावा, नये कनेक्शन जारी करने के मद में 306 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर व 321 थ्री फेज ट्रांसफार्मर लगाये गये।

सरदारशहर में लम्बित घरेलू विद्युत कनेक्शन

186. श्री भंवर लाल (सरदारशहर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा डिमाण्ड राशि जमा कराये जाने के उपरान्त भी विद्युत कनेक्शन नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? किस-किस गांव में कितने-कितने विद्युत कनेक्शन कब-कब से बकाया हैं? ग्रामवार एवं नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरलाल)

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ घरेलू कनेक्शन वर्ष 2011 से लम्बित हैं? यदि हां, तो क्यों? ऐसे विद्युत कनेक्शन कौन-कौन से गांव में कब-कब से किन-किन कारणों से लम्बित हैं? गत चार वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी नहीं करने के लिये किसी अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो कब तक?

(4) उक्त सभी बकाया घरेलू विद्युत कनेक्शन अब कब तक जारी कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा मांग पत्र की राशि जमा कराये जाने के उपरान्त अप्रैल, 2014 से वे सभी आवेदन जिनमें विद्युत तंत्र का प्रसार किया जाना है, लम्बित हैं। सभी लम्बित आवेदनों का कार्य आदेश जारी हो चुका है एवं कार्य प्रगति पर है तथा सामान की उपलब्धता एवं वरीयतानुसार कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। मांग पत्र जमा आवेदकों की ग्रामवार/नामवार सूची प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। घरेलू विद्युत कनेक्शन सामान की उपलब्धता तथा वरीयतानुसार जारी किये जा रहे हैं। घरेलू कनेक्शन दिया जाना एक सतत् प्रक्रिया है और देरी के बाबत् कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है।

(4) उक्त मांग पत्र जमा सभी घरेलू बकाया विद्युत कनेक्शन शीघ्र ही सामान की उपलब्धतानुसार तथा वरीयतानुसार जारी कर दिये जायेंगे।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जालसू ग्राम (आमेर) में 33 के.वी.ए. विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना

187. श्री नवीन पिलानिया (आमेर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्राम जालसू में 33 के.वी.ए. के विद्युत सब-स्टेशन की स्वीकृति कब हुई तथा क्या उक्त सब-स्टेशन का कार्य पूर्ण हो

(श्री नवीन पिलानिया)

चुका है? यदि नहीं, तो निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं? अब शेष कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र आमेर के अधीन ग्राम जालसू में नया 33/11 केवी का सब-स्टेशन माह अप्रैल, 2011 में स्वीकृत हुआ था। उक्त सब-स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि का आबंटन जिला कलक्टर जयपुर द्वारा दिनांक 18.10.2013 को किया गया था। उप केन्द्र (यार्ड) की स्थापना का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। साथ ही 33 के वी लाइन एवं 11 के वी लाइन का कार्य भी क्रमश: लगभग 40 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य ग्रामीणों के द्वारा उठाये गये एतराज/व्यवधान के कारण नहीं हो पा रहा है, जिसे फसल कटने के पश्चात् एवं ग्रामीणों से विचार विमर्श कर उठाये गये व्यवधानों को दूर कर शीघ्रताशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जावेगा।

पुष्कर में निर्माणाधीन विद्युत ग्रिड सब-स्टेशन

188. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में गत दो वर्षों से कितने ग्रिड सब-स्टेशन निर्माणाधीन हैं व कितने ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हो चुके हैं तथा शेष कितने निर्माण होने हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा कितनी राशि की सामग्री क्रय की गई? क्या क्रय की गई सामग्री की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(3) अजमेर जिले में विद्युत चोरी के कितने प्रकरण सामने आये व इससे विद्युत वितरण निगम को कितनी आय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्ष में एक 33/11 के वी सब-स्टेशन कानस का निर्माण कार्य जनवरी, 2014 में पूर्ण किया गया। उक्त विधानसभा क्षेत्र में दो 33/11 के वी सब-स्टेशन डूमाडा एवं पुष्कर सिटी का

(ऊर्जा मंत्री)

निर्माण करना शेष है, जिनका कार्य आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों में प्रसारण निगम द्वारा 132 के वी जी एस एस पुष्कर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। 400 के वी जी एस एस, अजमेर व 220 के वी जी एस एस, जेठाना का कार्य निर्माणाधीन है।

(2) विगत पांच वर्षों में अजमेर डिस्काम द्वारा क्रय की गई सामग्री की कुल राशि रुपये 2,858.89 करोड रुपये है। जिसका विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है। विगत पांच वर्षों में क्रय की गई सामग्री से सम्बन्धित शिकायतें व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण प्रपत्र 'ब, स, द व ध' पर उपलब्ध है।

(3) अजमेर जिले में वर्ष 2013-14 में विद्युत चोरी के 2,183 प्रकरण सामने आये, जिनका राजस्व निर्धारण रुपये 452.46 लाख है तथा इसके सापेक्ष रुपये 317.16 लाख वसूल किये गये हैं एवं शेष बकाया राशि की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 2014-15 (जनवरी-2015 तक) विद्युत चोरी के 2,177 प्रकरण सामने आये, जिनका राजस्व निर्धारण रुपये 555.58 लाख है, जिसके सापेक्ष रुपये 251.3 लाख अब तक वसूल किये गये हैं एवं शेष बकाया राशि की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंजाब राज्य के क्षेत्र में आने वाली गंग नहर की मरम्मत की कार्य योजना

189. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंजाब राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाली गंग नहर की मरम्मत पंजाब सरकार द्वारा करवायी जाती है? क्या यह भी सही है कि पंजाब सरकार द्वारा गंग नहर में पूरा पानी नहीं छोड़ा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान सरकार द्वारा पंजाब क्षेत्र में स्थित नहर, उसके हैड व पुलिया की मरम्मत हेतु दी जाने वाली राशि न दिये जाने, पुलिया का आकार छोटा होने व पानी की सफाई नहीं होने से किसानों को कम और दूषित पानी प्राप्त हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

(3) क्या राज्य सरकार पंजाब सरकार को निर्धारित शुल्क देकर उक्त समस्या का समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंजाब राज्य के क्षेत्राधिकार में स्थित गंग नहर (बीकानेर कैनाल) की मरम्मत राजस्थान द्वारा बजट उपलब्ध कराने पर पंजाब सरकार द्वारा करवायी जाती है।

जी नहीं। राजस्थान को गंग नहर (बीकानेर कैनाल) के माध्यम से राजस्थान की सीमा पर पूरा पानी प्राप्त हो रहा है।

(2) जी नहीं। राजस्थान सरकार द्वारा पंजाब सरकार को पंजाब क्षेत्र में स्थित गंग नहर (बीकानेर कैनाल) के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु निर्धारित राशि उपलब्ध कराई जाती है। प्रदूषित पानी प्राप्त होने का सम्बन्ध नहर की मरम्मत के लिए बजट उपलब्ध कराये जाने से नहीं है। प्रदूषित पानी प्राप्त होने का करण पंजाब की औद्योगिक इकाइयों एवं शहरी निकायों द्वारा अनट्रीटेड वाटर सतलुज में प्रवाहित किया जाना है। यह प्रदूषित जल सतलुज के माध्यम से हरिके पर प्राप्त होता है तथा हरिके से निकलने वाली फिरोजपुर फीडर के माध्यम से गंग नहर (बीकानेर कैनाल) में भी प्रवाहित हो जाता है।

(3) जी नहीं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल पत्र दिनांक 10.11.2014 द्वारा पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्रदूषित पानी रुकवाने के लिए The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये जिनमें ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने, स्थापित ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने तथा untreated/partially treated सीवेज सतलुज नदी में प्रवाहित नहीं किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश भी सम्मिलित हैं। राज्य सरकार द्वारा इस समस्या के निस्तारण हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रदेश में स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फोर्स के गठन की कार्य योजना

190. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आपदा की स्थिति में पीड़ितों तक तत्काल तथा प्रभावी राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फोर्स

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(एस.डी.आर.एफ.) का गठन किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में गत तीन वर्षों से एस.डी.आर.एफ. के गठन का प्रकरण लम्बित चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों एवं इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब प्रदेश में एस.डी.आर.एफ. का गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो पूरे संसाधनों एवं प्रशिक्षित स्टाफ सहित कब तक गठन कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फोर्स का गठन कर दिया गया है। राज्य में आपदा घटनाओं से निपटने के लिए आर.ए.सी. के 25 प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मियों के सहयोग से दिनांक 25.11.2010 को "राज्य डिजास्टर रेस्पोंस फोर्स" का गठन किया गया, जिसके पश्चात् दिनांक 30.3.2011 को आर.ए.सी. के 125 कार्मिकों का पदस्थापन उक्त दल में किया गया तथा इन कुल 150 सुरक्षा कर्मियों को जयपुर, जोधपुर व कोटा मुख्यालयों पर 50-50 की संख्या में पदस्थापित किया गया। वर्ष 2014 में जोधपुर से 25 एस डी आर एफ सुरक्षा-कर्मी भरतपुर सम्भाग में पदस्थापित किये गये। राज्य में "स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फोर्स" को अधिक प्रभावशील बनाने हेतु 755 कार्मिकों की नवनियुक्ति की गई है, जिनकी प्रशिक्षण प्रक्रिया जारी है।

(2) जी नहीं। राज्य में स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फोर्स का गठन किया जा चुका है।

(3) राज्य में आपदाओं से निपटने के लिए स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फोर्स का गठन किया जा चुका है। वर्तमान में जयपुर, कोटा, जोधपुर व भरतपुर में आर.ए.सी. यूनिट में कार्यरत हैं। इनमें 150 कार्मिकों की तैनाती की गई है, जो उपकरणों से सुसज्जित हैं। राज्य में स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फोर्स को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु 755 कार्मिकों की नवनियुक्ति की गई है, जिनकी प्रशिक्षण प्रक्रिया जारी है। प्रशिक्षण उपरान्त इन कार्मिकों की आपदाओं

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

से निपटने हेतु राज्य सम्भाग मुख्यालय सहित अन्य जिलों में तैनातगी कर दी जावेगी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फोर्स की छठी बटालियन की एक कम्पनी नारेली, किशनगढ़ (अजमेर) में तैनात की गई है, जो आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है।

(प्रश्न संख्या-191-असूचीबद्ध)

पाली जिले में कार्यरत प्रचेता महिला संविदा कर्मियों के बकाया मानदेय का भुगतान

192. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में कितनी प्रचेता महिला संविदा कर्मी कितने-कितने समय से कार्यरत हैं एवं इन्हें प्रति माह कितना वेतन (मानदेय) दिया जाता है?

(2) उक्त कर्मियों को किन-किन कारणों से कितने-कितने माह का वेतन दिया जाना शेष है तथा इनके बकाया वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के रिट याचिका संख्या 5967/2011, 6508/2011 व 7073/2011 में दिये गये स्थगन आदेश दिनांक 18.7.2011, 25.7.2011 एवं 4.8.2011 की अनुपालना में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से पाली जिले में 04 (चार) प्रचेता महिला संविदा कार्मिक माह नवम्बर 2010 से प्रचेता सेवा का कार्य कर रही हैं। प्रत्येक सेवा कार्मिक को प्रतिमाह रुपये 10,000/- मानदेय एजेंसी के माध्यम से दिया जाता है।

(2) प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से पाली जिले में कार्यरत संविदा सेवा में से 3 प्रचेता संविदा कार्मिक को उपस्थिति के आधार पर माह जनवरी, 2015 तक की मानदेय राशि का भुगतान कर दिया गया है। एक प्रचेता सेवा कार्मिक के 6 माह से अनुपस्थित रहने के कारण मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है।

(प्रश्न संख्या-193-असूचीबद्ध)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती की कार्य योजना

194. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग में कुल कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से वर्तमान में कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2014 में अनेक अधिकारी/कर्मचारी विभाग को छोडकर जा चुके हैं? यदि हां, तो 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी विभाग को छोड़कर अपने मूल विभाग या अन्य विभाग में जा चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अधिकांश अधिकारी व कर्मचारी अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कैडर निर्धारण कर रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विभाग में कुल 159 पद स्वीकृत हैं जिसमें से 61 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक विभाग से मूल विभाग में जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या 6 है जो परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि इस विभाग में परियोजना निदेशक, परियोजना अधिकारी एवं अनुसंधान अधिकारी के पद एक्स-काडर पद हैं, जिन पर अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं। एक्स काडर के स्थान पर विभागीय काडर के निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उसके पश्चात निर्धारित प्रक्रियानुसार भर्ती की कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

बिन्दु संख्या 1 : विभाग में कुल 159 पद स्वीकृत हैं जिनमें वर्तमान में 61 पद रिक्त हैं

क्र. सं.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	पद रिक्त का दिनांक
1	**2**	**3**	**4**
1	निदेशक	1	01.01.2006
2	परियोजना निदेशक	3	02.06.2000 01.04.2011 01.12.2014
3	परियोजना अधिकारी	8	23.07.2005 01.04.2005 01.12.2009 29.08.2011 30.09.2010 03.09.2013 05.06.2014 10.10.2014
4	अनुसंधान अधिकारी	12	01.07.2010 01.08.2010 04.09.2010 29.08.2011 29.08.2011 01.02.2012 01.05.2012 21.06.2012 01.10.2013 02.06.2014 05.01.2015 05.01.2015
5	कनिष्ठ अभियन्ता	1	4.10.2013
6	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	2	08.05.2014 08.05.2014
7	आशुलिपिक	2	23.10.2012 01.03.2013

1	2	3	4
8	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी	2	24.01.2013 06.12.2013
9	सहायक क्यूरेटर	2	20.03.2012 18.09.2013
10	सहायक लेखाधिकारी	1	24.05.2013
11	कनिष्ठ लेखाकार	6	24.05.2013
12	कनिष्ठ प्रारूपकार	2	01.11.2012 01.11.2014
13	लिपिक ग्रेड-I	1	01.02.2013
14	लिपिक ग्रेड-II	2	19.07.2013 24.07.2013
15	शिक्षा सहायक	2	20.03.2012 19.07.2013
16	वाहन चालक	1	01.06.2010
17	अनुरेखक	3	18.02.2008 31.10.2012 31.10.2012
18	पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी-II	1	11.10.2001
19	सर्वेयर	1	01.05.2013
20	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	21.05.2014
21	तकनीशियन	7	(4) 20.03.2012 (2) 19.07.2013 (1) 24.07.2013
	कुल योग	**61**	

परिशिष्ट-ब

राजस्थान सरकार

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

बिन्दु संख्या 2 : 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक अधिकारी व कर्मचारी विभाग छोड़कर अपने मूल विभाग में जा चुके हैं उनका विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम अधिकारी एवं पद	पैतृक विभाग का नाम	पैतृक विभाग में वापस जाने की तिथि	विशेष विवरण
1	श्री राजेन्द्र कुमार, अनुसंधान अधिकारी	भू-जल विभाग	02.06.2014	पैतृक विभाग द्वारा वापस बुलाये जाने के कारण
2	डा. अनुज सक्सेना, विशेषाधिकारी-II	उच्च शिक्षा विभाग	05.06.2014	पैतृक विभाग द्वारा वापस बुलाये जाने के कारण
3	डा. टी.एस. शर्मा, परियोजना अधिकारी	खान एवं भू-विज्ञान विभाग	10.10.2014	पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने के आधार पर
4	डा. अमिता गिल, विशेषाधिकारी	उच्च शिक्षा विभाग	01.12.2014	पैतृक विभाग द्वारा वापस बुलाये जाने के कारण
5	श्री अरविन्द शर्मा, अनुसंधान अधिकारी	राजस्थान हथकरघा निगम विभाग	05.01.2015	विभाग द्वारा मूल विभाग के लिये कार्य मुक्त करने के कारण
6	श्री विमल किशोर मूंदड़ा, अधिशासी अभियंता	जल संसाधन विभाग	05.01.2015	विभाग द्वारा मूल विभाग के लिये कार्य मुक्त करने के कारण

राजर्षि भर्तृहरि विश्वविद्यालय अलवर का भवन निर्माण

195. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में स्वीकृत राजर्षि भर्तृहरि विश्वविद्यालय को सरकार कब तक चालू करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विश्वविद्यालय के लिए जमीन कहां आबंटित की गई है व निर्माण कार्य कब से शुरू कराया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विश्वविद्यालय हेतु बजट आबंटित किया जा चुका है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजर्षि भृर्तहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर राजर्षि भृर्तहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम 2012 के द्वारा 23 अगस्त, 2012 से प्रवृत्त हुआ। विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार निर्धारण हेतु अधिसूचना दिनांक 4.3.2015 को जारी कर राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर दी गई है। विश्वविद्यालय अकादमिक सत्र 2015-16 से अपने क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों का सम्बद्धन कर सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय को ग्राम हल्दीना, तहसील मालाखेडा (जिला अलवर) में स्थित भूमि आबंटित की गयी है। निर्माण कार्य एजेन्सी की चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर किया जा सकेगा।

(3) जी नहीं। विश्वविद्यालय को बजट आबंटन ना करके अनुदान दिया जाता है। विश्वविद्यालय को निम्नानुसार अनुदान आबंटित है:-

1. वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल रु. 12.39 लाख

2. वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल रु. 111.66 लाख; व

3. वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रावधित अनुदान राशि रु. 488.53 लाख है, जिसमें से चारदीवारी निर्माण हेतु राशि रु. 100.00 लाख दिनांक 19.1.2015 को विश्वविद्यालय को जारी हो चुकी है।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा में परीक्षाओं में सम्मिलित होने के मानदण्ड

196. **श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा पास कोर्स व स्नातक स्तरीय विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली स्नातक उपाधि को राजकीय सेवाओं में मान्य किया गया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित आदेश/नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा स्नातक स्तरीय विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु विभिन्न मानदण्ड समय-समय पर विद्या परिषद द्वारा पारित किये गये है। मानदण्डों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। उक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली स्नातक उपाधि को विभिन्न निकायों द्वारा राजकीय सेवाओं में मान्य किया गया है। इस बाबत मानव संसाधन विभाग के पत्र दिनांक 1.3.1995,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र दिनांक 5.5.2004, 28.7.1993 एवं 14.10.2013, राज्य सरकार के पत्र दिनांक 18.10.2012, एन सी टी ई के पत्र दिनांक 21.8.2000 एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के आदेश संख्या 7027 दिनांक 23.1.2014 जारी किये गये हैं, जिनकी प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

भीम में आयुष चिकित्सकों के रिक्त पद

197. **श्री हरिसिंह रावत** (भीम): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में आयुष चिकित्सकों व कम्पाउण्डरों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आयुष चिकित्सकों व कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में आयुष चिकित्सकों के आयुर्वेद विभागान्तर्गत 16 पद स्वीकृत व 7 पद रिक्त हैं; होम्योपैथिक विभागान्तर्गत 1 पद स्वीकृत है व कोई पद रिक्त नहीं है। आयुष नर्स/कम्पाउण्डर के आयुर्वेद विभागान्तर्गत 16 पद स्वीकृत हैं व 10 पद रिक्त हैं; होम्योपैथिक विभागान्तर्गत कम्पाउण्डर का 1 पद स्वीकृत है, जो रिक्त है।

(2) राज्य सरकार द्वारा 1945 आयुर्वेद, 358 यूनानी तथा 292 होम्योपैथी चिकित्साधिकारियों के तथा 980 आयुर्वेद, 318 होम्योपैथिक एवं 307 यूनानी कनिष्ठ नर्स/कम्पाउण्डर पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जगद्‌गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के निदेशक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

198. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जगद्‌गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में अनुसंधान केन्द्र के निदेशक का पिछले दिनों गम्भीर आरोपों के कारण निलम्बन किया गया है? यदि हां, तो उन पर क्या गम्भीर आरोप हैं?

(2) क्या उक्त निदेशक पर लगे आरोपों की जांच के लिए कोई कमेटी बनाई गई थी? यदि हां, तो इसके सदस्य कितने व कौन थे? क्या इस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट कुलपति को सौंप दी है? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

(3) उक्त जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर उक्त निदेशक के विरुद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक कार्यवाही कर ली जायेगी? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) तत्कालीन माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार निदेशक, अनुसंधान केन्द्र के निदेशक की कार्यावधि दिनांक 4.4.2013 से 23.12.2014 तक की अवधि में किन-किन विद्यार्थियों को पीएच डी की उपाधि प्रदान की गई

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

है, के सम्बन्ध में जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया, जिसमें निम्न दो सदस्य जांच के लिए नियुक्त किये गये:-

1. प्रो. अशोक कुमार तिवाड़ी, व
2. प्रो. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र।

समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट परिशिष्ट-"क" एवं समिति गठन के आदेश परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न हैं।

(3) जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-118 की सूचना व सूची)

परिशिष्ट–अ

चिकित्सा महाविद्यालयों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में अर्जेन्ट टेम्परेरी आधार पर नियत मानदेय पर दी गई नियुक्ति की सूचना निम्नानुसार है

चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	सहायक आचार्य	वरिष्ठ प्रदर्शक	नर्सिंग ग्रेड-2	बायोकेमिस्ट
अजमेर	7	2	261	0
बीकानेर	25	26	355	3
जयपुर	18	12	1294	0
जोधपुर	37	43	705	0
कोटा	18	2	0	0
उदयपुर	9	56	535	0
झालावाड़	0	0	0	0
राज. स्वा. वि. वि. का संघटक कालेज	7	4	0	0
कुल योग	**121**	**145**	**3150**	**3**

जयपुर एसएमएस में विजिट बेसिस पर 18 लैब टैक्नीशियन एवं 13 रेडियोग्राफर लगाये गये हैं।

राजस्थान स्वा. वि. वि. के संघटक कालेजों में 5 आचार्य, 6 सीनियर रेजिडेन्ट एवं 12 जूनियर रेजिडेन्ट आवश्यक अस्थायी आधार पर लगाये गये हैं।

नोट:—सहायक आचार्य, वरिष्ठ प्रदर्शक व बायोकेमिस्ट का चयन वाक-इन-इन्टरव्यू के आधार पर किया गया है। नर्सिंग ग्रेड-2 का चयन आवेदन लेकर मेरिट आधार पर किया गया है।

परिशिष्ट-ब

चिकित्सा विभाग द्वारा अर्जेन्ट टेम्परेरी बेसिस पर वाक इन इन्टरव्यू से नियुक्त किये गये चिकित्सकों का जिलेवार संख्यावार विवरण निम्न प्रकार है

S. No.	NAME OF DISTRICT	APPOINTMENT GIVEN UPTO 16-02-15
1	2	3
1	AJMER	8
2	ALWAR	5
3	BANSWARA	14
4	BARAN	0
5	BARMER	16
6	BHARATPUR	16
7	BHILWARA	3
8	BIKANER	11
9	BUNDI	6
10	CHITTORGARH	9
11	CHURU	33
12	DHOLPUR	3
13	DOUSA	12
14	DUNGARPUR	8
15	HNAUMANGARH	15
16	JAIPUR	20
17	JAISALMER	4
18	JALORE	15
19	JHALAWAR	0
20	JHUNJHUNU	33

1	2	3
21	JODHPUR	14
22	KARAULI	10
23	KOTA	8
24	NAGAUR	24
25	PALI	19
26	PRATAPGARH	0
27	RAJSAMAND	3
28	SAWAI MADHOPUR	6
29	SIKAR	18
30	SIROHI	6
31	SRIGANGANAGAR	14
32	TONK	13
33	UDAIPUR	0
	TOTAL	**366**